



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

राजस्थान सरकार
वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 6
(अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल)

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**

**राजस्थान सरकार
वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 6**

विषय-सूची		
	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन	-	v
कार्यकारी सारांश	-	vii
भाग – क : राजस्व क्षेत्र		
अध्याय I : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
राजस्व के बकाया का विश्लेषण	1.2	4
बकाया कर निर्धारण	1.3	5
विभाग द्वारा स्वोजी गयी कर अपवंचना	1.4	6
प्रतिदाय के बकाया प्रकरण	1.5	6
लेखापरीक्षा का प्राधिकार	1.6	6
लेखापरीक्षा योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन	1.7	7
लेखापरीक्षा आक्षेपों पर सरकार/विभागों का उत्तर	1.8	7
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.9	10
प्रतिवेदन के इस भाग का आवृत्त क्षेत्र	1.10	10
अध्याय II : माल एवं सेवा कर (जीएसटी)		
कर प्रशासन	2.1	11
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	11
‘माल एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी’- चरण II पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	2.3	11
‘माल एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली’ पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा	2.4	46
अध्याय III : भू-राजस्व		
कर प्रशासन	3.1	75
विभाग द्वारा किये गये आंतरिक लेखापरीक्षा	3.2	75
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.3	76
स्वनन उद्देश्य के लिये आवंटित चारागाह भूमि के ₹ 7.23 करोड़ के अंतर की वसूली का अभाव	3.4	78

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
संपरिवर्तन शुल्क की वसूली नहीं/कम वसूली करना	3.5	79
निष्कर्ष और सिफारिशें	3.6	81
अध्याय IV : मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क		
कर प्रशासन	4.1	83
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.2	83
साझेदारी में परिवर्तन पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	4.3	84
राजस्थान निवेश संवर्धन योजना के तहत मुद्रांक कर में अनियमित छूट	4.4	88
विकासकर्ता अनुबंध के गलत वर्गीकरण पर मुद्रांक कर तथा सरचार्ज का कम आरोपण	4.5	90
अध्याय V : राज्य आबकारी		
कर प्रशासन	5.1	93
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.2	93
भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर की कम उठाई गई मात्रा पर अतिरिक्त राशि की अवसूली	5.3	94
मासिक गारंटी राशि की कम वसूली	5.4	95
देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की कम उठाई गई मात्रा पर बेसिक लाइसेंस फीस की कम वसूली	5.5	96
देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा पर आबकारी शुल्क के अंतर राशि की अवसूली	5.6	97
मदिरा दुकानों से कम्पोजिट फीस की कम वसूली	5.7	99
अवधिपर बीयर स्टॉक पर आबकारी शुल्क की अवसूली	5.8	99
अनुज्ञापत्र की शर्तों के उल्लंघन पर लगायी गयी शास्ति की अवसूली	5.9	100
वार्षिक अनुज्ञा शुल्क की वसूली का अभाव	5.10	102
मदिरा के वार्षिक गारंटी कोटा के कम उठाव पर आबकारी शुल्क एवं बेसिक लाइसेंस फीस की कम वसूली	5.11	103
भाग – ख : व्यय क्षेत्र		
अध्याय VI : सामान्य		
लेखापरीक्षित इकाइयों की रुपरेखा	6.1	107
लेखापरीक्षा का प्राधिकार	6.2	107
लेखापरीक्षा योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन	6.3	108

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर सरकार/विभागों का प्रत्युत्तर	6.4	108
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	6.5	110
प्रतिवेदन के इस भाग का आवृत्त क्षेत्र	6.6	110
अध्याय VII : व्यय क्षेत्र की अनुपालन लेखापरीक्षा		
कार्मिक विभाग		
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा फ्रिस्किंग सेवाओं के उपापन में अनियमितताएँ	7.1	111
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग		
नगर विकास न्यास, जैसलमेर द्वारा एक फर्म से ₹ 1.17 करोड़ के नगरीय निर्धारण की कम वसूली	7.2	117
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
एकजीलरी नर्स एंड मिडवाइफ ट्रेनिंग सेंटर छात्रावास भवन, झालावाड़, राजस्थान के निर्माण में विलम्ब	7.3	120
मानवशक्ति की भर्ती न होने तथा ₹ 21.87 करोड़ के उपकरणों की खरीद न होने के कारण, 12 डीईआईसी के निर्माण पर किया गया ₹ 8.35 करोड़ का व्यय 3 से 5 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी निष्फल रहा	7.4	122
उच्च शिक्षा विभाग		
फर्म को अनुचित लाभ	7.5	126
₹ 1.85 करोड़ का निष्क्रिय निवेश	7.6	131
स्वायत्त शासन विभाग		
जेसीटीएसएल की अपारदर्शी एवं अनियमित कार्यप्रणाली के कारण अनुबंध का निरस्तीकरण	7.7	133
सैनिक कल्याण विभाग		
अपर्याप्त नियोजन के परिणामस्वरूप वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केंद्र, जोधपुर का उपयोग न होना	7.8	134

	परिशिष्ट	पृष्ठ
परिशिष्ट 2.1	केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई कमियों का संक्षिप्त सारांश	141
परिशिष्ट 2.2	अभिलेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना	143
परिशिष्ट 2.3	ई-वे बिल प्रणाली में शामिल प्रपत्रों की सूची	145
परिशिष्ट 2.4	चिन्हित प्रमुख समस्या क्षेत्र/जोखिम आयाम	146
परिशिष्ट 2.5	एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) तथा केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) पर प्रभाव	147
परिशिष्ट 6.1	विभागों की सूची	148
परिशिष्ट 6.2	निरीक्षण प्रतिवेदनों में आक्षेपित अनियमितताओं का श्रेणी-वार दर्शित विवरण	149
परिशिष्ट 7.1	जून 2025 की स्थिति के अनुसार 24 डीईआईसी में पदस्थापित मानवशक्ति की स्थिति दर्शाने वाला विवरण	150
परिशिष्ट 7.2	ग्यारह विश्वविद्यालयों की सूची जिनके प्रोजेक्ट प्रारंभ में आईटीआई लिमिटेड को सौंपे गए थे लेकिन एक्सपिडियन ईसॉल्यूशन्स लिमिटेड द्वारा निष्पादित किए गए	152
परिशिष्ट 7.3	जनवरी 2025 तक यूएमएस के अंतर्गत 25 मॉड्यूल की कार्यात्मक स्थिति	153

प्राक्कथन

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में दो भागों में सात अध्याय सम्मिलित हैं। भाग-क राजस्व उपार्जन करने वाले चार विभागों की लेखापरीक्षा से सम्बंधित है तथा भाग-ख चयनित सरकारी विभागों द्वारा किए गये व्यय की लेखापरीक्षा से सम्बंधित है। लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा इसके अधीन जारी लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम 2020 के प्रावधानों के अधीन की गई है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित दृष्टांत वे हैं जो वर्ष 2022-23 की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए, साथ ही ऐसे प्रकरण जो पिछले वर्षों में ध्यान में आए किन्तु उन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका तथा वर्ष 2022-23 की अवधि के आगे के दृष्टांत, जहाँ कहीं आवश्यक थे, भी सम्मिलित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सारांश

इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की यह रिपोर्ट राजस्थान सरकार के चयनित विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा में उजागर हुए मामलों से सम्बंधित है। अनुपालन लेखापरीक्षा, राजस्व निर्धारण मूल्यांकन, संग्रहण और समुचित आवंटन पर प्रभावी जाँच के लिए नियम एवं प्रक्रियाएं डिज़ाइन करने तथा लेखापरीक्षित इकाइयों के व्ययों से सम्बंधित लेनदेनों की जाँच से संदर्भित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के संविधान, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों के प्रावधानों की अनुपालना की जा रही है।

यह रिपोर्ट दो भागों में है। **भाग-क** में राजस्व अर्जित करने वाले विभागों यथा वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा राज्य आबकारी की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई लेखापरीक्षा टिप्पणियां सम्मिलित हैं और **भाग-ख** में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए व्यय से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियां सम्मिलित हैं। इस रिपोर्ट में 24 अनुच्छेद हैं, जिनमें ₹ 584.81 करोड़ की राशि अन्तर्निहित है। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं।

भाग क: राजस्व क्षेत्र

इस भाग में 16 अनुच्छेद हैं जिनमें ₹ 565.73 करोड़ अन्तर्निहित हैं, इसमें वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित दो विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (i) 'माल एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी'- चरण II एवं (ii) 'माल एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली' सम्मिलित है।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

माल एवं सेवा कर

'माल एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी'- चरण II एवं 'माल एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा निष्पादित की गयी। पाई गई मुख्य अनियमितताएं निम्न प्रकार हैं:

माल एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी - चरण II

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईटीसी में मिसमैच, कर देयता में मिसमैच और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत कर का भुगतान न करने से संबंधित विचलनों की जांच विभाग द्वारा संवीक्षा

के दौरान नहीं की गई थी। कर अधिकारियों द्वारा बिजनेस लेखापरीक्षा में विलम्ब हुआ क्योंकि 2020-21 में चयनित प्रकरणों में से दो प्रतिशत से भी कम प्रकरणों को विभाग द्वारा पूरा किया गया तथा 2019-21 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए चयनित कुल करदाताओं की संख्या पांच प्रतिशत के मानदंडों के समक्ष 0.22 प्रतिशत और 0.26 प्रतिशत के बीच थी। तीन वृत्तों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं की जाँच करने पर यह पाया गया कि एक वृत्त सिरोही में 2020-21 की अवधि के लिए 77 करदाताओं की पहचान विवरणी दाखिल नहीं करने वालों के रूप में की गई थी। इनमें से 72 करदाताओं (93.50 प्रतिशत) द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-3ए में नोटिस जारी किए जाने के बाद भी उचित विवरणियाँ दाखिल नहीं की गई थी। तथापि, विभाग ने अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कर देयता का आंकलन करने और फार्म एएसएमटी-13 में निर्धारण आदेश जारी करने की कार्रवाई शुरू नहीं की।

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा में ₹ 2155.65 करोड़ की राशि के 286 प्रकरणों में आरजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों से विचलन देखा गया, जो कि डेटा में 926 विसंगतियों/मिसमैच का 30.89 प्रतिशत था, जिसके लिए विभाग ने प्रत्युत्तर दिये। जोखिम मापदंडों जैसे कि जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच आईटीसी मिसमैच, सीमा अवधि के बाद दाखिल जीएसटीआर 3बी में प्राप्त आईटीसी, वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आईटीसी का मिसमैच, जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी में मिलान नहीं हुई आईटीसी, अस्थिर देनदारियाँ, ई-वे बिल की तुलना में कर योग्य मूल्य में कमी एवं जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया जाना लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध होना में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गयी। 23 प्रकरणों में फर्मों को फर्जी और अस्तित्वहीन/पता न चलने योग्य पाया गया, और मांग की गई राशि की वसूली नहीं की जा सकी।

विस्तृत लेखापरीक्षा में पाया गया कि 32 करदाताओं (लेखापरीक्षित 100 करदाताओं का 32 प्रतिशत है) के 225 मामलों में करदाताओं ने इस अवधि के दौरान नियत तिथि के बाद जीएसटीआर 3बी दाखिल किया, तथापि, कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 1.78 करोड़ का ब्याज नहीं चुकाया गया। एक प्रकरण में करदाता को लगभग ₹ 3.34 करोड़ की आईटीसी रिवर्स करनी थी, क्योंकि करदाता ने जीएसटीआर-9 में कर योग्य और शून्य दर/छूट वाली दोनों आपूर्तियों की घोषणा की थी। 14 प्रकरणों में करदाताओं ने कानूनी परामर्श और माल परिवहन एजेंसी द्वारा सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित सेवाओं की आवक आपूर्ति प्राप्त की, जिस पर आरसीएम के तहत ₹ 3.93 करोड़ का जीएसटी देय था। विभिन्न विवरणी और तालिकाओं में ₹ 260.07 करोड़ के आईटीसी मिसमैच के 99 प्रकरणों और ₹ 35.04 करोड़ की कर देयता के 54 प्रकरणों में मिसमैच पाया गया। एक करदाता ने वर्ष 2018-19 की बैलेंस शीट में ₹ 257.99 करोड़ के चालु दायित्वों को "ग्राहकों से अग्रिम" के रूप में दर्शाया गया था, तथापि,

जीएसटीआर-1 और वार्षिक विवरणी से पता चला, कि ग्राहकों से प्राप्त इन अग्रिमों पर कोई कर नहीं चुकाया गया था।

100 प्रकरणों के लेखापरीक्षा नमूने में से 95 प्रकरणों में क्षेत्राधिकार वाले वृत्तों द्वारा वित्तीय विवरण, ट्रॉयल बैलेंस, ऑडिटर की रिपोर्ट, जीएसटीआर 2ए एवं संबंधित दस्तावेजों जैसे मूलभूत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए, जिससे लेखापरीक्षा, करदाताओं द्वारा दाखिल विवरणी में उपलब्ध जानकारी तक ही सीमित रही।

लेखापरीक्षा सिफारिशें:

- स्व-मूल्यांकन कर व्यवस्था के युग में, बिज़नेस लेखापरीक्षा, करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रमुख साधनों में से एक है। इसके अतिरिक्त, गैर-अनुपालन वाले करदाताओं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत एक समयबद्ध गतिविधि है। इसे देखते हुए, लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि बिज़नेस लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं के चयन को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए जैसा कि लेखापरीक्षा नियमावली में निर्धारित है और यह सुनिश्चित करना कि चयनित मामलों की लेखापरीक्षा समय पर पूरी हो जाए।
- विभाग को शेष रही बिज़नेस लेखापरीक्षा करने के लिए जैसा कि लेखापरीक्षा में बताया गया है, त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि चूककर्ताओं के विरुद्ध समय पर कार्रवाई शुरू की जा सके और वसूली, यदि कोई हो, तो उसे किया जा सके।
- राज्य सरकार फर्जी इकाइयों/संस्थाओं के पंजीकरण और आईटीसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए पंजीकरण और निरस्तीकरण तंत्र को मजबूत कर सकती है।
- विभाग आईटीसी प्राप्ति के ऐसे मामलों की विस्तार से जाँच कर सकता है जहाँ कर योग्य और शून्य दर/छूट वाली आपूर्तियाँ दोनों हैं और जहाँ लागू हो, आईटीसी को रिवर्सल करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।

माल एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली

वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि के लिए ई-वे बिलों की लेखापरीक्षा में जांचे गये 65 करदाताओं में से 36 करदाताओं द्वारा अनुपालना संबंधित कुछ अनियमितताएँ पायी गयी, ये अनियमितताएँ पंजीकरण निरस्त होने की तिथि के बाद जनरेट किए गए ई-वे बिल, बिना किसी मांग के निरस्तीकरण आदेश जारी करना, तथा संदिग्ध वाहनों द्वारा किए गए लेन-देनों के लिए ई-वे बिल जनरेट करने से संबंधित थीं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा माल के लिए ई-वे बिल जनरेट

किये गए थे जिनमें कर योग्य माल का मूल्य निर्धारित पंजीकरण सीमा से अधिक था तथा अमान्य पिन कोड का उपयोग करके ई-वे बिल जनरेट किये गए थे।

लेखापरीक्षा में विभाग की प्रवर्तन इकाइयों द्वारा की गई निवारक तथा प्रवर्तन गतिविधियों में भी कमियाँ पाई गयी, जैसे कि अनुचित तरीके से शास्ति का आरोपण करना, नीलामी में देरी के कारण राजस्व की हानि, आरजीएसटी तथा सीजीएसटी का गलत तरीके से लगाया जाना, आपूर्ति की जगह का गलत वर्गीकरण, पहले से पंजीकृत करदाताओं के लिए अस्थायी जीएसटीआइएन जारी करना, माल एवं वाहन को रोके जाने पर लगाए गए कर तथा शास्ति की देयता के समायोजन में विलम्ब तथा एमआईएस रिपोर्टों में विसंगतियां एवं उनका कम उपयोग।

लेखापरीक्षा ने विभाग के ई-वे बिल पोर्टल पर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड आधारित पहुँच की माँग की। तथापि, यह उपलब्ध नहीं कराया गया। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि इन प्रकरणों में करदाताओं ने अपने जीएसटी रिटर्न में ई-वे बिल के अनुसार आपूर्ति का विवरण सही ढंग से प्रस्तुत किया था या नहीं।

लेखापरीक्षा की सरकार/विभाग के लिए निम्नलिखित सिफारिशें हैं:

- सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित कर सकती है कि पूर्वव्यापी रूप से पंजीकरण निरस्त करने वाले उचित अधिकारी, कर देयता का निर्धारण करें या जनरेट किये गये ई-वे बिलों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम निर्णय लें।
- राज्य सरकार एनआईसी के साथ यह सुनिश्चित कर सकती है कि निरस्तीकरण की प्रभावी तिथि के बाद ई-वे बिलों के जनरेट करने से रोकने के लिए ई-वे बिल प्रणाली में उपयुक्त सत्यापन बनाए गए हैं।
- राज्य सरकार एनआईसी के साथ मिलकर ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण लागू करने का प्रकरण उठा सकती है जिससे संदिग्ध वाहनों का उपयोग कर ई-वे बिल जनरेट होने से रोका जा सके।
- विभाग को एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर विचार करना चाहिए जो क्षेत्राधिकारी को उन मामलों में जहाँ अधिनियम की धारा 129 तथा 130 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है, समय पर एवं उचित कार्रवाई करने के लिए सचेत कर सके।
- विभाग प्रवर्तन तथा नियमित वृत्तों के अधिकारियों को एमआईएस पोर्टल का व्यापक उपयोग करने एवं उच्च अधिकारियों द्वारा निगरानी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है।
- राज्य सरकार लेखापरीक्षा के लिए ई-वे बिल पोर्टल पर केवल-पठन योग्य पहुँच प्रदान करने को सुनिश्चित कर सकती है।

भू-राजस्व

भू-राजस्व विभाग के अंतर्गत 704 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 104 इकाइयों का चयन वर्ष 2022-23 के दौरान नमूना जाँच के लिए किया गया था। नमूना जाँच में 16,138 मामलों में ₹ 175.38 करोड़ की राशि से संबंधित संपरिवर्तन, भूमि का प्रीमियम, सरकार को भूमि वापस न करने एवं अन्य से संबंधित अनियमितताएँ पाई गई थी। इन चयनित इकाइयों की व्यय लेखापरीक्षा में भी 2,977 मामलों में निहित राशि ₹ 10.05 करोड़ से संबंधित अनियमितताएँ पाई गईं।

पाई गई मुख्य अनियमितताएं निम्न प्रकार हैं:

- राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के तहत खनन उद्देश्यों के लिए चारागाह भूमि के आवंटन से पहले समर्पित की गई भूमि के मूल्य का आंकलन न होने के कारण आवंटित चारागाह भूमि के मूल्य में अंतर ₹ 7.23 करोड़ की अवसूली।
- विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया में संपरिवर्तन शुल्क जमा करने का प्रावधान शामिल न करने के कारण, ऑनलाइन आवेदनों के 184 मामलों में राज्य कोषागार को ₹ 13.68 लाख की निरंतर राजस्व हानि हुई।

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में 559 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ (19 प्रशासनिक इकाइयों सहित) हैं। इनमें से, लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच हेतु 33 इकाइयों (एक प्रशासनिक इकाई सहित) का चयन किया। इन इकाइयों में 4,87,447 दस्तावेज पंजीबद्ध थे, जिनमें से 1,78,892 दस्तावेज (लगभग 36.70 प्रतिशत) विस्तृत जाँच हेतु चयनित किए गए। संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने 942 दस्तावेजों (नमूना दस्तावेजों का लगभग 0.53 प्रतिशत) में ₹ 15.68 करोड़ के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की कम प्राप्ति/अप्राप्ति पाई।

पाई गई मुख्य अनियमितताएं निम्न प्रकार हैं:

- तीन उप-पंजीयकों कार्यालयों में अचल संपत्तियों के तीन दस्तावेज पंजीकृत किए गए, जिनमें फर्म के मौजूदा साझेदार/साझेदारों की सेवानिवृत्ति के कारण अचल संपत्तियों में हिस्सेदारी मौजूदा/जारी साझेदारों/परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य साझेदारों को हस्तांतरित की गई थी, जिस पर हस्तांतरित हिस्सेदारी पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क के रूप में ₹ 2.25 करोड़ प्रभार्य था।
- चार उप-पंजीयक कार्यालयों में, राजस्थान निवेश एवं प्रोत्साहन योजना के तहत अचल संपत्तियों के पांच दस्तावेजों को मुद्रांक कर में 100/75 प्रतिशत की छूट के साथ पंजीकृत किया गया। क्रेता ने पहले से स्थापित इकाई स्वरीदी या विक्रेता ने औद्योगिक भूखंडों को बिना

इकाई स्थापित किए बेचा, जो योजना के तहत अनुमत नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.05 करोड़ के मुद्रांक कर और सरचार्ज की अनियमित छूट के साथ ₹ 0.32 करोड़ का ब्याज भी वसूलनीय था।

- पंजीकरण अधिकारियों द्वारा रेरा वेबसाइट पर डिजिटल रूप से उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण न करने के परिणामस्वरूप विकासकर्ता अनुबंध को संशोधित साझेदारी विलेख के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत करने के कारण मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 24.49 लाख का कम आरोपण किया गया।

राज्य आबकारी

राज्य आबकारी विभाग की 108 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 32 इकाइयों (54 कार्यान्वयन इकाइयों में से 20 शामिल हैं) का चयन किया गया। 4,925 सुदरा अनुज्ञाधारी एवं 11,646 प्रकरणों के अभिलेखों की जांच में 6,797 प्रकरणों में (लगभग 58 प्रतिशत) राशि ₹ 512.38 करोड़ के राजस्व की अवसूली/कम वसूली और अन्य अनियमितताएं प्रकट हुईं। पाई गई मुख्य अनियमितताएं निम्न प्रकार हैं:

- नीति के प्रावधानों को लागू करने तथा आबकारी आयुक्त के मौजूदा निर्देशों का पालन करने में विफलता के कारण वर्ष 2018-21 के दौरान भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर की कम उठाई गई मात्रा पर ₹ 5.84 करोड़ की अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं हो सकी।
- नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए कार्रवाई न करने के कारण 2019-21 के दौरान 388 अनुज्ञाधारियों से देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की मासिक गारंटी राशि की वसूली न होने के कारण ₹ 11.76 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ।
- नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए कार्रवाई न करने के कारण 2020-21 के दौरान 456 अनुज्ञाधारियों से कम उठाई गई देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की मात्रा पर बेसिक लाइसेंस फीस के रूप में ₹ 3.63 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ।
- नीति के प्रावधानों को लागू करने में कार्रवाई न होने के कारण, 2019-21 के दौरान 533 अनुज्ञाधारियों से देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा पर आबकारी शुल्क के अंतर की वसूली न होने से ₹ 11.80 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ।
- विभाग ने 2021-22 के दौरान 222 अनुज्ञाधारियों से ₹ 3.11 करोड़ की शेष कम्पोजिट फीस की राशि वसूल नहीं की और अनुज्ञाधारियों को उनकी दुकानों के संचालन में अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

- अवधिपार बीयर स्टॉक पर आबकारी शुल्क का भुगतान न तो ब्रेवर द्वारा किया गया और न ही आबकारी विभाग द्वारा इसकी मांग की गई, परिणामस्वरूप वर्ष 2021-23 में ₹ 2.53 करोड़ आबकारी शुल्क की वसूली नहीं हुई।
- 227 प्रकरणों में, संबंधित अनुज्ञाधारियों द्वारा ₹ 74.73 लाख की शमनीय राशि निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा नहीं कराई गई थी। संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों ने न तो बकाया राशि वसूल की और न ही शमन आदेशों में उल्लेखित शर्तों के अनुसार ऐसे अनुज्ञाधारियों के अनुज्ञापत्र निरस्त किए तथा अनुज्ञाधारियों को बिना शास्ति का भुगतान किए व्यवसाय जारी रखने की अनुमति दी।
- विभाग 106 अनुज्ञाधारियों से वर्ष 2022-23 के वार्षिक अनुज्ञा शुल्क की कमी राशि ₹ 1.51 करोड़ की वसूली नहीं कर सका।
- वर्ष 2021-23 के दौरान नीति और लाइसेंस की शर्तों के प्रावधानों को लागू करने में जिला आबकारी अधिकारियों की कार्यवाही की कमी के कारण मदिरा के गारंटी कोटा के कम उठाव पर ₹ 206.79 करोड़ की आबकारी शुल्क एवं बेसिक लाइसेंस फीस की अवसूली।

भाग ख: अनुपालन लेखापरीक्षा

इस भाग में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए व्यय क्षेत्र से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ हैं।

प्रतिवेदन के इस भाग में, कार्मिक विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वायत्त शासन विभाग और सैनिक कल्याण विभाग से सम्बंधित ₹ 19.08 करोड़ की राशि के आठ अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल हैं।

कार्मिक विभाग

- सितंबर एवं अक्टूबर 2021 के बीच, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कृषि पर्यवेक्षक और पटवार परीक्षाओं के लिए फ्रिस्किंग सेवाओं के दो ठेके एक ही फर्म, इनोवेटिव्यू को दिए। लेखापरीक्षा में दोनों उपापन प्रक्रियाओं में अनेक अनियमितताएँ पाई गई, जिनमें मिलीभगत से की गई बोली, अयोग्य पात्रता और प्रक्रियात्मक कमियाँ शामिल थीं। यह बोर्ड की उपापन प्रक्रियाओं में प्रणालीगत कमियों की ओर संकेत करता है।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

- नगर विकास न्यास (यूआईटी), जैसलमेर ने एक होटल के निर्माण के लिए 99 वर्ष की लीज पर नीलाम किए गए वाणिज्यिक भूखंड पर फर्म से नगरीय निर्धारण की राशि ₹ 1.17 करोड़

कम वसूल की। यूआईटी ने सभी वर्षों के लिए नगरीय निर्धारण की गणना 2.5 प्रतिशत की दर से की थी, जो यूआईटी द्वारा जारी की गई भूखंड की नीलामी की शर्त का उल्लंघन था क्योंकि इसमें प्रावधान था कि नगरीय निर्धारण (लीज राशि) पहले पांच वर्षों के लिए आरक्षित मूल्य की 2.5 प्रतिशत की दर से और आगे पांच प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाना था।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

- विभाग द्वारा ठेका दिए जाने से पूर्व भूमि और अनुमोदित नक्शे समय पर उपलब्ध नहीं करवाए गए और संवेदक द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के बावजूद विभाग द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप अनुबंध को समाप्त करने या संवेदक के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। परिणामस्वरूप छह वर्ष व्यतीत हो जाने और ₹ 3.04 करोड़ व्यय होने के बाद भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका।
- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान 24 जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों (डीईआईसी) के निर्माण पर ₹ 16.55 करोड़ व्यय किए, जिनका मुख्य उद्देश्य उन बच्चों की पहचान करना था जिनमें विकासात्मक विलंब, विकलांगता, जन्मजात विसंगतियाँ अथवा अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं या होने का खतरा है, और उनको समय पर तृतीयक स्तर के स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में रेफर और उनके साथ जुड़ने में सहायता करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 24 डीईआईसी में से किसी में भी प्रमुख नैदानिक या चिकित्सा उपकरण उपलब्ध नहीं थे एवं 12 डीईआईसी में उनकी स्थापना के पांच साल बाद भी कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं थे। ऐसा भारत सरकार द्वारा आवश्यक नैदानिक या चिकित्सा उपकरणों के लिए ₹ 22.91 करोड़ की राशि स्वीकृत किए जाने के बावजूद हुआ, क्योंकि इसमें से ₹ 21.87 करोड़ अनुपयोजित ही रहे। परिणामस्वरूप, जून 2025 तक, 12 डीईआईसी आंशिक रूप से क्रियाशील रहे एवं 12 डीईआईसी पूर्ण रूप से अक्रियाशील रहे, जिससे बाल विकास संबंधी विकारों और विकलांगताओं की पूर्व पहचान करने और इलाज करने का मुख्य उद्देश्य अधूरा रह गया है।

उच्च शिक्षा विभाग

- जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा अक्टूबर 2021 में विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली के रखरखाव के लिए एक फर्म को ठेका दिया गया जो प्रमुख वित्तीय एवं तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती थी। यह फर्म अनुबंध के दायित्वों को निभाने में विफल रही, 25 में से केवल 6 मॉड्यूल ही क्रियाशील थे, और प्रशिक्षित कर्मचारियों के लगातार अभाव के कारण 3 वर्षों के बाद भी प्रणाली का समुचित उपयोग नहीं हो पाया। इसके अलावा, निगरानी समिति द्वारा फर्म को किए गए भुगतान के न्यूनतम 50 प्रतिशत की वसूली और कार्य के दायरे को पुनर्भाषित करने की स्पष्ट सिफारिशों के बावजूद, विश्वविद्यालय ने अनुबंध को बढ़ाने से पहले न तो कोई सुधारात्मक कार्रवाई की और न ही प्रदर्शन का

पुनर्मूल्यांकन किया, और अनुबंध की पूर्ण राशि अर्थात् ₹ 18.44 करोड़ का भुगतान कर दिया जो अनुबंध प्रबंधन में गंभीर चूक को दर्शाता है।

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में ₹ 3.15 करोड़ की अनुमानित लागत पर एक सेन्टर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्माल बिज़नेस मैनेजमेंट की स्थापना हेतु स्वीकृति (जनवरी 2017) प्रदान की, जिसमें ₹ 1.50 करोड़ भारत सरकार से एवं ₹ 1.65 करोड़ विश्वविद्यालय द्वारा योगदान किया जाना था। सेन्टर का निर्माण कार्य ₹ 1.85 करोड़ की लागत पर अगस्त 2020 में पूर्ण हुआ। यद्यपि, विश्वविद्यालय ने केवल ₹ 1.50 करोड़ जमा किए जिसमें से ₹ 1.25 करोड़ पेंशन देनदारियों को पूरा करने के लिए विपथन (जून 2017) कर दिए गए, जिसकी वजह से आवश्यक आधारभूत संरचनाओं की स्वरीद नहीं हो पाई एवं सेंटर मई 2025 तक अक्रियाशील था।

स्वायत्त शासन विभाग

- जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की अपारदर्शी एवं अनियमित कार्यप्रणाली के कारण एक प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ता से ई-बसों के उपापन के अनुबंध के निरस्तीकरण के परिणामस्वरूप भारत सरकार की निधियों का उपयोग नहीं हुआ तथा जयपुर शहर के आमजन को पर्यावरण अनुकूल बसों की सुविधा से वंचित रहना पड़ा।

सैनिक कल्याण विभाग

- व्यवहार्यता अध्ययन के अभाव के कारण एवं वांछित उद्देश्य के अनुरूप निर्माण-स्थल का चयन नहीं होने के परिणामस्वरूप, मार्च 2019 में निर्माण पूर्ण होने से पाँच वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केंद्र, जोधपुर अप्रयुक्त रहा। इसके अलावा, दो वर्ष पूर्व प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बावजूद, सरकार ने संपत्ति का कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं किया।

भाग-क
राजस्व क्षेत्र

अध्याय-I
सामान्य

अध्याय I: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा अर्जित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुसृत आंकड़ों की स्थिति तालिका 1.1 में दर्शायी गयी है।


तालिका 1.1:- राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)						
क्र.सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	राज्य सरकार द्वारा अर्जित राजस्व					
	• कर राजस्व ¹	57,380.34	59,244.98	60,283.44	74,807.98	87,346.38
	• कर-भिन्न राजस्व ²	18,603.01	15,714.16	13,653.02	18,754.95	20,564.43
	योग	75,983.35	74,959.14	73,936.46	93,562.93	1,07,910.81
2	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग ³	41,852.35	36,049.14	35,575.77	54,030.61	57,230.79
	• सहायतार्थ अनुदान ⁴	20,037.32	29,105.53	24,795.65	36,326.48	29,846.33 ⁵
	योग	61,889.67	65,154.67	60,371.42	90,357.09	87,077.12
3	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 और 2)	1,37,873.02	1,40,113.81	1,34,307.88	1,83,920.02	1,94,987.93
4	1 का 3 से प्रतिशत	55	53	55	51	55

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

1. ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका 1.2 देखें।
2. ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका 1.3 देखें।
3. ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2022-23 के वित्त लेखों की विवरण संख्या-14-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे देखें। शीर्ष 0005- केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, 0008- एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, 0020- निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028-आय एवं व्यय पर अन्य कर, 0032-संपदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 0044-सेवा कर और 0045-वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क-वित्त लेखों में दर्ज राज्यों को सौंपी गयी शुद्ध प्राप्तियों का भाग।
4. ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे के विवरण संख्या 14 में मुख्य शीर्ष 1601 देखें।
5. इसमें जीएसटी के अमल में आने से हुई राजस्व हानि के लिए प्राप्त ₹ 4,259.90 करोड़ की क्षतिपूर्ति सम्मिलित है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अर्जित राजस्व (₹ 1,07,910.81 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,94,987.93 करोड़) का 55 प्रतिशत रहा। वर्ष 2022-23 के दौरान शेष 45 प्रतिशत प्राप्तियां भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग एवं सहायतार्थ अनुदान से प्राप्त हुई थी।



1.1.2 अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान अर्जित कर राजस्व का विवरण तालिका 1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2 कर राजस्व के संबंध में वास्तविक प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2021-22 की तुलना में 2022-23 में प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
1	बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	14,225.31	15,361.61	17,146.94	19,983.79	22,017.35	(+) 10.18
	केन्द्रीय बिक्री कर	565.65	481.15	332.09	621.61	709.79	(+) 14.19
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	22,938.33	21,954.17	20,754.87	27,501.90	33,790.48	(+) 22.87
3	आबकारी शुल्क	8,694.10	9,591.63	9,853.00	11,807.34	13,325.85	(+) 12.86
4	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क						
	मुद्रांक-न्यायिक	60.70	61.88	47.87	56.13	81.84	(+) 45.80
	मुद्रांक-गैर न्यायिक	3,255.34	3,544.91	4,571.89	5,560.25	7,032.06	(+) 26.47
	पंजीयन शुल्क	569.99	627.94	677.51	875.53	1,075.29	(+) 22.82
5	मोटर वाहनों पर कर	4,576.45	4,950.98	4,368.17	4,758.92	6,128.17	(+) 28.77
6	विद्युत पर कर एवं शुल्क	2,147.95	2,262.77	2,142.39	2,606.19	2,625.17	(+) 0.73
7	भू-राजस्व	289.94	364.49	279.32	631.48	484.01	(-) 23.35
8	माल एवं यात्रियों पर कर	50.79	41.12	45.18	171.17	7.81	(-) 95.44
9	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	5.14	1.01	1.23	11.21	0.56	(-) 95.00
10	अन्य कर ⁶ इत्यादि	0.65	1.32	62.97	222.46	68.00	(-) 69.43
	योग	57,380.34	59,244.98	60,283.44	74,807.98	87,346.38	(+) 16.76
	पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत	13.39	3.25	1.75	24.09	16.76	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

6 अन्य करों में आय तथा व्यय पर कर (पेशे, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर) एवं कृषि भूमि के अलावा अचल सम्पत्तियों पर कर भी शामिल है।

वर्ष 2022-23 में, समग्र कर राजस्व संग्रहण में पिछले वर्ष की तुलना में 16.76 प्रतिशत वृद्धि हुई थी।


संबंधित विभागों ने सूचित किया कि:

- 'मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क' (26.14 प्रतिशत) में वृद्धि लंबित प्रकरणों में वसूली, प्रभावी मॉनिटरिंग, डीएलसी दरों में वृद्धि तथा सम्पत्ति की स्वरीद-बिक्री में वृद्धि के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा 'बिक्री, व्यापार पर कर (10.18 प्रतिशत) और राज्य वस्तु एवं सेवा कर' (22.87 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण उपलब्ध नहीं कराये गए।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के राजस्व एवं कर राजस्व का संयोजन चार्ट 2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2: राज्य का राजस्व



1.1.3 वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान एकत्रित कर-भिन्न राजस्व का विवरण तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3 कर-भिन्न राजस्व के संबंध में वास्तविक प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2021-22 की तुलना में 2022-23 में प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
अलौह स्ननन एवं धातु कर्म उद्योग	5,301.48	4,579.09	4,966.39	6,395.15	7,212.90	(+) 12.79
ब्याज प्राप्तियां	5,790.87	3,851.99	2,693.15	1,628.18	2,030.43	(+) 24.71
विविध सामान्य सेवायें	783.86	915.51	747.01	2,591.41	2,970.63	(+) 14.63
पुलिस	345.38	641.68	192.54	532.37	474.33	(-) 10.90
अन्य प्रशासनिक सेवायें	246.49	207.16	146.62	498.32	175.97	(+) 64.69
वृहद एवं मध्यम सिंचाई	179.31	77.19	245.47	193.94	186.91	(-) 3.62
वानिकी एवं वन्य जीवन	147.45	109.47	73.67	119.60	172.88	(+) 44.55

सार्वजनिक निर्माण	125.92	91.91	92.98	108.88	243.65	(+) 123.78
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	163.59	238.16	227.09	270.31	201.35	(-) 25.51
सहकारिता	22.24	9.11	95.75	9.40	22.29	(+) 137.13
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ ⁷	5,496.42	4,992.89	4,172.35	6,407.39	6,873.09	(+) 7.27
योग	18,603.01	15,714.16	13,653.02	18,754.95	20,564.43	(+) 9.65
पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत	18.23	(-) 15.53	(-) 13.12	37.37	9.65	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

वर्ष 2022-23 में, पिछले वर्ष की तुलना में कर-भिन्न राजस्व संग्रहण में 9.65 प्रतिशत की समग्र वृद्धि हुई थी। संबंधित विभागों ने सूचित किया कि:

- 'वानिकी एवं वन्यजीव' के अंतर्गत राजस्व में वृद्धि (44.55 प्रतिशत) जलाऊ लकड़ी, चारकोल और तेंदू पत्ते के व्यापार से हुई अधिक आय के कारण थी।
- 'सार्वजनिक निर्माण' के अंतर्गत राजस्व में वृद्धि (123.78 प्रतिशत) मुख्य रूप से कोविड-19 मामलों में कमी के कारण निर्माण कार्यों के सुचारू संचालन के कारण थी।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

कुछ मुख्य शीर्षों में 31 मार्च 2023 को राजस्व बकाया की राशि ₹ 11,122.98 करोड़ थी, इसमें से ₹ 4,621.06 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि तालिका 1.4 में दर्शाया गया है:


तालिका 1.4: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2022 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2023 को कुल बकाया राशि और पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन का प्रतिशत		31 मार्च 2023 को पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि
1	वाणिज्यिक कर	12,105.72	7,579.67	(-) 37.39	3,726.04
2	परिवहन	50.07	33.63	(-) 32.83	24.47
3	भू-राजस्व	217.03	184.45	(-) 15.01	98.67
4	वृहद एवं मध्यम सिंचाई*	2.99	3.16	(+) 5.69	1.89
5	पंजीयन एवं मुद्रांक	681.73	549.15	(-) 19.45	248.60
6	भूमिकर	515.54	1,200.75	(+) 132.91	232.39
7	राज्य आबकारी	1,484.01	1,313.28	(-) 11.50	184.58
8	स्नान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	283.89	258.89	(-) 8.81	104.42
	योग	15,340.98	11,122.98	(-) 27.49	4,621.06

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

7 अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों में पेट्रोलियम, लोक सेवा आयोग, जेल, आवास, ग्राम तथा लघु उद्योग, मत्स्य पालन, लाभांश तथा लाभ, पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों में अंशदान और वसूली इत्यादि से हुई आय, शामिल हैं।



1.3 बकाया कर निर्धारण

वाणिज्यिक कर विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, स्नान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय प्रकरण, वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरण और वर्ष के अंत में निस्तारण से शेष रहे प्रकरणों का विवरण तालिका 1.5 में दिया गया है:

तालिका 1.5: बकाया कर निर्धारण

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	प्रारम्भिक शेष	वर्ष 2022-23 के दौरान निर्धारण हेतु देय नये प्रकरण	कुल बकाया निर्धारण	वर्ष 2022-23 के दौरान निस्तारित प्रकरण	वर्ष के अन्त में शेष	निस्तारण का प्रतिशत (कॉलम 5 का 4 से)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
वाणिज्यिक कर	01	4,443	4,444	4,443	1	99.98	
पंजीयन एवं मुद्रांक	पंजीयन एवं मुद्रांक	4,597	5,719	10,316	5,161	5,155	50.03
	भूमिकर	10,754	9,098	19,862	2,050	17,812	10.32
स्नान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	10,579	10,434	21,553	7,555	14,042	35.05	
परिवहन	1,032	20,006	21,038	20,017	1,021	95.15	

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना ।

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर एवं परिवहन विभाग ने अधिकतर प्रकरणों का निस्तारण करने में अच्छा प्रदर्शन किया है। तथापि, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग तथा स्नान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग में प्रकरणों का निस्तारण काफी कम रहा। इन विभागों को प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

1.4 विभाग द्वारा खोजी गयी कर अपवंचना

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान कर अपवंचना के 855 मामले ध्यान में आये, जिसमें विभाग की प्रति-अपवंचना विंग के मामले भी शामिल हैं। वर्ष के दौरान, 782 मामलों में निर्धारण/जांच पूरी की गई, जिसमें पिछले वर्षों के दौरान पाए गए मामले शामिल थे। इसके अलावा, 2022-23 के दौरान शास्ति, इत्यादि सहित राशि ₹ 1,415.77 करोड़ की अतिरिक्त मांग कायम की गई, जिसमें से विभाग ने ₹ 136.43 करोड़ की वसूली की।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में वर्ष 2022-23 के दौरान कर अपवंचना के 1,386 मामले ध्यान में आये। इसके अलावा, 2022-23 के दौरान शास्ति, इत्यादि सहित ₹ 16.66 करोड़ की अतिरिक्त मांग कायम की गई, जिसमें से विभाग ने ₹ 4.94 करोड़ की वसूली की।

1.5 प्रतिदाय के बकाया प्रकरण

संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गयी सूचना अनुसार वर्ष 2022-23 के प्रारम्भ में प्रतिदाय के बकाया प्रकरणों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत प्रतिदाय एवं वर्ष 2022-23 के अन्त में बकाया प्रकरणों की संख्या तालिका 1.6 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.6: प्रतिदाय के बकाया प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वाणिज्यिक कर विभाग		पंजीयन एवं मुद्रांक		परिवहन		खान एवं भू-विज्ञान और पेट्रोलियम	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	1,482	138.04	1,400	11.59	669	3.13	3	2.75
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	4,817	300.31	2,065	17.18	379	4.17	2	0.27
3.	वर्ष के दौरान किये गये प्रतिदाय	3,411	150.84	1,438	9.72	687	3.39	3	0.35
4.	अस्वीकृत प्रकरणों की संख्या	1,891	222.15	334	3.64	47	0.18		
5.	वर्ष के अन्त में बकाया प्रकरण	997	65.36	1,693	15.41	314	3.73	2	2.67

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

विभागों को प्रतिदाय के बकाया प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्यवाही करनी चाहिए जिससे न केवल दावेदारों को लाभ होगा बल्कि इससे देरी से भुगतान किये गये प्रतिदाय के प्रकरणों पर दिये जाने वाले ब्याज के भुगतान से भी सरकार को बचत हो सकेगी।

1.6 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसे कर्तव्यों का

पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हे संसद द्वारा बनायी गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए। संसद द्वारा 1971 में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें अधिनियम (सीएजी डीपीसी अधिनियम) पारित किया गया। सीएजी डीपीसी अधिनियम की धारा 16 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अधिकृत करती है कि वह भारत की और प्रत्येक राज्य की और प्रत्येक ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जिसमें विधानसभा है, की उन सभी प्राप्तियों (राजस्व एवं पूंजीगत दोनों) की लेखापरीक्षा करे एवं अपने आपको संतुष्ट कर लें कि उस बारे में सभी नियम और प्रक्रियाएं राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन की प्रभावपूर्ण जांच पड़ताल सुनिश्चित करने के लिये परिकल्पित है और उसका सम्यक रूप से अनुपालन किया जा रहा है। विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिए सिद्धांत और कार्यप्रणाली, सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2020 और लेखापरीक्षा मानक 2017 में निर्धारित की गई हैं।

1.7 लेखापरीक्षा योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन

विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व की स्थिति, पूर्व के लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रवृत्ति तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम में श्रेणीबद्ध किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की गयी थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकार के राजस्व तथा कर प्रशासन में सन्निहित महत्वपूर्ण बिन्दु यथा बजट अभिभाषण, वित्त आयोग का प्रतिवेदन (राज्य एवं केंद्र), विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्व अर्जन का सांख्यिकीय विश्लेषण, विगत पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा की व्याप्ति एवं इसके प्रभाव सम्मिलित हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, एवं राज्य आबकारी विभाग में कुल 2,029 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां थीं। उनमें से, वर्ष के दौरान 169 इकाइयों की योजना बनायी गयी एवं इनकी लेखापरीक्षा की गयी जो कि कुल लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों का 8.33 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त 'जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी' फेज-II एवं 'जीएसटी के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली' पर भी दो विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की गयी।

1.8 लेखापरीक्षा आक्षेपों पर सरकार/विभागों का उत्तर

नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रावधानों के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन एवं लेन-देनों की नमूना जांच के लिये प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर सरकार/विभागों की लेखापरीक्षा करते हैं। निरीक्षण के पश्चात् निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं, जिन्हें मौके पर ही निस्तारित नहीं किया गया हो, को सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षण किये गये कार्यालय के अध्यक्ष को एवं प्रतिलिपि उससे अगले उच्च प्राधिकारी को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु जारी किये जाते हैं। कार्यालय अध्यक्षों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल आक्षेपों की शीघ्रता से अनुपालना, कमियों एवं त्रुटियों में सुधार करना होता है। उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के अन्दर प्रथम अनुपालना प्रधान महालेखाकार को प्रस्तुत करनी होती है। गंभीर वित्तीय अनियमिततायें, विभागाध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

मार्च 2023 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण से पता चला कि मुख्य राजस्व अर्जित करने वाले चार विभागों⁸ के 1,837 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित राशि ₹ 1865.98 करोड़ के 5,263 अनुच्छेद सितम्बर 2023 के अन्त में बकाया थे जैसा कि तालिका 1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: सितंबर 2023 तक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं अनुच्छेदों की संख्या

विवरण	सितम्बर 2021 (मार्च 2021 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)	सितम्बर 2022 (मार्च 2022 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)	सितम्बर 2023 (मार्च 2023 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)
निस्तारण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	1,799	1,855	1,837
बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	5,308	5,255	5,263
सन्निहित राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	1656.71	1,305.64	1,865.98

1.8.1 30 सितम्बर 2023 के अंत में बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा उनमें सन्निहित राशि का विभागवार विवरण तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों और अनुच्छेदों का विभागवार विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	536	1,687	631.08
2	भू-राजस्व	भू-राजस्व	125	598	195.09
3	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1,047	2,616	371.31
4	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी शुल्क	129	362	668.50
योग			1,837	5,263	1865.98

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन और बकाया अनुच्छेदों के संदर्भ में लंबितता पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में सबसे अधिक है, जबकि बकाया अनुच्छेदों में सन्निहित राशि राज्य आबकारी विभाग में सबसे अधिक है।

1.8.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की शीघ्र प्रगति एवं निगरानी के लिये सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों⁹ का गठन किया। वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा

8 चार मुख्य राजस्व विभाग अर्थात् वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभाग।

9 राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 1/2005 दिनांक 18 जनवरी 2005 के अनुसार संबंधित विभागों के सचिव एवं महालेखाकार/उनके प्रतिनिधि को शामिल करते हुये लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया और यह निश्चित किया गया कि लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक का आयोजन प्रत्येक तिमाही में किया जाये। इसके अतिरिक्त, संबंधित विभाग के अधिकारियों व महालेखाकार के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा उप-समितियाँ भी गठित की गयी है।

समिति/लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों तथा उनमें निस्तारित किये गये अनुच्छेदों का विवरण तालिका 1.9 में दिया गया है:

तालिका 1.9 लेखापरीक्षा समिति/लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि
1	वाणिज्यिक कर	3	5	75	11.66
2	भू-राजस्व	1	-	-	-
3	पंजीयन एवं मुद्रांक	3	10	115	2.83
4	राज्य आबकारी	2	1	8	0.17
योग		9	16	198	14.66

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर, पंजीयन एवं मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभागों में आयोजित लेखापरीक्षा समिति/लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों में राशि ₹ 14.66 करोड़ के 198 अनुच्छेदों का निस्तारण किया गया। भू-राजस्व और राज्य आबकारी विभागों को बकाया अनुच्छेदों के निपटान के लिए लेखापरीक्षा समिति/उप-समिति की और अधिक बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता है।

1.8.3 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की प्रतिक्रिया

तथ्यात्मक विवरण जारी किये जाने के बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेद संबंधित विभागों¹⁰ के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित कर यह अनुरोध करते हुये भेजे जाते हैं कि वे उनके उत्तर छः सप्ताह में भिजवा दें।

अठारह प्रारूप अनुच्छेद (प्रतिवेदन के 16 अनुच्छेदों में संकलित), सम्बंधित चार विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को जुलाई और दिसम्बर 2024 के मध्य प्रेषित किये गये थे। सम्बंधित विभागों से प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में समुचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

1.8.4 लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

राजस्थान राज्य विधानसभा की जनलेखा समिति के वर्ष 1997 में बनाये गये नियमों एवं कार्य विधियों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे। प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन महीने में सरकार द्वारा क्रियान्वित विषयक टिप्पणियां (एटीईएन) जनलेखा समिति के विचारार्थ प्रेषित करनी चाहिए। इन प्रावधानों के होते हुए भी, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर टिप्पणियां विलम्ब से प्रस्तुत की जा रही थीं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 को समाप्त वर्षों के

10 वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभाग।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जिनमें कुल 80 अनुच्छेद (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) शामिल थे, को राज्य विधानसभा के समक्ष 06 मार्च 2018 से 22 सितम्बर 2022 के मध्य प्रस्तुत किया गया। अनुच्छेदों पर भू-राजस्व एवं राज्य आबकारी विभागों के एटीईएन की प्राप्ति में विलम्ब पांच से 81 दिवस के बीच था। जनलेखा समिति द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 18 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की गयी और सात अनुच्छेदों पर इनकी सिफारिशों को जनलेखा समिति के पाँच¹¹ प्रतिवेदनों (2022-23) में सम्मिलित किया गया।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभाग की 169 लेखापरीक्षित इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच और वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित 'जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी' फेज-II एवं 'जीएसटी के अंतर्गत ई वे प्रणाली' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत मामलों की जांच में 27,982 मामलों में कुल ₹ 1,020.28 करोड़ राशि के रूपांतरण शुल्क की कम वसूली, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अवसूली/कम वसूली, आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञा शुल्क की अवसूली/कम वसूली, आगत कर का मिसमैच, कर देयताओं का मिसमैच, अपात्र एवं रद्द करदाताओं द्वारा ई-वे बिल जारी करना आदि का पता चला।

वर्ष के दौरान, संबंधित विभागों ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 9,172 प्रकरण स्वीकार किये जिनमें राजस्व राशि ₹ 791.76 करोड़ निहित थी, जिसमें से ₹ 754.08 करोड़ राशि के 6,871 मामले 2022-23 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। 2022-23 के दौरान विभागों ने 2,047 मामलों में ₹ 18.10 करोड़ वसूल किये।

1.10 प्रतिवेदन के इस भाग का आवृत्त क्षेत्र

प्रतिवेदन के इस भाग में 16 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 565.73 करोड़ है। इनकी चर्चा अध्याय II से V में की गई है। विभागों/सरकार ने ₹ 490.57 करोड़ (मार्च 2025 तक) की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया। स्वीकृत लेखापरीक्षा टिप्पणियों में से, विभागों ने मार्च 2025 तक ₹ 10.34 करोड़ की वसूली की जो कि वर्ष 2022-23 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से की गई वसूली (₹ 18.10 करोड़) के अतिरिक्त थी। इसके अलावा, संबंधित विभागों ने वर्ष 2022-23 के दौरान पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित आक्षेपों के संबंध में ₹ 27.89 करोड़ की वसूली की। इस प्रकार, लेखापरीक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान की गई कुल वसूली ₹ 56.33 करोड़ थी।

11 पाँच प्रतिवेदन संबंधित हैं: भू-राजस्व (दो), पंजीयन एवं मुद्रांक (दो) एवं वाणिज्यिक कर विभाग (एक)।

अध्याय-II
माल एवं सेवा कर

अध्याय-II: माल एवं सेवा कर

2.1 कर प्रशासन

राज्य के करदाताओं से संबंधित कानूनों के अंतर्गत देय माल एवं सेवा कर/मूल्य परिवर्धित कर/केंद्रीय बिक्री कर से प्राप्तियां सरकार के स्तर पर अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव (वित्त) द्वारा प्रशासित की जाती है। मुख्य आयुक्त, राज्य कर, वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग) के प्रमुख होते हैं और उनकी सहायता के लिए 26 अतिरिक्त आयुक्त, 57 उपायुक्त (डीसी), 110 सहायक आयुक्त (एसी), 164 वाणिज्यिक कर अधिकारी (सीटीओ), 431 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (एसीटीओ) और एक वित्तीय सलाहकार (एफए) कार्यरत हैं। संबंधित कर कानूनों और नियमों को प्रशासित करने के लिए उन्हें कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य संबद्ध कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2022-23 के दौरान, विभाग ने पिछले वर्षों से संबंधित 244 प्रकरणों में ₹ 7.58 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसके समक्ष विभाग ने 233 प्रकरणों में ₹ 7.32 करोड़ वसूल/समायोजित किये।

वृत्त (लेखापरीक्षित इकाई) स्तर पर सामान्य जोखिम मूल्यांकन के बजाय, जीएसटी के तहत लेखापरीक्षा एक डेटा आधारित लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के माध्यम से की गई थी जो पंजीयन, विवरणी जांच, आगत कर जमा (आईटीसी), कर भुगतान, ई-वे बिल प्रणाली इत्यादि जैसे क्षेत्रों में अधिक व्यापक विषय-वस्तु जोखिम मूल्यांकन प्रदान करती है। इसलिए, विशिष्ट विषय के लिए करदाता अभिलेखों की जांच के लिए उच्च जोखिम वाले लेनदेन/मामलों को डेटा विश्लेषण के माध्यम से केंद्रीय रूप से चयनित किया गया है।

इस नई कर व्यवस्था के अंतर्गत दो विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षाएं की गईं: कर अनुपालन के लिए विभाग के नियंत्रण और निगरानी तंत्र के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए (i) जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी -चरण II, और (ii) ई-वे बिल प्रणाली की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जीएसटी के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली।

इन दोनों विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षाओं से संबंधित निष्कर्षों पर आगे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.3 'माल एवं सेवा कर के भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा चरण-II

2.3.1 प्रस्तावना

जुलाई 2017 से लागू किया गया माल एवं सेवा कर (जीएसटी) देश में अप्रत्यक्ष कर सुधारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल था। इसने देश में कराधान के लिए सहकारी संघवाद के एक नए युग की शुरुआत की, जिससे देश एक साझा बाजार बन गया, जिसमें केंद्र और राज्य एक ही समय में एक समान कर दर के आधार पर कर लगाते हैं। इस सुधार ने मौजूदा विविध कर

संरचनाओं को एकीकृत करके और सीमा पार इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति देकर कराधान के कास्केडिंग प्रभाव को कम करने के मामले में दूरगामी प्रभाव डाला। सरलीकृत कर संरचनाओं, मजबूत आईटी प्रणाली और कम हस्तक्षेपकारी प्रशासन के साथ, इस सुधार से अप्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र में उच्च पारदर्शिता और बेहतर अनुपालन अपेक्षित था। जीएसटी लागू होने के सात वर्ष बाद, कर पारिस्थितिकी तंत्र प्रशासन के साथ-साथ करदाताओं की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित हो रहा है। लगातार बढ़ते कर आधार के साथ, जीएसटी राजस्व सरकार के कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण घटक है।

जीएसटी प्रावधानों में यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति देय करों का स्वमूल्यांकन करेगा, उसका भुगतान करेगा तथा प्रत्येक कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा। जीएसटी विवरणी को कॉमन जीएसटी पोर्टल पर नियमित रूप से ऑनलाइन दाखिल किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर शास्ती लगायी जाएगी। यहां तक कि अगर किसी विशेष कर अवधि के दौरान व्यवसाय की कोई कर देयता नहीं है, तब भी उसे अनिवार्य रूप से शून्य विवरणी दाखिल करनी होगी। विभिन्न श्रेणी के करदाताओं जैसे सामान्य करदाता, कम्पोजिशन करदाता, आकस्मिक करदाता, अनिवासी करदाता, ई-कॉमर्स संचालक आदि के लिए उनके व्यवसाय की प्रकृति और प्रत्येक श्रेणी की विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, विवरणी के लिए अलग-अलग प्रारूप निर्धारित किए गए हैं। विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता भी तदनुसार बदलती रहती है।

इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) को वर्ष 2022-23 (चरण I) के दौरान किये गये एसएससीए की निरंतरता के रूप में लिया गया था, जिसमें इस नई कर व्यवस्था में कर अनुपालन के लिए परिकल्पित नियंत्रण तंत्र और वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग), राजस्थान सरकार के निगरानी तंत्र के महत्व पर विचार किया गया था।

2.3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा जीएसटी प्रणाली के तहत कर अनुपालन के संबंध में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करने की ओर उन्मुख थी। जीएसटी के भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी की लेखापरीक्षा निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों पर आश्वासन प्राप्त करने के लिए की गई थी:-

(i) क्या नियमों और प्रक्रियाओं को कर अनुपालन पर एक प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था तथा करदाताओं द्वारा उनका विधिवत पालन किया जा रहा था; और

(ii) क्या वृत्तों की जांच प्रक्रियाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त और प्रभावी थे।

2.3.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा के क्षेत्र में करदाताओं द्वारा की गयी अनुपालना की जांच, संवीक्षा प्रक्रिया और पंजीकृत करदाताओं द्वारा दाखिल विवरणी पर बाद में विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही

शामिल थी। इसके अतिरिक्त, एसएससीए में वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए करदाताओं के नमूने के अभिलेखों की समीक्षा शामिल थी। इस एसएससीए के कार्यक्षेत्र में चयनित वृत्तों के कार्यों का मूल्यांकन भी सम्मिलित था।

विवरणियों की संवीक्षा एवं करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन की समीक्षा की अवधि 2018-19 से 2020-21 तक थी तथा चयनित वृत्तों की कार्यप्रणाली की लेखापरीक्षा 2020-21 की अवधि के लिए थी।

2.3.4 लेखापरीक्षा पद्धति एवं नमूना चयन

योजना बनाने के साथ-साथ मूल लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने के लिए एक डेटा संचालित दृष्टिकोण अपनाया गया था। इस एसएससीए के नमूने में केंद्रीकृत लेखापरीक्षा हेतु डेटा विश्लेषण के माध्यम से पहचान किए गए विचलनों का एक समूह शामिल था जिसमें क्षेत्रीय दौरे शामिल नहीं थे; विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का एक नमूना जिसमें क्षेत्रीय दौरे एवं विभागीय परिसर में करदाता के अभिलेखों की जांच शामिल थी; तथा वृत्तों के अनुपालन कार्यों के मूल्यांकन के लिए वृत्तों की एक नमूना लेखापरीक्षा शामिल थी।

(i) भाग-I वृत्तों की लेखापरीक्षा

निगरानी कार्यों के मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु, 135 नियमित वृत्तों में से, 10 वृत्तों, जिनके क्षेत्राधिकार में विस्तृत लेखापरीक्षा के तहत अधिकतम संख्या में नमूना मामले थे, उन वृत्तों को छोड़कर जिन्हें एसएससीए चरण-I में पहले ही लेखापरीक्षा किया जा चुका था, को उनके निगरानी कार्यों के मूल्यांकन के लिए वृत्तों के नमूने के रूप में माना गया था।

(ii) भाग-II केन्द्रीकृत लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने माल एवं सेवा कर नेट वर्क (जीएसटीएन) द्वारा उपलब्ध कराए गए 2018-19 से 2020-21 तक संबंधित जीएसटी विवरणी डेटा का विश्लेषण किया। करदाताओं द्वारा दाखिल की गयी जीएसटी विवरणी के बीच नियम-आधारित विचलन एवं तार्किक विसंगतियों की पहचान 16 मापदण्डों के एक समूह, जैसे कि वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आगत कर जमा (आईटीसी) का मिसमैच, ब्याज का कम भुगतान, आईटीसी का मिसमैच इत्यादि, पर की गई थी। तदनुसार, विभाग की जांच प्रक्रिया की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से नियमों से उच्च-मूल्य या उच्च-जोखिम विचलन एवं विवरणियों के बीच विसंगतियों के आधार पर इस एसएससीए के तहत केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए 532 करदाताओं का चयन किया गया था। करदाता के अभिलेखों की आगे जांच किए बिना लेखापरीक्षा आक्षेपों को संबंधित निर्धारण वृत्तों को जारी किया गया था।

(iii) भाग-III विस्तृत लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने जोखिम-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए 100 प्रकरणों (स्वनन गतिविधियों के 20 मामलों सहित) का चयन किया, जिसमें निर्धारण वृत्तों

के पास उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के लिए क्षेत्रीय दौरे शामिल थे। करदाताओं द्वारा कर-अनुपालना की सीमा के मूल्यांकन के लिए करदाताओं के अभिलेखों जैसे विवरणी एवं संबंधित संलग्नक और सूचना को वृत्तों के माध्यम से एकसेस किया गया था। लेखापरीक्षा ने बैक-एंड सिस्टम (जैसे पंजीयन, कर भुगतान, विवरणी और अन्य विभागीय कार्यों) में करदाताओं से संबंधित डेटा/दस्तावेजों की जांच करने के लिए अधिकतम संभव सीमा तक प्रदान की गई सिंगल साइन ओन यूजर आईडी (एसएसओआईडी) का उपयोग किया। संबंधित निर्धारण वृत्तों के माध्यम से करदाताओं से संबंधित विस्तृत अभिलेख जैसे चालान आदि, प्राप्त करने के प्रयास किए गए।

इस एसएससीए पर परिचयात्मक बैठक 21 अप्रैल 2023 को सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार, मुख्य आयुक्त, राज्य कर तथा राज्य सरकार व विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। समापन परिचर्चा 03 मार्च 2025 को सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार, मुख्य आयुक्त, राज्य कर और राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ आयोजित की गयी जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। समापन परिचर्चा के दौरान राज्य सरकार द्वारा व्यक्त किए गए विचारों एवं प्रारूप अनुच्छेद पर प्राप्त लिखित उत्तरों को संबंधित अनुच्छेदों में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

2.3.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत में केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी)/राजस्थान माल एवं सेवा कर (आरजीएसटी) अधिनियम, एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधान शामिल थे। इसके अलावा, राज्य कर विभाग द्वारा विवरणी दाखिल करने, विभिन्न विवरणी दाखिल करने की प्रभावी तारीखों को अधिसूचित करने, विवरणी दाखिल करने की नियत तारीखों को बढ़ाने, माल और सेवाओं पर कर की दरें, कर का भुगतान, आईटीसी का लाभ उठाने एवं उपयोग करने इत्यादि के संबंध में जारी अधिसूचनाएं और परिपत्र, विवरणी की जांच एवं कर-अनुपालन की निगरानी तथा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जिसमें विवरणी दाखिल करने, विवरणी की जांच करने, पंजीकरण को रद्द करने तथा विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) की रिपोर्ट का सत्यापन करने इत्यादि से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विभागीय अधिकारियों को दिए गए निर्देश आदि भी लेखापरीक्षा मानदंड में सम्मिलित किये गये।

2.3.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष- विभाग का अनुपालना सत्यापन तंत्र (पार्ट-1)

वृत्तों की भूमिका करदाताओं द्वारा घोषित कर योग्य मूल्य की यथार्थता, कर देनदारियों की गणना और भुगतान, विवरणी दाखिल करने आदि के संबंध में अनुपालना सुनिश्चित करना है। वृत्तों के पास इस संबंध में प्रयोग किए जाने वाले कार्यों का एक विस्तृत समूह है, जिनका मूल्यांकन इस एसएससीए के एक भाग के रूप में किया गया था।

दो संभावित लेखापरीक्षा क्षेत्रों की पहचान की गई थी यथा (i) जांच और मूल्यांकन की प्रभावशीलता (ii) विलम्ब से दाखिल करने वालों एवं गैर-दाखिलकर्ताओं पर कार्यवाही।

तदनुसार, चयनित 10 वृत्तों से 2020-21 की अवधि के लिए संबंधित अभिलेख और जानकारी मांगी गई थी।

2.3.6.1 विभाग के जाँच कार्यों की प्रभावशीलता

सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम की धारा 61 के अनुसार, उचित अधिकारी द्वारा करदाताओं द्वारा दाखिल विभिन्न विवरणियों की सत्यता को सत्यापित करने के लिए उनकी जांच की जानी चाहिए, और विवरणियों में दिखाई देने वाली किसी भी विसंगति या अनियमितताओं पर उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए नामित उचित अधिकारी वृत्ताधिकारी है। इसके अलावा, आरजीएसटी नियम, 2017 के नियम 99 में कहा गया है कि विसंगतियां, यदि कोई हो तो, करदाता को उसका स्पष्टीकरण मांगने के लिए नोटिस भेजा जाएगा।

वाणिज्यिक कर विभाग का पुनर्गठन करते समय, राजस्थान सरकार ने आदेश सं. एफ.9(3) एफडी/टैक्स/2020 दिनांक 24.09.2021 के तहत बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट (बीआईयू) का गठन किया।

इसके अलावा, विभाग ने परिपत्र संख्या एफ.17(151) एसीसीटी/ जीएसटी/2017/7602 दिनांक 07.01.2022 के माध्यम से एकरूपता सुनिश्चित करने तथा अधिनियम की धारा 61 के अनुसार जांच-कार्यवाही के लिए प्रक्रिया को मानकीकृत करने के लिए विवरणियों की जांच पर विस्तृत दिशा निर्देश/एसओपी जारी की।

बीआईयू, पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति (आरटीपी) द्वारा जीएसटीएन पोर्टल पर प्रस्तुत आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर, 12 जोखिम मानदंडों¹ के आधार पर, अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत विवरणियों की जांच के लिए प्रकरणों का चयन करता है। बीआईयू मुख्य आयुक्त राज्य कर से अनुमोदित चिन्हित आरटीपी की सूची प्राप्त करता है तथा इसे संबंधित संभाग को प्रेषित करता है जो उन्हें संबंधित आरटीपी पर क्षेत्राधिकार वाले उचित अधिकारियों को वितरित करता है।

1 जीएसटीआर 9/3बी की तुलना में जीएसटीआर 1 में अधिक निर्गत कर; जीएसटीआर 7 (टीडीएस) की तुलना में जीएसटीआर 3बी में दिखाया गया कम टर्नओवर; जीएसटीआर 8 (टीसीएस) की तुलना में जीएसटीआर 1 में दिखाया गया कम टर्नओवर; जीएसटीआर-1 में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दिखाए गए की तुलना में जीएसटीआर 9 में कम आरसीएम देयता दर्शाना; जीएसटीआर 3बी की तुलना में ई-वे बिल में अधिक निर्गत कर; जीएसटीआर 3बी/9 में दावा की गई अधिक आईटीसी जो जीएसटीआर 2ए/2बी या जीएसटीआर 9 में पुष्टि नहीं की गई है; धारा 16(4) के प्रावधान के अनुसार लाभ उठाने की अंतिम तिथि के बाद दाखिल किए गये जीएसटीआर में आपूर्तिकर्ता द्वारा अपलोड किए गए स्वरीद चालानों पर आईटीसी; उन आपूर्तिकर्ताओं से दावा की गई आईटीसी जिन्होंने जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं की है; उन आपूर्तिकर्ताओं से दावा की गई आईटीसी जिनकी आरसी रद्द कर दी गई है; उन करदाताओं से दावा की गई आईटीसी जिनकी आरसी शुरु से ही रद्द कर दी गई है; धारा 16(4) के अनुसार आईटीसी का लाभ उठाने की अंतिम तिथि के बाद आईटीसी का दावा और नियत तिथि के बाद दाखिल की गई जीएसटीआर 3बी और ब्याज का भुगतान नहीं किया गया या कम किया गया।

लेखापरीक्षा ने नमूने के तौर पर चुने गए दस वृत्तों² में पाया कि 2017-18 से 2020-21 की अवधि से संबंधित 200 प्रकरणों की जांच विभाग द्वारा 2022-23 के दौरान की गई थी। इनमें से 24 प्रकरणों (12 प्रतिशत) में, प्राप्त आईटीसी में मिसमैच, कर देयता में मिसमैच और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत कर का भुगतान न करने से संबंधित विचलनों की जांच विभाग द्वारा संवीक्षा के दौरान नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, 21 प्रकरणों में मासिक विवरणी जीएसटीआर-3बी और स्वतः जनित इनपुट सप्लाइ स्टेटमेंट जीएसटीआर-2ए के बीच ₹ 0.84 करोड़ की राशि का आईटीसी मिसमैच, दो प्रकरणों में राशि ₹ 0.03 करोड़ का कर देयता में मिसमैच और एक मामले में आरसीएम के तहत ₹ 0.03 करोड़ की कर की अदायगी न करने, इस प्रकार वृत्तों द्वारा कुल ₹ 0.90 करोड़ की जांच नहीं की गई।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2024)। राज्य सरकार ने (मार्च 2025) 16 प्रकरणों³ में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए छह प्रकरणों में डीआरसी-07/डीआरसी-01 में नोटिस जारी किया और 10 प्रकरणों में ₹ 0.08 करोड़ वसूल किए। इसके अलावा, दो प्रकरणों की जांच चल रही थी और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद तीन मामलों में बिजनेस लेखापरीक्षा के तहत कार्रवाई की जा रही थी। एक प्रकरण के संबंध में, यह कहा गया था कि जीएसटीआर 9 में दिखाई गई राशि के अनुसार वसूली की गई है, तथापि, सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये/वसूली की राशि सूचित नहीं की गयी।

दो प्रकरणों में⁴, यह कहा गया था कि मिसमैच डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के कारण था। तथापि, विभाग ने उत्तर के समर्थन में सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जिसके कारण लेखापरीक्षा विभाग के उत्तर की सत्यता का पता नहीं लगा सकी।

2.3.6.2 कर प्राधिकारियों द्वारा बिजनेस लेखापरीक्षा में विलम्ब करना

आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के प्रावधानानुसार, आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा, किसी पंजीकृत व्यक्ति की ऐसी कालावधि, ऐसी आवृत्ति और ऐसी रीति, जो विहित की जाये, में लेखापरीक्षा कर सकेगा। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (13) के अनुसार लेखापरीक्षा से इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि, जो उस समय प्रभाव में थी, के अधीन पंजीकृत व्यक्ति द्वारा संधारित या दिए गए अभिलेखों, विवरणियों और अन्य दस्तावेजों की, घोषित टर्न ओवर, भुगतान किए गए करों, दावा किए गए रिफंड और उपभोग किए गए आगत कर की सत्यता को सत्यापित करने और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों की प्रावधानों के अनुरूप उसके अनुपालन को निर्धारित करने के लिए परीक्षा अभिप्रेत है।

विभाग ने राजस्थान माल एवं सेवा कर लेखापरीक्षा नियमावली (आरजीएसटीएएम) 2020 में लेखापरीक्षा हेतु विस्तृत प्रक्रिया जारी की, जिसमें बीआईयू/बिजनेस इंटेलिजेंस एंड फ्रॉड

2 वृत्त बूंदी, डी उदयपुर, ई उदयपुर, एफ जयपुर-द्वितीय, सिरौही, जे जयपुर-प्रथम, शाहजहाँपुर, बी भीलवाड़ा, बारां, मेड़ता सिटी।

3 वृत्त बूंदी, ई उदयपुर, एफ जयपुर-द्वितीय, सिरौही, जे जयपुर-प्रथम, शाहजहाँपुर, बी भीलवाड़ा, बारां।

4 वृत्त ई उदयपुर और मेड़ता सिटी।

एनालिटिक्स (बीआईएफए) द्वारा चिन्हित किए गए करदाताओं, स्थानीय स्फुफिया जानकारी, रद्द करदाताओं से स्वरीद इत्यादि जैसे जोस्मि मापदंडों के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए करदाताओं के चयन हेतु नए मानदंडों की प्रक्रिया को शामिल किया गया। इसमें उल्लेखित किया गया है कि लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का चयन मुख्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग का पुनर्गठन करते हुए (सितंबर 2021) लेखापरीक्षा विंग को सुदृढ़ किया और तीन स्तरीय बिजनेस लेखापरीक्षा तंत्र बनाया। जोस्मि मापदंडों के आधार पर आवंटित बड़े जटिल मामलों की जांच राज्य स्तर तथा संभाग स्तर की टीमों के द्वारा की जानी थी। शेष मामलों का निपटारा वृत्त स्तर पर किया जाना था।

जीएसटी के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान विभाग द्वारा की गई जीएसटी बिजनेस लेखापरीक्षा का विवरण नीचे तालिका 2.1 में दिया गया है:

तालिका 2.1

विभाग द्वारा की गयी जीएसटी बिजनेस लेखापरीक्षा का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कुल करदाताओं की संख्या	लेखापरीक्षा के लिए चयनित ⁵ करदाताओं की संख्या (प्रतिशत में)	वास्तविक संख्या जिनमें लेखापरीक्षा पूर्ण की गई (मार्च 2024 तक)	प्रकरणों की संख्या जिनमें कमियां पाई गई	कमियों में सम्मिलित कुल राशि	कुल वसूली
2019-20	8,94,334	2,019 (0.22 प्रतिशत)	947 (46.90 प्रतिशत)	912	237.20	114.98
2020-21	10,29,493	2,700 (0.26 प्रतिशत)	35 (1.30 प्रतिशत)	32	17.47	13.27

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

यह स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा के लिए चयनित कुल करदाताओं की संख्या पांच प्रतिशत के मानदंडों के समक्ष 0.22 प्रतिशत और 0.26 प्रतिशत के बीच थी, जबकि 2020-21 में चयनित प्रकरणों में से दो प्रतिशत से भी कम प्रकरणों को विभाग द्वारा पूरा किया गया था।

उक्त धारा के तहत चार वृत्तों⁶ से संबंधित बिजनेस लेखापरीक्षा के 20 प्रकरणों के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2024) के दौरान, यह पाया गया कि विभाग ने वार्षिक विवरणी से देखे गये एक प्रकरण में⁷ ₹ 6.08 लाख की कम आरोपित कर देयता की पहचान नहीं की।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2024)। राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि एससीएन जारी किया गया है।

समापन परिचर्चा के दौरान, मुख्य आयुक्त (राज्य कर) ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार किया और कहा कि पाँच प्रतिशत का मानदंड अधिनियम में निर्धारित नहीं है, बल्कि इसे नियमावली में निर्धारित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कुल करदाताओं में से पाँच प्रतिशत का चयन

5 आरजीएसटीएएम में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार अधिकतम सीमा कुल करदाताओं का 5 प्रतिशत है।

6 वृत्त ई जयपुर-I, के जयपुर-III, बिजनेस लेखापरीक्षा-I जयपुर-II और बिजनेस लेखापरीक्षा-II जयपुर-IV।

7 वृत्त ई जयपुर-I।

करना बहुत बड़ा काम होगा और विभाग को लेखापरीक्षा क्षमता का विस्तार करना होगा और मानदंडों को एक उचित सीमा तक संशोधित करने पर भी विचार करना होगा।

सिफारिश 1: स्व-मूल्यांकन कर व्यवस्था के युग में, बिज़नेस लेखा परीक्षा, करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रमुख साधनों में से एक है। इसके अतिरिक्त, गैर-अनुपालन करने वाले करदाताओं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरजीएसटी अधिनियम की धारा 73⁸ के अंतर्गत एक समयबद्ध गतिविधि है। इसे देखते हुए, लेखा परीक्षा सिफारिश करती है कि बिज़नेस लेखा परीक्षा के लिए करदाताओं के चयन को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए, जैसा कि लेखापरीक्षा नियमावली में निर्धारित है और यह सुनिश्चित करना कि चयनित मामलों की लेखापरीक्षा समय पर पूरी हो जाए।

सिफारिश 2: विभाग को शेष रही बिज़नेस लेखापरीक्षा करने के लिए, जैसा कि लेखा परीक्षा में बताया गया है, त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि चूककर्ताओं के विरुद्ध समय पर कार्रवाई शुरू की जा सके और वसूली, यदि कोई हो, तो उसे किया जा सके।

2.3.6.3 विवरणी दाखिल नहीं करने वालों पर कार्यवाही का अभाव

सीजीएसटी/आरजीएसटी नियम, 2017 के नियम 68 के साथ पठित आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 46, यदि करदाता नियत तिथि के भीतर विवरणी दाखिल करने में विफल रहा हो तो फॉर्म जीएसटीआर-3ए में एक नोटिस जारी करना प्रावधानित करती है, जिसमें पंद्रह दिनों के भीतर विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता होती है। यदि करदाता इस तरह के नोटिस के बाद भी विवरणी दाखिल करने में विफल रहता है, तो उचित अधिकारी उपलब्ध या एकत्र की गई सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उक्त व्यक्ति के कर दायित्व का आंकलन कर फॉर्म एएसएमटी-13 में निर्धारण आदेश जारी कर सकते हैं।

विवरणी दाखिल करना कर के भुगतान से संबंधित है क्योंकि दोनों कार्यों की नियत तिथि एक ही है, जो विवरणी दाखिल न करने वालों के मामले में कर/शास्ति का भुगतान न करने का जोखिम दर्शाती है।

चयनित 10 वृत्तों से प्रासंगिक अभिलेख और सूचनाएँ माँगी गईं। हालाँकि, इनमें से सात वृत्तों⁹ ने आवश्यक अभिलेख और सूचनाएँ उपलब्ध नहीं कराईं। इसलिए, इन वृत्तों के कार्यों का मूल्यांकन नहीं किया जा सका। अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण, अनियमितताओं की जाँच और विभाग के निरीक्षण कार्यों का मूल्यांकन करने हेतु लेखापरीक्षा का दायरा सीमित हो गया।

8 धारा 73: धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के अलावा किसी अन्य कारण से भुगतान न किए गए या कम भुगतान किए गए या गलत तरीके से वापस किए गए या गलत तरीके से प्राप्त या उपयोग किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट का निर्धारण।

9 वृत्त बूंदी, डी उदयपुर, ई उदयपुर, एफ जयपुर-द्वितीय, जे जयपुर-I, शाहजहाँपुर, मेड़ता सिटी।

तीन वृत्तों¹⁰ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं की जाँच करने पर, यह पाया गया कि एक वृत्त अर्थात् सिरौही, में 2020-21 की अवधि के लिए 77 करदाताओं की पहचान विवरणी दाखिल नहीं करने वालों के रूप में की गई थी। इन 77 मामलों में से, 72 करदाताओं (93.50 प्रतिशत) द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-3ए में नोटिस जारी किए जाने के बाद भी जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-1 आदि जैसी उचित विवरणियाँ दाखिल नहीं की गई थी। हालाँकि, विभाग ने अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कर देयता का आकलन करने और फार्म एएसएमटी-13 में निर्धारण आदेश जारी करने की कार्रवाई शुरू नहीं की।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2024)। सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि वसूली जारी है। हालाँकि, विभाग के जवाब में यह नहीं बताया गया है कि विभाग ने उपरोक्त प्रावधानों के तहत कोई कार्रवाई क्यों नहीं की।

2.3.7 केन्द्रीकृत लेखापरीक्षा (भाग II)

लेखापरीक्षा ने जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए 2018-19 से 2020-21 से संबंधित जीएसटी विवरणी डेटा का विश्लेषण किया। करदाताओं द्वारा दाखिल जीएसटी विवरणी के बीच नियम-आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों की पहचान 16 मापदंडों के एक समूह पर की गई थी, जिन्हें मोटे तौर पर दो आयामों-आईटीसी तथा कर भुगतान में वर्गीकृत किया जा सकता है।

निर्धारित 13 जीएसटी विवरणियों¹¹ में से, निम्नलिखित मूल विवरणियाँ जो सामान्य करदाताओं पर लागू होती हैं, को जीएसटी विवरणी/डेटा के बीच विचलन, विसंगतियों और मिसमैच की पहचान करने के उद्देश्य से माना गया।

- जीएसटीआर-1: माल और सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति करने वाले सभी सामान्य और आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणी है और इसमें माल व सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का विवरण शामिल होता है।
- जीएसटीआर-3बी: करदाता द्वारा कर के भुगतान के साथ बाहरी आपूर्ति और दावा की गई आईटीसी का मासिक सारांश, जो अधिनियम की धारा 39(1) के तहत निर्दिष्ट को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा दाखिल की जाने वाली विवरणी है। यह वह विवरणी है जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट

10 वृत्त-बी, भीलवाड़ा, बारां और सिरौही।

11 जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-4 (कम्पोजिशन स्कीम के तहत करदाता के लिए), जीएसटीआर-5 (अनिवासी कर योग्य व्यक्ति के लिए), जीएसटीआर-5ए (अनिवासी ओआईडीएआर सेवा प्रदाता के लिए), जीएसटीआर-6 (आगत सेवा वितरक के लिए), जीएसटीआर-7 (टीडीएस काटने वाले करदाता के लिए), जीएसटीआर-8 (ई-कॉमर्स ऑपरेटर के लिए), जीएसटीआर-9 (वार्षिक विवरणी), जीएसटीआर-10 (अंतिम विवरणी), जीएसटीआर-11 (युआईएन रखने वाला व रिफंड का दावा करने वाले व्यक्ति के लिए), सीएमपी -08, और आईटीसी-04 (किसी जॉब-वर्कर को भेजे/प्राप्त किए गए माल के विवरण के बारे में प्रिंसिपल/जॉब-वर्कर द्वारा दाखिल किया जाने वाला विवरण)।

लेजर में क्रेडिट व डेबिट एवं इलेक्ट्रॉनिक केश लेजर में डेबिट को प्रदर्शित करती है।

- जीएसटीआर-6: आगत सेवा वितरकों (आईएसडी) के लिए मासिक विवरणी, जो उनके द्वारा वितरित आगत कर क्रेडिट तथा आवक आपूर्ति का विवरण प्रदान करती है।
- जीएसटीआर-8: जीएसटी के तहत टीसीएस (स्रोत पर एकत्र कर) की कटौती करने वाले ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा दाखिल की जाने वाली मासिक विवरणी, जिसे अक्टूबर 2018 में लागू किया गया।
- जीएसटीआर-9: आगत सेवा वितरक (आईएसडी), स्रोत पर कर कटौतीकर्ता/स्रोत पर कर संग्रहक, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति तथा अनिवासी करदाता के अलावा अन्य सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा दाखिल की जाने वाली वार्षिक विवरणी है। इस दस्तावेज़ में पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कर शीर्षों (सीजीएसटी, आरजीएसटी व आईजीएसटी) के तहत की गई और प्राप्त की गई सभी आपूर्तियों के विवरण के साथ-साथ टर्नओवर एवं लेखापरीक्षा का विवरण शामिल होता है।
- जीएसटीआर-9सी: किसी विशेष वित्तीय वर्ष में ₹ 5 करोड़ से अधिक का टर्नओवर करने वाले सभी करदाताओं के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा फॉर्म है। यह मूल रूप से जीएसटीआर-9 में दाखिल वार्षिक विवरणी और करदाता के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के बीच एक समाधान विवरण है।
- जीएसटीआर-2ए: प्राप्तकर्ता के लिए आवक आपूर्ति का एक सिस्टम जनित विवरण। इसमें जीएसटीआर-1/5 फॉर्म में घोषित आपूर्तिकर्ताओं के सभी बी2बी लेनदेनों का विवरण, जीएसटीआर-6 से आईएसडी विवरण, जीएसटीआर-7 एवं जीएसटीआर-8 से क्रमशः प्रतिपक्ष द्वारा एवं प्रविष्टि के बिल पर विदेशों से माल का आयात, जैसा कि भारतीय सीमा शुल्क के आइसगोट पोर्टल से प्राप्त हुआ, का विवरण है।

चिन्हित किए गए 16 मापदंडों पर राज्य क्षेत्राधिकार से संबंधित पैन स्टेट डेटा विश्लेषण एवं देखे गए विचलन/विसंगतियों की सीमा को तालिका 2.2 में सारीकृत किया गया है-

तालिका 2.2: नमूना डेटा विश्लेषण का सारांश (केंद्रीकृत लेखापरीक्षा)

क्र.सं.	मापदंड	प्रयुक्त की गई एल्गोरिथम	कर दाताओं की संख्या	विचलनों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
आयाम: आईटीसी					
डी1	जीएसटीआर-2ए और जीएसटी आर-3बी के बीच आईटीसी का मिसमैच	जीएसटीआर 2ए के सभी संशोधनों के अनुसार उपलब्ध आईटीसी और जीएसटीआर 3बी तालिका 4ए (5) में आईटीसी का उपयोग जिसमें 4(डी) अवरुद्ध क्रेडिट और जीएसटीआर 9 की तालिका 8सी से आगामी वर्षों का आईटीसी शामिल है।	60	95	799.37
डी2	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना प्राप्त आईटीसी	जीएसटीआर-9, विशेष रूप से जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए से संबंधित, की तुलना जीएसटीआर 2ए में दर्शाए गए आईटीसी डेटा से की गई।	30	76	293.38

क्र.सं.	मापदंड	प्रयुक्त की गई एल्गोरिथम	कर दाताओं की संख्या	विचलनों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
डी 3	सीमा अवधि के बाद दाखिल किये गये जीएसटीआर-3बी में प्राप्त आईटीसी	सितंबर की नियत तारीखों के बाद करदाता द्वारा दाखिल किए गए जीएसटीआर-3बी की तालिका 4 के माध्यम से प्राप्त आईटीसी, अगले वर्ष की जीएसटीआर-3बी रिटर्न, डेटा की जांच करके पहचान की गई।	45	57	99.28
डी 4	आईएसडी क्रेडिट का गलत उपयोग	जीएसटीआर-9 की तालिका 6 जी या जीएसटीआर-3बी की तालिका 4(ए) (4) में स्थानांतरित आईएसडी की तुलना प्राप्तकर्ता जीएसटीआईएन के जीएसटीआर-6 की तालिका 5ए, 8ए व 9ए के योग से की गई थी।	17	27	8.26
डी 5	आरसीएम के तहत प्राप्त आईटीसी बनाम जीएसटीआर-3बी/जीएसटीआर-9 में कर का भुगतान	जीएसटीआर-3 बी तालिका 3.1 (डी) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर 9 तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त आईटीसी से की गई थी। ऐसे मामलों में जहां जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं थी, जांच को जीएसटीआर-3बी के भीतर प्रतिबंधित किया गया – तालिका 3.1 (डी) में कर की अदायगी की तुलना में तालिका 4 ए (2) एवं 4 ए (3) में प्राप्त आई टी सी।	40	64	83.17
डी 6	वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आईटीसी का मिसमैच	जीएसटीआर-9सी की तालिका 12एफ में घनात्मक आंकड़ा और मिसमैच के लिए तालिका 13 में उपलब्ध कराये गए कारणों की जाँच	15	24	487.93
डी 7	वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक विवरणी में प्राप्त आईटीसी के बीच मिलान	जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी में घनात्मक आंकड़ा और मिसमैच के लिए तालिका 15 में दिए गए कारणों की जाँच।	15	23	647.47
आयाम: कर का भुगतान					
डी 8	अस्थिर देनदारियां	जीएसटीआर-1 (तालिका 4 से 11) और जीएसटीआर 9 (तालिका 4 एन, 10 और 11) के बीच अधिक कर देयता की तुलना जीएसटीआर-3 बी तालिका 3.1(ए) और 3.1(बी) में भुगतान किये गये कर विवरण से की गई थी। ऐसे मामलों में जहां जीएसटीआर- 9 उपलब्ध नहीं थी, जीएसटीआर-3बी में भुगतान किये गए कर की तुलना जीएसटीआर- 1 में देनदारी से की गयी। जीएसटीआर-1 एवं 9 में घोषित संशोधन और अग्रिम समायोजन पर विधिवत विचार किया गया।	70	121	857.72
डी 9	ई-वे बिल की तुलना में कर योग्य मूल्य में कमी	जहां जीएसटीआर 3बी तालिका 3.1 (ए) + (बी) देय कर ई-वे बिल में घोषित कर देयता से कम था।	45	104	1580.91
डी 10	लेखा पुस्तकों और विवरणियों के बीच कर भुगतान में मिसमैच	जीएसटीआर-9सी की तालिका 9आर में ऋणात्मक आंकड़ा और मिसमैच के लिए तालिका 10 में दिए गए कारणों की जाँच।	15	19	36.17
डी 11	टीडीएस/ टीसीएस घोषणा के माध्यम से पहचाने गए कर योग्य मूल्य में कमी	ऐसे मामलों की पहचान की गई है, जहां जीएसटीआर 3बी में जावक कर योग्य आपूर्ति (जीरो रेटेड, शून्य रेटेड और छूट प्राप्त के अलावा) के कारण घोषित कर योग्य मूल्य, जीएसटीआर-2 की तालिका 9 के अनुसार टीसीएस और टीडीएस क्रेडिट के लिए देय निवल राशि से कम था।	25	41	501.35
डी 12	जीएसटीआर 9सी की तालिका 5 में घोषित बिल रहित राजस्व में मिसमैच के माध्यम से पहचाने गए कर योग्य मूल्य की कमी	जीएसटीआर 9सी की तालिका 5बी के आंकड़े, जो वित्तीय वर्ष के आरंभ में बिल रहित राजस्व को दर्शाते हैं, की तुलना पिछले जीएसटीआर 9सी रिटर्न की तालिका 5एच के साथ की गई, जो वर्ष के अंत में बिल रहित राजस्व को दर्शाती है, ताकि वित्तीय विवरणों के साथ वार्षिक रिटर्न में घोषित	15	20	412.56

क्र.सं.	मापदंड	प्रयुक्त की गई एल्गोरिथम	कर दाताओं की संख्या	विचलनों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
		टर्नओवर में पहचाने गए मिसमैच की सीमा की समीक्षा की जा सके।			
डी 13	जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में मिसमैच	जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में ऋणात्मक आंकड़ा और मिसमैच के लिए तालिका 8 में दिए गए कारणों की जाँच।	15	26	7567.87
डी 14	कम्पोजिशन करदाता द्वारा भी ई-फॉर्मस सुविधा का उपभोग करना	टीसीएस प्रावधान प्रभावी होने पर ई-फॉर्मस जीएसटीआर 8, दिनांक 01.10.2018 से प्रभावी हो गई। जीएसटीआर- 8 में घोषित जीएसटीआईएन जो कम्पोजिशन योजना के तहत जीएसटीआर-4 भी दाखिल कर रहे हैं।	10	10	-
डी 15	जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं की गई लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है	ऐसे करदाता जिन्होंने जीएसटीआर-3 बी दाखिल नहीं किया है, लेकिन जीएसटीआर - 1 दाखिल किया है या जहाँ जीएसटीआर - 2 ए उपलब्ध हैं, यह दर्शाता है कि करदाता बिना कर चुकाए व्यवसाय कर रहे हैं।	45	67	-
डी 16	ब्याज का कम भुगतान	जीएसटीआर-3बी को विलम्ब से दाखिल करने पर कर भुगतान के नकद हिस्से पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना एवं जीएसटीआर-3 बी में घोषित ब्याज की तुलना	70	188	33.05
कुल			532	962	13,408.49

प्रत्येक लेखापरीक्षा आयाम के महत्वपूर्ण विचलनों को नीचे उदाहरणार्थ बताया गया है:

(i) जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच मिसमैच आईटीसी:

आईटीसी उपयोग की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 2ए से संबंधित डाटा निकाले गए थे, और आपूर्तिकर्ताओं के विवरण के अनुसार भुगतान की गई आईटीसी का करदाता द्वारा प्राप्त आईटीसी क्रेडिट के साथ मिलान किया गया था।

वृत्त बी, बाड़मेर के अधीन एक करदाता के मामले में लेखापरीक्षा ने देखा कि, वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ 111.82 करोड़ थी जबकि वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए (5) में प्राप्त आईटीसी ₹ 174.49 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त आईटीसी राशि ₹ 62.67 करोड़ मिसमैच हुई जिसे विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (दिसम्बर 2024)। जवाब में, विभाग ने बताया (मार्च 2025) कि मांग जारी की जा चुकी है हालांकि, करदाता ने मांग आदेश के खिलाफ अपील दायर की है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(ii) आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना प्राप्त आईटीसी:

आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 (2) (सी) में प्रावधान है कि कोई भी पंजीकृत व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में किसी भी आईटीसी के क्रेडिट का पात्र नहीं होगा, जब तक कि ऐसी आपूर्ति के संबंध में लगाये गये कर का भुगतान वास्तव में सरकार

को या तो नकद में या उक्त आपूर्ति के संबंध में स्वीकार्य आईटीसी के उपयोग के माध्यम से नहीं किया गया हो।

आरजीएसटी अधिनियम की धारा 16 के तहत आईटीसी लाभ के अनुपालन की सीमा का विश्लेषण करने के लिए, उन संभावित मामलों की पहचान करने का प्रयास किया गया है जहां करदाता द्वारा वास्तव में कर का भुगतान किए बिना ही आईटीसी आगे जारी की होगी। इस उद्देश्य के लिए, जीएसटीआर 9 के प्रासंगिक आंकड़ों, विशेष रूप से जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए से संबंधित की तुलना जीएसटीआर 2ए में दर्शाए गए आईटीसी आंकड़ों से की गई। जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए जीएसटीआर-2ए की तालिका 3 और 5 से स्वतः भर जाती है और आवक आपूर्तियों (आयात और रिवर्स चार्ज के अधीन आवक आपूर्तियों को छोड़कर, लेकिन विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) से प्राप्त सेवाओं सहित) के लिए उपलब्ध कुल क्रेडिट का विवरण प्राप्त कर लेती है। यह संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा घोषित सभी आईटीसी का कुल योग होगा। जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए की तुलना में जीएसटीआर-2ए में उच्च मूल्य यह दर्शाते हैं कि आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसी आपूर्तियों के संबंध में कर का भुगतान नहीं किया गया था और इसलिए, आईटीसी उपलब्ध नहीं थी।

इस आयाम के अन्तर्गत, विभाग को प्राप्तकर्ता, जो वृत्त-I, जयपुर-III के अधीन करदाता है, द्वारा प्राप्त आईटीसी और आपूर्तिकर्ता द्वारा चुकाए गए कर जो कि राशि ₹ 13.54 करोड़ था, के बीच के अंतर की जांच करनी थी। वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए में उपलब्ध ₹ 50.38 करोड़ की आईटीसी की तुलना जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध ₹ 63.92 करोड़ की आईटीसी से करने पर यह अंतर देखा गया। यह अंतर आपूर्ति के स्थान में अंतर या आपूर्तिकर्ता के पंजीकरण रद्द होने के बाद जारी किए गए चालानों पर प्राप्तकर्ता द्वारा आईटीसी प्राप्त करने के कारण हो सकता है, ऐसी स्थिति में प्राप्तकर्ता आईटीसी को रिवर्स करने के लिए उत्तरदायी है। यह अंतर आपूर्तिकर्ता द्वारा अपनी मासिक विवरणी, अर्थात् जीएसटीआर -3बी, दाखिल न करने और इस प्रकार कर देयता का निर्वहन न करने के कारण भी हो सकता है।

लेखापरीक्षा संबंधी आक्षेप विभाग और राज्य सरकार को प्रेषित किया गया (दिसंबर 2024)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि माँग जारी की गई है। तथापि, यह मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थगनाधीन है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(iii) आईटीसी प्राप्त करने की सीमा अवधि के बाद दाखिल किए गए जीएसटीआर 3बी में आईटीसी का लाभ प्राप्त करना :

आरजीएसटी अधिनियम की धारा 16(4) में प्रावधान है कि कोई पंजीकृत व्यक्ति उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद सितंबर माह के लिए धारा 39 के अंतर्गत विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि या संबंधित वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि जो भी पहले हो, के बाद माल या सेवाओं या दोनों की किसी भी आपूर्ति के संबंध में आईटीसी लेने का हकदार नहीं होगा। तदनुसार, यदि कोई जीएसटीआर 3बी उस समय के बाद प्रस्तुत की जाती है, तो उसमें प्राप्त आईटीसी अस्वीकार्य हो जाती है।

इस सम्बन्ध में प्राप्त अतिरिक्त/अनियमित आईटीसी की सीमा की समीक्षा करने के लिए, करदाता द्वारा वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक संबंधित जीएसटीआर 3बी की तालिका 4 के माध्यम से प्राप्त आईटीसी की पहचान की गई, जो अगले वर्ष के सितंबर की जीएसटीआर 3बी विवरणी की नियत तिथियों के बाद दाखिल की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वृत्त एफ, जयपुर-I के अंतर्गत एक करदाता के मामले में सीमा अवधि¹² के बाद दाखिल किए गए जीएसटीआर 3बी के माध्यम से 2019-20 की अवधि के लिए ₹ 9.16 करोड़ की आईटीसी प्राप्त की गई, जिसकी सूचना विभाग और राज्य सरकार को दी गई (दिसंबर 2024)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि करदाता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(iv) आईएसडी क्रेडिट पर प्राप्तकर्ता द्वारा आईटीसी का गलत लाभ उठाना:

यह विश्लेषण करने के लिए कि क्या करदाता द्वारा प्राप्त आईटीसी इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) द्वारा हस्तांतरित आईटीसी से अधिक है, करदाता की विवरणी में घोषित आईटीसी लाभ की तुलना उनके जीएसटीआर 6 में आईएसडी द्वारा हस्तांतरित आईटीसी से की गयी है।

वृत्त-एफ, जयपुर-II के अधीन एक करदाता के मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2018-19 के दौरान जीएसटीआर 6 की तालिका (5ए+8ए+9ए) में आईएसडी द्वारा हस्तान्तरित आईटीसी ₹ 11.90 करोड़ थी और जीएसटीआर 3बी तालिका 4(ए)(4) में प्राप्त आईटीसी ₹ 13.01 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप आईएसडी द्वारा हस्तांतरित आईटीसी का प्राप्त आईटीसी से राशि ₹ 1.11 करोड़ का मिसमैच हुआ जिसे विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (दिसम्बर 2024)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि करदाता को मांग आदेश जारी कर दिया गया है (अप्रैल 2024)। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(v) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत आईटीसी का गलत लाभ:

आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) या धारा 9(4) के तहत और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अन्तर्गत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत, माल या सेवाओं की आपूर्ति की कुछ श्रेणियों की माल या सेवाओं या दोनों के

12

जीएसटीआर 3बी का माह	दाखिल करने की निर्धारित तिथि	दाखिल करने की वास्तविक तिथि
अक्टूबर 2019	सितंबर 2020	05 नवंबर 2020
नवंबर 2019	सितंबर 2020	16 अगस्त 2021
दिसंबर 2019	सितंबर 2020	16 अगस्त 2021
जनवरी 2020	सितंबर 2020	16 अगस्त 2021
फरवरी 2020	सितंबर 2020	16 अगस्त 2021

संबंध में कर का भुगतान करने का दायित्व आपूर्तिकर्ता या प्रदाता के बजाय, प्राप्तकर्ता पर तय किया जाता है।

आरसीएम के तहत भुगतान किए गए कर की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए आरसीएम से संबंधित जीएसटीआर 3बी और वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 के डेटासेट की तुलना की गई ताकि यह जांच की जा सके कि आरसीएम के तहत गतिविधियों/लेनदेन पर कर पूरी तरह से चुकाया गया है या नहीं। जिन मामलों में जीएसटीआर 9 दाखिल किया गया था, उनमें तालिका 4जी में आरसीएम भुगतान की तुलना तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त आईटीसी से की गई थी। जिन मामलों में जीएसटीआर 9 उपलब्ध नहीं था, उनमें जीएसटीआर 3बी तालिका 3.1(डी) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर 3बी 4(ए) (2) और 4ए (3) से की गई।

वृत्त-I, जोन-जयपुर-III के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा में देखा गया कि जीएसटीआर 3बी की तालिका 3.1(डी) में आरसीएम के तहत देय कर के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ 0.49 करोड़ थी जबकि जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए (2) और (3) में प्राप्त की गयी आईटीसी ₹ 5.91 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.42 करोड़ की आईटीसी मिसमैच हुई, जिसे विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि मांग जारी की गयी है, तथापि, करदाता ने मांग आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(vi) वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आईटीसी का मिसमैच:

जीएसटीआर 9 सी की तालिका 12, वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर9) में घोषित आईटीसी को लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखा पुस्तकों के अनुसार प्राप्त आईटीसी के साथ मिलाती है। इस तालिका का कॉलम 12एफ मिलान नहीं हुई आईटीसी से संबंधित है।

वर्ष 2018-19 से 2020-2021 के लिए फार्म जीएसटीआर 9सी में आरजीएसटी नियमों के नियम 80(3) के अंतर्गत करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण पत्र का डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया ताकि वित्तीय विवरणों के साथ वार्षिक विवरणी में घोषित आईटीसी में पहचाने गए मिसमैच की सीमा की समीक्षा की जा सके।

वृत्त- I, जयपुर-III के अधीन, एक करदाता के मामले में लेखापरीक्षा ने पाया कि अवधि 2020-21 के लिए जीएसटीआर 9सी की तालिका 12ई के अनुसार वार्षिक विवरणी में दावा की गयी आईटीसी और जीएसटीआर 9सी की तालिका 12डी में घोषित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार दावा की गयी आईटीसी के बीच ₹ 236.18 करोड़ का मिसमैच था। इस प्रकार, जीएसटीआर 9सी की तालिका 12एफ में ₹ 236.18 करोड़ की मिलान नहीं हुई आईटीसी घोषित की गई। इसकी सूचना विभाग व राज्य सरकार को दी गई (दिसम्बर 2024)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (अप्रैल 2025) कि करदाता को कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(vii) जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी में मिलान नहीं हुई आईटीसी:

जीएसटीआर 9 सी की तालिका 14, वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित आईटीसी को लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखा पुस्तकों के अनुसार व्ययों पर प्राप्त आईटीसी के साथ मिलान करती है। इस तालिका का कॉलम 14टी मिलान नहीं हुई आईटीसी से संबंधित है।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए फार्म जीएसटीआर 9सी में आरएसजीएसटी नियमों के नियम 80(3) के अंतर्गत आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण पत्र का वित्तीय विवरणों में बताए गए व्ययों के साथ वार्षिक विवरणी में घोषित आईटीसी में पहचाने गए मिसमैच की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था।

वृत्त-I जयपुर-III के अधीन एक करदाता, के प्रकरण में, लेखापरीक्षा ने पाया कि, वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटीआर 9सी की तालिका 14एस के अनुसार वार्षिक विवरणी में ₹ 392.07 करोड़ की आईटीसी का दावा किया गया था, जबकि जीएसटीआर 9सी की तालिका 14 आर के अनुसार पात्र आईटीसी की राशि शून्य थी। इस प्रकार, जीएसटीआर 9 सी की तालिका 14 टी में घोषित ₹ 392.07 करोड़ की मिलान नहीं हुई आईटीसी थी, जो कि जीएसटी विवरणी में, वित्तीय विवरणों में बताये गये व्ययों के आधार पर पात्र आईटीसी से अधिक ली गयी थी। इसकी सूचना विभाग व राज्य सरकार को दी गई (दिसम्बर 2024)। इसके जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि करदाता को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(viii) अस्थिर कर देनदारियां:

माल या सेवाओं की जावक आपूर्ति के मासिक विवरण को जीएसटीआर-1 में दर्शाया जाता है। जावक आपूर्ति का करदाता द्वारा भी निर्धारण किया जाता है और वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 के संबंधित कॉलम में इसका उल्लेख किया जाता है। इसके अलावा, कर योग्य मूल्य और उस पर भुगतान किया गया कर भी मासिक विवरणी जीएसटीआर-3बी में दिखाया जाता है।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 से, न चुकाई गई कर की देनदारी का विश्लेषण करने के लिए संबंधित डेटा निकाला गया और इन विवरणियों में देय कर की तुलना जीएसटीआर-9 के अनुसार भुगतान किए गए कर से की गई थी। इस प्रयोजन हेतु जीएसटीआर-1 और 9 में घोषित किये गये संशोधनों और अग्रिम समायोजनों पर भी विचार किया गया। जहाँ जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं थी, वहाँ जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के बीच देय कर की तुलना की गई। इस एल्गोरिथम के लिए, जीएसटीआर-1 की तालिका 4 से 11 और जीएसटीआर 9 की तालिका 4एन, 10 और 11 पर विचार किया गया। जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 के बीच कर देयता में से अधिक की तुलना जीएसटीआर-9 की तालिका 9 और 14 में घोषित कर भुगतान के साथ की गई थी।

वृत्त-जे, जयपुर-III के अधीन एक करदाता के मामले में, लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान जीएसटीआर-1 के अनुसार देय कर ₹ 7.23 करोड़ था और जीएसटीआर 9 के अनुसार शून्य था। जीएसटीआर-1 में घोषित ₹ 7.23 करोड़ की कर देयता में से जो अधिक थी, उसकी तुलना जीएसटीआर 9 की तालिका 9 और 14 में घोषित ₹ शून्य के भुगतान किये गये कर से की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.23 करोड़ की कर देयता मिसमैच हुई जिसकी सूचना विभाग एवं राज्य सरकार को दी गई (दिसम्बर 2024)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि करदाता के विरुद्ध मांग जारी की गई है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(ix) ई-वे बिल की तुलना में कर योग्य मूल्य में कमी

कर के कम भुगतान की सीमा का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर-3बी में घोषित कर देयता से संबंधित प्रासंगिक आंकड़ों की तुलना ई-वे बिल में किए गए प्रकटीकरणों से की गई। एल्गोरिथम के लिए, उन मामलों की पहचान की गई जहाँ जीएसटीआर-3बी तालिका 3.1 (ए) + (बी) के अनुसार देय कर, ई-वे बिल में घोषित कर देयता से कम था।

वृत्त-ए, भिवाड़ी के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.1 में देय कर देयता ₹ 124.09 करोड़ थी, जबकि ई-वे बिल के अनुसार देय कर देयता ₹ 313.54 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 189.45 करोड़ की कर देयता बकाया रह गई, जिसकी सूचना विभाग एवं राज्य सरकार को दी गई (दिसम्बर 2024)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि करदाता को एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(x) लेखा पुस्तको और विवरणियों के बीच भुगतान किए गए कर में मिसमैच:

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए फार्म जीएसटीआर 9 सी में सीजीएसटी/ आरजीएसटी नियमों के नियम 80(3) के अन्तर्गत आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण पत्र का वार्षिक विवरणी एवं लेखा पुस्तकों के बीच भुगतान किये गये कर में पहचाने गये मिसमैच की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया था। जीएसटीआर 9 सी की तालिका 9 टर्नओवर को दर के अनुसार अलग करके और वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 के अनुसार निर्वहन किये गये कर के साथ तुलना करके भुगतान किए गए कर को मिलान करने को दर्शाती हैं। मिलान नहीं हुई राशियाँ गलत दरों पर लगाए गए कर, कर योग्य टर्नओवर को करमुक्त टर्नओवर या इसके विपरीत दर्शाना या सीजीएसटी/आरजीएसटी/आईजीएसटी के गलत आरोपण का संभावित रूप से संकेत हो सकती है।

वृत्त-सी, जयपुर-III के अधीन एक करदाता, के मामले में लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर 9सी की तालिका 9पी के अनुसार भुगतान किया जाने वाला कुल कर ₹ 32.62 करोड़ था, जबकि जीएसटीआर 9सी की तालिका 9क्यू के अनुसार वार्षिक विवरणी में घोषित कुल कर भुगतान ₹ 28.41 करोड़ था। इस प्रकार, जीएसटीआर 9सी की

तालिका 9आर में ₹ 4.21 करोड़ के कर के भुगतान का मिलान नहीं होना घोषित किया गया था।

इसकी सूचना विभाग व राज्य सरकार को दी गई (दिसम्बर 2024)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि डीआरसी-07 के तहत मांग सृजित कर दी गई हैं, तथापि, मामला एनसीएलटी के अधीन लंबित है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(xi) टीडीएस/टीसीएस घोषणा के माध्यम से पहचाने गए कर योग्य मूल्य में कमी

टीडीएस और टीसीएस विवरण क्रमशः जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 में घोषित किए जाते हैं और पंजीकृत व्यक्ति को जीएसटीआर-2ए की तालिका 9 में सूचित किए जाते हैं। ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें जीएसटीआर 3बी में जावक कर योग्य आपूर्तियों (जीरो दर, शून्य दर और छूट प्राप्त के अलावा) के कारण घोषित कर योग्य मूल्य, जीएसटीआर-2 की तालिका 9 के अनुसार टीसीएस और टीडीएस क्रेडिट के लिए देय निवल राशि से कम था। दर्शायी गयी विचलन राशि गैर-प्रकटीकरण का केवल एक अंश हो सकती है, क्योंकि सटीक तुलना संभव नहीं है क्योंकि करदाता के पास अन्य आपूर्तियाँ हो सकती हैं जिनके लिए टीडीएस वसूली आवश्यक नहीं है।

वृत्त-डी, कोटा के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि 2020-21 में जीएसटीआर 3बी में जावक कर योग्य आपूर्तियों के कारण घोषित कर योग्य मूल्य, टीडीएस क्रेडिट के लिए देय निवल राशि ₹ 248.84 करोड़ से कम था। इसकी सूचना विभाग और राज्य सरकार को दी गई (दिसंबर 2024)। इसके जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि मामला उप महानिदेशक जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई), जयपुर के अन्तर्गत जाँच के अधीन है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(xii) जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी में मिलान नहीं हुए कर योग्य टर्नओवर:

जीएसटीआर 9सी की तालिका 7 कर योग्य टर्नओवर का मिलान है। इस तालिका के कॉलम 7जी वार्षिक विवरणी जीएसटीआर 9 और उस वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में अपेक्षित समायोजन के बाद घोषित मिलान नहीं होने वाले कर योग्य टर्नओवर को दर्शाता है।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए फार्म जीएसटीआर 9सी में सीजीएसटी/आरजीएसटी नियमों के नियम 80(3) के अन्तर्गत आवश्यक करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरण पत्र का वित्तीय विवरणों की तुलना में वार्षिक विवरणी में बताए गए कर योग्य टर्नओवर में पहचाने गये मिसमैच की सीमा की समीक्षा करने के लिए डेटास्तर पर विश्लेषण किया गया था। जिन मामलों में जीएसटीआर 9 में घोषित टर्नओवर वित्तीय विवरण से कम है वहाँ मिलान नहीं हुई राशि कर योग्य आपूर्तियों को नहीं दर्शाने, कम दर्शाने, चूक या त्रुटि का संकेत हो सकती है। यह कर योग्य और छूट प्राप्त आपूर्तियों दोनों को नहीं दर्शाने के कारण भी हो सकता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान वृत्त-ए, भिवाडी के अधीन एक करदाता के मामले में जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी में मिलान नहीं होने वाले कर योग्य टर्नओवर के संबंध में राशि ₹ 604.48

करोड़ पर लेखापरीक्षा आक्षेप जारी कर विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (दिसम्बर 2024)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि करदाता को एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(xiii) कंपोजिशन लेवी योजना का लाभ उठा रहे ई-कॉमर्स आपूर्तिकर्ता:

सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 10(2) (डी) के प्रावधान के अनुसार, कंपोजिशन स्कीम डीलरों को ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से किसी भी वस्तु या सेवा की आपूर्ति करने की अनुमति नहीं है और उन्हें अधिनियम की धारा 52 के तहत स्रोत पर कर एकत्र करना आवश्यक है।

ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठाने वाले कंपोजिशन करदाताओं की पहचान करने के लिए, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा दाखिल जीएसटीआर 8 और कंपोजिशन करदाताओं द्वारा दाखिल जीएसटीआर 4¹³ से संबंधित डेटासेट की तुलना यह जांचने के लिए की गई कि क्या जीएसटीआर 8 में उल्लिखित प्राप्तकर्ता जीएसटीआईएन ने जीएसटीआर 4 भी दाखिल किया है।

कंपोजिशन लेवी का लाभ अनियमित रूप से प्राप्त करने के अलावा, यह भी देखा गया कि इनमें से अधिकांश करदाताओं से संबंधित जीएसटीआर 8 विवरणी में ई-कॉमर्स प्रदाता द्वारा घोषित टर्नओवर, कंपोजिशन लेवी के लिए करदाताओं द्वारा उनके सीएमपी-08 में घोषित टर्नओवर से अधिक था, इसलिए कर के कम भुगतान की भी संभावना हो सकती है।

वर्ष 2018-19 के लिए वृत्त-जी, जयपुर-III के तहत एक करदाता के मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि सीएमपी-08 में कंपोजिशन टर्नओवर की राशि ₹ 0.68 करोड़ दिखाई गई थी, जबकि ई-कॉमर्स डिडवटी के अनुसार जीएसटीआर 8 में घोषित सकल राशि ₹ 1.37 करोड़ थी। इस प्रकार, ई-कॉमर्स प्रदाता द्वारा करदाताओं से संबंधित जीएसटीआर 8 विवरणी में घोषित टर्नओवर, करदाताओं द्वारा कंपोजिशन लेवी के लिए सीएमपी-08 में घोषित टर्नओवर से अधिक था। प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को सूचित किया गया (दिसंबर 2024)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि करदाता के विरुद्ध मांग जारी की गयी है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(xiv) जीएसटीआर-3बी का दाखिल नहीं किया जाना लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध होना :

सीजीएसटी/आरजीएसटी नियम 2017 के नियम 61(5) के तहत जीएसटीआर 3बी विवरणी ही एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से कर दायित्वों की पूर्ति और आईटीसी का लाभ लिया जाता है।

डेटा विश्लेषण के माध्यम से उन करदाताओं की पहचान करने का प्रयास किया गया जिन्होंने जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं की थी लेकिन जीएसटीआर 1 दाखिल की थी या जिनका

13 कम्पोजिशन लेवी का विकल्प चुनने वाले पंजीकृत व्यक्ति की त्रैमासिक विवरणी।

जीएसटीआर 2ए उपलब्ध था। जीएसटीआर 1 और 2ए की उपलब्धता और जीएसटीआर 3बी को दाखिल न करना यह दर्शाता है कि करदाताओं ने इस अवधि के दौरान व्यवसाय किया था/चलाया था लेकिन अपनी कर देनदारी का निर्वहन नहीं किया। इसमें आईटीसी के अनियमित जारी होने के मामले भी शामिल हो सकते हैं।

वृत्त-जे, जयपुर-III के अधीन एक करदाता के मामले में जीएसटीआर 1, 2ए और 3बी में प्रासंगिक स्थानों से संबंधित डेटासेट का विश्लेषण किया गया था, यह पाया गया कि करदाता ने 2019-20 में जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं की थी जबकि करदाता ने अपने जीएसटीआर-1 में ₹ 7.23 करोड़ की कर राशि के साथ कर योग्य आपूर्ति घोषित की थी। यह दर्शाता है कि करदाता ने उक्त अवधि के दौरान व्यवसाय तो किया था, लेकिन अपनी कर देयता का भुगतान नहीं किया। प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2024)।

जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि करदाता के विरुद्ध मांग सृजित की गई है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(xv) ब्याज का कम भुगतान:

अधिनियम की धारा 50 अनुबंधित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके लिए कर या उसका कोई भाग भुगतान न किया गया हो, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान कर के विलंब से जमा कराये जाने के कारण ब्याज के कम भुगतान की राशि की पहचान जीएसटीआर 3बी में कर भुगतान के विवरण एवं जीएसटीआर 3बी दाखिल करने की तिथि का उपयोग करके की गई। ब्याज देयता की गणना करने के लिए संबंधित माह के लिए जीएसटीआर 3बी दाखिल करने की नियत तिथि (प्रदान किए गए किसी भी विस्तार सहित) और जीएसटीआर 3बी दाखिल करने की वास्तविक तिथि को ध्यान में रखा गया है और देय ब्याज की गणना करने के लिए केवल निवल कर देयता (नकद घटक) पर विचार किया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वृत्त 'ए', भिवाड़ी के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, जिसमें 2018-19 के दौरान कर के विलम्ब से जमा किये जाने के कारण ब्याज का कम भुगतान ₹ 0.76 करोड़ था। मामले की सूचना विभाग एवं राज्य सरकार को दी गई (दिसम्बर 2024)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि करदाता के विरुद्ध मांग सृजित की गई है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

2.3.7.1 लेखापरीक्षा पर प्रत्युत्तर

लेखापरीक्षा ने अवधि वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए 16 मापदंडों में से प्रत्येक में शीर्ष विचलन/विसंगतियों वाले 532 करदाताओं के नमूने का चयन किया। लेखापरीक्षा ने विभाग को

राशि ₹ 5,508.92 करोड़ के 510 लेखापरीक्षा आक्षेप (926 विचलनों) जारी किए। इन प्रकरणों में चिन्हित विचलनों/मिसमैच पर, लेखापरीक्षा जाँच विभाग की कार्यवाही के सत्यापन तक सीमित थी। विभाग ने जारी किए गए सभी आक्षेपों के उत्तर दिए। तथापि, ₹ 779.73 करोड़ के मिसमैच/विसंगति वाले 126 विचलनों के संबंध में विभाग ने बताया कि इन प्रकरणों की या तो जांच की जा रही है या वे अपील/एनसीएलटी/उच्च न्यायालय आदि में लंबित हैं।

2.3.7.2 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई कमियों का सारांश

लेखापरीक्षा आक्षेपों पर विभाग से प्राप्त प्रत्युत्तरों के आधार पर, अनुपालन विचलन में रूपांतरित 16 मापदंडों (परिशिष्ट 2.1) में से प्रत्येक को तालिका 2.3 में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 2.3 कमियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा आयाम	करदा ताओं की संख्या	प्रकरणों की संख्या	प्रकरण जहाँ उत्तर प्राप्त हुए		लेखापरीक्षा को स्वीकार्य विभाग का उत्तर (लेखापरीक्षा से पहले की गई कार्रवाई और डेटा प्रविष्टि त्रुटियों सहित)		अनुपालन विचलन							
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	एससीएन जारी किया गया /मांग कायम की गई/वसूली ¹⁴ की गई		एसएमटी-10/नोटिस/डी आरसी-01ए जारी किया गया		लेखापरीक्षा को विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं (खंडन)		योग	
							संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच आईटीसी का मिसमैच (डी1)	58	93	93	738.69	47	327.00	31	241.41	-	-	2	32.16	33	273.57
आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना प्राप्त आईटीसी (डी2)	30	75	75	290.15	60	218.26	06	15.86	-	-	-	-	06	15.86
सीमा अवधि के बाद दाखिल किए गए जीएसटीआर 3बी में प्राप्त आईटीसी (डी3)	45	57	57	99.28	19	26.46	24	48.82	1	0.16	3	1.96	28	50.94
आईएसडी क्रेडिट का गलत उपयोग (डी4)	15	23	23	7.53	10	3.48	8	1.39	-	-	1	1.11	9	2.50
आरसीएम के तहत प्राप्त आईटीसी बनाम जीएसटीआर 3बी/जीएसटीआर 9 में कर का भुगतान (डी5)	35	56	56	72.02	38	46.21	8	17.50	-	-	-	-	08	17.50
वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आईटीसी का मिसमैच (डी6)	14	23	23	484.02	13	68.53	7	411.54	2	2.26	-	-	09	413.80
वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक विवरणी में प्राप्त आईटीसी के बीच मिलान (डी7)	15	23	23	647.48	14	81.09	8	563.83	-	-	1	2.56	9	566.39
अस्थिर देनदारियां (डी8)	64	112	112	824.65	73	514.22	18	86.21	2	14.81	-	-	20	101.02
ई-वे बिल की तुलना में कर योग्य मूल्य में कमी (डी9)	44	103	103	1569.71	66	934.03	8	83.60	24	487.67	-	-	32	571.27
लेखा पुस्तकों और विवरणियों के बीच कर भुगतान में मिसमैच (डी10)	15	19	19	36.17	12	21.30	2	3.90	1	1.44	1	1.80	4	7.14

14 ₹ 1245.26 करोड़ के 78 प्रकरणों में एससीएन जारी किया गया, ₹334.40 करोड़ के 140 प्रकरणों में मांग कायम की गई और 18 प्रकरणों में ₹1.58 करोड़ की वसूली की गई।

लेखापरीक्षा आयाम	करदाताओं की संख्या	प्रकरणों की संख्या	प्रकरण जहाँ उत्तर प्राप्त हुए		लेखापरीक्षा को स्वीकार्य विभाग का उत्तर (लेखापरीक्षा से पहले की गई कार्रवाई और डेटा प्रविष्टि त्रुटियों सहित)		अनुपालन विचलन							
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	एससीएन जारी किया गया /मांग कायम की गई/वसूली ¹⁴ की गई		एसएमटी-10/नोटिस/डी आरसी-01ए जारी किया गया		लेखापरीक्षा को उत्तर स्वीकार्य नहीं (खंडन)		योग	
							संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
टीडीएस/टीसीएस घोषणा के माध्यम से पहचाने गए कर योग्य मूल्य में कमी (डी11)	24	40	40	495.98	26	143.84	8	89.46	3	7.77	2	6.07	13	103.30
जीएसटीआर 9सी की तालिका 5 में घोषित बिल रहित राजस्व में मिसमैच के माध्यम से पहचाने गए कर योग्य मूल्य की कमी (डी12)	14	18	18	210.76	13	173.36	1	7.41	2	14.50	-	-	03	21.91
जीएसटीआर 9सी तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में मिसमैच (डी13)	15	26	26	- ¹⁵	23	-	-	-	2	-	-	-	02	-
कम्पोजिशन करदाता द्वारा भी ई-कॉमर्स सुविधा का उपभोग करना (डी14)	9	9	9	-	7	-	2	-	-	-	-	-	02	-
जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं की गई, लेकिन जीएसटीआर 1 उपलब्ध है (डी15)	45	67	67	-	9	-	34	-	02	-	-	-	36	-
ब्याज का कम भुगतान(डी16)	68	182	182	32.48	84	15.76	71	10.31	01	0.14	-	-	72	10.45
कुल	510	926	926	5,508.92	514	2,573.54	236	1,581.24	40	528.75	10	45.66	286	2,155.65

लेखापरीक्षा ने ₹ 2155.65 करोड़ की राशि वाले 286 प्रकरणों में आरजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों से विचलन देखा, जो कि डेटा में 926 विसंगतियों/मिसमैच का 30.89 प्रतिशत था, जिसके लिए विभाग ने प्रत्युत्तर दिये। जोखिम मापदंडों जैसे कि जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच आईटीसी मिसमैच, सीमा अवधि के बाद दाखिल जीएसटीआर 3बी में प्राप्त आईटीसी, अस्थिर देनदारियाँ और ई-वे बिल की तुलना में कर योग्य मूल्य में कमी में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गई।

514 प्रकरणों में, जो लेखापरीक्षा नमूने का 55.51 प्रतिशत था, जहाँ विभाग के उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य थे, करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के 52 प्रकरण शामिल थे, विभाग ने 113 प्रकरणों में अग्रसक्रिय रूप से कार्यवाही कर ली थी और अन्य मान्य स्पष्टीकरणों में 349 प्रकरण शामिल थे।

126 प्रकरणों में, जो लेखापरीक्षा नमूने का 13.60 प्रतिशत थे (₹ 779.73 करोड़ का अंतर्निहित विचलन), विभाग ने बताया कि इन प्रकरणों की या तो जाँच की जा रही है या ये अपील/एनसीएलटी/उच्च न्यायालय आदि के तहत लंबित हैं।

15 26 प्रकरणों में जीएसटीआर 9 सी की तालिका 7 जी में कुल मिलान नहीं हुआ कर योग्य टर्नओवर ₹ 7,567.87 करोड़ है, जिसमें से एक प्रकरण में डेटा प्रविष्टि त्रुटि का टर्नओवर ₹ 2166.46 करोड़ है, ₹ 3709.74 करोड़ के मिसमैच टर्नओवर वाले 22 प्रकरणों में, विभाग द्वारा मान्य स्पष्टीकरण प्रदान किए गए और ₹ 1191.36 करोड़ के मिसमैच टर्नओवर वाले दो प्रकरणों में एसएमटी-10 जारी किया गया है और ₹ 500.31 करोड़ के मिसमैच टर्नओवर से संबंधित शेष एक मामला उच्च न्यायालय में स्थगन के अधीन है।

286 अनुपालन विचलन प्रकरणों में से 10 प्रकरणों में यद्यपि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित विचलनों को स्वीकार नहीं किया, तथापि उसके तर्क साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं थे, और इस प्रकार लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन अधीन नहीं थे।

2.3.7.3 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा- डेटा विश्लेषण के दौरान देखे गए विचलन/मिसमैच के कारण

विभाग के 926 मामलों में जवाब को ध्यान में रखते हुए, डेटा विचलन/विसंगतता का कारण बनने वाले कारक निम्नानुसार हैं:

(क) जीएसटी कानून और नियमों से विचलन: उपरोक्त तालिका 2.3 में सारीकृत 926 विचलनों में से, विभाग ने ₹ 2109.99 करोड़ के कर प्रभाव वाले 276 मामलों में लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार किया या उन पर कार्रवाई शुरू की है। इन प्रकरणों में से, विभाग ने 18 प्रकरणों में ₹ 1.58 करोड़ की वसूली की, ₹ 1579.66 करोड़ के 218 प्रकरणों में एससीएन/डीआरसी-07 जारी किये हैं, ₹ 528.75 करोड़ के 40 प्रकरणों में करदाता को विसंगतियों से अवगत कराते हुए फॉर्म एएसएमटी -10/डीआरसी-01 ए जारी किया है। शीर्ष पाँच प्रकरणों में जो कि स्वीकार किए गए या जहाँ विभाग द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई, उनकी राशि ₹ 386.29 करोड़ थी। उदाहरणात्मक दो प्रकरण नीचे दिए गए हैं:

(i) ई-वे बिल की तुलना में कर योग्य मूल्य में कमी:

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि वृत्त-ए, भिवाड़ी के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटीआर 3बी में देय कर देयता ₹ 225.99 करोड़ थी, जबकि ई-वे बिल के अनुसार देय कर देयता ₹ 283.92 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 57.93 करोड़ की कर देयता बकाया रह गई, जिसे विभाग और राज्य सरकार को (दिसंबर 2024) सूचित किया गया। इसके जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि करदाता को एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(ii) जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच आईटीसी मिसमैच:

लेखापरीक्षा ने पाया कि वृत्त ए, भिवाड़ी के अंतर्गत करदाता के प्रकरण में, वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ 93.33 करोड़ थी, जबकि वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए(5) में प्राप्त आईटीसी ₹ 117.44 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त आईटीसी में ₹ 24.11 करोड़ का मिसमैच था, जिसकी सूचना विभाग और राज्य सरकार को दी गई (दिसंबर 2024)। जवाब में, राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि करदाता को डीआरसी-01 (कारण बताओ नोटिस) जारी कर दिया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(ख) करदाताओं द्वारा कर अपवंचना:

लेखापरीक्षा ने 20 करदाताओं द्वारा जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच आईटीसी मिसमैच, सीमा अवधि के बाद दाखिल जीएसटीआर 3बी पर प्राप्त आईटीसी और ऐसे प्रकरणों जहां जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं किया गया लेकिन जीएसटीआर 1 उपलब्ध था, से संबंधित ₹ 129.68 करोड़ के विचलन के 23 प्रकरण देखे।

लेखापरीक्षा ने विभाग को इस ओर ध्यान दिलाया (दिसंबर 2024)। विभाग ने बताया (मार्च 2025) कि इन सभी फर्मों का पंजीकरण लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाए जाने से पहले ही पूर्वव्यापी प्रभाव से रद्द कर दिया गया था और कहा कि चूंकि फर्म फर्जी और अस्तित्वहीन/पता लगाने योग्य नहीं पाई गईं, इसलिए मांग की वसूली नहीं की जा सकी। इन 23 प्रकरणों में से, 18 प्रकरणों में एससीएन जारी किया गया और 12 प्रकरणों (18 प्रकरणों में से) में ₹ 152.54 करोड़ की मांग कायम की गई। शेष पाँच प्रकरणों में यह कहा गया कि फर्जी फर्मों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन किया जाएगा और धारा 122(1)(ii) एवं 122(1)(vii) के अंतर्गत न्याय निर्णयन आदेश पारित किया जाएगा।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

वृत्त जे, जयपुर-1 के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ 8.94 करोड़ थी, जबकि जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए(5) में प्राप्त आईटीसी ₹ 27.89 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.95 करोड़ की अतिरिक्त आईटीसी प्राप्त हुई, जिसकी सूचना विभाग और राज्य सरकार को (दिसंबर 2024) दी गई। जवाब में, सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि फर्म फर्जी और अस्तित्वहीन पाई गई और करदाता का पंजीकरण 06 जुलाई 2019 को (13 जुलाई 2018 से) रद्द कर दिया गया। इसके अलावा, धारा 122(1)(ii) और 122(1)(vii) के तहत न्याय निर्णयन आदेश पारित किया गया (फरवरी 2024) और ₹ 36.69 करोड़ की मांग सृजित की गई। तथापि, विभाग ने आगे सूचित किया कि मांग वसूल नहीं की जा सकती क्योंकि फर्म का पता नहीं चल पा रहा है।

लेखापरीक्षा का मानना है कि विभाग को अतिरिक्त प्राप्त आईटीसी की वसूली के लिए अधिनियम की धारा 79(1)¹⁶ के तहत उपयुक्त कार्रवाई करने के साथ-साथ करदाता द्वारा जीएसटीआर-1 में दिये गये विवरणों के माध्यम से ऐसे अस्तित्वहीन करदाता द्वारा आईटीसी जारी किए गए प्राप्तकर्ता की पहचान करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि विभाग ने लेखापरीक्षा (जनवरी 2024) द्वारा इंगित किए जाने के बाद ही कार्रवाई की, जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमजोरी का संकेत देता है।

16 जहां किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान के तहत सरकार को देय कोई राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, वहां समुचित अधिकारी आरजीएसटी अधिनियम की धारा 79 (1) के तहत निर्धारित एक या अधिक तरीकों से राशि वसूल करने के लिए अग्रसर होगा।

समापन परिचर्चा के दौरान, मुख्य आयुक्त, राज्य कर ने कहा कि बोगस फर्म और फर्जी आईटीसी विभाग की सबसे बड़ी चिंता है, और इसे एआई-आधारित मॉड्यूल के कार्यान्वयन के बाद ही सुलझाया जाएगा।

सिफारिश 3: राज्य सरकार फर्जी इकाइयों/संस्थाओं के पंजीकरण और आईटीसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए पंजीकरण और निरस्तीकरण तंत्र को मजबूत कर सकती है।

(ग) लेखापरीक्षा द्वारा खंडन की गई विसंगतियाँ/मिसमैच

मिसमैच / विसंगतियों के 926 प्रकरणों के लेखापरीक्षा नमूने में से, विभाग द्वारा ₹ 45.66 करोड़ के मिसमैच/ विसंगतियों के समक्ष 10 प्रकरणों में केवल ₹ 6.80 करोड़ की माँग की गई। तथापि, विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई माँग से बहुत कम माँग सृजित करने के समर्थन में कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा इन मामलों में विभागीय उत्तरों की सत्यता का पता नहीं लगा सकी।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच आईटीसी मिसमैच

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वृत्त-I, जयपुर-III के अंतर्गत एक करदाता के प्रकरण में, वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ 117.77 करोड़ थी, जबकि वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर 3 बी की तालिका 4ए(5) में प्राप्त आईटीसी ₹ 134.35 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त आईटीसी में ₹ 16.58 करोड़ की राशि का मिसमैच पाया गया, जिसकी सूचना विभाग और राज्य सरकार को (दिसंबर 2024) दी गई। उत्तर में, राज्य सरकार ने (मार्च 2025) बताया कि ₹ 0.24 करोड़ की अतिरिक्त दावा की गयी आईटीसी के लिए डीआरसी-07 जारी कर दिया गया है। तथापि, विभाग ने कोई भी ऐसा सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था जिससे यह आश्वासन मिलता हो कि मिसमैच राशि से कम की माँग करना उचित है। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा विभागीय उत्तर की सत्यता का पता नहीं लगा सकी।

2.3.8 विस्तृत लेखापरीक्षा (भाग III)

एक स्वतः निर्धारण व्यवस्था में, कानून के अनुपालन का दायित्व करदाता पर होता है। विभाग की भूमिका निगरानी प्रदान करने के लिए एक कुशल कर प्रशासन तंत्र की स्थापना करने और इसे बनाये रखने की है। संसाधनों के सीमित स्तर के साथ, एक प्रभावी कर प्रशासन के लिए, कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने और राजस्व संग्रह के लिए एक कुशल शासन तंत्र आवश्यक है। एक आईटी संचालित अनुपालन मॉडल बड़े पैमाने पर शासन के एक गैर-विवेकाधीन व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम बनाती है और एक लक्षित दृष्टिकोण की अनुपालना को लागू करने की सुविधा प्रदान करती है।

बाहरी लेखापरीक्षा परिप्रेक्ष्य से, लेखापरीक्षा ने डेटा-संचालित जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार, पैन-इंडिया डेटा विश्लेषण के माध्यम से जीएसटी विवरणी में विसंगतियों/विचलनों की पहचान करने के अलावा, इस एसएससीए के एक भाग के रूप में जीएसटी विवरणियों की एक विस्तृत लेखापरीक्षा भी की गई थी। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए 100 करदाताओं (स्वनन गतिविधियों के 20 करदाताओं सहित) का जोखिम आधारित नमूना चयनित किया गया था। अपनाई गई कार्यप्रणाली में संभावित जोखिम श्रेत्रों, विसंगतियों/विचलनों एवं रेड फ्लेग की पहचान करने के लिए करदाताओं द्वारा जीएसटीआर 9सी के भाग के रूप में दाखिल की गयी जीएसटी विवरणियों एवं वित्तीय विवरणों और बैंक-एंड सिस्टम में उपलब्ध अन्य अभिलेखों का प्रारम्भ में एक डेस्क रिव्यू किया गया था। डेस्क रिव्यू लेखापरीक्षा कार्यालय परिसर में किया गया था। डेस्क रिव्यू परिणामों के आधार पर, पहचान किए गए जोखिमों के प्रेरक कारणों की पहचान करने और करदाताओं द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए करदाताओं के विस्तृत अभिलेखों जैसे वित्तीय लेजर, इनवॉयस इत्यादि की मांग करके विभाग के वृत्तों में विस्तृत लेखापरीक्षा आयोजित की गई।

2.3.8.1 कार्यक्षेत्र का परिसीमन

आरजीएसटी नियम, 2017 के नियम 80 (3) में प्रावधान है कि धारा 44 के द्वितीय परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्तियों, एक इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के तहत कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति, एक आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को छोड़कर प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, जिसका एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कारोबार पांच करोड़ रुपये से अधिक है, को भी वार्षिक विवरणी के साथ फॉर्म जीएसटीआर-9सी में एक स्व-प्रमाणित समाधान विवरण भी प्रस्तुत करना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिरूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा। इसके अलावा, फॉर्म जीएसटीआर-9सी में समाधान विवरण तैयार किया जाना चाहिए और लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए तथा अन्य विवरण, जहां लागू हो, जिसमें वित्तीय विवरण, लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट आदि शामिल हैं, को जीएसटीआर-9सी के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। हालांकि, ये अभिलेख जीएसटीआर 9सी के साथ ठीक से अपलोड नहीं किये गये थे। इसके अलावा जीएसटीआर-9सी के साथ अपलोड किये गये वित्तीय विवरणों की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए विभाग के पास कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है।

100 प्रकरणों के लेखापरीक्षा नमूने में से 95 प्रकरणों में क्षेत्राधिकार वाले वृत्तों द्वारा वित्तीय विवरण/ट्रॉयल बैलेंस/ऑडिटर्स रिपोर्ट और जीएसटीआर 2ए आदि जैसे मूलभूत अभिलेखों और डेबिट/क्रेडिट नोट, चालान, समाधान विवरण आदि जैसे अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए। इस प्रकार, 95 प्रतिशत नमूना लेखापरीक्षा करदाताओं द्वारा दाखिल विवरणी में उपलब्ध जानकारी तक ही सीमित रही।

क्षेत्राधिकार-वार अभिलेखों के प्रस्तुत न किए जाने का सारांश **परिशिष्ट 2.2** में दिया गया है। अभिलेखों के प्रस्तुत न किये जाने के परिणामस्वरूप, डेटा विश्लेषण के माध्यम से देखी गई विसंगतियों/विचलनों, जिनकी राशि ₹ 476.15 करोड़ थी, की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी।

समापन परिचर्चा के दौरान, मुख्य आयुक्त, राज्य कर ने बताया कि भविष्य में, विभाग लेखापरीक्षा के लिए आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 151 के तहत करदाताओं के अभिलेखों को मांगने की संभावनाओं का पता लगाएगा।

अभिलेखों/सूचना/आंकड़ों का प्रस्तुत न किया जाना सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 16 के तहत सीएजी की संवैधानिक और वैधानिक जिम्मेदारी में बाधा डालता है, ताकि यह जांच की जा सके कि राजस्व के आकलन और संग्रहण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए नियम और प्रक्रियाएं तैयार की गई हैं या नहीं।

2.3.8.2 विस्तृत लेखापरीक्षा- लेखापरीक्षा निष्कर्ष

जैसा कि पिछले अनुच्छेद में बताया गया है, अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण, डेटा विश्लेषण के माध्यम से पाई गई ₹ 476.15 करोड़ की विसंगतियों/विचलनों की लेखापरीक्षा में जाँच नहीं हो सकी। इसके बावजूद, विभाग के बोवेब पोर्टल पर उपलब्ध आंशिक अभिलेख, जैसे कि जीएसटी विवरणी और वित्तीय विवरणों की जाँच में करदाताओं द्वारा ₹ 304.68 करोड़ का गैर अनुपालन पाया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: जीएसटी विवरणी से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष, आईटीसी से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष और कर देयताओं से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष। निष्कर्षों पर आगे के अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

(I) जीएसटी विवरणियों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(क) करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान न करना

आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 में निर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है, उस अवधि के लिए, जिसके लिए कर या उसके किसी भाग का भुगतान नहीं किया गया है, स्वयं 18 प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, जैसा कि परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। लेखापरीक्षा ने पाया कि 32 करदाताओं (लेखापरीक्षित 100 करदाताओं का 32 प्रतिशत है) के 225 मामलों में करदाताओं ने इस अवधि के दौरान नियत तिथि के बाद जीएसटीआर 3बी दाखिल किया, तथापि, कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 1.78 करोड़ रुपये का ब्याज नहीं चुकाया गया। इन करदाताओं की पहचान जीएसटीआर 3बी में कर भुगतान के विवरण और जीएसटीआर 3बी दाखिल करने की तिथि का उपयोग करके की गई। इसके अलावा, पांच करदाताओं ने डीआरसी-03 के माध्यम से कर का भुगतान किया, तथापि, कर के विलंबित भुगतान पर देय ₹ 0.50 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद 113 मामलों में ₹ 0.49 करोड़ की वसूली की गई है। इसके अलावा, चार प्रकरणों में (इन 113 प्रकरणों में से) ₹ 21.63 लाख की वसूली के समक्ष केवल ₹ 1919 की वसूली की गई, तथापि, कम वसूली के कारणों की

सूचना लेखापरीक्षा को नहीं दी गई। छह प्रकरणों में, बिजनेस लेखापरीक्षा के तहत कार्रवाई की गई है। 98 मामलों में एएसएमटी-10/डीआरसी-01/एससीएन/डीआरसी-07 के माध्यम से मांग सृजित करने के लिए नोटिस जारी कर कार्रवाई की गई, जबकि आठ प्रकरणों में करदाताओं ने कायम मांग के खिलाफ अपील दायर की है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

इसके अलावा, पाँच करदाताओं के संबंध में, जहाँ ₹ 0.50 करोड़ का ब्याज देय था, यह बताया गया कि लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर दो प्रकरणों में ₹ 1.62 लाख की वसूली की गई है, और एक प्रकरण का निस्तारण बिजनेस लेखापरीक्षा के अंतर्गत किया गया है। दो प्रकरणों में एएसएमटी-10/डीआरसी-01 जारी किया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(II) आगत कर क्रेडिट (आईटीसी) से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(क) आईटीसी के रिवर्सल का अभाव/कम रिवर्स किया जाना

आरजीएसटी अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के साथ पठित आरजीएसटी नियम, 2017 के नियम 42 के अनुसार, जहाँ माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अंशतः शून्य दर आपूर्ति सहित कर योग्य आपूर्ति के लिए एवं अंशतः कर मुक्त आपूर्ति को करने के लिए किया जाता है, वहाँ क्रेडिट की राशि आगत कर के उस भाग तक सीमित रहेगी, जो शून्य-दर आपूर्ति सहित उक्त कर योग्य आपूर्ति के कारण है। आगत एवं आगत सेवाओं के संबंध में पात्र आगत कर क्रेडिट के निर्धारण एवं उसके रिवर्सल का तरीका¹⁷ पूर्वोक्त नियम 42 में निर्दिष्ट किया गया है।

एक करदाता¹⁸ के मामले में लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता ने जीएसटीआर-9 की तालिका 4बी में ₹ 3471.93 करोड़ की कुल जावक आपूर्ति घोषणा की थी, जिसमें से ₹ 27.87 करोड़ की आपूर्ति शून्य दर/छूट वाली थी, जैसा कि 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान जीएसटीआर-9 की तालिका 5(डी+ई) में घोषित किया गया था। इस अवधि के दौरान, करदाता ने ₹ 406.53 करोड़ की आईटीसी भी प्राप्त की। हालांकि, करदाता ने जीएसटीआर-9 के अनुसार किसी भी आईटीसी को रिवर्स नहीं किया था। चूंकि करदाता ने जीएसटीआर-9 में कर योग्य और शून्य दर/छूट वाली दोनों आपूर्तियों की घोषणा की थी, इसलिए करदाता को आरजीएसटी अधिनियम, 2017 और आरजीएसटी नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार आईटीसी को रिवर्स करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, करदाता को लगभग ₹ 3.34 करोड़ की आईटीसी रिवर्स करनी थी। तथापि, विभाग द्वारा विस्तृत रिकार्ड प्रस्तुत न किए जाने के कारण लेखापरीक्षा सामान्य इनपुट पर आईटीसी रिवर्सल की गणना नहीं कर सकी।

17 छूट प्राप्त आपूर्तियों पर आईटीसी की राशि को 'डी' के रूप में दर्शाया जायेगा तथा इसकी गणना इस प्रकार की गयी है। डी= (ई/एफ)X सी जहाँ 'ई' कर अवधि के दौरान छूट प्राप्त आपूर्ति का कुल मूल्य है तथा 'एफ' कर अवधि के दौरान पंजीकृत व्यक्ति का राज्य में कुल टर्नओवर है तथा सामान्य क्रेडिट को 'सी' के रूप में दर्शाया गया है। सामान्य क्रेडिट कर योग्य एवं छूट प्राप्त आपूर्तियों दोनों के लिए उपयोग किये जाने वाले माल या सेवाओं पर आईटीसी है जिसके लिए नियम 42 के तहत आनुपातिक विभाजन की आवश्यकता होती है।

18 वृत्त-एच जयपुर II से संबंधित।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि इस प्रकरण में कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए बिजनेस लेखा परीक्षा की जा चुकी है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिजनेस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की जाँच से पता चला कि उक्त धारा के अंतर्गत लेखा परीक्षा द्वारा बताया गया आक्षेप बिजनेस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं था।

सिफारिश 4: विभाग आईटीसी प्राप्ति के ऐसे मामलों की विस्तार से जाँच कर सकता है जहाँ कर योग्य और शून्य दर/छूट वाली आपूर्तियाँ दोनों हैं, और जहाँ लागू हो, आईटीसी को रिवर्सल करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।

(ख) अतिरिक्त आईटीसी की वसूली हेतु विभाग द्वारा की गई कार्रवाई

करदाता द्वारा दाखिल विवरणी और जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध अन्य संबंधित सूचनाओं की नमूना जाँच के दौरान, यह पाया गया कि एक करदाता¹⁹ ने वर्ष 2020-21 के दौरान मासिक विवरणी जीएसटीआर 3बी के अनुसार आरसीएम पर ₹ 144.38 लाख की आईटीसी का लाभ उठाया। तथापि, यह पाया गया कि विवरणी जीएसटीआर 9सी के अनुसार ₹ 142.87 लाख की आईटीसी उपलब्ध थी और जीएसटीआर 9सी की तालिका 15 में यह भी उल्लेख किया गया था कि करदाता द्वारा ₹ 1.51 लाख की अतिरिक्त आईटीसी का भुगतान किया जाना है। तथापि, विभाग ने अतिरिक्त आईटीसी की वसूली लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद ही इसे ब्याज सहित (दिसंबर 2024 और फरवरी 2025) वसूल किया।

(ग) विवरणी से प्राप्त सूचना के अनुसार आईटीसी के दावे में मिसमैच

जब लेखापरीक्षा ने चयनित करदाताओं के जीएसटीआर-2ए डेटा के साथ-साथ करदाताओं द्वारा दाखिल जीएसटीआर 3बी, जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9सी का विश्लेषण किया, तो विभिन्न विवरणी और तालिकाओं में ₹ 260.07 करोड़ के आईटीसी मिसमैच के 99 मामले सामने आए। लेखापरीक्षा द्वारा इन मिसमैच की विस्तृत जाँच नहीं की जा सकी क्योंकि विभाग द्वारा संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे। मिसमैच के मामले नीचे तालिका में दिये गये हैं:

तालिका 2.4: आईटीसी के दावे में मिसमैच

क्र.सं.	मापदंड	प्रकरणों की संख्या	वृत्तों की संख्या	मिसमैच की राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियाँ
1	जीएसटीआर 9 की तालिका 7 (आई) (₹ 0.69 करोड़) और जीएसटीआर 3 बी + डीआरसी 03 (₹ 0.09 करोड़) के बीच आईजीएसटी से संबंधित आईटीसी रिवर्सल में मिसमैच।	01	01	0.60	प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि माँग कायम की गई है, हालाँकि, करदाता ने माँग आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

19 वृत्त-ए जयपुर-IV से संबंधित।

2	जीएसटीआर 3बी (तालिका 4ए: ₹ 257.89 करोड़) और जीएसटीआर 9 (तालिका 7 जे+ तालिका 8सी: ₹ 242.99 करोड़) के बीच आईटीसी प्राप्त करने में मिसमैच।	02	01	14.90	प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि माँग कायम की गई है, हालाँकि, करदाता ने माँग आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।
3	आरसीएम (जीएसटीआर 9 की तालिका 6सी+6डी+6एफ) के तहत प्राप्त आईटीसी और आरसीएम (जीएसटीआर 9 की तालिका 4जी) के तहत भुगतान किये गए कर के बीच मिसमैच।	12	06	19.79	प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर तीन प्रकरणों में ₹ 0.69 लाख की वसूली कर ली गई है। बिज़नेस लेखापरीक्षा के तहत एक प्रकरण में कार्रवाई की गई है। हालाँकि, उत्तर के समर्थन में संबंधित दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। छह प्रकरणों में नोटिस/डीआरसी-07/डीआरसी 01 जारी किया जा चुका है और एक प्रकरण अपील के अधीन लंबित है। शेष एक प्रकरण में, ₹ 12.22 करोड़ के आईटीसी में मिसमैच के संबंध में कहा गया कि करदाता ने आरसीएम के तहत कर का भुगतान किया लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 में सीजीएसटी ₹ 6.11 करोड़ और एसजीएसटी ₹ 6.11 करोड़ के आरसीएम आईटीसी का कम दावा किया, जिसका दावा 2018-19 में किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिस महीने में आईटीसी का लाभ उठाया गया था उसका उल्लेख उत्तर में नहीं किया गया था, जिसके कारण लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या आईटीसी का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर लिया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 2017-18 के जीएसटीआर 9 की तालिका 13 में 'पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त आईटीसी' शीर्षक के अंतर्गत शून्य राशि का उल्लेख किया गया था।
4	जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 3बी के बीच आईटीसी मिसमैच। जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी और तालिका 4ए (5) में जीएसटीआर 3बी में प्राप्त आईटीसी। जिसमें 4 (डी) अवरूद्ध क्रेडिट और जीएसटीआर 9 की तालिका 8 सी से आगामी वर्षों का आईटीसी शामिल है।	84	39	224.78	प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि दो प्रकरणों में अंतर मार्गस्थ माल के कारण था, इसलिए, अगले वित्तीय वर्ष में आईटीसी का दावा किया गया था। तीन प्रकरणों में, बिल ऑफ एंट्री के संबंध में आईटीसी, जीएसटीआर 2ए के आईजीएसटी शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित नहीं हो रही थी। नौ प्रकरणों में, बिज़नेस लेखापरीक्षा की गयी है और तदनुसार कार्रवाई की जा रही है। 13 प्रकरणों में, लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली (₹ 0.41 करोड़) की गई है। इसके अलावा, 38 प्रकरणों में डीआरसी-01/डीआरसी 07 जारी किया गया है, करदाता ने नौ प्रकरणों में अपील दायर की है और पाँच प्रकरण जाँच के अधीन हैं। चार प्रकरणों में उत्तर या तो अपूर्ण थे या लेखापरीक्षा आक्षेप के अनुसार नहीं थे, जबकि एक मामले में कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

(III) कर देयताओं से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(क) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी का भुगतान न करना

(i) अधिनियम की धारा 9(3) माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की उन श्रेणियों को निर्दिष्ट करती है, जिन पर कर का भुगतान ऐसी माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 9(4) में पंजीकृत व्यक्तियों की एक श्रेणी दी गयी है, जो एक अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की निर्दिष्ट श्रेणियों के माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता के रूप में रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान करेंगे। अधिसूचना संख्या 13/2017- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 में निर्धारित किया गया है कि किसी व्यावसायिक इकाई को कानूनी सेवाओं की आपूर्ति और माल परिवहन एजेंसी द्वारा सेवाओं की आपूर्ति पर प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 14 प्रकरणों के संबंध में पांच करदाताओं ने कानूनी परामर्श और माल परिवहन एजेंसी द्वारा सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित सेवाओं की आवक आपूर्ति प्राप्त की, जिस पर आरसीएम के तहत ₹ 3.93 करोड़ का जीएसटी देय था।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर छह प्रकरणों में वसूली²⁰ की गई है और एक प्रकरण में बिज़नेस लेखापरीक्षा के तहत कार्रवाई की गई है, तथापि, उत्तर के समर्थन हेतु बिज़नेस लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई थी। दो प्रकरणों में, यह कहा गया था कि करदाता प्रत्येक जीएसटी पंजीकरण के लिए अलग-अलग लाभ हानि खाता या व्यय खाता नहीं रखता है और संबंधित वर्ष के लेखापरीक्षित अंतिम विवरण में दर्शायी गयी कानूनी और पेशेवर फीस की राशि अस्थिर भारतीय आधार पर एक पूरी इकाई की है और इसे किसी एक राज्य के लिए उपारोपित नहीं किया जा सकता है। करदाता ने संबंधित अवधि के दौरान कोई कानूनी सेवा प्राप्त नहीं की थी, जिसे जीएसटीआर-2ए के आधार पर भी प्रमाणित किया जा सकता है। तथापि, उत्तर के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जीएसटीआर 9 सी भरने के निर्देशों में कहा गया है कि जहां एक ही पैर पर कई जीएसटीआईएन (राज्यवार) पंजीकरण मौजूद हैं, ऐसी संस्थाओं को आंतरिक रूप से अपना जीएसटीआईएन-वार टर्नओवर निकालना होगा और उसे घोषित करना होगा।

दो प्रकरणों में डीआरसी-01 जारी किया गया है जबकि तीन प्रकरणों में मांग आदेश जारी किया गया है।

(ii) आरजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 9(3) के अंतर्गत, राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12 (56) एफडी/कर/2017 दिनांक 29 जून 2017 के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यावसायिक संस्था को प्रदान की गई सेवाएँ आरसीएम के अंतर्गत कर योग्य हैं।

20 ₹ 1,23,094।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि पाँच प्रकरणों में दो करदाताओं²¹ ने अपने वित्तीय विवरण में ₹ 127.27 करोड़ के व्यय अर्थात् एजीआर आधारित लाइसेंस शुल्क, सैटेलाइट और स्पेक्ट्रम शुल्क एवं रॉयल्टी, को दर्शाया। उक्त अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यावसायिक संस्था को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ आरसीएम के अंतर्गत कर योग्य हैं। तथापि, करदाताओं ने उपरोक्त सेवाओं पर आरसीएम के अंतर्गत कर का भुगतान नहीं किया। चूँकि वित्तीय विवरण में समेकित आँकड़े उपलब्ध थे और विभाग द्वारा राज्य-विशिष्ट आँकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए थे, इसलिए राज्य में करदाता की कर देयता का आकलन नहीं किया जा सका।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने दो प्रकरणों के संबंध में बताया (मार्च 2025), कि रॉयल्टी व्यय विभिन्न राज्यों में अलग-अलग जीएसटीआईएन वाले सभी स्थलों से संबंधित थे और रॉयल्टी राशि पर आरसीएम के तहत भुगतान किया गया और उसके आंकड़े विचाराधीन वर्ष के दौरान भुगतान किए गए आरसीएम से मेल खाते हैं। तथापि, उत्तर के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जीएसटीआर 9सी भरने के निर्देशों में कहा गया है कि जहाँ एक ही पैर पर कई जीएसटीआईएन (राज्यवार) पंजीकरण मौजूद हैं, ऐसी संस्थाओं को आंतरिक रूप से अपना जीएसटीआईएन-वार टर्नओवर निकालना होगा और उसे घोषित करना होगा।

एक प्रकरण में, करदाता ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद आरसीएम के तहत कर देयता का भुगतान कर दिया था। दो प्रकरणों में, मांग जारी की गई है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

(IV) अग्रिमों पर जीएसटी का भुगतान

अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधान सेवाओं की आपूर्ति का समय निम्न तिथियों में से जो सबसे पहले हो, होगा, अर्थात् (ए) आपूर्तिकर्ता द्वारा इनवॉयस जारी करने की तिथि, यदि इनवॉयस धारा 31 के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर जारी किया गया हो अथवा भुगतान प्राप्त होने की तिथि, जो भी पहले हो; या अथवा (बी) सेवा उपलब्ध कराने की तिथि, यदि इनवॉयस धारा 31 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर जारी नहीं किया गया हो अथवा भुगतान की प्राप्ति की तिथि, जो भी पहले हो; अथवा (सी) उस प्रकरण में, जहाँ खंड (क) अथवा खंड (ख) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, वह दिनांक, जिसको प्राप्तकर्ता अपने लेखा पुस्तकों में सेवाओं की प्राप्ति दर्शाता है।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि एक करदाता ने वर्ष 2018-19 की बैलेंस शीट में ₹ 257.99 करोड़ के चालु दायित्वों को "ग्राहकों से अग्रिम" के रूप में दर्शाया गया था। हालाँकि, ग्राहकों से प्राप्त इन अग्रिमों पर कोई कर नहीं चुकाया गया था, जैसा कि जीएसटीआर-1 और वार्षिक विवरणी से पता चला।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि अग्रिमों को वित्तीय वर्ष 2017-18 से अग्रनित किया गया था और

21 वृत्त I जयपुर III, तथा वृत्त डी जोधपुर II से संबंधित।

चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त नए अग्रिमों पर देयता का भुगतान कर दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्राप्त अग्रिम पर कर देयता वर्ष 2017-18 और 2018-19 के जीएसटीआर - 1 और वार्षिक विवरणी में शून्य दर्शाई गई थी।

(V) विवरणीयों से प्राप्त सूचना के अनुसार कर देयता और कर योग्य टर्नओवर में मिसमैच

जब लेखापरीक्षा ने चयनित करदाताओं के जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 के आंकड़ों के साथ-साथ करदाताओं द्वारा दाखिल जीएसटीआर 3बी, जीएसटीआर 9 का विश्लेषण किया, तो विभिन्न विवरणीयों और तालिकाओं में ₹ 35.04 करोड़ की कर देयता में मिसमैच के 54 मामले और ₹ 3808.26 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर में मिसमैच के नौ मामले पाए गए। लेखापरीक्षा द्वारा इन मिसमैच की विस्तृत जाँच नहीं की जा सकी क्योंकि विभाग द्वारा संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे। विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 2.5 कर देयता में मिसमैच

क्र.सं.	मापदंड	प्रकरणों की संख्या	वृत्तों की संख्या	मिसमैच की राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियाँ
1	जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर 9/3बी में भुगतान किये गए कर के बीच मिसमैच	48	27	34.52	प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर 10 प्रकरणों में वसूली (₹ 2.44 लाख) की गई है। चार प्रकरणों का निपटारा बिजनेस लेखापरीक्षा के तहत किया गया है। इसके अलावा, एक प्रकरण में तकनीकी त्रुटि के कारण अंतर है क्योंकि कर देयता जीएसटीआर 9 की तालिका 9 में नहीं दर्शायी गई थी। दो प्रकरणों में, यह कहा गया कि मिसमैच क्रेडिट नोटों के समायोजन न करने के कारण है और एक प्रकरण में अंतर जीएसटीआर 1 में अग्रिम और उस पर कर के समायोजन न करने के कारण है। दो प्रकरणों में मिसमैच पिछले वर्ष में कर के अधिक भुगतान के कारण है। 28 प्रकरणों में एएसएमटी-10/डीआरसी-01/एससीएन / डीआरसी-07 जारी किया गया है।
2	जीएसटीआर 2ए (तुलनात्मक विवरण) के भाग-ए में स्वतः तैयार की गई आरसीएम कर देयता और जीएसटीआर 3बी (तालिका 3.1(डी)) की आरसीएम कर देयता में मिसमैच।	04	03	0.19	प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने दो प्रकरणों के संबंध में (मार्च 2025) कहा कि आरसीएम के अंतर्गत कोई देयता नहीं है क्योंकि करदाता ने नवीनतम जीएसटीआर 2ए में देयता के अनुसार जीएसटीआर 3बी में आरसीएम का भुगतान कर दिया है, हालाँकि उत्तर के समर्थन में संबंधित दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। एक प्रकरण में ₹ 7.67 लाख की माँग कायम की गई है जबकि शेष एक प्रकरण में एससीएन जारी किया गया है।
3	जीएसटीआर 3बी तालिका 3.1 (डी) और जीएसटीआर 9 तालिका 4जी के अनुसार आरसीएम के अंतर्गत कर देयता (₹ 4.51	02	01	0.33	प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने (मार्च 2025) कहा कि एक मामले में बिजनेस लेखापरीक्षा के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, हालाँकि, उत्तर के समर्थन में संबंधित दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। एक अन्य मामले में माँग सृजित की गई है, हालाँकि, करदाता ने माँग आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है।

क्र.सं.	मापदंड	प्रकरणों की संख्या	वृत्तों की संख्या	मिसमैच की राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियाँ
	करोड़) जबकि जीएसटीआर 3बी की तालिका 6 बी और जीएसटीआर 9 तालिका 9 के अनुसार आरसीएम के अंतर्गत चुकाया जाने वाला कर (₹ 4.18 करोड़) का मिसमैच				
टर्नओवर में मिसमैच					
4	जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी में मिलान न हुआ कर योग्य टर्न ओवर	03	02	612.76	प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने (मार्च 2025) कहा कि दो प्रकरणों में बिज़नेस लेखापरीक्षा के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया आक्षेप बिज़नेस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं है। इसके अलावा, एक प्रकरण में डीआरसी-01 जारी किया गया है।
5	जीएसटीआर 9सी की तालिका 5 में घोषित बिल रहित राजस्व में मिसमैच के माध्यम से पहचाने गए कर योग्य मूल्य की कमी	06	02	3195.50	प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2025) कि तीन प्रकरणों में एएसएमटी-10 जारी किया गया है, एक प्रकरण में ₹ 37.76 लाख की माँग सृजित की गई है, जबकि एक मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगनाधीन है। शेष एक मामले में, यह कहा गया कि करदाता ने अगले वित्तीय वर्ष में इनवॉयस जारी कर दिया है, हालाँकि, उत्तर के समर्थन में संबंधित दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

2.3.9 निष्कर्ष

जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी' चरण II पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) को वर्ष 2022-23 (चरण I) के दौरान किये गये एसएससीए की निरंतरता के रूप में लिया गया था, जिसमें इस नई कर व्यवस्था में कर अनुपालन के लिए परिकल्पित नियंत्रण तंत्र और वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान सरकार के निगरानी तंत्र के महत्व पर विचार किया गया था।

योजना बनाने के साथ-साथ मूल लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने के लिए एक डेटा संचालित दृष्टिकोण अपनाया गया था। इस एसएससीए के नमूने में 2018-19 से 2020-21 तक दाखिल किये गये रिटर्न की अवधि के लिए केंद्रीकृत लेखापरीक्षा हेतु डेटा विश्लेषण के माध्यम से पहचान किए गए विचलनों का एक समूह शामिल था जिसमें क्षेत्रीय दौरे शामिल नहीं थे, विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का एक नमूना जिसमें क्षेत्रीय दौरे एवं विभागीय परिसर में करदाता के अभिलेखों की जांच शामिल थी, तथा वृत्तों के अनुपालन कार्यों के मूल्यांकन के लिए वृत्तों की एक नमूना लेखापरीक्षा शामिल थी।

इसलिए, लेखापरीक्षा नमूने में 10 वृत्तों, डेटा विश्लेषण के माध्यम से चयनित 16 मापदंडों में 962 उच्च मूल्य मिसमैच/विचलनों और जीएसटी विवरणी के विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए जोखिम मूल्यांकन के आधार पर चयनित 100 करदाता शामिल थे।

10 वृत्तों की समीक्षा से पता चला कि विभाग ने एकरूपता सुनिश्चित करने और अधिनियम की धारा 61 के अनुसार जांच कार्यवाही के लिए प्रक्रिया को मानकीकृत करने के उद्देश्य से विवरणी की जांच पर विस्तृत दिशानिर्देश/एसओपी जारी किए (जनवरी 2022), एक बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट (बीआईयू) का गठन किया गया था। तथापि, जांच कार्य प्रभावी नहीं थे क्योंकि 10 वृत्तों द्वारा जाँचे गए 200 प्रकरणों में से 24 प्रकरणों (12 प्रतिशत) में, प्राप्त आईटीसी में मिसमैच, कर देयता में मिसमैच और आरसीएम के तहत कर का भुगतान न करने से संबंधित विचलनों की जांच विभाग द्वारा संवीक्षा के दौरान नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा में विभाग द्वारा बिजनेस लेखापरीक्षा में विलम्ब तथा जीएसटी विवरणी दाखिल नहीं करने वालों पर कार्रवाई का अभाव भी देखा गया।

926 विचलनों में से, विभाग ने ₹ 2,109.99 करोड़ के कर प्रभाव वाले 276 प्रकरणों में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया या कार्रवाई शुरू कर दी थी। जोखिम मानदंडों जैसे कि प्राप्त अतिरिक्त आईटीसी, सीमा अवधि के बाद दाखिल जीएसटीआर 3बी में प्राप्त आईटीसी, अस्थिर देनदारियाँ और ई-वे बिल की तुलना में कर योग्य मूल्य में कमी आदि में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गई। जबकि डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के कारण 5.62 प्रतिशत मामलों में मिसमैच/विचलन हुआ 12.20 प्रतिशत मामलों में विभाग ने पहले ही अग्र सक्रिय कार्रवाई कर दी थी। 126 प्रकरणों में, जो 13.60 प्रतिशत (₹ 779.73 करोड़ के अंतर्निहित विचलन) थे, विभाग ने कहा कि इन प्रकरणों की या तो जाँच की जा रही है या ये अपील/एनसीएलटी/उच्च न्यायालय आदि के तहत लंबित हैं।

जीएसटी विवरणीयों की विस्तृत लेखापरीक्षा में भी महत्वपूर्ण गैर-अनुपालनओं का पता चला। इसके अलावा, 100 करदाताओं के नमूने में से 95 मामलों में वित्तीय विवरण, ट्रायल बैलेंस और जीएसटीआर 2ए आदि जैसे आवश्यक मूलभूत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र सीमित रहा। लेखापरीक्षा इन प्रकरणों में ₹ 476.15 करोड़ के आईटीसी लाभ और कर भुगतान में मिसमैच/विसंगतियों की जांच नहीं कर सकी।

विभाग के बैकएंड एप्लिकेशन तक एसएसओआईडी आधारित पहुँच के माध्यम से लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध विवरणी और वार्षिक वित्तीय विवरण जैसे सीमित अभिलेखों के साथ, लेखापरीक्षा ने ₹ 304.68 करोड़ के अनुपालन विचलन देखे। इसके मुख्य कारण आईटीसी का कम रिवर्सल किया जाना/नहीं किया जाना, आईटीसी प्राप्ति में मिसमैच, कर देयता में मिसमैच, आरसीएम के तहत जीएसटी का भुगतान न करना और ब्याज का भुगतान न करना आदि थे।

अनुपालन कमियों की महत्वपूर्णता को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा निम्नलिखित सिफारिशें करती है:

सिफारिश 1: स्व-मूल्यांकन कर व्यवस्था के युग में, बिजनेस लेखा परीक्षा, करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रमुख साधनों में से एक है। इसके अतिरिक्त, गैर-अनुपालन करने वाले करदाताओं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरजीएसटी अधिनियम की धारा 73

के अंतर्गत एक समयबद्ध गतिविधि है। इसे देखते हुए, लेखा परीक्षा सिफारिश करती है कि बिज़नेस लेखा परीक्षा के लिए करदाताओं के चयन को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए, जैसा कि लेखापरीक्षा नियमावली में निर्धारित है और यह सुनिश्चित करना कि चयनित मामलों की लेखा परीक्षा समय पर पूरी हो जाए।

सिफारिश 2: विभाग को शेष रही बिज़नेस लेखा परीक्षा करने के लिए, जैसा कि लेखा परीक्षा में बताया गया है, त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि चूककर्ताओं के विरुद्ध समय पर कार्रवाई शुरू की जा सके और वसूली, यदि कोई हो, तो उसे किया जा सके।

सिफारिशें 3: राज्य सरकार फर्जी इकाइयों/संस्थाओं के पंजीकरण और आईटीसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए पंजीकरण और निरस्तीकरण तंत्र को मजबूत कर सकती है।

सिफारिश 4: विभाग आईटीसी प्राप्ति के ऐसे मामलों की विस्तार से जाँच कर सकता है जहाँ कर योग्य और शून्य दर/छूट वाली आपूर्तियाँ दोनों हैं, और जहाँ लागू हो, आईटीसी को रिवर्सल करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।

2.4 'माल एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली' पर विषय-विशिष्ट अनुपालना लेखापरीक्षा

2.4.1 प्रस्तावना

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है, जो 'एक राष्ट्र, एक कर' के सिद्धांत पर आधारित कई अप्रत्यक्ष करों को समाहित करता है। यह व्यवस्था करदाताओं से संबंधित सेवाओं को पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक समाधान के रूप में प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। जीएसटी व्यवस्था का एक प्रमुख उद्देश्य प्रक्रिया-संबंधी विलम्ब को कम करके माल एवं सेवाओं के आवागमन में दक्षता को बढ़ाना था।

वे बिल एक ऐसी सुविधा थी जो जीएसटी से पहले की व्यवस्था में भी मौजूद थी, जिसमें माल की आवाजाही को मैनुअल रूप से संचालित (राजस्व) चेक पोस्ट के माध्यम से नियंत्रित किया जाता था। किसी विशेष राज्य में प्रवेश करने वाले माल पर 'प्रवेश कर' लगाया जाता था, जिसे अब जीएसटी के तहत समाहित कर लिया गया है। ई-वे बिल को सरकार द्वारा निगरानी आधारित कर प्रशासन मॉडल से करदाता द्वारा स्व-रिपोर्टिंग मॉडल में बदलाव के रूप में तैयार किया गया है।

ई-वे बिल को लागू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य राजस्व को सुरक्षित करना था। ई-वे बिल एक ऐसा दस्तावेज है जो माल की आवाजाही के लिए आवश्यक है और इसे माल के परिवहन से पहले उसका विवरण दर्ज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पूरी प्रक्रिया के स्वचालन और मानकीकरण का उद्देश्य कर चोरी को रोकना और जीएसटी संग्रह को बढ़ाना था। ई-वे बिल को गैर-व्यापारिक बाधाओं, जैसे चेक पोस्ट और प्रवेश कर, को समाप्त करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है ताकि मार्गस्थ समय कम हो और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार हो।

2.4.2 विभाग की संगठनात्मक संरचना

राज्य कर, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के समग्र नियंत्रण में मुख्य आयुक्त, द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर (आरजीएसटी) अधिनियम तथा नियमों को

प्रशासित किया जाता है। मुख्य आयुक्त को 26 अतिरिक्त आयुक्त, 57 उपायुक्त तथा एक वित्तीय सलाहकार कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। सरकार की नीतियों तथा कराधान गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग) को 16 संभागों में विभाजित किया गया है। इसके अलावा, मुख्यालय स्तर पर छह बिजनेस लेखा परीक्षा विंग, तीन केंद्रीय प्रवर्तन विंग, एक बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट, एक अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, केंद्रीय पंजीकरण इकाई, करदाता देखभाल इकाई तथा साइबर कक्ष कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, 10 प्रथम अपीलीय कार्यालय, दो जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल, 135 नियमित वृत्तों, नौ प्रवर्तन वृत्तों तथा 27 बिजनेस लेखा परीक्षा वृत्त स्थापित किए गए हैं। जोन स्तर पर निगरानी की जिम्मेदारी के लिए उपायुक्त (प्रशासन) वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी होते हैं।

कर का निर्धारण एवं वसूली क्रमशः वृत्तों एवं वार्डों में पदस्थापित संयुक्त/उप/सहायक आयुक्तों के स्तर पर की जाती है। अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिए 10 उपायुक्त (अपील) हैं, जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं।

2.4.3 ई-वे बिल के प्रशासन में प्रयुक्त सूचना प्रणाली

जीएसटी के तहत ई-वे बिल प्रणाली को पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के रूप में परिकल्पित किया गया है। जीएसटी परिषद ने निर्देश दिया है कि ई-वे बिल जारी करने के लिए कॉमन पोर्टल <https://ewaybillgst.gov.in/> होगा। यह जीएसटी कॉमन पोर्टल, (<https://gst.gov.in>) जो करदाताओं के लिए पंजीकरण, विवरणी दाखिल करने तथा कर भुगतान के लिए एक फ्रंट-एंड पोर्टल है, से अलग है। चूंकि ई-वे बिल कॉमन पोर्टल जीएसटीएन से जानकारी पर निर्भर करता है, इसलिए ई-वे बिल पोर्टल पर प्रेषक, प्राप्तकर्ता तथा परिवहनकर्ता को एक बार पंजीकरण कराना आवश्यक है। ई-वे बिल प्रणाली में तीन प्रकार के करदाता सम्बद्ध हैं: जीएसटी-पंजीकृत आपूर्तिकर्ता, जीएसटी-पंजीकृत/अपंजीकृत परिवहनकर्ता, तथा अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता।

ई-वे बिल कॉमन पोर्टल का प्रबंधन कर्नाटक स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा किया जाता है। फरवरी 2020 में, ई-वे बिल पोर्टल को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वाहन प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है ताकि ई-वे बिल जारी करते समय वाहन पंजीकरण संख्या का सत्यापन हो सके। ई-वे बिल में दर्ज वाहन संख्या (आरसी) को वाहन डेटाबेस में उसकी मौजूदगी/यथार्थता के लिए सत्यापित किया जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस (आरएफआईडी)/फास्टैग को 1 जनवरी 2021 से ई-वे बिल प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है तथा परिवहनकर्ता को वाहन में आरएफआईडी टैग रखना आवश्यक है, जिसमें ई-वे बिल विवरण अपलोड किए जाएंगे।


उचित अधिकारी (राज्य/केंद्रशासित प्रदेश) ई-वे बिल से संबंधित अपने कर्तव्यों का निर्वहन दो तरीकों से कर सकते हैं: 1) प्रदान किए गए लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके वेब ब्राउज़र के माध्यम से ई-वे बिल कॉमन पोर्टल में लॉगिन करना या 2) गूगल प्ले स्टोर/एप्पल स्टोर पर उपलब्ध जीएसटी ई-वे बिल सिस्टम मोबाइल ऐप में लॉगिन करना। ई-वे बिल सत्यापन के लिए किसी अन्य पृथक साधन की आवश्यकता नहीं है। उचित अधिकारी द्वारा ई-वे बिल कॉमन पोर्टल/मोबाइल ऐप के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों में ई-वे बिल का सत्यापन, ई-वे बिल को अनब्लॉक करना, एमआईएस रिपोर्ट देखना और उन तक पहुंचना आदि हैं।

2.4.4 ई-वे बिल प्रक्रिया

ई-वे बिल प्रणाली में विभिन्न प्रक्रियाएँ शामिल हैं, जैसे कि पोर्टल में आवश्यक व्यक्तियों का नामांकन, ई-वे बिल का जारी करना, जारी किए गए ई-वे बिल का विस्तार, निरस्तीकरण या अस्वीकरण। ई-वे बिल प्रणाली में शामिल प्रपत्रों की सूची **परिशिष्ट-2.3** में प्रदान की गई है।

जीएसटी के तहत ई-वे बिल प्रणाली की संपूर्ण प्रक्रिया का प्रवाह **आकृति 1** में दर्शाया गया है।

चित्र 1: ई-वे बिल तंत्र - प्रक्रिया प्रवाह चार्ट 



2.4.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, कार्यक्षेत्र और नमूना कार्य पद्धति

2.4.5.1 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

इस विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा को निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ शुरु किया गया था:

1. क्या ई-वे बिल तंत्र सरकार के राजस्व हितों के संरक्षण में प्रभावी था ।
2. क्या विभाग की निवारक/प्रवर्तन गतिविधियाँ ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने में दक्ष और प्रभावी थीं ।

2.4.5.2 लेखापरीक्षा मानदंड

“जीएसटी के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली” पर विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा का मूल्यांकन निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदंडों के आधार पर किया गया है:

- » केंद्रीय/राजस्थान माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम) तथा आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10, 17, 25, 29, 37, 39, 44, 68, 73, 74, 129, 130 इत्यादि ।
- » सीजीएसटी/आरजीएसटी नियम, 2017 तथा आईजीएसटी नियमों के नियम 46, 59, 60, 61, 62, 80, 138 इत्यादि ।
- » जीएसटी परिषद द्वारा अधिकृत एवं सीबीआईसी/राजस्थान के वाणिज्यिक कर विभाग (सीटीडी) द्वारा जारी अधिसूचनाएँ/परिपत्र/निर्देश ।
- » एनआईसी, सीबीआईसी, सीटीडी द्वारा जारी परामर्श/मानक संचालन प्रक्रियाएँ ।

2.4.5.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र तथा कार्यपद्धति

ई-वे बिल पोर्टल में पंजीकृत व्यक्तियों के ई-वे बिल लेनदेन, जो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 की अवधि से संबंधित हैं, को विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के संदर्भ में जीएसटी व्यवस्था में ई-वे बिल प्रणाली के समग्र निष्पादन की जांच की। लेखापरीक्षा अवधि के लिए ई-वे बिल का आंकड़ा (जारी ई-वे बिल) जीएसटीएन से निकाला गया तथा उसका विश्लेषण किया। इस लेखापरीक्षा के लिए केवल सड़क मार्ग से वाहनों की आवाजाही को शामिल किया गया है तथा रेलवे/वायु मार्ग/समुद्री मार्ग को ई-वे बिल की लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्र में विभाग के निवारक कार्यों का मूल्यांकन भी शामिल था, जो ई-वे बिल से संबंधित था जैसे कि वाहनों को रोकना, दस्तावेजों का सत्यापन, माल का निरीक्षण तथा इसके संबंध में की गई कार्रवाई।

परिचयात्मक बैठक 21 अप्रैल 2023 को सचिव, वित्त (राजस्व) एवं राजस्थान के मुख्य आयुक्त, राज्य कर के साथ आयोजित की गयी थी। लेखा परीक्षा कार्य मई 2023 से मार्च 2024 के मध्य किया गया। समापन बैठक 21 अप्रैल 2025 को सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार एवं विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ आयोजित की गयी, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। समापन बैठक के दौरान राज्य सरकार द्वारा व्यक्त किए गए विचारों एवं प्रारूप अनुच्छेदों पर प्राप्त लिखित उत्तरों को संबंधित अनुच्छेदों में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है।

2.4.5.4 लेखापरीक्षा नमूनाकरण कार्य पद्धति

इस विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए एक समस्या-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित सीमा के अधीन ई-वे बिल जारी करना माल की किसी भी आवाजाही से पहले एक आवश्यक शर्त है। लेखापरीक्षा उद्देश्य-1 के लिए नमूने, 22 प्रमुख समस्या क्षेत्रों/जोखिम आयामों के आधार पर विकसित किए गए हैं जिनके बारे में **परिशिष्ट-2.4** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य-1:

लेखापरीक्षा उद्देश्य-1 के लिए नमूना इकाई, लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र की अवधि में परिव्याप्त ई-वे बिल थे। जोखिम विश्लेषण के आधार पर कुल 160 ई-वे बिल²², जो 65 करदाताओं से संबंधित थे, को मूलभूत लेखा परीक्षा के लिए चुना गया। इसके अतिरिक्त, 32 अपंजीकृत व्यक्तियों के मामले एवं 12 ऐसे मामले जहां प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता का एक ही पैन दर्शाया गया था, भी चुने गए हैं।

इसके अतिरिक्त, छह जोखिम आयामों²³ के आधार पर संपूर्ण ई-वे बिल डेटा सेट का डेटा विश्लेषण किया गया तथा पाये गये विचलनों को सीधे विभाग को सत्यापन करने तथा उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए आक्षेप के रूप में जारी किया गया।

लेखापरीक्षा उद्देश्य-2:

लेखापरीक्षा उद्देश्य-2 के लिए, नमूना इकाई विभागीय संरचना थी जो निवारक/प्रवर्तन गतिविधियों से संबंधित थी। नौ प्रवर्तन वृत्तों में से, पांच प्रवर्तन वृत्तों²⁴ से 209 दर्ज किए गए मामलों का चयन किया गया। इसके अतिरिक्त, तीन नियमित वृत्तों²⁵, जिनमें सबसे अधिक दर्ज किए गए मामले थे, से 80 दर्ज मामलों का भी चयन किया गया।

2.4.6 ई-वे बिल आंकड़ों की प्रवृत्ति तथा अंतर्दृष्टि

राजस्थान में, दिसंबर 2023 तक 8,72,352 करदाता²⁶ सक्रिय रूप से पंजीकृत थे। विभाग द्वारा ई-वे बिल के सत्यापन की प्रवृत्ति तथा लेखा परीक्षा में शामिल अवधि के लिए सम्मिलित

22 जोखिम विश्लेषण के आधार पर 160 मामलों का चयन किया गया।


23 ई-वे बिलों का जारी किया जाना (क) रद्द करदाताओं द्वारा (ख) जीएसटी विवरणी दाखिल न करने वालों द्वारा (ग) शून्य विवरण दाखिल करने वाले करदाताओं द्वारा (घ) निर्धारित सीमा पार कर चुके कंपोजिशन करदाताओं द्वारा (ङ) कंपोजिशन योजना में जारी अपात्र करदाताओं द्वारा तथा (च) एक ही चालान का उपयोग करके कई ई-वे बिलों को जारी किया जाना।

24 ए-प्रवर्तन विंग-I, जयपुर, बी-प्रवर्तन विंग-II, जयपुर, सी-प्रवर्तन विंग-I, जयपुर, सी-प्रवर्तन विंग-II, जयपुर तथा ए-प्रवर्तन विंग-III, जयपुर।

25 तीन नियमित वृत्त: ए-हनुमानगढ़, झुंझुनू तथा बी-उदयपुर।

26 डेटा स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन-2023-24।

राशि, जैसा कि राजस्थान के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई है, जिसे निम्नलिखित ग्राफ में दर्शायी गई है।



स्रोत: (वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)।

यह ग्राफ दर्शाता है कि सत्यापित ई-वे बिलों की कुल संख्या में 2018-19 से 2021-22 तक की अवधि के दौरान 2.62 लाख से घटकर 0.29 लाख की उल्लेखनीय कमी हुई। इसके अतिरिक्त, दर्ज किए गए मामलों के संबंध में, मामलों की संख्या तथा इसमें शामिल राशि 2018-19 में 3,048 मामलों में ₹ 43.94 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में 3,760 मामलों में राशि ₹ 79.06 करोड़ हो गयी थी। तथापि, 2019-20 से 2021-22 तक दर्ज किए गए मामलों की संख्या में 65.66 प्रतिशत की कमी आई, जो 2019-20 में 3,760 मामलों में राशि ₹ 79.06 करोड़ से घटकर 2021-22 में 1,291 मामलों में राशि ₹ 38.12 करोड़ रह गई।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

2.4.7 ई-वे बिलों के डेटा के विश्लेषण में पाये गये आक्षेप

अप्रैल 2018 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान जारी किए गए ई-वे बिल डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 30,753 करदाताओं से सम्बंधित 2,00,440 ई-वे बिलों में विसंगतियाँ थीं जिनका सारांश नीचे दी गई तालिका 2.6 में प्रस्तुत किया गया है, ये विसंगतियाँ विभाग को सत्यापन तथा कर अनुपालन में विचलन निर्धारित करने के लिए लेखापरीक्षा आक्षेपों के रूप में जारी की गई थी।

तालिका 2.6: डेटा विश्लेषण में पाये गये आक्षेपों का विवरण

क्र. सं.	आक्षेप की प्रकृति	करदाताओं की संख्या	ई-वे बिलों की संख्या	सम्मिलित मूल्यांकन योग्य मूल्य	वृत्त ²⁷
1	कम्पोजीशन योजना के करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय ई-वे बिल जारी करना	323	865	12.25	110
2	कम्पोजीशन योजना के तहत पंजीकृत करदाता जिन्होंने निर्धारित टर्नओवर सीमा (₹ 1 करोड़ रुपये तक) को पार कर लिया है, के द्वारा ई-वे बिल जारी करना।	7	1799	70.57	7
	कम्पोजीशन योजना के तहत पंजीकृत करदाता जिन्होंने निर्धारित टर्नओवर सीमा (₹ 1.5 करोड़ रुपये तक) को पार कर लिया है, के द्वारा ई-वे बिल जारी करना।	1	45	5.93	1
3	जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों के द्वारा ई-वे बिल जारी करना	3507	31024	852.32	135
4	निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा ई-वे बिल जारी करना	528	16752	1271.62	122
5	एक ही चालान का उपयोग करके कई ई-वे बिल जारी करना	8,009	29879	8.05	135
6	शून्य जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों के द्वारा ई-वे बिल जारी करना	18,378	1,20,076	4,443.64	135
	योग	30,753	2,00,440	6,664.38	645

इन लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विभाग तथा राज्य सरकार को जारी किया गया (दिसंबर 2024), जिसके उत्तर में राज्य सरकार ने बताया (अप्रैल 2025) कि 5,205 करदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं तथा 19,537 करदाताओं से अभी तक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है जबकि 6,011 करदाताओं के संबंध में आक्षेप को स्वीकार नहीं किया गया।

2.4.8 सरकार के राजस्व के संरक्षण में ई-वे बिल तंत्र की प्रभावशीलता

2.4.8.1 ई-वे बिल पोर्टल की लॉगिन आईडी उपलब्ध न कराने के कारण कार्यक्षेत्र सीमित होना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16, प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा अधिदेश प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 18(2) कार्यालयों/विभागों पर सूचनाओं के अनुरोधों का यथासंभव पूर्ण रूप से एवं पूरी तत्परता से पालन करने का वैधानिक दायित्व डालती है।

27 राजस्थान में कुल वृत्तों की संख्या: 135

ई-वे बिल जारी करते समय प्रदान की गई जानकारी जैसे प्राप्तकर्ता का जीएसटीआईएन, डिलीवरी का स्थान, चालान संख्या, चालान तिथि, माल का मूल्य, एचएसएन कोड, आदि कॉमन पोर्टल पर पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जो इसका उपयोग प्रपत्र जीएसटीआर-1 में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कर सकता है। ई-वे बिल की सत्यता तथा बोवेव पोर्टल²⁸ पर इसके विश्लेषण करने के लिए विभाग से ई-वे बिल ऑफिसर मॉड्यूल के उपयोगकर्ता-आधारित आईडी तथा पासवर्ड का अनुरोध किया गया था। जवाब में, यह कहा गया कि इस मॉड्यूल तक पहुंच केवल विभाग के कर अधिकारियों को ही दी गई है।

ई-वे बिल ऑफिसर मॉड्यूल तक पहुंच के लिए लॉगिन आईडी प्रदान न करने के कारण, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि इन मामलों में करदाताओं ने जीएसटी रिटर्न में ई-वे बिल आपूर्ति के विवरण को सही ढंग से दर्ज किया है या नहीं। इसलिए, लेखापरीक्षा निष्कर्ष बोवेव पोर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड तथा विभाग द्वारा लेखापरीक्षा प्रश्नों के जवाब में प्रदान की गई प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं।

सिफारिश 1: राज्य सरकार लेखापरीक्षा के लिए ई-वे बिल पोर्टल पर केवल-पठन योग्य पहुंच प्रदान करने को सुनिश्चित कर सकती है।

2.4.8.2 निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा ई-वे बिल जनरेट करना

आरजीएसटी नियम 2017 के नियम 138(1) में निर्धारित है कि पंजीकृत करदाताओं को ई-वे बिल जनरेट करने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त, आरजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार, यदि किसी कर योग्य व्यक्ति का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है, लेकिन वह कर भुगतान के लिए उत्तरदायी था, तो उचित अधिकारी उस कर योग्य व्यक्ति की देनदारी का आंकलन अपने सर्वोत्तम विवेक के आधार पर कर सकता है। निरस्त किया गया करदाता ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि वह रिटर्न दाखिल किए बिना आईटीसी को आगे हस्तांतरित कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कर का भुगतान नहीं हो पाता।

लेखापरीक्षा ने 24 करदाताओं²⁹ से संबंधित 62 ई-वे बिलों की पहचान उच्च जोखिम वाले करदाताओं के रूप की, जिनका निर्धारण योग्य मूल्य ₹ 3.10 करोड़ था, जिनका पंजीकरण विभाग द्वारा पहले ही निरस्त कर दिया गया था या बाद में निरस्त किया गया था। इनमें छह करदाताओं के नौ ई-वे बिल शामिल हैं, जिनका निर्धारण योग्य मूल्य ₹ 0.74 करोड़ था, ने या तो शून्य रिटर्न दाखिल की थी या अपने रिटर्न दाखिल नहीं किए थे। तथापि, लेखापरीक्षा सभी 22 प्रमुख समस्या क्षेत्रों के लिए इन करदाताओं द्वारा जनरेट किए गए सभी ई-वे बिलों की जांच नहीं कर सकी, क्योंकि ई-वे बिलों तक पहुंच के लिए लेखापरीक्षा को लॉगिन-आईडी प्रदान नहीं की गई थी।

इन सभी करदाताओं के पंजीकरण निरस्त करने का विवरण इस प्रकार है।

28 विभाग का बैकएंड एप्लीकेशन।

29 एक करदाता ने पंजीकरण निरस्त होने की तिथि के बाद एक ई-वे बिल तथा पंजीकरण निरस्त होने से पहले पांच ई-वे बिलों को जनरेट किया।

(i) विभाग द्वारा चार करदाताओं का पंजीकरण पूर्वव्यापी प्रभाव से निरस्त किया गया था। निरस्त करने के कारणों में इकाई का अस्तित्व में न होना, व्यवसाय का बंद होना या नोटिस का जवाब न देना आदि शामिल थे। लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध डेटा के अनुसार, इन मामलों में, करदाताओं ने ₹ 1.48 करोड़ निर्धारण योग्य मूल्य के 15 ई-वे बिल जनरेट किये।

(ii) दो करदाताओं के संबंध में, पंजीकरण निरस्त करने की प्रभावी तिथि वह तिथि थी जब विभाग द्वारा करदाताओं की नोटिस के प्रति गैर-प्रतिक्रिया के कारण पंजीकरण निरस्त किया गया था। लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध डेटा के अनुसार, इन करदाताओं ने पंजीकरण निरस्त करने की तिथि के बाद ₹ 0.03 करोड़ निर्धारण योग्य मूल्य के तीन ई-वे बिल जनरेट किये।

(iii) 19 करदाताओं के संबंध में, जिनका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया था (7 करदाताओं का पंजीकरण पूर्वव्यापी रूप से निरस्त किया गया था और 12 करदाताओं का पंजीकरण निरस्तीकरण आदेश की तिथि से निरस्त किया गया था), निरस्तीकरण करने की प्रभावी तिथि से पहले ₹ 1.59 करोड़ निर्धारण योग्य मूल्य के 44 ई-वे बिल जनरेट थे।

तथापि, निरस्त किए गए इन मामलों की जांच से पता चला कि विभाग ने निरस्तीकरण के समय किसी भी कर दायित्व का निर्धारण नहीं किया था तथा बिना किसी मांग के निरस्तीकरण आदेश जारी कर दिए थे। इस प्रकार, ₹ 3.10 करोड़ निर्धारण योग्य मूल्य पर, लागू दरों से जीएसटी का सरकार को भुगतान नहीं किया गया था।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि 21 करदाताओं (56 ई-वे बिलों में) को डीआरसी-01³⁰/डीआरसी-07³¹/नोटिस जारी किए गए हैं एवं एक करदाता (चार ई-वे बिलों में) से ₹ 2.66 लाख की वसूली की गई है। इसके अतिरिक्त दो करदाताओं (दो ई-वे बिलों में) के मामले में, वृत्त अधिकारी को अनुपालना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

उदाहरणस्वरूप प्रकरण नीचे दिए गए हैं:

(i) वृत्त-के जयपुर-III के एक 'करदाता' ने माह अगस्त 2020 में ₹ 1.14 करोड़ कर योग्य मूल्य वाले पाँच ई-वे बिल जनरेट किये। तथापि, इस करदाता ने अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक जीएसटीआर-3बी में शून्य रिटर्न भरी थी तथा उसके बाद कोई रिटर्न दाखिल नहीं की थी।

अभिलेखों की अग्रेतर जांच से पता चला कि विभाग ने सितंबर 2020 में यूनिट के अस्तित्व में न होने के कारण करदाता का पंजीकरण 1 जुलाई 2017 से पूर्वव्यापी रूप से निरस्त कर दिया था। तथापि, विभाग ने निरस्तीकरण आदेश में किसी भी कर देयता का निर्धारण नहीं किया था।

30 एससीएन का सारांश।

31 आदेश का सारांश (कर, ब्याज तथा शास्ति)।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि करदाता फर्जी पाया गया था, इसलिए पंजीकरण प्रारम्भ की तिथि से ही अर्थात् 1 जुलाई 2017 से निरस्त कर दिया गया था तथा केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा ₹ 3462 की मांग कायम की गयी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन पाँच ई-वे बिलों का ही कर योग्य मूल्य ₹ 1.14 करोड़ था तथा ऐसे और भी ई-वे बिलों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(ii) दो वृत्तों³² से संबंधित दो करदाताओं ने ₹ 2.75 लाख कर योग्य मूल्य के तीन ई-वे बिल जनरेट किये।

एक करदाता के मामले में, पंजीकरण निरस्त होने की तिथि के पश्चात् 18 जनवरी 2020 को ₹ 0.70 लाख निर्धारण योग्य मूल्य का ई-वे बिल जनरेट किया गया था एवं उस करदाता ने अक्टूबर 2019 के लिए केवल जीएसटीआर-3बी शून्य रिटर्न दाखिल की थी तथा उसके बाद वर्ष 2019-20 के दौरान कोई रिटर्न दाखिल नहीं की थी। अभिलेखों की अग्रेतर जांच से पता चला कि विभाग ने 17 जनवरी 2020 (निरस्तीकरण आदेश की तिथि) से करदाता का पंजीकरण निरस्त कर दिया था, लेकिन विभाग ने किसी भी कर देयता का निर्धारण नहीं किया था।

इसी तरह, दूसरे करदाता के मामले में, जून एवं अगस्त 2019 के दौरान ₹ 2.05 लाख निर्धारण योग्य मूल्य के दो ई-वे बिल जनरेट किये गये थे तथा उस करदाता ने वर्ष 2019-20 के दौरान केवल अप्रैल 2019 के लिए जीएसटीआर-3बी शून्य रिटर्न अक्टूबर 2020 में दाखिल की थी तथा उसके बाद कोई रिटर्न दाखिल नहीं की गयी थी। विभाग ने 21 नवम्बर 2019 (निरस्तीकरण आदेश की तिथि) से करदाता का पंजीकरण निरस्त करते समय किसी भी कर देयता का निर्धारण नहीं किया था। यह भी देखा गया कि करदाता ने अप्रैल 2019 का जीएसटीआर-3बी शून्य रिटर्न अक्टूबर 2020 में अर्थात् पंजीकरण निरस्त होने के बाद दाखिल किया था।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि एक प्रकरण में क्षेत्राधिकारी को निर्देश जारी किया गया है तथा दूसरे प्रकरण में मांग कायम की गई है। उत्तर में पंजीकरण निरस्त होने के बाद ई-वे बिल जनरेट करने के मामले पर ध्यान नहीं दिया गया।

सिफारिश 2: सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित कर सकती है कि पूर्वव्यापी रूप से पंजीकरण निरस्त करने वाले उचित अधिकारी, कर देयता का निर्धारण करें या जनरेट किये गये ई-वे बिलों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम निर्णय लें।

सिफारिश 3: राज्य सरकार एनआईसी के साथ यह सुनिश्चित कर सकती है कि निरस्तीकरण की प्रभावी तिथि के बाद ई-वे बिलों के जनरेशन को रोकने के लिए ई-वे बिल प्रणाली में उपयुक्त सत्यापन बनाए गए हैं।

32 वृत्त किशनगढ़, अजमेर और वृत्त-बी, राजसमंद।

2.4.8.3 कंपोजिशन योजना के तहत अपात्र करदाताओं का जारी रहना

आरजीएसटी अधिनियम, 2017 (अधिनियम) की धारा 10 (1) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर निर्धारित सीमा³³ से अधिक नहीं था, वह कंपोजिशन योजना के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है। अधिनियम की धारा 10(2)(सी) यह प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति माल की कोई अंतर-राज्यीय जावक आपूर्ति में लगा हुआ है, तो वह कंपोजिशन योजना का विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं होगा। आरजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अनुसार, उचित अधिकारी द्वारा करदाताओं द्वारा दाखिल की गयी विभिन्न विवरणियों की सत्यता को सत्यापित करने के लिए उनकी जांच की जानी चाहिए, और विवरणियों में परिलक्षित किसी भी विसंगति या अनियमितता पर उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

डेटा विश्लेषण के दौरान, यह पाया गया कि उक्त अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत कंपोजिशन लेवी योजना में पंजीकृत दो करदाताओं ने अप्रैल 2019 से जनवरी 2021 की अवधि के दौरान ₹ 3.29 करोड़ निर्धारण योग्य मूल्य की जावक आपूर्ति के लिए 31 ई-वे बिल जनरेट किए थे। इसके अलावा, करदाताओं का कुल टर्नओवर कंपोजिशन योजना के लिए निर्धारित सीमा से अधिक हो गया था और इसलिए, करदाताओं को टर्नओवर की सीमा पार करने की तिथि से अपना पंजीकरण 'सामान्य श्रेणी' में बदलवाना आवश्यक था तथा वे सामान्य दरों पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने एक करदाता से संबंधित 29 ई-वे बिलों के प्रकरण में बताया (अप्रैल 2025) कि करदाता द्वारा आपूर्ति किया गया माल बिक्री के लिए नहीं बल्कि भंडारण के लिए था तथा जीएसटी का कोई अपवचन नहीं हुआ है। इसके अलावा, दो ई-वे बिलों के संबंध में यह बताया गया कि डीआरसी-07 जारी कर दिया गया है।

2.4.8.4 संदिग्ध वाहनों द्वारा किए गए लेन-देनों के लिए ई-वे बिल जारी करना

आरजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 138(2) के अनुसार, जहाँ माल का परिवहन पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रेषक के रूप में, चाहे अपने वाहन में हो या किराए के वाहन में या सार्वजनिक वाहन में, सड़क मार्ग से किया जाता है, तो उक्त व्यक्ति प्रपत्र जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01³⁴ के भाग बी में जानकारी प्रस्तुत करने के बाद कॉमन पोर्टल पर प्रपत्र जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-वे बिल जारी करेगा। जहाँ माल को सड़क मार्ग से परिवहन के लिए एक ट्रांसपोर्टर को सौंपा जाता है, वहाँ पंजीकृत व्यक्ति कॉमन पोर्टल पर ट्रांसपोर्टर से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करेगा तथा ई-वे बिल पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रपत्र जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ए में प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर ट्रांसपोर्टर द्वारा उक्त पोर्टल पर जारी किया जाएगा। वाहन संख्या प्रपत्र ईडब्ल्यूबी-01 के भाग-बी में प्रदान करना आवश्यक है।

33 कंपोजिशन योजना के लिए पात्र होने की प्रति वर्ष सीमा 01.04.2018 से 31.01.2019 तक ₹ 1 करोड़ थी तथा उसके बाद ₹ 1.5 करोड़। विशेष श्रेणी के राज्यों के संबंध में यह ₹ 75 लाख है।

34 माल की आवाजाही के लिए बिला इसे शिपमेंट शुरू होने से पहले ई-वे बिल पोर्टल पर जनरेट किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान, 10 करदाताओं द्वारा जनरेट किए गए 12 ई-वे बिल लेनदेनों को जोखिमपूर्ण के रूप में पहचाना गया, क्योंकि इन लेनदेनों को चोरी/स्क्रेप किए गए/सरेंडर किए गए वाहनों आदि का उपयोग करके किया गया था, जैसा कि नीचे दी गई तालिका 2.7 में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 2.7 - संदिग्ध वाहनों द्वारा जनरेट किए गए ई-वे बिल

क्र. सं.	वृत्त	जनरेट किये गये ई-वे बिलों में उपयोग किये गये वाहनों की प्रकृति	ई-वे बिलों की संख्या	करदाताओं की संख्या	उत्तर/खण्डन
1	डी तथा जी, जयपुर-III	दोपहिया	02	02	एक प्रकरण में, करदाता द्वारा घोषित स्थान पर कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं पायी गयी, इसलिए करदाता का पंजीकरण ही निरस्त कर दिया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जनरेट किए गए ई-वे बिल यह दर्शाते हैं कि व्यावसायिक गतिविधि की गई थी। दूसरे प्रकरण में, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
2	डी, जयपुर-III	चोरी के वाहन	02	01	डीआरसी-07 जारी कर दिया गया है।
3	ए, बीकानेर	निलंबित वाहन	01	01	डीआरसी-07 जारी कर दिया गया है।
4	जे जयपुर-II तथा एल जयपुर-III	सरेंडर किए गए वाहन	02	02	एक प्रकरण में, पंजीकरण पहले ही निरस्त कर दिया गया था तथा प्राप्तकर्ता की आईटीसी की जाँच की जा रही है। दूसरे प्रकरण में, सीजीएसटी प्राधिकरण द्वारा सर्वे तथा तलाशी की कार्रवाई पूरी कर ली गई है।
5	जी, जयपुर-II तथा एन, जयपुर-III	स्क्रेप किये गये वाहन	02	02	डीआरसी-01/नोटिस जारी कर दिया गया है।
6	एच जयपुर-II	जिन वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है	03	02	दो प्रकरणों में, यह बताया गया है कि करदाता सरकारी अस्पतालों को दवाओं की आपूर्ति में लगा हुआ था जो कर-मुक्त/छूट प्राप्त हैं तथा करदाता ने अपने रिटर्न में किसी भी कर देयता की घोषणा नहीं की थी। उत्तर में संदिग्ध वाहनों का उपयोग करके ई-वे बिल जनरेट करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

तथापि, विभाग विवरणियों की जांच करके इन चूकों की पहचान नहीं कर सका और सुधारात्मक कार्रवाई नहीं कर सका।

सिफारिश 4: राज्य सरकार एनआईसी के साथ मिलकर ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण लागू करने का प्रकरण उठा सकती है जिससे संदिग्ध वाहनों का उपयोग कर ई-वे बिल जारी होने से रोका जा सके।

2.4.9 क्रॉस-पैन विश्लेषण के संबंध में ना चुकाई गई कर देयता

आरजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियम की धारा 23 और धारा 24 के अनुसार, एक व्यक्ति जो कई राज्यों में जीएसटी पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है, वह एक ही स्थायी स्थाता संस्था (पैन) के साथ किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक से अधिक जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर सकता है। अधिनियम की अनुसूची I (2) और धारा 25 के अनुसार, एक ही पैन के तहत विभिन्न

जीएसटी पंजीकरणों के बीच कोई भी आपूर्ति, भले ही वह बिना किसी प्रतिफल के की गई हो, आपूर्ति के रूप में मानी जाएगी।

डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह पाया गया कि एक ही पैन के तहत कई राज्यों में पंजीकृत एक करदाता ने जुलाई 2018 में एक ई-वे बिल जनरेट किया तथा राजस्थान इकाई से अपनी महाराष्ट्र इकाई को निर्धारण योग्य राशि ₹ 7.99 करोड़ के सामान की आपूर्ति की थी। तथापि, करदाता ने जुलाई 2018 के लिए जीएसटीआर-1 में ₹ 4.45 करोड़ की कर योग्य जावक आपूर्ति घोषित की थी जिसमें से उसकी महाराष्ट्र इकाई को आपूर्ति शून्य थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.99 करोड़ का टर्नओवर छुपाया गया।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि करदाता द्वारा जुलाई 2019 के जीएसटीआर-3बी में कर देयता का निर्वहन किया गया था तथा जीएसटीआर-1 में भी इसे घोषित किया गया था लेकिन इस लेनदेन को जुलाई 2019 के जीएसटीआर-1 में 'बिजनेस टू कंज्यूमर' (बीटूसी) के रूप में दिखाया गया था। यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि करदाता ने जुलाई 2019 के जीएसटीआर-1 में बीटूसी आपूर्तियों के समक्ष केवल ₹ 1.29 करोड़ घोषित किए थे, जबकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित ई-वे बिल की आपूर्ति का मूल्य ₹ 7.99 करोड़ था। इसके अलावा, जीएसटीआर-1 की तालिका 4 में घोषित 'बिजनेस टू बिजनेस (बीटूबी)' आपूर्तियों में सहयोगी इकाइयों को कोई आपूर्ति नहीं दिखाई गई थी। इसलिए, ₹ 6.70 करोड़ के शेष आपूर्ति मूल्य (बीटूसी आपूर्तियों के रूप में इंगित ₹ 1.29 करोड़ के मूल्य को घटाने के बाद) पर कर देयता का निर्वहन नहीं हुआ।

2.4.10 अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा जनरेट किए गए ई-वे बिल, जिनका कर योग्य माल का मूल्य निर्धारित पंजीकरण सीमा से अधिक है

सीजीएसटी/आरजीएसटी नियमों के नियम 138(1) के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, जो निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य के सामान की आवाजाही करता है, उसे ऐसी आवाजाही शुरू करने से पहले, कॉमन पोर्टल पर प्रपत्र जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ए में निर्दिष्ट सामान से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी और ई-वे बिल जनरेट करना होगा। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, प्रत्येक आपूर्तिकर्ता, जिसका एक वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर 20 लाख रुपये से अधिक है (01.01.2020 से केवल माल के आपूर्तिकर्ता के लिए 40 लाख रुपये), इस अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होगा।

यह पाया गया कि अवधि 2018-19 से 2021-22 के दौरान, अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा या उनकी ओर से ₹ 590.20 करोड़ मूल्य के माल की जावक आपूर्ति के लिए 29 ई-वे बिल जनरेट किए गए थे जिनका मूल्य ₹ 0.62 करोड़ से ₹ 500 करोड़ के मध्य था। लेखापरीक्षा ने केवल उन ई-वे बिलों का चयन किया था जो अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा राजस्थान से माल की जावक आपूर्ति करने के लिए जनरेट किए गए थे और जिनका कर योग्य मूल्य ₹ 40 लाख से अधिक था।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि सभी प्रकरणों में संबंधित वृत्ताधिकारियों को अनुपालना प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। चूंकि इन अपंजीकृत व्यक्तियों ने निर्धारित सीमा से अधिक के ई-वे बिल जनरेट किए थे, इसलिए ये व्यक्ति जीएसटी के तहत पंजीकरण लेने तथा कर देयता का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी थे। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

2.4.11 अमान्य पिन कोड का उपयोग करके ई-वे बिल जनरेट करना

लेखापरीक्षा ने दो वृत्तों³⁵ के अन्तर्गत आने वाले दो करदाताओं से संबंधित दो ई-वे बिल, जिनका निर्धारण योग्य मूल्य ₹ 0.23 करोड़ था, में यह पाया कि ई-वे बिल जारी करते समय अमान्य पिन कोड दर्ज किए गए थे, जो भारतीय डाक विभाग के पिन कोड डेटाबेस में उपलब्ध नहीं थे।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि यह विसंगति टंकण त्रुटि के कारण हुई थी।

सिफारिश 5: राज्य सरकार एनआईसी के साथ इस प्रकरण को उठा सकती है ताकि ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण शामिल किए जा सकें, जिससे अमान्य पिन कोड के साथ ई-वे बिल जारी करने को रोका जा सके।

2.4.12 विभाग के निवारक/प्रवर्तन कार्य

- **ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने में निवारक/प्रवर्तन गतिविधियों की दक्षता और प्रभावशीलता**

इस विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के दूसरे उद्देश्य के संबंध में, लेखापरीक्षा ने प्रवर्तन इकाइयों के ई-वे बिलों से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया, जिसमें विशेष रूप से (i) परिचालन तैयारियों, (ii) कर वंचन-रोधी उपायों की प्रभावशीलता तथा (iii) ई-वे बिल से संबंधित लेनदेन की निगरानी में अंतर-विभागीय समन्वय पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस उद्देश्य के लिए, लेखापरीक्षा ने राज्य वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत आने वाले पांच प्रवर्तन वृत्तों तथा तीन नियमित वृत्तों को नमूने के रूप में चयनित किया।

2.4.12.1 विभाग की परिचालन तैयारियाँ

- **लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ:**

लेखापरीक्षा ने आयुक्तालय/संभागों/वृत्तों द्वारा वाहन अवरोधन के माध्यम से ई-वे बिलों के सत्यापन के लिए निर्धारित लक्ष्यों तथा उनके सापेक्ष उपलब्धियों का विवरण मांगा। निवारक इकाइयों ने कहा कि प्रवर्तन शाखाओं के पास ई-वे बिलों के सत्यापन के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं थे। सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने प्रवर्तन शाखाओं द्वारा की गई गतिविधियों में कई कमियों तथा स्वामियों को देखा, जिनका विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है:

35 वृत्त बी, जयपुर-III और वृत्त ए, बीकानेर।

2.4.12.2 प्रस्तुत नहीं किए गए दस्तावेजों के कारण कार्य क्षेत्र सीमित होना

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16, प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा अधिदेश प्रदान करती है।

लेखापरीक्षा के दौरान, दर्ज किए गए मामलों से संबंधित जानकारी तथा अभिलेख जैसे दर्ज किए गए प्रकरणों की पत्रावलियाँ, एमओवी -01³⁶ से एमओवी -11³⁷, तथा प्रवर्तन विंग मॉड्यूल पर उपलब्ध विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट आदि की मांग की गई।

दर्ज किए गए 289 ई-वे बिल प्रकरणों के नमूने में से, पांच प्रवर्तन वृत्तों में से चार ने 46 प्रकरणों के अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाये। इस प्रकार, चयनित नमूने के 15.92 प्रतिशत की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। तथापि, इन प्रकरणों को विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गई अतिरिक्त प्रकरण पत्रावलियों से बदल दिया गया। प्रस्तुत नहीं किये गये का विवरण नीचे तालिका 2.8 में दिया गया है:

तालिका-2.8: प्रस्तुत नहीं किये गये का विवरण

क्षेत्राधिकार वृत्त/संभाग	चयनित दर्ज किए गए प्रकरणों की संख्या	दर्ज प्रकरणों के अभिलेख प्रस्तुत न करना
ए, प्रवर्तन विंग-I, जयपुर	50	5
सी, प्रवर्तन विंग-I, जयपुर	50	2
बी, प्रवर्तन विंग-II, जयपुर	50	23
सी, प्रवर्तन विंग-II, जयपुर	50	16
कुल		46

इसकेअलावा, चार विश्लेषणात्मक रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई, जिनका विवरण नीचे दिया गया है

- (क) नागरिकों द्वारा जनरेट किये गये ई-वे बिल (श्रृंखला एच5)
- (ख) बिना वाहन गतिविधि वाले ई-वे बिल (श्रृंखला बी1)
- (ग) एक ही वाहन का उपयोग करके ई-वे बिल का पुनर्चक्रण (श्रृंखला बी4)
- (घ) अलग-अलग वाहनों का उपयोग करके ई-वे बिल का पुनर्चक्रण (श्रृंखला बी5)

समापन परिचर्चा के दौरान, अतिरिक्त आयुक्त, बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट (बीआईयू) ने कहा कि वृत्तों के पुनर्गठन के कारण, ये पत्रावलियाँ अन्य वृत्तों में स्थानांतरित कर दी गई थीं तथा

36 माल की जब्ती के समय चालक का कथन।

37 माल तथा वाहन की जब्ती का आदेश - कर, जुर्माना तथा शास्ति की मांग।

इनका पता नहीं लगाया जा सका। तथापि, विश्लेषणात्मक रिपोर्टों के प्रस्तुत नहीं किये जाने के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

सिफारिश 6: राज्य सरकार को अभिलेखों के प्रस्तुत नहीं किये जाने के मामले की जांच करनी चाहिए तथा भविष्य में बेहतर अभिलेख रखरखाव एवं लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुति सुनिश्चित करनी चाहिए।

2.4.12.3 शास्ति का अनुचित आरोपण

आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 20 के साथ पठित आरजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129 (1) यह निर्धारित करती है कि इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए किसी माल का परिवहन करता है या किसी माल का भंडारण करता है, वहाँ उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधन के रूप में प्रयुक्त सभी माल और वाहन तथा ऐसे माल और वाहन से संबंधित दस्तावेज हिरासत या जब्ती के अधीन होंगे और हिरासत या जब्ती के पश्चात् जुर्माने के भुगतान के बाद निर्मुक्त हो सकेंगे।

(क) ऐसे माल पर देय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर जुर्माना के भुगतान पर और छूट प्राप्त माल के मामले में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि या पच्चीस हजार रुपये, जो भी कम हो, के भुगतान पर, जहाँ माल का मालिक ऐसे दंड के भुगतान के लिए आगे आता है, (ख) माल के मूल्य के पचास प्रतिशत या ऐसे माल पर देय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर जुर्माना, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने पर, और छूट प्राप्त माल के मामले में, माल के मूल्य के पाँच प्रतिशत के बराबर राशि या पच्चीस हजार रुपये, जो भी कम हो, के भुगतान पर, जहाँ माल का मालिक, ऐसे जुर्माने का भुगतान करने के लिए आगे नहीं आता है।

(i) शास्ति ₹ 70.87 लाख का कम आरोपण

लेखा परीक्षा के दौरान, चार वृत्तों से संबंधित छह वाहनों में यह देखा गया कि माल के भौतिक सत्यापन के बाद, विभाग ने लागू कर तथा शास्ति के भुगतान के लिए वाहन अथवा माल के मालिकों/प्रभारी व्यक्तियों को एमओवी-07³⁸ जारी किया। इसके बाद, अधिनियम की धारा 129(1)(क) के अंतर्गत कर तथा शास्ति की मांग के आदेश वाहन अथवा माल के मालिकों/प्रभारी व्यक्तियों को जारी किए गए। जांच में पता चला कि इन प्रकरणों में रोके गये माल के मालिक न तो स्वयं आगे आये तथा न ही किसी व्यक्ति को लागू कर तथा शास्ति के भुगतान के लिए अधिकृत किया गया। वाहन के प्रभारी व्यक्ति ने प्रावधानों के तहत लगाए गए कर तथा शास्ति का भुगतान किया। विभाग अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को लागू नहीं कर सका तथा अधिनियम की धारा 129(1)(ख) के बजाय धारा 129(1)(क) के तहत कम शास्ति लगायी। इससे शास्ति की राशि ₹ 70.87 लाख का कम आरोपण हुआ।

38 माल के निरीक्षण के परिणाम पर कारण बताओ नोटिस।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि माल का मालिक या उसका प्रतिनिधि प्राधिकार पत्र के माध्यम से माल का दावा करने के लिए आगे आया था, इसलिए धारा 129(1)(क) के तहत शास्ति लगायी गयी। तथापि, मालिक/प्राप्तकर्ता का प्राधिकार पत्र न तो लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत अभिलेखों में उपलब्ध था तथा न ही उत्तरों के साथ उपलब्ध कराया गया। इसलिए, विभाग के दावे की सत्यता की जांच लेखापरीक्षा द्वारा नहीं की जा सकी।

(ii) अतिरिक्त शास्ति राशि ₹ 18.94 लाख का आरोपण

चयनित दर्ज किए गए प्रकरणों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि दो प्रकरणों में, माल/वाहन के मालिकों द्वारा अपने पहचान पत्र के साथ प्राधिकार पत्र एवं सरकार के खजाने में कर तथा शास्ति जमा करने की सहमति देने के बावजूद, विभाग ने धारा 129(1)(क) के बजाय धारा 129(1)(ख) के तहत शास्ति लगायी। इसके परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा ₹ 18.94 लाख की अतिरिक्त शास्ति लगायी गयी।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि माल का मालिक शास्ति चुकाने के लिए आगे नहीं आया तथा इसलिए, आरजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 129(1)(ख) के तहत शास्ति लगायी गयी, जिसमें कोई राजस्व हानि नहीं हुई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि माल के दावेदार ने दावे के समर्थन में प्राधिकार पत्र तथा पहचान पत्र प्रस्तुत किए थे, जो कि संबंधित दर्ज किए गए प्रकरण की पत्रावली में उपलब्ध थे। इसलिए, धारा 129(1)(क) के तहत कम शास्ति लगायी जानी चाहिए थी।

2.4.12.4 नीलामी में असामान्य देरी के कारण राजस्व की हानि

आरजीएसटी नियम, 2017 के नियम 144 के साथ पठित सीजीएसटी/आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 79(1), उचित अधिकारी के नियंत्रण में जब्त माल की बिक्री द्वारा वसूली प्रक्रिया निर्दिष्ट करती है:

(1) जहां किसी चूककर्ता के द्वारा देय कोई राशि धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अनुसार उस व्यक्ति से संबंधित माल को बेचकर वसूल की जानी है तो वहां उचित अधिकारी ऐसे माल की एक सूची तैयार करेगा तथा उसके बाजार मूल्य का अनुमान लगाएगा एवं केवल उतना ही माल बेचने की कार्यवाही करेगा जितना देय राशि तथा वसूली प्रक्रिया पर किए गए प्रशासनिक खर्चों को वसूल करने के लिए आवश्यक हो।

(2) उक्त माल को नीलाम करके, जिसमें ई-नीलामी भी शामिल है, बेचा जाएगा, जिसके लिए प्रपत्र 'जीएसटी डीआरसी-10'³⁹ में एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें बेचे जाने वाले माल तथा बिक्री के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

39 माल की नीलामी के लिए नोटिस (ई-नीलामी सहित)।

बशर्ते कि जहां माल शीघ्र नष्ट होने योग्य या परिसंकटमय प्रकृति का हो या जहां उन्हें अभिरक्षा में रखने का स्वर्च उनके मूल्य से अधिक होने की संभावना हो, वहां उचित अधिकारी उन्हें तुरंत बेच सकेगा।

(i) वृत्त बी, प्रवर्तन विंग II जयपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विभाग ने अगस्त 2019 में अधिनियम की धारा 130 के अंतर्गत एक मामले में वाहन सहित तंबाकू/जर्दा जैसे माल को जब्त कर लिया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कर, जुर्माना तथा शास्ति की मांग के लिए ₹ 43.94 लाख (जब्त किए गये माल का मूल्य ₹ 29.49 लाख तथा जुर्माना एवं शास्ति के रूप में ₹ 14.45 लाख) का जीएसटी-एमओवी-10⁴⁰ जारी किया गया (अक्टूबर 2019)। तदनुसार, जीएसटी-एमओवी-11 जारी किया गया (जनवरी 2020)। जब्त किया गया माल शीघ्र नष्ट होने वाला था तथा इसकी समाप्ति तिथि अगस्त 2020 थी। इसके अलावा, जब्त किए गए माल एवं वाहन का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक तीन-सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया था।

इसके पश्चात, राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने विभाग को सूचित किया (नवंबर 2021) कि जब्त किया गया माल मानव उपभोग के लिए समाप्त हो चुका है और यह अनुशंसा करी कि इसके शीघ्र नष्ट होने की प्रकृति के कारण आगे पुनः प्रसंस्करण संभव नहीं था। बाद में, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर की सहायता से, इस माल का निपटान किया गया (मार्च 2022) तथा विज्ञापन स्वर्च सहित ₹ 0.26 लाख का व्यय हुआ। इसके परिणामस्वरूप, इस शीघ्र नष्ट होने वाले माल के निपटान में देरी के कारण राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। उत्तर प्रतीक्षित था। (अगस्त 2025)।

(ii) वृत्त-सी, प्रवर्तन विंग-I, जयपुर की लेखापरीक्षा के दौरान तीन प्रकरणों में यह देखा गया कि विभाग ने फरवरी 2020 तथा जुलाई 2020 के माह में अधिनियम की धारा 130 के तहत ₹ 52 लाख मूल्य के माल यथा ऑटोमोबाइल पार्ट्स, जूते, प्रेशर कुकर, एलपीजी स्टोव, टूल्स, हेलमेट तथा इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि को वाहन के साथ जब्त किया था। तथापि, चार वर्ष बीत जाने के बावजूद इन सामानों की नीलामी पूरी नहीं हुई। माल की नीलामी में देरी करने से जब्त किए गए माल के अप्रचलित होने तथा स्वराब होने का जोखिम बढ़ जाता है।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि नीलामी के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है तथा नीलामी मई 2025 में आयोजित की जाएगी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी। (अगस्त 2025)।

2.4.12.5 आरजीएसटी तथा सीजीएसटी का गलत आरोपण

एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि सभी अंतर-राज्यीय माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर एकीकृत माल एवं सेवा कर लगाया जाएगा।

40 माल और वाहन की जब्ती की सूचना (सं. आरजे 14 जीके 6646)।

इसके अतिरिक्त, आईजीएसटी अधिनियम की धारा 17 में कर के आवंटन तथा निधियों के निपटान का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विभाग ने 29 वाहनों/परिवहनों को रोका तथा अधिनियम की धारा 129(1) के तहत प्रपत्र जीएसटी एमओवी-06⁴¹ तथा एमओवी-09⁴² के माध्यम से माल तथा वाहन को हिरासत में लेने के लिए आदेश जारी किया एवं इसे राज्य के अंदर आपूर्ति मानते हुए आरजीएसटी तथा सीजीएसटी लगाया।

दर्ज प्रकरण पत्रावलियों में चालान, ड्राइवर के बयान (एमओवी-01) तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि आपूर्ति किया गया माल अंतर-राज्यीय था और इसलिए, आईजीएसटी वसूलनीय था। तथापि, विभाग ने इसे राज्य के अंदर आपूर्ति मानकर आरजीएसटी तथा सीजीएसटी वसूल किया। इसके परिणामस्वरूप कर का गलत आरोपण हुआ, जिसके परिणामतः उस सीमा तक कर का गलत आवंटन भी हुआ।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने 16 प्रकरणों के संबंध में बताया (अप्रैल 2025) कि जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है तथा माल अंततः राजस्थान पहुंचाया गया था और इसमें कोई राजस्व हानि नहीं है। छह प्रकरणों में, यह कहा गया था कि ड्राइवर द्वारा माल राजस्थान में पहुंचाया जाना था। इसके अलावा, सात प्रकरणों में यह कहा गया था कि ड्राइवर ने वाहन/माल की अंतर-राज्यीय आवाजाही के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये तथा इसे राजस्थान में ही पहुंचाया जाना था।

उत्तर इस तथ्य के अनुसार मान्य नहीं हैं क्योंकि एमओवी-01/ड्राइवर के कथन तथा दर्ज पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों के अनुसार यह स्पष्ट था कि आपूर्ति अंतर-राज्यीय थी।

2.4.12.6 आपूर्ति के स्थान का गलत निर्धारण

आईजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 10(1) निर्दिष्ट करती है कि भारत में आयातित या भारत से निर्यातित माल की आपूर्ति को छोड़कर, अन्य माल की आपूर्ति का स्थान निम्नानुसार होगा:

(अ) जहाँ आपूर्ति में माल की आवाजाही शामिल है, चाहे वह आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ऐसे माल की आपूर्ति का स्थान उस समय माल का स्थान होगा जिस समय प्राप्तकर्ता को डिलीवरी के लिए माल की आवाजाही समाप्त हो जाती है;

(ब) जहाँ माल आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्तकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को, किसी तीसरे व्यक्ति के निर्देश पर, चाहे वह एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो या अन्यथा, माल की आवाजाही से पहले या उसके दौरान, या तो माल के शीर्षक के दस्तावेजों के हस्तांतरण द्वारा या अन्यथा, वितरित किया जाता है, यह माना जाएगा कि उक्त तीसरे व्यक्ति ने माल प्राप्त कर लिया है और ऐसे माल की आपूर्ति का स्थान उस व्यक्ति के व्यवसाय का मुख्य स्थान होगा;

41 दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने या दोषपूर्ण दस्तावेजों के लिए हिरासत का आदेश।

42 कर तथा शास्ति की मांग का आदेश (हिरासत में लिए गए माल/वाहन)।

(स) जहाँ आपूर्ति में माल की आवाजाही शामिल नहीं है, चाहे वह आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता द्वारा हो, आपूर्ति का स्थान प्राप्तकर्ता को डिलीवरी के समय ऐसे माल का स्थान होगा।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विभाग ने 46 वाहनों/परिवहनों (174 प्रकरण) को रोका। विभाग ने एमओवी-06 में हिरासत आदेश जारी करने के बाद देय राशि निर्धारित करते हुए कर तथा शास्ति की मांग के आदेश जारी किए। तत्पश्चात्, संबंधित व्यक्ति (माल के मालिक/प्रतिनिधि/वाहन के प्रभारी) के इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में मांग जोड़ने के लिए कॉमन पोर्टल पर डीआरसी-07/डीआरसी-01 (आदेश का सारांश) जारी किया गया था। विभाग द्वारा डीआरसी-07/डीआरसी-01 के संबंधित कॉलम में आपूर्ति के स्थान का भी उल्लेख किया गया था।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (एमओवी-04⁴³), डीआरसी-07/डीआरसी-01 के अनुसार आपूर्ति का स्थान राजस्थान बताया गया था। तथापि, ड्राईवर के कथन तथा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए संबंधित चालान/बिलों एवं अन्य अभिलेखों के अनुसार, आपूर्ति का स्थान राजस्थान के अलावा अन्य दिस्वाया गया था। इसके परिणामस्वरूप, उस सीमा तक आईजीएसटी के तहत कर, शास्ति तथा जुर्माना के लिए आपूर्ति के स्थान का गलत वर्गीकरण हुआ।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि 64 प्रकरणों में, वाहन के मालिक/चालक ने वाहन/माल की अंतर-राज्यीय आवाजाही के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। आठ प्रकरणों में यह कहा गया कि राजस्व हित में प्रभारी अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपित की गयी थी क्योंकि माल अंततः राजस्थान पहुँचाया गया था। शेष 102 प्रकरणों में, वाहनों को शहरी क्षेत्र में माल उतारते समय रोका गया था तथा यह मानने का कोई कारण नहीं था कि वाहन राज्य से बाहर जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एमओवी-01/चालान/बिल तथा माल के चालक/मालिक की घोषणा के अनुसार, आपूर्ति राजस्थान के अलावा अन्य जगह समाप्त हो रही थी। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों में शहरी क्षेत्र में माल उतारने का कोई प्रमाण नहीं मिला तथा लेखापरीक्षा को कोई भी ऐसा पुष्टि स्वरूप साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जो यह प्रमाणित कर सके कि माल शहर में उतारा जा रहा था।

2.4.12.7 पहले से पंजीकृत करदाताओं के लिए अस्थायी जीएसटीआईएन

(i) पहले से पंजीकृत करदाताओं के लिए अस्थायी पंजीकरण जारी करना

वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आरजीएसटी परिपत्र संख्या 05/2018 दिनांक 26.04.2018 के पैरा 2(v) के अनुसार, जहाँ अपंजीकृत व्यक्ति के मामले में कोई इलेक्ट्रॉनिक देयता स्वाता उपलब्ध नहीं है, वहाँ उचित अधिकारी द्वारा कॉमन पोर्टल पर एक अस्थायी आईडी बनाई जाएगी और उसमें देयता दर्शायी जाएगी।

43 भौतिक सत्यापन रिपोर्ट।

चयनित दर्ज किए गए प्रकरणों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि विभाग ने 40 करदाताओं के संबंध में 42 अस्थायी जीएसटीआईएन जनरेट किए। इनमें से, 24 अन्य राज्यों में पंजीकृत करदाताओं के लिए 26 अस्थायी जीएसटीआईएन बनाए गए थे तथा 16 राजस्थान राज्य में पंजीकृत करदाताओं के लिए 16 अस्थायी जीएसटीआईएन बनाए गए थे। इन सभी प्रकरणों में, रोके गए माल के मालिक/प्रतिनिधि के रूप में करदाताओं ने लागू कर तथा शास्ति के भुगतान के लिए अपनी आईडी के साथ अपना जीएसटीआईएन उपलब्ध कराया था। तथापि, विभाग ने उनके इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्ट्रों में कर तथा शास्ति की देयता जोड़ने के लिए उपरोक्त निर्देशों के विपरीत अस्थायी जीएसटी आईडी बनाए।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि अन्य राज्यों में पंजीकृत 24 करदाताओं के संबंध में 26 अस्थायी पहचान पत्र विभाग को बनाने थे क्योंकि ये मामले राजस्थान के बाहर के क्षेत्राधिकारों से संबंधित थे और करदाताओं के मौजूदा जीएसटीआईएन का उपयोग करके मांग नहीं उठाई जा सकती थी, क्योंकि उनका क्षेत्राधिकार अन्य राज्यों के पास है।

राजस्थान राज्य में पंजीकृत 16 करदाताओं से सम्बंधित 16 अस्थायी आईडी के संबंध में यह कहा गया कि माल के स्वामित्व का दावा अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया गया था या माल का वास्तविक मालिक माल का दावा करने के लिए नहीं आया था, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में अस्थायी आईडी बनाये गए थे।

राजस्थान के 16 करदाताओं के संबंध में प्रस्तुत उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि दावे के समय, माल/वाहन के मालिकों द्वारा करदाताओं के जीएसटीआईएन प्रस्तुत किए गए थे। इसके अलावा, अस्थायी आईडी वास्तविक मालिक या माल के प्राप्तकर्ता के नाम से बनाई गई थी जो पहले से ही पंजीकृत करदाता थे।

समापन परिचर्चा के दौरान अतिरिक्त आयुक्त, एमईए ने स्वीकार किया कि जीएसटी के शुरुआती चरण में, राजस्व वसूली के लिए विभाग ने अस्थायी आईडी बनाई थी।

एक उदाहरणस्वरूप प्रकरण नीचे दिया गया है:

वृत्त ए, प्रवर्तन विंग- 1, जयपुर के दर्ज प्रकरणों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि एक ट्रक⁴⁴ को रोका गया था तथा एमओवी-06 जारी किया गया था। जब्त किये गए माल के मालिकों/प्रतिनिधियों ने कारण बताओ नोटिस के उत्तर में लागू कर तथा शास्ति के भुगतान के लिए अपनी आईडी के साथ अपना जीएसटीआईएन प्रस्तुत किया। आगे की जांच से यह भी पता चला कि उनके नियमित जीएसटीआईएन के इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्ट्रों में कर तथा शास्ति की देनदारी जोड़ने के स्थान पर, विभाग ने पहले से पंजीकृत करदाताओं के लिए अस्थायी जीएसटी आईडी जारी की/बनाई।

राज्य सरकार ने बताया (अप्रैल 2025) कि करदाता राजस्थान राज्य से संबंधित है तथा माल का दावा अपंजीकृत करदाता द्वारा किया गया था एवं राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अभिलेख में जीएसटीआईएन तथा आधार की प्रति उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त, अस्थायी आईडी माल के वास्तविक मालिक या प्राप्तकर्ता के नाम पर बनाई गई थी जो पंजीकृत करदाता थे।

44 नंबर एचआर 73-2951।

(ii) अस्थायी जीएसटीएन पर बनाई गई देयता में सुधार न करना

प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जो कॉमन पोर्टल पर कर, ब्याज, शास्ति, विलंब शुल्क या किसी अन्य राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है के लिए प्रपत्र जीएसटी पीएमटी-01 में इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर संधारित किया जाता है तथा उसके द्वारा देय सभी राशि उक्त रजिस्टर में डेबिट की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के अनुसरण में एक उचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य देय राशि के साथ विभिन्न विवरणों को इंगित करता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एक प्रकरण⁴⁵ में रोके गये वाहन⁴⁶ के लिए, 24 नवंबर 2020 को एक अस्थायी आईडी के समक्ष ₹ 6.45 लाख की राशि जमा करने के लिए प्रपत्र एमओवी-09 में मांग का आदेश जारी किया गया था। तदनुसार, 01 दिसंबर 2020 को इलेक्ट्रॉनिक देयता स्वाते में देयता बनाई गयी थी। तत्पश्चात, एमओवी-09 के आदेश का निर्धारित अवधि के भीतर पालन न करने के कारण, 01 दिसंबर 2020 को ₹ 7.36 लाख की राशि जमा करने के लिए प्रपत्र एमओवी-11 में माल एवं वाहन की जब्ती तथा मांग का आदेश जारी किया गया था एवं तदनुसार एमओवी-11 की मांग के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक देयता स्वाते में भी देयता बनाई गई थी। इलेक्ट्रॉनिक नकद स्वाते के अनुसार एमओवी-11 की मांग 01 दिसंबर 2020 को जमा की गई थी तथा 09 मार्च 2021 को समायोजित की गई थी। तथापि, अस्थायी जीएसटीआईएन का इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर 09 मार्च 2021 को ₹ 8.27 लाख की देयता दिसा रहा था, जिसमें एमओवी-09 जारी करके बनाई गई मांग भी शामिल थी। इसलिए, एमओवी-11 जारी करने के बाद एमओवी-09 की मांग को न हटाने के कारण, बोवेब पोर्टल पर देयता रजिस्टर का भाग II इसे बकाया देयता के रूप में दर्शाता रहा।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2025)।

सिफारिश 7: राज्य सरकार पहले से ही पंजीकृत करदाताओं के समक्ष अस्थायी पंजीकरण को रोकने के लिए और उन पंजीकृत करदाताओं के संबंध में, जिनका क्षेत्रीय नियंत्रण अन्य राज्यों के पास है, उनके पंजीकृत जीएसटीआईएन पर मांग जारी करने के लिए, जीएसटीएन के साथ इस मामले को उठा सकती है ताकि प्रणाली में सत्यापन सुनिश्चित किया जा सके।

2.4.12.8 माल एवं वाहन को रोके जाने पर लगाए गए कर तथा शास्ति की देयता के समायोजन में विलम्ब

वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान सरकार ने आवागमन में लगे माल के निरीक्षण के लिए वाहनों को रोकने तथा ऐसे माल एवं वाहनों को कब्जे में लेने, छोड़ने तथा जब्त करने की प्रक्रिया⁴⁷ जारी

45 वृत्त-बी, ईडब्ल्यू-II, जयपुर।

46 आरजे52 जीबी 0609।

47 परिपत्र संख्या 05/2018 दिनांक 26.04.2018 के द्वारा।

की। प्रक्रिया के पैरा 2(के) के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि उचित अधिकारी एमओवी-09/एमओवी-11 में निर्धारित कर, शास्ति तथा जुर्माना के भुगतान पर, प्रपत्र जीएसटी एमओवी-05⁴⁸ में एक आदेश द्वारा माल एवं वाहन को तुरंत छोड़ेगा। प्रपत्र जीएसटी एमओवी-09/एमओवी-11 में आदेश कॉमन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा तथा आदेश से प्राप्त मांग को इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में जोड़ा जाएगा एवं मांग के भुगतान पर आरजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियम की धारा 49 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट करके ऐसे रजिस्टर को क्रेडिट किया जायेगा।

आरजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियम की धारा 49(3) के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत देय किसी भी कर, ब्याज, शास्ति, शुल्क या किसी अन्य राशि के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 47 प्रकरणों में, वाहन को रोके जाने के बाद विभाग ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर, शास्ति तथा जुर्माना लगाया। तत्पश्चात्, माल या वाहन के मालिक/प्रतिनिधि या प्रभारी व्यक्ति ने चालान द्वारा उक्त कर, शास्ति तथा जुर्माना जमा कर दिया तथा राशि उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा कर दी गई। तथापि, इन मामलों में विभाग द्वारा बनाई गई देयता का समायोजन 1 से 1710 दिनों की देरी से किया गया।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने (अप्रैल 2025) में 40 प्रकरणों के संबंध में बताया कि कोई राजस्व हानि नहीं हुई थी तथा करदाता ने समय पर कर तथा जुर्माना जमा कर दिया था। तथापि, पोर्टल की सिस्टम संबंधी कमी/तकनीकी खराबी के कारण, वाहन को छोड़े जाने की तारीख पर इसे समायोजित नहीं किया जा सका। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से देयता के समायोजन में होने वाली लंबी देरी को पूरी तरह से पोर्टल में तकनीकी त्रुटियों/खराबी का कारण नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे परिदृश्य में, करदाताओं द्वारा अपनी नियमित आपूर्तियों के समक्ष कैश लेजर शेष का उपयोग करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। शेष सात प्रकरणों में जवाब प्रासंगिक नहीं था।

सिफारिश 8: राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि माल एवं वाहन को रोके जाने पर लगाए गए कर तथा शास्ति के समक्ष देयता को वाहन के मालिक/प्रभारी व्यक्ति द्वारा मांग का भुगतान करने के बाद, तुरंत समायोजित किया जाए।

2.4.12.9 ई-वे बिलों से संबंधित लेन-देन की निगरानी में अंतर-विभागीय समन्वय

ई-वे बिल सीधे तौर पर माल की आवाजाही से जुड़ा है तथा प्रवर्तन विंग को प्रवर्तन कार्य सौंपे गए थे। एनआईसी ने विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट जनरेट की और प्रत्येक आयुक्तालय के प्रवर्तन वृत्तों को एनआईसी पोर्टल के माध्यम से उन रिपोर्टों तक पहुंच प्राप्त है। चूंकि ई-वे बिल

48 माल वाहन के लिए मुक्ति आदेश।

लेन-देनों पर कर की देयता करदाताओं द्वारा आवधिक रिटर्न के माध्यम से चुकाई जाती है, इसलिए क्षेत्राधिकारी यानी वृत्ताधिकारी, रिटर्न की जांच एवं निर्धारण के लिए उचित अधिकारी है। प्रवर्तन वृत्तों द्वारा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के उपयोग की प्रभावशीलता तथा विभाग में अंतर-विभागीय समन्वय किस सीमा तक मौजूद है, इसका लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण किया गया।

2.4.12.10 वाहनों के अवरोधन पर सूचना साझा करने का कोई तंत्र नहीं होना

आरजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियम की धारा 129 के अनुसार वाहनों के अवरोधन के दौरान जब भी कोई विसंगति पाई जाती थी, तो 31 दिसंबर 2021 तक कर तथा शास्ति लगायी जा सकती थी। अधिनियम की धारा 17(5)⁴⁹ के अनुसार, धारा 129 के प्रावधानों के तहत भुगतान किए गए किसी भी कर पर आईटीसी उपलब्ध नहीं होगी।

चयनित किये गए वृत्तों में दर्ज प्रकरणों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, यह पाया गया कि वाहन को रोकने तथा करदाता पर कर एवं शास्ति लगाने के संबंध में कोई भी जानकारी संबंधित क्षेत्राधिकारी के साथ साझा या सूचित की जा रही थी या नहीं, इसके समर्थन में कोई पुष्टिकारक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। उपरोक्त के अलावा, क्षेत्राधिकारी को उसके क्षेत्राधिकार के करदाता पर की गई ऐसी कार्रवाई के संबंध में, तंत्र कोई अलर्ट संदेश भी उत्पन्न नहीं करता था। इसलिए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसके द्वारा प्रवर्तन अधिकारी वाहन को रोकने एवं उस पर लगाए गए कर तथा शास्ति के संबंध में जानकारी संबंधित क्षेत्राधिकार के उचित अधिकारी के साथ साझा कर सकें। इस प्रकार, विभाग यह सुनिश्चित करने में असमर्थ था कि चूककर्ता करदाता सही ढंग से आईटीसी का लाभ उठा रहे हैं या नहीं तथा अपने कर दायित्वों को पूरा कर रहे हैं या नहीं।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। राज्य सरकार ने वृत्त ए, ईडब्ल्यू-1, जयपुर के संबंध में कहा (अप्रैल 2025) कि आम तौर पर प्रतिकरावंचन रोधी गतिविधियाँ मुखबिर से प्राप्त जानकारी के आधार पर की जाती हैं तथा विभाग स्तर पर ऐसी कोई कार्य योजना/तंत्र तैयार नहीं किया गया है। सात वृत्तों⁵⁰ के प्रकरणों में यह बताया गया कि अधिकांश प्रकरणों में, वाहन के प्रभारी व्यक्ति/चालक/माल के मालिक द्वारा अस्थायी आईडी बनाकर शास्ति जमा करायी गयी थी, इन अस्थायी आईडी का क्षेत्राधिकार, जारी करने वाले प्राधिकारी के अधीन है। उचित अधिकारी के स्तर पर जानकारी साझा करने की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है।

सिफारिश 9: विभाग को एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर विचार करना चाहिए जो क्षेत्राधिकारी को उन मामलों में जहाँ अधिनियम की धारा 129 तथा 130 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है, समय पर एवं उचित कार्रवाई करने के लिए सचेत कर सके।

49 इस धारा को 01 नवंबर 2024 से प्रभावी रूप से संशोधित किया गया तथा इसे केवल धारा 74 के लिए लागू किया गया।

50 वृत्त बी उदयपुर, ए हनुमानगढ़, सी-ईडब्ल्यू-प्रथम, बी तथा सी ईडब्ल्यू-द्वितीय, ए ईडब्ल्यू-तृतीय जयपुर और वृत्त झुंझुनू।

2.4.12.11 प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में अनियमितताएं तथा दर्ज प्रकरणों की गलत रिपोर्टिंग

(i) प्रबंधन सूचना प्रणाली एक संगठित प्रणाली है जो प्रबंधन कार्यों को करने के लिए आवश्यक विशिष्ट जानकारी के रूप में डेटा एकत्र, संग्रहण तथा प्रसारित करती है। यह निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का समर्थन करने वाले महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। इसमें विश्वसनीय ई-वे बिल डेटा तथा विभाग के उचित अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों का सहयोग शामिल है।

वृत्त बी तथा सी, प्रवर्तन विंग- द्वितीय, जयपुर के दर्ज प्रकरणों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, विभाग ने मांगे गये 100 दर्ज प्रकरणों में से केवल 61 प्रकरणों⁵¹ के अभिलेख उपलब्ध करवाये गये। तथापि, शेष 39 प्रकरणों को विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गए अतिरिक्त प्रकरणों से प्रतिस्थापित दिया गया था।

समीक्षा से पता चला कि इन वृत्तों की एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार, 370⁵² प्रकरण दर्ज किये गये, लेकिन 23 दर्ज प्रकरण फाइल⁵³ इन 370 प्रकरणों में शामिल नहीं थीं। इससे पता चलता है कि एमआईएस रिपोर्ट दर्ज प्रकरणों की स्थिति को सही ढंग से नहीं दर्शा रही थी।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। उत्तर प्रतीक्षित था। (अगस्त 2025)।

(ii) एमआईएस रिपोर्ट का कम उपयोग

ई-वे बिल प्रणाली का ऑफिसर मॉड्यूल ई-वे बिल के सत्यापन को सुगम बनाने एवं सत्यापन से संबंधित कार्य करने की सुविधा देता है। इसमें ई-वे बिल से संबंधित विभिन्न इंटेलिजेंस तथा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट भी हैं और यह अधिकारियों को ई-वे बिल के सत्यापन, विश्लेषण तथा निगरानी से संबंधित सभी गतिविधियों को करने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करता है। एमआईएस मॉड्यूल की रिपोर्ट जे3⁵⁴ के अनुसार यह पाया गया कि मार्च 2022 के माह में ऑफिसर मॉड्यूल में पंजीकृत 654 उपयोगकर्ताओं में से, 356 उपयोगकर्ताओं (54.43 प्रतिशत) ने एक बार भी मॉड्यूल में लॉग इन नहीं किया। यह दर्शाता है कि प्रवर्तन दस्तों के अधिकारियों को छोड़कर, पर्यवेक्षण अधिकारी/उचित अधिकारी नियमित रूप से एप्लीकेशन/मॉड्यूल का उपयोग नहीं कर रहे थे, जिसके कारण एमआईएस रिपोर्टों का उपयोग कम हो रहा था।

प्रकरण विभाग तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसंबर 2024)। उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2025)।

51 वृत्त बी, ईडब्ल्यू-द्वितीय, जयपुर-34 दर्ज किए गए प्रकरण और वृत्त सी, ईडब्ल्यू- द्वितीय, जयपुर-27 प्रकरण।

52 193 दर्ज किए गए प्रकरण, वृत्त बी, ईडब्ल्यू-द्वितीय, जयपुर एवं 177, वृत्त सी, ईडब्ल्यू-द्वितीय, जयपुर।

53 12 प्रकरण, सर्किल बी, ईडब्ल्यू-द्वितीय, जयपुर और 11 प्रकरण, वृत्त सी, ईडब्ल्यू-द्वितीय, जयपुर।

54 अधिकारी द्वारा रिपोर्टों का उपयोग।

सिफारिश 10: विभाग प्रवर्तन तथा नियमित वृत्तों के अधिकारियों को एमआईएस पोर्टल का व्यापक उपयोग करने एवं उच्च अधिकारियों द्वारा निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर सकता है।

2.4.12.12 एकीकृत केंद्रीय माल एवं सेवा कर पर प्रभाव

जीएसटी में सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, इत्यादि विभिन्न घटक शामिल हैं। इस अध्याय में शामिल लेखापरीक्षा आक्षेप केंद्र एवं राज्यों दोनों के राजस्व पर प्रभाव डालती हैं। इस अध्याय में उल्लिखित लेखापरीक्षा आक्षेपों का केंद्र सरकार के आईजीएसटी/सीजीएसटी राजस्व पर मौद्रिक प्रभाव **परिशिष्ट 2.5** में दर्शाया गया है।

2.4.13 निष्कर्ष

ई-वे बिल माल की आवाजाही के लिए एक आवश्यक दस्तावेज़ है तथा इसे माल की आवाजाही से पहले उसका विवरण दर्ज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सम्पूर्ण प्रक्रिया के स्वचालन एवं मानकीकरण का उद्देश्य कर चोरी पर लगाम लगाना तथा जीएसटी संग्रह को बढ़ाना है। ई-वे बिल को ₹ 50,000 से अधिक मूल्य के सभी अंतर-राज्यीय माल की आवाजाही के लिए 01.04.2018 से लागू किया गया था। राजस्थान में राज्य के भीतर ₹ 50,000 मूल्य के माल की स्पेप की आवाजाही के लिए ई-वे बिल को सीमा के रूप में अनिवार्य कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने ई-वे बिल प्रणाली एवं राजस्व के संरक्षण में इसकी प्रभावशीलता की जांच करने के लिए अवधि 2018-19 से 2021-2022 के लिए 65 करदाताओं के 160 ई-वे बिलों का चयन किया। लेखापरीक्षा ने विभाग की प्रवर्तन गतिविधियों की दक्षता तथा प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए पांच प्रवर्तन वृत्तों एवं तीन नियमित वृत्तों का भी चयन किया तथा इन चयनित प्रवर्तन वृत्तों में 289 दर्ज प्रकरणों की जांच की।

लेखापरीक्षा विभाग के ई-वे बिल पोर्टल पर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड आधारित पहुँच की माँग की। तथापि, यह उपलब्ध नहीं कराया गया। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि इन प्रकरणों में करदाताओं ने अपने जीएसटी रिटर्न में ई-वे बिल के अनुसार आपूर्ति का विवरण सही ढंग से प्रस्तुत किया था या नहीं।

लेखापरीक्षा में ई-वे बिलों की संवीक्षा में जांचे गये 65 करदाताओं में से 36 करदाताओं में अनुपालना संबंधित कुछ अनियमितताएँ पायी गयी, ये अनियमितताएँ निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा ई-वे बिल जनरेट करने, अपात्र करदाताओं द्वारा कंपोजीशन स्कीम में बने रहने तथा संदिग्ध वाहनों द्वारा किए गए लेन-देनों के लिए ई-वे बिल जारी करने संबंधित थीं। इसके अतिरिक्त, लेखा परीक्षा ने पाया कि अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा माल के लिए ई-वे बिल जारी किये गए थे जिनका कर योग्य माल का मूल्य निर्धारित पंजीकरण सीमा से अधिक था तथा अमान्य पिन कोड का उपयोग करके भी ई-वे बिल जनरेट किये गए थे।

लेखापरीक्षा में विभाग की प्रवर्तन इकाइयों द्वारा किए गए निवारक तथा प्रवर्तन गतिविधियों में भी कमियाँ पाईं, जैसे कि अनुचित तरीके से आरोपण की गईं शास्ति, नीलामी में देरी के कारण राजस्व की हानि, आरजीएसटी तथा सीजीएसटी का गलत तरीके से लगाया जाना, आपूर्ति की जगह का गलत वर्गीकरण, पहले से पंजीकृत करदाताओं के लिए अस्थायी जीएसटीआईएन जारी करना, माल एवं वाहन को रोके जाने पर लगाए गए कर तथा शास्ति की देयता के समायोजन में विलम्ब तथा एमआईएस रिपोर्टों में विसंगतियाँ एवं उनका कम उपयोग।

तदनुसार, ई-वे बिल प्रणाली तथा विभाग की अनुपालन सत्यापन प्रणाली को मजबूत करने के लिए लेखापरीक्षा की निम्नलिखित सिफारिशें हैं:

सिफारिश 1: राज्य सरकार लेखापरीक्षा के लिए ई-वे बिल पोर्टल पर केवल-पठन योग्य पहुंच प्रदान करने को सुनिश्चित कर सकती है।

सिफारिश 2: सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित कर सकती है कि पूर्वव्यापी रूप से पंजीकरण निरस्त करने वाले उचित अधिकारी, कर देयता का निर्धारण करें या जनरेट किये गये ई-वे बिलों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम निर्णय लें।

सिफारिश 3: राज्य सरकार एनआईसी के साथ यह सुनिश्चित कर सकती है कि निरस्तीकरण की प्रभावी तिथि के बाद ई-वे बिलों के जनरेट करने से रोकने के लिए ई-वे बिल प्रणाली में उपयुक्त सत्यापन बनाए गए हैं।

सिफारिश 4: राज्य सरकार एनआईसी के साथ मिलकर ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण लागू करने का प्रकरण उठा सकती है जिससे संदिग्ध वाहनों का उपयोग कर ई-वे बिल जनरेट होने से रोका जा सके।

सिफारिश 5: राज्य सरकार एनआईसी के साथ इस प्रकरण को उठा सकती है ताकि ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण शामिल किए जा सकें, जिससे अमान्य पिन कोड के साथ ई-वे बिल जारी करने को रोका जा सके।

सिफारिश 6: राज्य सरकार को अभिलेखों के प्रस्तुत नहीं किये जाने के मामले की जांच करनी चाहिए तथा भविष्य में बेहतर अभिलेख रखरखाव एवं लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुति सुनिश्चित करनी चाहिए।

सिफारिश 7: राज्य सरकार पहले से ही पंजीकृत करदाताओं के समक्ष अस्थायी पंजीकरण को रोकने के लिए और उन पंजीकृत करदाताओं के संबंध में, जिनका क्षेत्रीय नियंत्रण अन्य राज्यों के पास है, उनके पंजीकृत जीएसटीआईएन पर मांग जारी करने के लिए, जीएसटीएन के साथ इस मामले को उठा सकती है ताकि प्रणाली में सत्यापन सुनिश्चित किया जा सके।

सिफारिश 8: राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि माल एवं वाहन को रोके जाने पर लगाए गए कर तथा शास्ति के समक्ष देयता को वाहन के मालिक/प्रभारी व्यक्ति द्वारा मांग का भुगतान करने के बाद, तुरंत समायोजित किया जाए ।

सिफारिश 9: विभाग को एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर विचार करना चाहिए जो क्षेत्राधिकारी को उन मामलों में जहाँ अधिनियम की धारा 129 तथा 130 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है, समय पर एवं उचित कार्रवाई करने के लिए सचेत कर सके ।

सिफारिश 10: विभाग प्रवर्तन तथा नियमित वृत्तों के अधिकारियों को एमआईएस पोर्टल का व्यापक उपयोग करने एवं उच्च अधिकारियों द्वारा निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर सकता है ।

अध्याय-III
भू-राजस्व

अध्याय-III: भू-राजस्व

3.1 कर प्रशासन

भू-राजस्व का निर्धारण और संग्रहण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत शासित होता है। भू-राजस्व में मुख्य रूप से संपरिवर्तन शुल्क, प्रीमियम, भूमि का किराया, पट्टा किराया और सरकारी भूमि की बिक्री से प्राप्तियाँ शामिल होती हैं।

राजस्व विभाग भू-राजस्व के निर्धारण और संग्रहण से संबंधित सभी मामलों का प्रबंधन करता है। राजस्व अधिकारियों पर पर्यवेक्षण एवं निगरानी के साथ-साथ राजस्व संबंधी न्यायिक मामलों का समग्र नियंत्रण राजस्व बोर्ड के पास है। राजस्व बोर्ड को जिला स्तर पर जिला कलेक्टरों, उप-मंडल स्तर पर उप-मंडल अधिकारियों और तहसील स्तर पर तहसीलदारों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। भूमि का मूल्य (बाजार दर) समय-समय पर जिला स्तरीय समितियों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के अधीन बनाए गए नियम तथा समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं भूमि आवंटन तथा अन्य संबंधित मुद्दों को नियंत्रित करती हैं।

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का कुल राजस्व¹ ₹ 1,07,910.81 करोड़ (2021-22: ₹ 93,562.93 करोड़) था, जबकि वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की भू-राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 484.01 करोड़ (2021-22: ₹ 631.48 करोड़) थीं। राज्य के कुल राजस्व में भू-राजस्व प्राप्तियों का योगदान 0.45 प्रतिशत था।

3.2 विभाग द्वारा किये गये आंतरिक लेखापरीक्षा

राजस्व बोर्ड के वित्तीय सलाहकार आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के प्रमुख होते हैं। विभाग में 18 आंतरिक लेखापरीक्षा दल स्वीकृत थे; लेकिन केवल 14 आंतरिक लेखापरीक्षा दलों को ही तैनात किया गया। वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान किए गए आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति नीचे तालिका 3.1 में दी गई है:

1 कर राजस्व (भारत सरकार से प्राप्त राज्य को आवंटित शुद्ध आय के हिस्से को छोड़कर) और गैर-कर राजस्व।

तालिका 3.1: वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान किए गए आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिए बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिए योग्य इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिए बकाया कुल इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ			लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयाँ	गैर-लेखापरीक्षित शेष इकाइयों का प्रतिशत
				पिछले वर्ष से संबंधित	चालू वर्ष से संबंधित	कुल		
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7	8 (4-7)	9
2018-19	324	816	1,140	324	618	942	198	17
2019-20	198	816	1,014	198	631	829	185	18
2020-21	185	822	1,007	185	567	752	255	25
2021-22	255	846	1,101	255	548	803	298	27
2022-23	298	846	1,144	298	695	993	151	13

स्रोत: राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि आंतरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लिखित 27,585 अनुच्छेदों का अनुपालन वर्ष 2022-23 के अंत तक लंबित था। लंबित अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण नीचे तालिका 3.2 में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 3.2: वर्ष 2022-23 तक बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण

वर्ष	2017-18 तक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल
वर्ष के दौरान की गई लेखापरीक्षा के बकाया अनुच्छेद	8,235	1,800	2,354	2,972	3,508	8,716	27,585
निहित राशि (₹ करोड़ में)	297.36	11.15	23.91	38.78	34.66	51.79	457.65

स्रोत: राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

कुल 27,585 अनुच्छेदों में से 8,235 अनुच्छेद (29.85 प्रतिशत) अनुपालन/सुधारात्मक कार्रवाई के अभाव में पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित थे। विभाग ने बताया (अगस्त 2024) कि वर्ष 2022-23 के दौरान कोविड से संबंधित लंबित इकाइयों की लेखापरीक्षा हेतु अतिरिक्त कार्य दिवस प्रदान किए गए थे, लेकिन विभिन्न पदों पर रिक्तियों के कारण कम इकाइयों की लेखापरीक्षा की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा के लिए इकाइयाँ बकाया रह गईं।

सरकार को आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा को सुदृढ़ करने और आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा द्वारा गठित लंबित आक्षेपों के शीघ्र अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

3.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

भू-राजस्व विभाग के अंतर्गत 704 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ हैं। इन लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 104 इकाइयों (लगभग 14.77 प्रतिशत) का चयन वर्ष 2022-23 के दौरान नमूना जाँच के लिए किया गया था। नमूना जाँच में 16,138 मामलों में ₹ 175.38 करोड़ की राशि से संबंधित भूमि संपरिवर्तन, भूमि का प्रीमियम, सरकार को भूमि वापस न करने एवं अन्य

से संबंधित अनियमितताएँ पाई गई थी। इन चयनित इकाइयों की व्यय लेखापरीक्षा में भी 2,977 मामलों में ₹ 10.05 करोड़ की निहित राशि से संबंधित अनियमितताएँ पाई गईं।

ये मामले केवल उदाहरण स्वरूप हैं क्योंकि ये अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित हैं। लेखापरीक्षा ने पूर्व वर्षों में भी इसी प्रकार की अनियमितताये इंगित की थीं। हालाँकि, ये अनियमितताएँ न केवल बनी रहीं, बल्कि अगली लेखापरीक्षा तक भी अनदेखी रहीं। अतः सरकार को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने, विशेष रूप से आंतरिक लेखा परीक्षा को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके। श्रेणीवार अनियमितताओं का विवरण नीचे तालिका 3.3 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3.3: वर्ष 2022-23 के दौरान श्रेणीवार अनियमितताओं का विवरण

(₹ करोड़ में)			
क्र.सं.	अनियमितताओं की श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	प्रीमियम की अवसूली/कम वसूली	9,024	132.63
2.	सातेदारों से संपरिवर्तन शुल्क की वसूली न करना/कम वसूली करना ²	84	3.93
3.	से संबंधित अन्य अनियमितताएँ:		
	(i) राजस्व	7,030	38.82
	(ii) व्यय	2,977	10.05
कुल		19,115	185.43

वर्ष 2022-23 के दौरान, विभाग ने 516 मामलों में ₹ 11.42 करोड़ मूल्य की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ स्वीकार कीं, जिनमें से ₹ 0.03 करोड़ मूल्य के 14 मामले वर्ष 2022-23 में इंगित किए गए और शेष 502 मामले जिनमें ₹ 11.39 करोड़ शामिल थे, पूर्व वर्षों से संबंधित थे। विभाग ने 241 मामलों में ₹ 1.82 करोड़ की राशि की वसूली की, जिनमें से ₹ 0.03 करोड़ की राशि वाले 14 मामले वर्ष 2022-23 से संबंधित थे और ₹ 1.79 करोड़ की राशि से संबंधित शेष 227 मामले पूर्व वर्षों के थे।

विभाग की लेखापरीक्षित इकाइयों में ₹ 7.36 करोड़ की राशि से संबंधित कुछ उदाहरणात्मक मामलों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है। यह उल्लेख करना उचित होगा कि इसी तरह के मुद्दे पहले भी उठाए गए और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) में प्रकाशित किए गए थे, जिनमें सरकार ने आक्षेपों को स्वीकार कर कार्रवाई/वसूली प्रारंभ की थी। हालाँकि, यह देखा गया है कि विभाग ने केवल लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों में ही कार्रवाई की और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ नहीं किया, जिसके कारण बाद के वर्षों में भी समान प्रकृति के मामलों की पुनरावृत्ति होती रही।

2 एक सातेदार काश्तकार (जिसने राजस्व अभिलेखों में काश्तकार के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है) द्वारा सम्पत्ति के भू-स्वामी से प्राप्त भूमि से है।

3.4 खनन उद्देश्य के लिए आवंटित चारागाह भूमि के ₹ 7.23 करोड़ के अंतर मूल्य की वसूली का अभाव

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (कर प्रभाग) द्वारा जारी अधिसूचना³ (मार्च 2015) के स्वण्ड 3 में प्रावधान किया गया है कि खनन प्रयोजनों के लिए क्रय की गई कृषि भूमि अथवा ऐसी कृषि भूमि, जिसके सम्बन्ध में भू-स्वामी और पट्टेदार के बीच सहमति विलेख निष्पादित किया गया है, के मामले में उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के दोगुने के समतुल्य होगी।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7(1) के अनुसार, कलेक्टर किसी भी चारागाह भूमि का वर्गीकरण कृषि या किसी गैर-कृषि प्रयोजन के लिए परिवर्तित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग, जयपुर ने राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7(1) के दूसरे परंतुक में संशोधन हेतु अधिसूचना⁴ (मई 2017 और अक्टूबर 2018) जारी की थीं। संशोधित नियम 7(1) के अनुसार, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना चारागाह वाली भूमि के वर्गीकरण को खनन प्रयोजनों के लिए खाली पड़ी हुई कृषि योग्य सरकारी भूमि (सवाई चक) के रूप में नहीं बदला जाएगा। राज्य सरकार यह अनुमति तब प्रदान कर सकती है जब आवेदक ने उसी पंचायत के भीतर उसी गांव या निकटवर्ती गांव में समान क्षेत्रफल की स्वातेदारी भूमि को सरकार के पक्ष में समर्पित कर दिया हो, या यदि उसी गांव या निकटवर्ती गांव में भूमि उपलब्ध न हो, तो उसी उद्देश्य के लिए संबंधित पंचायत के निकटवर्ती गांव में समान क्षेत्रफल की स्वातेदारी भूमि, अथवा विशेष परिस्थितियों में जिले की किसी अन्य पंचायत में समान क्षेत्रफल की स्वातेदारी भूमि राज्य सरकार को समर्पित की गई हो।

कार्यालय जिला कलेक्टर (भू-राजस्व), चित्तौड़गढ़ की भूमि आवंटन पत्रावलियों की जांच (मई-जुलाई 2022) के दौरान यह पाया गया कि राज्य सरकार ने तीन सीमेंट कंपनियों⁵ को खनन के उद्देश्य से समर्पित भूमि के बदले में चारागाह भूमि आवंटित की। समर्पित भूमि का मूल्यांकन केवल ₹ 0.90 करोड़ था, जबकि वित्त विभाग की अधिसूचना (मार्च 2015) के अनुसार गणना करने पर आवंटित चारागाह भूमि का मूल्यांकन ₹ 8.13 करोड़⁶ था। इस प्रकार, यह सरकार द्वारा सीमेंट कंपनियों को मूल्यवान चारागाह भूमि का अनुचित आदान-प्रदान था, जिससे ₹ 7.23 करोड़ की राशि सीमेंट कंपनियों से वसूली योग्य है।

राजस्व मंडल ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (जून 2024) कि सीमेंट कंपनियों ने सरकारी चारागाह भूमि के बदले में समतुल्य क्षेत्रफल की निजी भूमि समर्पित कर दी तथा तीन सीमेंट कंपनियों से चारागाह भूमि का दोगुना मूल्य वसूल नहीं किया गया।

3 संख्या एफ.4 (4) एफडी/टैक्स/2015-226 दिनांक 09 मार्च 2015।

4 अधिसूचना संख्या क्रमशः एफ. 10(3) रेव. 6/2001/19 दिनांक 31 मई 2017 और संख्या एफ.10 (3) रेव. 6/2001/75 दिनांक 04 अक्टूबर 2018।

5 (i) मैसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड, निम्बाहेड़ा, (ii) मैसर्स राजपुताना प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली एवं (iii) मैसर्स जे.के. सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेड़ा।

6 सरकार द्वारा आवंटित चारागाह भूमि का वास्तविक मूल्य ₹ 8.13 करोड़ में से कंपनियों द्वारा समर्पित भूमि का दोगुना मूल्य ₹ 0.90 करोड़ को घटा कर = ₹ 7.23 करोड़।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (फरवरी 2024), राज्य सरकार ने बताया (जून 2024) कि सीमेंट कंपनियों को आवंटित चारागाह भूमि पर केवल खनन (50 वर्षों के लिए पट्टा) की अनुमति दी गई थी और कोई राशि वसूलने योग्य नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सरकार ने भूमि के बदले अनुमति प्रदान की थी और जैसा कि ऊपर बताया गया है कि वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार समर्पित भूमि का मूल्य चारागाह भूमि का दोगुना होना चाहिए।

इस प्रकार, राज्य सरकार ने खनन प्रयोजनों के लिए चारागाह भूमि के आवंटन से पहले समर्पित भूमि के मूल्य का आकलन नहीं किया तथा भू-राजस्व नियमों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया।

3.5 संपरिवर्तन शुल्क की वसूली नहीं /कम वसूली करना

राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनों हेतु रूपांतरण) नियम, 2007 के नियम 9(1) में प्रावधान है कि कृषि भूमि को गैर-कृषि प्रयोजनों हेतु रूपांतरित करने की अनुमति चाहने वाले स्वातेदार काश्तकार को प्रपत्र-क में विधिवत भरा हुआ आवेदन, विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन या भौतिक रूप से निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, साथ ही रूपांतरण शुल्क की भुगतान की गई राशि की रसीद की एक प्रति भी संलग्न करनी होगी और ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में, पूर्ण आवेदन की हार्ड कॉपी 7 दिनों के भीतर निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। पूर्वोक्त नियम 9(3) के अनुसार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी आवश्यक जांच करने के बाद, पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर प्रपत्र-ख में रूपांतरण का आदेश जारी करेगा और आवेदक को रूपांतरण शुल्क की शेष राशि जमा करने के लिए सूचित करेगा या आवेदन को अस्वीकार कर देगा।

पूर्वोक्त नियम 14-ए के अनुसार, जहां विभाग द्वारा रूपांतरण का आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है या आवेदक रूपांतरण आदेश जारी करने से पूर्व अपना आवेदन वापस ले लेता है, तो रूपांतरण शुल्क की जमा राशि में से पांच प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क काट लिया जाएगा।

राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सक्षमीकरण एवं निकासी नियम, 2011 के नियम 4 एवं 5 के अनुसार, आवेदनों का प्रसंस्करण एवं निगरानी नोडल एजेंसी एवं सक्षम प्राधिकारी के स्तर पर की जानी चाहिए।

वर्ष 2022-23 के दौरान, जिला कलेक्टर (भू-राजस्व)⁷ कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि राज्य सरकार ने (जनवरी 2021) भूमि परिवर्तन के आवेदनों के इलेक्ट्रॉनिक संचालन और प्रसंस्करण के लिए 60 और 90 दिनों⁸ की समय सीमा के भीतर एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया, जिसमें राजस्थान भू-राजस्व नियम, 2007 के नियम 2(एए)

7 बीकानेर, भीलवाड़ा, चुरू, कोटा, राजसमंद एवं उदयपुर।

8 राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सक्षमीकरण एवं निकासी नियम 2011 की अनुसूची-1 के क्रम संख्या 3 के अनुसार, रूपांतरण की समय-सीमा जिला कलेक्टर एवं राज्य सरकार को पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से क्रमशः 60 दिन (10 हेक्टेयर तक) एवं 90 दिन (10 हेक्टेयर से अधिक) निर्धारित की गई है।

में निर्धारित संपरिवर्तन शुल्क जमा करने के प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया था, जबकि नियम के अनुसार रूपांतरण हेतु आवेदन आवश्यक दस्तावेजों और शुल्कों, यदि कोई हो, के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके कारण, ऑनलाइन आवेदनों के 184 मामलों में, जिन्हें या तो आवेदकों द्वारा वापस ले लिया गया था या विभाग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, विभाग द्वारा ₹ 13.68 लाख की राशि के पांच प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क की कटौती नहीं की जा सकी क्योंकि परिवर्तन की ऑनलाइन प्रक्रिया में देय संपरिवर्तन शुल्क जमा करने का प्रावधान शामिल नहीं किया गया था। इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (दिसंबर 2023), विभाग ने सूचित किया (फरवरी और मार्च 2024) कि 177 मामलों में ₹ 2.80 लाख वसूल किए गए, जैसा कि नीचे तालिका 3.4 में विस्तृत रूप से बताया गया है:

तालिका 3.4: प्रशासनिक शुल्कों की वसूली न होने के मामलों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम	लेखापरीक्षा की अवधि	विवरण				वसूल की गयी राशि (प्रकरणों की संख्या) (₹ में)
			पैरा नं.		प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ में)	
			भाग II (क)	भाग II (ख)			
1.	जिला कलेक्टर (भू-राजस्व), बीकानेर	04/2018 से 03/2022	1	-	1	8,68,549	-
			-	6 (ख)	3	1,834	1,834 (3)
			-	6 (ग)	3	4,552	4,552 (3)
2.	जिला कलेक्टर (भू-राजस्व), राजसमंद	04/2018 से 03/2022	-	2 (क)	140	1,83,961	1,83,961 (140)
			-	2 (ख)	9	31,261	31,193 (9)
3.	जिला कलेक्टर (भू-राजस्व), भीलवाड़ा	04/2018 से 03/2022	-	9 (क)	4	31,994	31,994 (4)
4.	जिला कलेक्टर (भू-राजस्व), कोटा	04/2018 से 03/2022	-	1	6	2,19,332	-
5.	जिला कलेक्टर (भू-राजस्व), उदयपुर	04/2017 से 03/2022	-	9	9	13,535	13,535 (9)
6.	जिला कलेक्टर (भू-राजस्व), चूरु	04/2017 से 03/2022	-	8	9	13,033	13,033 (9)
कुल					184	13,68,051	2,80,102 (177)

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (अप्रैल 2024) कि राजस्थान उद्यम एकल स्विड़की सक्षमीकरण एवं निकासी नियम, 2011 के तहत ऑनलाइन प्रक्रिया में रूपांतरण शुल्क जमा करने का प्रावधान शामिल करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

इस प्रकार, विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया में रूपांतरण शुल्क जमा करने का प्रावधान शामिल न करने के परिणामस्वरूप राज्य कोष को निरंतर राजस्व की हानि हो रही है।

3.6 निष्कर्ष और सिफारिशें

विभाग ने अपने आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप आगामी वर्षों में समान मामलों की पुनरावृत्ति होती रही। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने भू-राजस्व नियमों के अनुसार समर्पित भूमि के मूल्य का आकलन नहीं किया। साथ ही, विभाग की ऑनलाइन प्रणाली में रूपांतरण शुल्क जमा करने के प्रावधान को शामिल न करने से राज्य कोषागार को निरंतर राजस्व की हानि हुई।

सरकार को चाहिए कि:

- आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा उठाए गए लंबित आक्षेपों का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करें;
- रूपांतरण आदेशों की शर्तों के अनुपालन की निगरानी के लिए तंत्र को सुदृढ़ करें;
- रूपांतरण शुल्क जमा करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया में प्रावधान को सम्मिलित करे।

अध्याय-IV
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

अध्याय-IV: मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

4.1 कर प्रशासन

राज्य में मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क से प्राप्तियां पंजीयन अधिनियम 1908, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित होती हैं। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अधिनियम की अनुसूची में वर्णित दरों के अनुसार प्रत्येक दस्तावेज पर मुद्रांक कर प्रभार्य है। दस्तावेजों के निष्पादन पर मुद्रांक कर आरोपणीय है तथा दस्तावेजों के पंजीयन पर पंजीयन शुल्क देय है। 9 मार्च 2011 से मुद्रांक कर पर सरचार्ज भी प्रभार्य है।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग (विभाग) वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। अतिरिक्त महानिरीक्षक मुख्यालय पर पदेन अधीक्षक (मुद्रांक) होते हैं तथा प्रशासनिक मामलों में महानिरीक्षक की सहायता करते हैं जबकि वित्तीय सलाहकार वित्तीय मामलों में महानिरीक्षक की सहायता करते हैं। पूरे राज्य को 17 वृत्तों¹ में विभाजित किया गया है, जिनके प्रमुख उप महानिरीक्षक सह पदेन कलेक्टर (मुद्रांक) होते हैं। कुल 604 उप-पंजीयक कार्यालयों में से 113 पूर्णकालिक उप-पंजीयक कार्यालयों का नेतृत्व उप-पंजीयक करते हैं तथा 491 कार्यालयों का नेतृत्व भू-राजस्व विभाग के अधीन पदेन क्षमता में कार्यरत तहसीलदार या नायब तहसीलदार करते हैं।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में 559 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयाँ² (19 प्रशासनिक इकाईयाँ सहित) हैं। इनमें से, लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच हेतु 33 इकाईयाँ (1 प्रशासनिक इकाई सहित) का चयन किया। इन इकाईयाँ में 4,87,447 दस्तावेज पंजीबद्ध थे, जिनमें से 1,78,892 दस्तावेज (लगभग 36.70 प्रतिशत) विस्तृत जाँच हेतु चयनित किए गए। संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने 942 दस्तावेजों (नमूना दस्तावेजों का लगभग 0.53 प्रतिशत) में ₹ 15.68 करोड़ के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की कम प्राप्ति/अप्राप्ति पाई।

ये प्रकरण अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित हैं और केवल उदाहरण मात्र हैं। यद्यपि, समान प्रकृति की त्रुटियां लेखापरीक्षा द्वारा पिछले वर्षों में भी ध्यान में लायी गयी थीं, ये अनियमिततायें बनी रहीं तथा आगामी लेखापरीक्षा होने तक उजागर नहीं हो पायीं। देसी गयी अनियमिततायें मुख्यतः नीचे तालिका 4.1 में दी गई श्रेणियों में आती हैं:

- 1 उप महानिरीक्षक, अजमेर, अलवर-I, II, बाँसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर-I, II, III, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर तथा उदयपुर।
- 2 559 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयाँ: कुल 604 उप-पंजीयक कार्यालयों में से 540 उप पंजीयक कार्यालय (पंजीयन प्राधिकारी) राजस्व प्राप्ति में शामिल थे। शेष 64 उप पंजीयक कार्यालयों में पंजीकरण का काम शुरू नहीं हुआ था/वे राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं थे क्योंकि ये नए खुले थे। इस प्रकार, 559 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयाँ में 540 उप पंजीयक कार्यालय तथा 19 प्रशासनिक इकाईयाँ शामिल हैं।

तालिका 4.1: श्रेणीवार अनियमितताएं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	संपत्तियों के बाजार मूल्य का गलत निर्धारण	209	3.77
2.	मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	298	10.38
3.	अन्य अनियमितताएं:		
	(i) आय	432	1.53
	(ii) व्यय	03	0
	कुल	942	15.68

वर्ष 2022-23 के दौरान, विभाग द्वारा 1115 प्रकरणों में राशि ₹ 29.41 करोड़ के अवमूल्यांकन एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया गया, जिसमें से ₹ 13.25 करोड़ के 727 प्रकरण वर्ष 2022-23 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों के बताये गये थे। विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान 395 प्रकरणों में राशि ₹ 6.28 करोड़ वसूल की गयी, जिसमें से राशि ₹ 0.04 करोड़ के 7 प्रकरण वर्ष 2022-23 से संबंधित थे तथा शेष पूर्व के वर्षों से संबंधित थे।

उदाहरणात्मक राशि ₹ 3.86 करोड़ के कुछ प्रकरणों का उल्लेख आगामी अनुच्छेदों में किया गया है।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इनमें से अधिकतर मुद्दे पूर्व में भी उठाये जा चुके हैं जिनमें राज्य सरकार द्वारा आक्षेपों को स्वीकार किया गया तथा कार्यवाही/वसूली आरम्भ की गयी। तथापि, यह देखा गया है कि विभाग द्वारा मात्र उन्हीं प्रकरणों में कार्यवाही की गयी जो लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये गये थे तथा विभाग ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप समान प्रकृति के प्रकरणों की आगामी वर्षों में पुनरावृत्ति हुई।

4.3 साझेदारी में परिवर्तन पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क का अनारोपण/ कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 43(3)(क) के अनुसार, जहाँ साझेदारी अचल सम्पत्ति की धारक होती है तथा सेवानिवृत्त होने वाला साझेदार सेवानिवृत्ति के समय कोई सम्पत्ति लेकर नहीं जाता है तो साझेदारी की अचल सम्पत्ति में से सेवानिवृत्त हुए साझेदार अथवा साझेदारों के हिस्से के बराबर भाग पर मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वेयन्स की दर से प्रभार्य होगा।

तीन उप पंजीयकों³ के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2022 एवं जनवरी 2023 के मध्य)

3 उप पंजीयक: बहरोड़ (अलवर), भरतपुर तथा जयपुर-IX।

के दौरान पाया गया कि अचल संपत्ति के तीन दस्तावेज⁴ उप पंजीयकों के पास पंजीकृत⁵ थे। लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई कमियां निम्न प्रकार हैं:

4.3.1 उप पंजीयक बहरोड़ के प्रकरण में, एक साझेदारी फर्म⁶, जिसके पास एक आवासीय भूमि⁷ थी, ने भूमि पर निर्मित एक अपार्टमेंट की बिक्री के लिए एक विक्रय अनुबंध पंजीकृत (14 अगस्त 2019) करवाया। फर्म की साझेदारी में परिवर्तन के संबंध में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जयपुर से प्राप्त जानकारी को रेरा वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के साथ मिलान करने पर यह पाया गया कि फर्म का एक साझेदार⁸ 2 दिसंबर 2016 को फर्म से सेवानिवृत्त हो गया एवं उसने साझेदारी विलेख (केवल ₹ 500 के मुद्रांक पर) के अनुसार फर्म के अन्य जारी साझेदारों को अपना 5 प्रतिशत हिस्सा हस्तांतरित कर दिया। एक अन्य साझेदार⁹ के सेवानिवृत्त होने के कारण साझेदारी विलेख को 19 मई 2019 (केवल ₹ 2400 के मुद्रांक पर) को अग्रेतर संशोधित किया गया, जिससे उसने अपना 73 प्रतिशत हिस्सा फर्म के अन्य जारी साझेदारों को हस्तांतरित कर दिया।

इस प्रकार, अन्य साझेदारों की सेवानिवृत्ति के कारण अचल सम्पत्ति में कुल 78 प्रतिशत हिस्सा फर्म के विद्यमान दो साझेदारों को हस्तान्तरित हो गया जिस पर राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 43(3)(क) के अनुसार कन्वैयन्स की दर से हस्तांतरित हिस्से पर मुद्रांक कर देय था।

इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 93.46 लाख¹⁰ का कम आरोपण हुआ जो हस्तांतरित शेयर के बाजार मूल्य ₹ 15.58 करोड़¹¹ पर देय था।

4.3.2 उप पंजीयक भरतपुर के प्रकरण में, एक साझेदारी फर्म¹², जिसके पास एक व्यावसायिक भूमि¹³ थी, ने साझेदारी फर्म के साझेदारों के शेयर अनुपात में बदलाव के लिए एक

-
- 4 उप पंजीयक बहरोड़ (अलवर) में बिना कब्जे के विक्रय अनुबंध, उप पंजीयक भरतपुर में पट्टा विलेख (किराया विलेख) तथा उप पंजीयक जयपुर-IX में संशोधित पट्टा विलेख।
 - 5 उप पंजीयक बहरोड़ (अलवर) में दस्तावेज संख्या 2046/14.08.2019, उप पंजीयक भरतपुर में 4826/13.09.2021 तथा उप पंजीयक जयपुर-IX में 5300/27.08.2021
 - 6 मैसर्स राधा कृष्ण बिल्डटेक, जयपुर। यह पंजीकरण संख्या RAJ/P/2017/224 के साथ रेरा में भी पंजीकृत था।
 - 7 गांव दुधेड़ा, तहसील बहरोड़ (अलवर) में स्थित 30143.78 वर्ग मीटर।
 - 8 श्री प्रीतम चैडवाल।
 - 9 मैसर्स राधा कृष्ण बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड।
 - 10 ₹ 93.46 लाख: मुद्रांक कर ₹ 77.89 लाख तथा सरचार्ज ₹ 15.57 लाख।
 - 11 पाँच प्रतिशत शेयर का बाजार मूल्य = (1801.92 वर्ग गज x ₹ 4,980/- प्रति वर्ग गज) = ₹ 89,73,562 तथा 73 प्रतिशत शेयर का बाजार मूल्य = (26308.14 वर्ग गज x ₹ 5,580/- प्रति वर्ग गज) = ₹ 14,67,99,421/- इस प्रकार 78 प्रतिशत शेयर का कुल बाजार मूल्य = (₹ 89,73,562 + ₹ 14,67,99,421) = ₹ 15,57,72,983/- अथवा ₹ 15.58 करोड़।
 - 12 मैसर्स अनुपम प्रॉपर्टीज़, जयपुर।
 - 13 पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने, एसपी कार्यालय के पास, कुंडा, भरतपुर में स्थित 1966.68 वर्ग गज (17700.12 वर्ग फीट) व्यावसायिक भूमि।

पट्टा विलेख (किरायानामा विलेख) प्रस्तुत किया (13 सितम्बर 2021), रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस, जयपुर ने आवश्यक दस्तावेज¹⁴ उपलब्ध करवाये। इन दस्तावेजों के विश्लेषण पर यह पाया गया कि इसकी साझेदारी में तीन बार¹⁵ संशोधन किया गया था, जिसमें संपत्ति का हिस्सा (संचयी रूप से स्वामित्व में 100 प्रतिशत परिवर्तन) जारी साझेदारों को हस्तांतरित किया गया था, जिस पर राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 43 (3) (क) के अनुसार मुद्रांक कर एवं सरचार्ज कन्वैयन्स के रूप में देय थे।

उप पंजीयक ने पट्टा विलेख के पंजीकरण के समय साझेदारी में परिवर्तन के तथ्यों पर विचार नहीं किया, जिस पर हस्तांतरित अचल संपत्ति के बाजार मूल्य ₹ 15.47 करोड़¹⁶ पर मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 1.21 करोड़¹⁷ वसूल किया जाना था तथा केवल पंजीकरण के लिए प्रस्तुत पट्टा विलेख के दस्तावेज पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क के रूप में ₹ 1.65 लाख¹⁸ वसूल किए। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 1.19 करोड़ की कम वसूली हुई (वसूली योग्य ₹ 1.21 करोड़ - वसूले गए ₹ 1.65 लाख)।

4.3.3 राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19 जुलाई 2018 के अनुसार, साझेदारी के दस्तावेज पर देय मुद्रांक कर ₹ 500 होगा, यदि साझेदारी दादा, दादी, पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, पति और पत्नी के मध्य हो।

उप पंजीयक जयपुर-IX के प्रकरण में, एक औद्योगिक भूमि¹⁹ के लिए पट्टादाता²⁰ एवं पट्टेदार²¹ के मध्य एक संशोधित पट्टा विलेख 7 जुलाई 2021 को निष्पादित किया गया था। दस्तावेज के विवरण की जांच करने पर यह पाया गया कि पट्टेदार एक साझेदारी फर्म थी जिसे शुरू में (1 अप्रैल 2006) तीन समान साझेदारों²² के साथ गठित किया गया था तथा बाद में साझेदारी को संशोधित (1 अप्रैल 2020) किया गया जिसके कारण संशोधित पट्टा विलेख निष्पादित किया गया तथा पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया।

14 दस्तावेज यथा साझेदारी विलेख तथा अनुवर्ती संशोधित साझेदारी विलेख।

15 23 दिसंबर 2020, 19 फरवरी 2021 तथा 30 जुलाई 2021 को। संचयी रूप से, स्वामित्व में 100 प्रतिशत परिवर्तन (23 दिसंबर 2020 को 80 प्रतिशत + 19 फरवरी 2021 को 10 प्रतिशत + 30 जुलाई 2021 को 10 प्रतिशत)।

16 ₹ 15.47 करोड़: 80 प्रतिशत के लिए बाजार मूल्य (14160.09 वर्गफीट x ₹ 8,826/- प्रति वर्गफीट) = ₹ 12,49,76,954/- + 10 प्रतिशत के लिए (1770.01 वर्गफीट x ₹ 8,826/- प्रति वर्गफीट) = ₹ 1,56,22,108/- + 10 प्रतिशत के लिए (1770.01 वर्ग फीट x ₹ 7,943/- प्रति वर्ग फीट) = ₹ 1,40,59,189/- इस प्रकार 100 प्रतिशत हिस्से का कुल बाजार मूल्य = (12,49,76,954 + ₹ 1,56,22,108 + ₹ 1,40,59,189) = ₹ 15,46,58,251/- अर्थात ₹ 15.47 करोड़।

17 ₹ 1.21 करोड़: (₹ 97.48 लाख + ₹ 12.18 लाख + ₹ 10.97 लाख)।

18 ₹ 1.65 लाख: मुद्रांक कर ₹ 1.10 लाख, सरचार्ज ₹ 0.33 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.22 लाख।

19 विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में स्थित 4431 वर्ग मीटर का प्लॉट संख्या बी-304

20 पट्टादाता: रीको विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर।

21 पट्टेदार: मैसर्स लक्ष्मी इंडस्ट्रीज, जयपुर।

22 हरीश चावला पुत्र दौलतराम (33.34 प्रतिशत), ब्रजमोहन चावला पुत्र दौलतराम (33.33 प्रतिशत) तथा युधीष्टर चावला पुत्र दौलतराम (33.33 प्रतिशत)।

संशोधित साझेदारी विलेख में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार, दो साझेदार फर्म से सेवानिवृत्त²³ हुए थे तथा एक नया साझेदार²⁴ फर्म में शामिल हुआ था। दो पूर्व साझेदारों की सेवानिवृत्ति के कारण फर्म की अचल संपत्ति का कुल 66.67 प्रतिशत हिस्सा²⁵ शेष²⁶ एक तथा एक नये²⁷ साझेदार के पक्ष में संशोधित पट्टा विलेख के माध्यम से हस्तांतरित किया गया था। इसमें से 17.67 प्रतिशत²⁸ हिस्सा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19 जुलाई 2018 में उल्लेखित रिश्तेदार (भाई²⁹) को हस्तांतरित किया गया था तथा इसलिए इस हिस्से पर कम दरों से मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क वसूली योग्य था। अचल संपत्ति का शेष 49 प्रतिशत³⁰ हिस्सा अन्य (भतीजे) को हस्तांतरित किया गया था जोकि उपरोक्त अधिसूचना में उल्लेखित रिश्तों के अन्तर्गत नहीं आता था एवं इसलिए राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 43(3)(क) के अनुसार कन्वैयन्स पर देय मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क के साथ प्रभार्य था। इस प्रकार, हस्तांतरित संपत्ति के 49 प्रतिशत हिस्से के बाजार मूल्य ₹ 1.48 करोड़³¹ पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 12.99 लाख³² प्रभार्य था।

यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि उप पंजीयक ने संपूर्ण हस्तांतरण को उक्त अधिसूचना में उल्लेखित रिश्तेदारों के लिए मानकर इसे पूरक विलेख के रूप में वर्गीकृत किया तथा मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क के रूप में केवल ₹ 850³³ वसूल किये। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 12.98 लाख³⁴ कम वसूला गया।

इन तीन प्रकरणों में मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 2.25 करोड़³⁵ कम वसूला गया।

23 हरीश चावला पुत्र दौलतराम तथा युधीष्टर चावला पुत्र दौलतराम।

24 मोहित चावला पुत्र ब्रजमोहन चावला (49 प्रतिशत)।

25 66.67 प्रतिशत हिस्सा: हरीश चावला पुत्र दौलतराम का 33.34 प्रतिशत हिस्सा तथा युधीष्टर चावला पुत्र दौलतराम का 33.33 प्रतिशत।

26 ब्रजमोहन चावला पुत्र दौलतराम।

27 मोहित चावला पुत्र ब्रजमोहन चावला।

28 17.67 प्रतिशत: (33.34 प्रतिशत + 33.33 प्रतिशत – 49 प्रतिशत)।

29 ब्रजमोहन चावला पुत्र दौलतराम।

30 49 प्रतिशत हिस्सा: मोहित चावला (भतीजा) को हस्तान्तरित।

31 ₹ 1.48 करोड़: ₹ 3.01 करोड़ का 49 प्रतिशत (भूमि मूल्य ₹ 1,99,39,500 (4431 वर्गमीटर x ₹ 4,500 प्रति वर्गमीटर), टिनशेड ₹ 87,01,620 (2900.54 वर्गमीटर x ₹ 3,000 प्रति वर्गमीटर) तथा निर्माण ₹ 14,84,232 (1236.86 x ₹ 1,200/- प्रति वर्ग फीट)। कुल बाजार मूल्य= ₹ 3,01,25,352/- (₹ 1,99,39,500 + ₹ 87,01,620 + ₹ 14,84,232) अथवा ₹ 3.01 करोड़।

32 ₹ 12.99 लाख: मुद्रांक कर ₹ 8.86 लाख, सरचार्ज ₹ 2.66 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.47 लाख।

33 ₹ 850: मुद्रांक कर ₹ 500, सरचार्ज ₹ 150 तथा पंजीयन शुल्क ₹ 200

34 ₹ 12.98 लाख: मुद्रांक कर ₹ 8.85 लाख, सरचार्ज ₹ 2.66 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.47 लाख।

35 ₹ 2.25 करोड़: ₹ 0.93 करोड़ + ₹ 1.19 करोड़ + ₹ 0.13 करोड़।

प्रकरण राज्य सरकार को सूचित किया गया (जुलाई 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि उप पंजीयक जयपुर-IX के एक दस्तावेज में आक्षेपित राशि ₹ 12.98 लाख (अनुच्छेद 4.3.3 में) के समक्ष ₹ 12.99 लाख वसूल कर ली गई है तथा शेष दो प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) के पास विचाराधीन हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

4.4 राजस्थान निवेश संवर्धन योजना के तहत मुद्रांक कर में अनियमित छूट

राजस्थान निवेश संवर्धन योजना (योजना) 2019 के स्वण्ड 3.1 के अनुसार, यह योजना नई इकाइयाँ स्थापित करने के लिए निवेश करने वाले नए तथा मौजूदा उद्यमों और विस्तार हेतु निवेश करने वाले मौजूदा उद्यमों पर लागू होगी, बशर्ते कि उद्यम योजना की परिचालन अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन या संचालन शुरू कर दे। इसके अलावा, योजना के स्वण्ड 3.2 के अनुसार, मुद्रांक कर में छूट उद्यम की किसी इकाई के लिए लागू नहीं होगी, यदि उसका वाणिज्यिक उत्पादन या संचालन, पात्रता प्रमाण पत्र³⁶ जारी होने से पहले शुरू हो गया है। योजना के स्वण्ड 4 में प्रावधान है कि जिस उद्यम को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वह भूमि की स्वरीद या पट्टे/उप-पट्टे और ऐसी भूमि पर निर्माण या सुधार के लिए निष्पादित दस्तावेजों पर देय मुद्रांक कर में 100 प्रतिशत छूट का दावा करने के लिए पात्र होगा। अधिसूचना दिनांक 23 फरवरी 2022 द्वारा मुद्रांक कर में छूट की सीमा 100 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत कर दी गई। इसके अलावा, स्वंड 17 में यह प्रावधान है कि योजना की किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में उपयुक्त स्क्रीनिंग समिति द्वारा योजना के तहत प्राप्त लाभ वापस ले लिया जावेगा तथा इसकी सिफारिशों पर संबंधित विभाग, उद्यम द्वारा प्राप्त किये गये लाभों को उस तिथि से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित वसूल करेगा, जिस तिथि से लाभ प्राप्त किया गया है।

चार पंजीयक कार्यालयों³⁷ के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2023 एवं मार्च 2024 के मध्य) के दौरान यह पाया गया कि योजना के तहत मुद्रांक कर में 100/75 प्रतिशत छूट के साथ, पांच दस्तावेज³⁸ पंजीबद्ध (नवंबर 2020 एवं अगस्त 2022 के मध्य) किये गये थे, जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

4.4.1 उप-पंजीयक भीलवाड़ा-प्रथम तथा नीमराणा (अलवर) में रीको औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित तीन औद्योगिक भूखंडों³⁹ के लिए तीन पट्टा विलेख राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास

36 योजना के तहत लाभ का दावा करने के लिए राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग के तहत जिला उद्योग केंद्र द्वारा जारी किया गया।

37 भीलवाड़ा, जयपुर-द्वितीय, नीमराणा तथा पाली-प्रथम।

38 उप पंजीयक भीलवाड़ा एवं जयपुर-द्वितीय प्रत्येक में एक-एक पट्टा विलेख, उप पंजीयक नीमराणा में दो पट्टा विलेख तथा उप पंजीयक पाली-प्रथम में एक विक्रय विलेख।

39 नंबर पी-27, रीको एस्टेट, भीलवाड़ा 469.19 वर्गमीटर, एफ-320 रीको घिलोठ, नीमराणा 1287 वर्गमीटर तथा एच1-34 रीको कोलीला जोगा, नीमराणा 416 वर्ग मीटर।

एवं निवेश निगम (रीको) लिमिटेड, जयपुर (पट्टादाता)⁴⁰ तथा पट्टेदारों⁴¹ के मध्य पंजीकृत⁴² (नवंबर 2020 एवं सितंबर 2021 के मध्य) किए गए जिनका मूल्य ₹ 2.84 करोड़⁴³ था जोकि पट्टेदारों द्वारा सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदे गये थे। योजना के तहत जिला उद्योग केंद्र, भीलवाड़ा तथा अलवर द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति पर पट्टा विलेख के पंजीयन के समय मुद्रांक कर तथा सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट ₹ 22.23 लाख⁴⁴ दी गई। यद्यपि, पट्टेदारों ने इन औद्योगिक भूखंडों को इकाईयां स्थापित किए बिना ही विक्रय (अगस्त 2022 एवं मार्च 2023 के मध्य) कर दिया। इसलिए, पट्टेधारकों से मुद्रांक कर तथा सरचार्ज छूट की राशि ₹ 22.23 लाख, ब्याज राशि ₹ 8.87 लाख⁴⁵ के साथ वसूलनीय थी।

4.4.2 उप पंजीयक, जयपुर-II में रीको, सीतापुरा, जयपुर (पट्टादाता) एवं एक कंपनी (पट्टेदार)⁴⁶ के मध्य रीको प्रहलादपुरा, जयपुर में स्थित एक औद्योगिक भूखंड⁴⁷ के लिए एक पट्टा विलेख पंजीकृत⁴⁸ (जुलाई 2021) किया गया, जोकि पट्टेदार द्वारा सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदा गया था। सबमर्सिबल पंप एवं पैनल के निर्माण के लिए औद्योगिक इकाई स्थापित करने की योजना के तहत जिला उद्योग केंद्र, जयपुर (ग्रामीण) द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पट्टा विलेख के पंजीयन के समय मुद्रांक कर तथा सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट राशि ₹ 74.21 लाख⁴⁹ प्रदान की गई थी। इसके अलावा, पट्टेदार के अनुरोध पर, रीको ने भूखंड को चार भागों में उप विभाजित किया। तत्पश्चात्, पट्टेदार ने सभी चार उपविभाजित औद्योगिक भूखंडों को इकाई स्थापित किए बिना ही क्रेता फर्मों⁵⁰ को बेच दिया तथा विक्रय विलेखों⁵¹ के पंजीयन के समय क्रेता फर्मों को पुनः 75 प्रतिशत की छूट

40 पट्टादाता: रीको भीलवाड़ा तथा नीमराना।

41 पट्टेदार: उप पंजीयक भीलवाड़ा-प्रथम में मैसर्स जितेन्द्र एंटरप्राइजेज, भीलवाड़ा तथा मैसर्स उमंग एंटरप्राइजेज, हरियाणा एवं मैसर्स राजस्थान एंटरप्राइजेज, नीमराना (दोनों उप पंजीयक नीमराना में)।

42 दस्तावेज पंजीकरण संख्या 13415/ 04.11.2020, 2204/ 23.09.2021 तथा 801/ 27.03.2021

43 ₹ 2.84 करोड़: ₹ 1.27 करोड़ (उप पंजीयक भीलवाड़ा-प्रथम) तथा ₹ 1.57 करोड़ (उप पंजीयक नीमराना)।

44 ₹ 22.23 लाख: मुद्रांक कर ₹ 7.66 लाख तथा सरचार्ज ₹ 2.30 लाख (उप पंजीयक भीलवाड़ा-प्रथम में) तथा मुद्रांक कर ₹ 9.44 लाख तथा सरचार्ज ₹ 2.83 लाख (उप पंजीयक नीमराना में)।

45 ₹ 8.87 लाख : उप पंजीयक भीलवाड़ा-प्रथम में ₹ 5.38 लाख तथा उप पंजीयक नीमराना में ₹ 3.49 लाख।

46 मैसर्स मिलबोर्न स्विचगियर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर।

47 प्लॉट संख्या ए-181, क्षेत्रफल 9411 वर्गमीटर, मूल्य ₹ 9.51 करोड़ (नीलामी मूल्य ₹10,110 प्रति वर्गमीटर पर)।

48 दस्तावेज पंजीकरण संख्या 5901/20.07.2021

49 ₹ 74.21 लाख: मुद्रांक कर ₹ 57.09 लाख तथा सरचार्ज ₹ 17.12 लाख।

50 मैसर्स सेंचुरी ओवरसीज जयपुर, मैसर्स ओशियन एंटरप्राइजेज जयपुर, मैसर्स फाइन पेपर बोर्ड इंडस्ट्रीज जयपुर तथा मैसर्स ओशियन इलेक्ट्रॉनिक्स जयपुर।

51 दस्तावेज संख्या 4385/ 05.04.2022, 4386/ 05.04.2022, 4890/ 20.04.2022 तथा 4936/ 20.04.2022।

दे दी गई। इसलिए, पट्टेदार से मुद्रांक कर एवं सरचार्ज की छूट राशि ₹ 74.21 लाख⁵² ब्याज राशि ₹ 22.69 लाख के साथ वसूलनीय थी।

4.4.3 उप पंजीयक, पाली-I में, यह पाया गया कि एक औद्योगिक भूखंड⁵³ के लिए विक्रय विलेख⁵⁴ पंजीबद्ध (26 अगस्त 2022) किया गया था, जिस पर जिला उद्योग केंद्र, पाली द्वारा जारी (दिनांक 10.08.2022) पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर रिफ्स 2019 के तहत मुद्रांक कर तथा सरचार्ज में 75 प्रतिशत की छूट राशि ₹ 8.42 लाख⁵⁵ दी गई थी। विक्रय विलेख की जांच से पता चला कि पंजीयन के समय औद्योगिक इकाई पहले से ही चालू थी जिसका तात्पर्य था कि रिफ्स 2019 के खण्ड 3.2 के अनुसार छूट प्रदान नहीं की जानी चाहिए थी। उप पंजीयक ने छूट देने से पहले विक्रय विलेख की ठीक से जांच नहीं की। इसलिए, मुद्रांक कर तथा सरचार्ज में अनियमित छूट राशि ₹ 8.42 लाख ब्याज राशि ₹ 0.90 लाख के साथ वसूलनीय थी।

इस प्रकार इन सभी प्रकरणों में मुद्रांक कर तथा सरचार्ज कुल राशि ₹ 1.05 करोड़⁵⁶ तथा ब्याज राशि ₹ 0.32 करोड़⁵⁷ वसूलनीय थी।

प्रकरण राज्य सरकार को सूचित किया गया (जुलाई 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि उप पंजीयक, नीमराणा के एक दस्तावेज में ₹ 2.11 लाख की पूरी राशि वसूल कर ली गई है एवं उप पंजीयक, भीलवाड़ा-I, जयपुर-II तथा नीमराणा के तीन प्रकरण संबंधित कलेक्टर (मुद्रांक) के यहाँ विचाराधीन हैं तथा उप पंजीयक, पाली-I के शेष एक दस्तावेज में कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रकरण का निर्णय किये जाने के पश्चात वसूली शेष है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

4.5 विकासकर्ता अनुबंध के गलत वर्गीकरण पर मुद्रांक कर तथा सरचार्ज का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 5(ई) के अनुसार, मुद्रांक कर उस अनुबन्ध पर देय है जो किसी प्रोत्साहक या विकासकर्ता को किसी अचल संपत्ति पर निर्माण के लिए अधिकार या शक्ति देता है। भुगतान किये जाने वाले कर की दर संपत्ति के बाजार मूल्य पर स्वामी के हिस्से पर एक प्रतिशत तथा विकासकर्ता के हिस्से पर डेढ़ प्रतिशत है।

52 ₹ 74.21 लाख: मुद्रांक कर ₹ 57.09 लाख तथा सरचार्ज ₹ 17.12 लाख।

53 मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र, पाली में स्थित 3400 वर्ग मीटर का प्लॉट ई-112

54 दस्तावेज पंजीकरण संख्या 8703 दिनांक 26.08.2022

55 ₹ 8.42 लाख: मुद्रांक कर ₹ 6.48 लाख तथा सरचार्ज ₹ 1.94 लाख।

56 ₹ 1.05 करोड़: ₹ 22.23 लाख + ₹ 74.21 लाख + ₹ 8.42 लाख।

57 ₹ 0.32 करोड़: ₹ 8.87 लाख + ₹ 22.69 लाख + ₹ 0.90 लाख।

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक ने पंजीयन प्राधिकारियों को लोक कार्यालयों⁵⁸ के भौतिक अभिलेखों के साथ-साथ लोक कार्यालयों की वेबसाइटों पर ऑनलाइन उपलब्ध अमुद्रांकित/अपंजीकृत दस्तावेजों का निरीक्षण करने के निर्देश दिये (जुलाई 2021)।

उप पंजीयक, जयपुर-V के पंजीयन अभिलेखों तथा राजस्थान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) की वेबसाइट पर उपलब्ध अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2024 एवं मार्च 2024 के मध्य) के दौरान यह पाया गया कि एक भू-स्वामी फर्म⁵⁹ जो पाँच साझेदारों⁶⁰ वाली एक साझेदारी फर्म थी, के पास एक वाणिज्यिक परियोजना विकसित करने के उद्देश्य से एक वाणिज्यिक भूखंड⁶¹ का स्वामित्व था। फर्म में एक छठे साझेदार⁶² को एक विकासकर्ता के रूप में शामिल किया गया एवं तदनुसार, 27 जून 2022 को नए साझेदार के प्रवेश के लिए साझेदारी विलेख के माध्यम से फर्म की साझेदारी को संशोधित किया गया, जिसमें भू-स्वामी (साझेदारी फर्म) तथा विकासकर्ता (छठे भागीदार) के शेयरों को क्रमशः 58 प्रतिशत और 42 प्रतिशत के रूप में नामित किया गया।

अग्रेतर, जांच में पता चला कि संशोधित साझेदारी विलेख को 28 जून 2022 को नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किया गया था तथा मुद्रांक कर एवं सरचार्ज के रूप में मात्र ₹ 650⁶³ का भुगतान किया गया था। तथापि, यह दस्तावेज संशोधित साझेदारी विलेख नहीं था बल्कि एक विकासकर्ता अनुबन्ध था, क्योंकि इसमें मूल साझेदारी फर्म (भू-स्वामी) तथा नए साझेदार (विकासकर्ता) के मध्य भूमि पर एक वाणिज्यिक परियोजना विकसित करने के लिए एक अनुबन्ध था। वाणिज्यिक दर से निर्धारित बाजार मूल्य ₹ 15.57 करोड़⁶⁴ पर मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 24.50 लाख⁶⁵ देय था। मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क से बचने के लिए, फर्म ने इस विलेख को पंजीयन प्राधिकारियों के समक्ष पंजीबद्ध नहीं करवाया। रera वेबसाइट पर डिजिटल रूप से उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण करने में पंजीयन प्राधिकारियों की

58 राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16 दिसम्बर 1997 के अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सभी कार्यालय, निगम, सभी स्थानीय निकाय, सभी पंजीकृत संस्थाएं एवं सहकारी समितियां, सभी निगमित एवं अनिगमित कम्पनियों के कार्यालय तथा नोटरी पब्लिक एवं शपथ आयुक्तों के कार्यालयों को लोक कार्यालय घोषित किया गया है।

59 मैसर्स सुखानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जयपुर।

60 मैसर्स मैनहट्टन कंस्ट्रक्शन्स एलएलपी, मैसर्स तुलसन कंस्ट्रक्शन एलएलपी, मैसर्स सुखानी बिल्डकॉम एलएलपी, मैसर्स फूल प्रॉपर्टीज एलएलपी तथा मैसर्स गगन बिल्डकॉन एलएलपी।

61 एसबी 56, बापू नगर, मेन टॉक रोड, जयपुर, जिसका क्षेत्रफल 1022.50 वर्ग मीटर है।

62 श्री नितेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री शम्भू दयाल अग्रवाल, निवासी जयपुर।

63 ₹ 650: मुद्रांक कर ₹ 500 तथा सरचार्ज ₹ 150

64 ₹ 15.57 करोड़: $1022.50 \text{ वर्गमीटर} \times ₹ 1,52,317 \text{ प्रति वर्गमीटर} = ₹ 15,57,44,133$ अथवा ₹ 15.57 करोड़।

65 ₹ 24.50 लाख: मुद्रांक कर ₹ 18.85 लाख (विकासकर्ता के हिस्से पर ₹ 9,81,188: ₹ 15,57,44,133 के 42 प्रतिशत का डेढ़ प्रतिशत + भूस्वामियों के हिस्से पर ₹ 9,03,316: ₹ 15,57,44,133 के 58 प्रतिशत का एक प्रतिशत) तथा सरचार्ज ₹ 5.65 लाख (मुद्रांक कर का 30 प्रतिशत)।

विफलता के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 24.49 लाख⁶⁶ का कम आरोपण किया गया। इसके अतिरिक्त, यदि दस्तावेज़ पंजीबद्ध होता तो विभाग को पंजीयन शुल्क के रूप में ₹ 15.57 लाख अतिरिक्त प्राप्त होते।

प्रकरण राज्य सरकार को सूचित किया गया (जुलाई 2024)। राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (अप्रैल 2025) कि प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) के यहाँ विचाराधीन है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

66 ₹ 24.49 लाख: मुद्रांक कर ₹ 18.84 लाख तथा सरचार्ज ₹ 5.65 लाख।

अध्याय-V
राज्य आबकारी

अध्याय-V: राज्य आबकारी

5.1 कर प्रशासन

शासन स्तर पर सचिव, वित्त (राजस्व), राज्य आबकारी विभाग (विभाग) के प्रशासनिक प्रमुख हैं। आबकारी आयुक्त, विभाग के प्रमुख हैं। विभाग सात संभागों में विभक्त है जिनके प्रमुख अतिरिक्त आबकारी आयुक्त हैं। जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक, आबकारी शुल्क एवं अन्य शुल्कों के आरोपण/संग्रहण की देखरेख तथा नियंत्रण का कार्य सम्बंधित संभागों के अतिरिक्त आबकारी आयुक्तों के नियंत्रणाधीन करते हैं।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य आबकारी विभाग में कुल 108 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ (54 कार्यान्वयन इकाइयों समेत) हैं, जिनमें से लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा करने के लिए 32 इकाइयों (20 कार्यान्वयन इकाइयों सहित) का चयन किया गया। इन इकाइयों के अभिलेखों, जिनमें 4,925 खुदरा अनुज्ञाधारी (कुल 5,952 अनुज्ञाधारियों में से) सम्मिलित है, की संवीक्षा 11,646 प्रकरणों की जांच के साथ की गई। लेखापरीक्षा में 6,797 प्रकरणों में (लगभग 58 प्रतिशत) राशि ₹ 512.38 करोड़ के आबकारी शुल्क, अनुज्ञापत्र शुल्क, अतिरिक्त राशि की अवसूली/कम वसूली, विलम्ब से भुगतान पर ब्याज/जुर्माना की अवसूली, प्रासव/मदिरा/बीयर की अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क की हानि और अन्य अनियमितताएं प्रकट हुईं। चयनित इकाइयों के अभिलेखों की जांच पर आधारित ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं। समान प्रकृति की कमियां लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व के वर्षों में भी ध्यान में लायी गयी थी। तथापि, ये अनियमितताएं न केवल बनी रहीं अपितु इनमें से कुछ आगामी लेखापरीक्षा होने तक पहचानी नहीं जा सकी।

पायी गई अनियमितताएं मुख्यतः नीचे दी गयी तालिका 5.1 में निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:

तालिका 5.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	आबकारी शुल्क और अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली /कम वसूली।	4,693	500.87
2	भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर पर अतिरिक्त राशि की अवसूली/कम वसूली	254	5.89
3	प्रासव/मदिरा/बीयर की अधिक क्षति के कारण आबकारी शुल्क की हानि।	07	0.10
4	विलंब से भुगतान पर ब्याज/जुर्माना की अवसूली।	354	5.52
5	अन्य अनियमितताएं:		
	(i) राजस्व	1,489	0.00
	(ii) व्यय	0	0.00
	योग	6,797	512.38

विभाग ने 6,197 प्रकरणों में निहित राशि ₹502.28 करोड़ की अनियमितताओं को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 499.73 करोड़ के 5,030 प्रकरण वर्ष 2022-23 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों

में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। विभाग द्वारा 1,178 प्रकरणों में ₹ 2.68 करोड़ की राशि वसूली की गई, जिनमें से ₹ 0.15 करोड़ के 13 प्रकरण वर्ष 2022-23 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे।

राज्य सरकार ने स्वीकार किया (सितंबर 2023) तथा जिला आबकारी अधिकारी, अलवर के अधिकार क्षेत्र में स्थित एक ब्रेवरी पर अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली से संबंधित एक प्रकरण में ₹ 20 लाख की राशि को पूर्ण रूप से वसूल किया। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने स्वीकार किया (मई 2024) तथा बीयर की थोक बिक्री के अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली से संबंधित दो प्रकरणों (जिला आबकारी अधिकारी बहरोड़ से संबंधित) में ₹ 14.00 लाख की राशि को पूर्ण रूप से वसूल किया। इस प्रतिवेदन में इन अनुच्छेदों पर चर्चा नहीं की गई है।

विभाग की लेखापरीक्षित इकाइयों में पाये गये ₹ 247.72 करोड़ के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है। यह भी उल्लेखनीय है कि इनमें से अधिकतर मामले पूर्व में भी उठाए गए थे एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पूर्ववर्ती वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकाशित हुए जिनमें सरकार ने आक्षेपों को स्वीकार कर कार्यवाही/वसूली प्रारंभ की। तथापि, यह देखा गया कि विभाग ने मात्र उन्हीं मामलों में कार्यवाही की जो कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए तथा विभाग आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ नहीं किया जिससे समान प्रकृति के प्रकरणों की आगामी वर्षों में पुनरावृत्ति हुई।

5.3 भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आईएमएफएल) और बीयर की कम उठाई गई मात्रा पर अतिरिक्त राशि की अवसूली

राजस्थान राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति (नीति) 2017-19 से 2020-21 के अनुसार, 2020-21 के दौरान भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आईएमएफएल) की कम उठाई गई मात्रा पर ₹ 20 प्रति बल्क लीटर (बीएल) की दर से और बीयर की कम उठाई गई मात्रा पर ₹ 10 प्रति बीएल की दर से अतिरिक्त राशि का शुल्क त्रैमासिक रूप से ऐसे रिटेल ऑफ अनुज्ञाधारियों से लिया जाना था जिन्होंने पिछले वर्ष की इसी तिमाही में ली गई मात्रा की तुलना में चालू वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान आईएमएफएल और बीयर का उठाव न्यूनतम 10 प्रतिशत तक नहीं बढ़ाया था। यह प्रावधान 2019-20 तक रिटेल ऑन अनुज्ञाधारियों पर भी लागू था, तथापि, 2020-21 की नीति में रिटेल ऑन अनुज्ञाधारियों के लिए उठाव वृद्धि की यह सीमा संशोधित कर 5 प्रतिशत कर दी गई। इसके बाद, कोविड महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने (जुलाई 2020) इस प्रावधान में यह छूट दी कि यदि पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत तक कम मदिरा उठाई गई हो, तो रिटेल ऑन अनुज्ञाधारियों से कोई जुर्माना नहीं वसूला जाएगा।

इसके अलावा, आबकारी आयुक्त ने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए (फरवरी 2020) कि प्रत्येक तिमाही के बाद दुकानवार कम उठाई गई मात्रा की गणना करने का प्रावधान विभागीय वेबसाइट/एकीकृत आबकारी प्रबंधन प्रणाली (आईईएमएस) पर उपलब्ध हो, और प्रत्येक तिमाही के अंत में देय अतिरिक्त राशि के भुगतान के बाद ही किसी समूह/दुकान को अगला परमिट जारी किया जाए। यह भी निर्देशित किया गया था कि समय पर राजस्व वसूली सुनिश्चित करने हेतु आई.टी. अनुभाग आवश्यक प्रावधान करें।

अगस्त 2022 से जनवरी 2023 के मध्य चार जिला आबकारी अधिकारियों¹ के कार्यालयों के वर्ष 2016-22 की अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 2018-21 के दौरान, 503 अनुज्ञाधारियों में से 254 अनुज्ञाधारियों ने पिछले वर्ष की संबंधित तिमाही की तुलना में निर्धारित स्तर तक आईएमएफएल और बीयर के उठाव में वृद्धि नहीं की और इस प्रकार वे ₹ 9.75 करोड़ की अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे। इस कमी में से, ₹ 3.91 करोड़ की राशि अनुज्ञाधारियों की जमानत राशि से वसूल/समायोजित कर ली गई, तथापि शेष ₹ 5.84 करोड़ की राशि की वसूली विभाग नहीं कर सका। अतः नीति प्रावधानों को लागू करने तथा आबकारी आयुक्त के मौजूदा निर्देशों का पालन करने में विफलता के कारण ₹ 5.84 करोड़ की अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं हो सकी।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2024)। राज्य सरकार ने (सितंबर 2024) जवाब दिया कि ₹ 1.13 करोड़ की वसूली कर ली गई है तथा शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा, जिला आबकारी अधिकारी, डूंगरपुर के संबंध में यह बताया गया कि ₹ 4.65 करोड़ में से ₹ 2.21 करोड़ की राशि वसूली योग्य नहीं है, क्योंकि मदिरा की कम उठाई गयी मात्रा की अतिरिक्त राशि की गणना दुकान के बजाय समूहवार की जानी थी और यदि समूह में एक से अधिक दुकाने हैं, तो मदिरा की कम उठाई गयी मात्रा की अतिरिक्त राशि की गणना समूहवार की जायेगी। उत्तर स्वीकार नहीं है, क्योंकि नीति के प्रावधानों के साथ आबकारी आयुक्त के निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कम उठाई गयी मदिरा की मात्रा पर अतिरिक्त राशि की गणना दुकानवार की जानी थी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

5.4 मासिक गारंटी राशि की कम वसूली

राजस्थान राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति (नीति) 2019-20 एवं 2020-21 के अनुसार देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा के समूह/दुकानवार अनुज्ञापत्र एकाकी विशेषाधिकार राशि (ईपीए)² के आधार पर आवंटित किए गए थे। अनुज्ञाधारी को अपने अनुज्ञापत्र अवधि के लिए निर्धारित ईपीए की राशि देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा पर आबकारी शुल्क के रूप में जमा करनी थी। इसके अलावा, खुदरा बिक्री अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार, अनुज्ञाधारी को संबंधित वर्ष के लिए निर्धारित समूह/दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक ईपीए का भुगतान 12 समान मासिक किश्तों में करना आवश्यक था। मासिक किश्त का भुगतान उस माह की अंतिम तारीख तक करना था। यदि कोई अनुज्ञाधारी देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा का न्यूनतम मासिक कोटा उठाने में असमर्थ रहता है, तो वह आबकारी शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान नकद में करने के लिए उत्तरदायी था।

1 जिला आबकारी अधिकारी: चुरु, धौलपुर, डूंगरपुर और जालोर।

2 ईपीए: निर्दिष्ट क्षेत्र में मदिरा के व्यापार के विशेष अधिकार के लिए देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा समूहों/दुकानों से आबकारी विभाग द्वारा वसूली जाने वाली राशि को ईपीए कहा जाता है।

छ: जिला आबकारी अधिकारियों³ के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2019-21⁴ के दौरान कुल 1,058 अनुज्ञाधारियों ने संबंधित महीनों के लिए निर्धारित कोटा ₹ 481.06 करोड़ के समक्ष ₹ 455.31 करोड़ मूल्य की देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा का उठाव किया जिससे 607 अनुज्ञाधारियों की मासिक गारंटी राशि में ₹ 25.75 करोड़ की कमी रही। इस कमी में से ₹ 13.99 करोड़ की राशि अनुज्ञाधारियों की जमानत राशि से वसूल/समायोजित कर ली गई। तथापि, विभाग शेष ₹ 11.76 करोड़ की राशि 388 अनुज्ञाधारियों से वसूल नहीं कर सका। अतः नीति के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू न करने के कारण ₹ 11.76 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2024)। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए जवाब दिया (अगस्त एवं सितंबर 2024) कि ₹ 2.12 करोड़ की वसूली कर ली गई है तथा शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

5.5 देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की कम उठाई गई मात्रा पर बेसिक लाइसेंस फीस की कम वसूली

राजस्थान राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति (नीति) 2020-21 एवं देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की खुदरा बिक्री अनुज्ञापत्र की शर्तों तथा आबकारी आयुक्त द्वारा फरवरी 2020 एवं फरवरी 2021 में जारी निर्देशों के अनुसार, देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा समूहों के अनुज्ञाधारियों को मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि (ईपीए) का न्यूनतम 30 प्रतिशत 25 यूपी⁵ राजस्थान निर्मित मदिरा के उठाव से और शेष 70 प्रतिशत देशी मदिरा के उठाव से पूर्ण करना आवश्यक था। इसमें से न्यूनतम 40 प्रतिशत मात्रा 50/60 यूपी देशी मदिरा की होनी चाहिए तथा शेष 60 प्रतिशत मात्रा 5 यूपी से 40 यूपी तक की देशी मदिरा की होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त निर्देशों के अनुसार, यदि कोई अनुज्ञाधारी किसी माह विशेष में राजस्थान निर्मित मदिरा और 50/60 यूपी देशी मदिरा के निर्धारित गारंटी अनुपात को पूर्ण करने में असफल रहता है, तो उसे सम्बन्धित तिमाही के अन्य माहों में राजस्थान निर्मित मदिरा और 50/60 यूपी देशी मदिरा का उठाव इस प्रकार सुनिश्चित करना होगा कि कुल तिमाही ईपीए की 30 प्रतिशत गारंटी राजस्थान निर्मित मदिरा के आबकारी शुल्क से, 28 प्रतिशत गारंटी 50/60 यूपी देशी मदिरा से और शेष 42 प्रतिशत गारंटी 5 यूपी से 40 यूपी देशी मदिरा से पूर्ण हो। किसी तिमाही में राजस्थान निर्मित मदिरा एवं 50/60 यूपी देशी मदिरा के निर्धारित 30 प्रतिशत एवं 28 प्रतिशत से कम उठाव के मामले में अनुज्ञाधारी राजस्थान निर्मित मदिरा एवं 50/60 यूपी

3 जिला आबकारी अधिकारी चूरू, डूंगरपुर, जालोर (अगस्त 2022 से जनवरी 2023 के मध्य), बारां, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर (अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के मध्य)।

4 जिला आबकारी अधिकारी चूरू, डूंगरपुर (2019-20 और 2020-21), जालोर, बारां, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर (2020-21)।

5 यूपी 'अंडर प्रूफ' को संदर्भित करता है। यह एक अल्कोहलिक पेय में अल्कोहल की मात्रा को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, 50 डिग्री प्रूफ को 50 यूपी तथा 40 डिग्री प्रूफ को 60 यूपी के रूप में दर्शाया जा सकता है।

मदिरा के निर्धारित कोटे व वास्तविक उठाव पर देय आबकारी शुल्क व बेसिक लाइसेंस फीस के अंतर की राशि नकद में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

सात जिला आबकारी अधिकारियों⁶ के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2020-21 के दौरान, 913 अनुज्ञाधारियों ने संबंधित तिमाही में निर्धारित कोटा 112.89 लाख बल्क लीटर राजस्थान निर्मित मदिरा और 158.04 लाख बल्क लीटर 50/60 यूपी देशी मदिरा के समक्ष केवल 105.84 लाख बल्क लीटर राजस्थान निर्मित मदिरा और 153.78 लाख बल्क लीटर 50/60 यूपी देशी मदिरा का उठाव किया। इस कारण तिमाही गारंटी कोटा में 7.05 लाख बल्क लीटर राजस्थान निर्मित मदिरा और 4.26 लाख बल्क लीटर 50/60 यूपी देशी मदिरा की कमी रही, जिस पर 591 अनुज्ञाधारियों से ₹437.54 लाख की बेसिक लाइसेंस फीस की वसूली की जानी थी। इसमें से ₹74.42 लाख की राशि अनुज्ञाधारियों की जमानत राशि से वसूल/समायोजित की गई, तथापि, विभाग शेष ₹363.12 लाख की राशि 456 अनुज्ञाधारियों से वसूल नहीं कर सका। अतः नीति के प्रावधानों को लागू करने में कार्रवाई न करने के कारण ₹363.12 लाख के राजस्व की कम वसूली हुई।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई-अगस्त 2024)। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (अगस्त-सितंबर 2024) बताया कि ₹22.38 लाख की वसूली कर ली गई है तथा शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

5.6 देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा पर आबकारी शुल्क के अंतर राशि की अवसूली

राजस्थान राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति (नीति) 2019-20 तथा देशी मदिरा की खुदरा बिक्री अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार, देशी मदिरा समूहों के अनुज्ञाधारी को मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि (ईपीए) का 40 प्रतिशत, 50/60 यूपी देशी मदिरा की उठाई गई मात्रा से पूर्ण करना अनिवार्य था। इसके अतिरिक्त, नीति 2020-21 एवं देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की खुदरा बिक्री अनुज्ञापत्र की शर्तों तथा आबकारी आयुक्त के निर्देशों⁷ के अनुसार, देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा समूहों के अनुज्ञाधारी को मासिक ईपीए का न्यूनतम 30 प्रतिशत भाग 25 यूपी राजस्थान निर्मित मदिरा की उठाई गई मात्रा से तथा शेष 70 प्रतिशत भाग देशी मदिरा की उठाई गई मात्रा से पूरा करना था, जिसमें से न्यूनतम 40 प्रतिशत मात्रा 50/60 यूपी देशी मदिरा की होगी और अधिकतम 60 प्रतिशत मात्रा 5 यूपी से 40 यूपी देशी मदिरा की होनी चाहिए।

6 जिला आबकारी अधिकारी चूरु, धौलपुर, डूंगरपुर, जालोर (अगस्त 2022 से जनवरी 2023 के मध्य), बारां, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर (अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के मध्य)।

7 दिनांक 26 फरवरी 2020 और 23 फरवरी 2021

यदि अनुज्ञाधारी किसी माह विशेष में राजस्थान निर्मित मदिरा और 50/60 यूपी देशी मदिरा के निर्धारित गारंटी अनुपात को पूर्ण करने में असफल रहता है, तो उसे संबंधित तिमाही के अन्य महीनों में राजस्थान निर्मित मदिरा और 50/60 यूपी देशी मदिरा का उठाव इस प्रकार सुनिश्चित करना होगा कि तिमाही के लिए कुल त्रैमासिक ईपीए में राजस्थान निर्मित मदिरा और 50/60 यूपी देशी मदिरा की तिमाही गारंटी का कोटा पूर्ण हो सके। यदि किसी तिमाही में राजस्थान निर्मित मदिरा और 50/60 यूपी देशी मदिरा का उठाव निर्धारित कोटे से कम होता है तो अनुज्ञाधारी निर्धारित कोटा और वास्तविक उठाव के अंतर पर देय आबकारी शुल्क तथा बेसिक लाइसेंस शुल्क की राशि का भुगतान नकद में करने के लिये उत्तरदायी था।

सात जिला आबकारी अधिकारियों⁸ के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2019-21⁹ के दौरान 1,248 अनुज्ञाधारियों ने संबंधित तिमाहियों के लिए निर्धारित ₹ 341.09 करोड़ के कोटे के समक्ष ₹ 327.85 करोड़ मूल्य की 50/60 यूपी देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा का उठाव किया जिसके कारण 614 अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध तिमाही गारंटी कोटे में ₹ 13.24 करोड़ की कमी रही। इस कमी में से ₹ 1.44 करोड़ की राशि अनुज्ञाधारियों की जमानत राशि से वसूल/समायोजित की गई, तथापि, विभाग शेष ₹ 11.80 करोड़ की राशि 533 अनुज्ञाधारियों से वसूल नहीं कर सका। अतः नीति के प्रावधानों को लागू करने हेतु कार्रवाई नहीं करने के कारण ₹ 11.80 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2024)। सरकार ने (अगस्त 2024) जवाब दिया कि ₹ 0.58 करोड़ की वसूली/समायोजन कर लिया गया है तथा शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, जिला आबकारी अधिकारी धौलपुर के संबंध में यह कहा गया कि छः अनुज्ञाधारियों से ₹ 3.70 लाख की राशि वसूली योग्य नहीं है क्योंकि अनुज्ञापत्र की शर्तों में यह प्रावधान है कि प्रथम तिमाही में मदिरा के अधिक उठाव के समक्ष अनुज्ञाधारी को द्वितीय तिमाही में समायोजन दिया जा सकता है। जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नीति, अनुज्ञापत्र की शर्तों या आबकारी आयुक्त के निर्देशों में वर्ष की अन्य तिमाहियों में राजस्थान निर्मित मदिरा और 50/60 यूपी देशी मदिरा के निर्धारित त्रैमासिक गारंटी कोटे में कमी की प्रथम तिमाही में मदिरा के अतिरिक्त उठाव की राशि के समायोजन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये संबंधित समायोजन आदेशों में, समायोजन वस्तुतः विशेष वेंड फीस की कमी के संबंध में था, तिमाही गारंटी कोटे में 50/60 यूपी देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की कम उठाई गई मात्रा पर आबकारी शुल्क की अंतर राशि के समायोजन के संबंध में नहीं था। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

8 जिला आबकारी अधिकारी चूरु, धौलपुर, डूंगरपुर, जालोर (अगस्त 2022 से जनवरी 2023 के मध्य), बारां, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर (अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के मध्य)।

9 जिला आबकारी अधिकारी बारां, चूरु, डूंगरपुर (2019-20 और 2020-21), धौलपुर, जालोर, सवाई माधोपुर और श्रीगंगानगर (2020-21)।

5.7 मदिरा दुकानों से कम्पोजिट फीस की कम वसूली

राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2021-22 के पैरा संख्या 4.2 तथा मदिरा दुकानों के अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन से संबंधित आबकारी आयुक्त द्वारा जारी विस्तृत निर्देशों एवं शर्तों के पैरा संख्या 17.4 के अनुसार, मदिरा दुकानों के अनुज्ञाधारियों को दुकान के लिए निर्धारित कम्पोजिट फीस¹⁰ का 50 प्रतिशत 31 मार्च 2021 तक या दुकान प्रारंभ होने से पहले, जो भी पहले हो, का भुगतान करना अनिवार्य था तथा शेष 50 प्रतिशत कम्पोजिट फीस का अगले तीन महीनों में भुगतान किया जाना था।

इसके अतिरिक्त, शेष 50 प्रतिशत कम्पोजिट फीस को बिना ब्याज जमा कराने की शिथिलता राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दी गई तथा इसे 17 जून 2021 के आदेश के माध्यम से 31 अगस्त 2021 तक और बाद में 5 फरवरी 2022 के आदेश के माध्यम से 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया।

चार जिला आबकारी अधिकारियों¹¹ के अधीन रिटेल अनुज्ञाधारियों की कम्पोजिट फीस से संबंधित वर्ष 2021-22 की अभिलेखों की लेखापरीक्षा (अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के मध्य) के दौरान यह पाया गया कि 1081 अनुज्ञाधारियों में से 229 अनुज्ञाधारियों ने अपनी निर्धारित कम्पोजिट फीस ₹ 8.10 करोड़ के समक्ष केवल ₹ 4.99 करोड़ की राशि जमा की और शेष कम्पोजिट फीस जमा किए बिना पूरे वर्ष 31 मार्च 2022 तक अपनी दुकानें संचालित करते रहे जिसके कारण 222 अनुज्ञाधारियों से ₹ 3.11 करोड़ की कम्पोजिट फीस की कम वसूली हुई। यह दर्शाता है कि विभाग ने शेष कम्पोजिट फीस की वसूली नहीं की और अनुज्ञाधारियों को उनकी दुकानों के संचालन में अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2024)। राज्य सरकार ने जवाब दिया (अगस्त 2024) कि ₹ 0.57 करोड़ की वसूली कर ली गई है तथा शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

5.8 अवधिपार बीयर स्टॉक पर आबकारी शुल्क की अवसूली

राजस्थान आबकारी अधिनियम (अधिनियम) की धारा 28 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित या अनुज्ञापत्र प्राप्त किसी भी डिस्टलरी ब्रेवरी या पोट-स्टिल में निर्मित किसी भी आबकारी शुल्क योग्य वस्तु पर आबकारी शुल्क लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान ब्रेवरी नियम, 1972 के नियम 15 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार किसी ब्रेवरी में संग्रहीत किसी भी बीयर के आग या चोरी या माप-तौल या किसी अन्य दुर्घटना या कारण से नष्ट होने, हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। नियमों के नियम 41 में यह प्रावधान है कि जब तक

10 कम्पोजिट फीस: यह शुल्क उन दुकानों पर लगाया जाता है जिन्हें सभी प्रकार की मदिरा जैसे देशी मदिरा, भारतीय निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर विक्रय का अधिकार प्राप्त होता है।

11 जिला आबकारी अधिकारी बारां, सवाई माधोपुर, सीकर और श्रीगंगानगर।

अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत लगाए गए शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है या ब्रेवर द्वारा राज्य से बाहर बीयर के निर्यात हेतु बंध-पत्र (बॉन्ड) निष्पादित नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी बीयर को ब्रेवरी से बाहर नहीं ले जाया जाएगा। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 की राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति के पैरा 4.9.12 के अनुसार राज्य में बीयर की आपूर्ति हेतु 'उपयोग से पहले उत्तम' की अवधि छः माह से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई थी, और मद्य क्रय नीति¹² के पैरा 7.2 के अनुसार, बॉटलिंग की तिथि/माह से 225 दिन से अधिक पुराना कोई भी बीयर स्टॉक राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि यह मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है।

जिला आबकारी अधिकारी, बहरोड़ के क्षेत्राधिकार में आने वाली एक ब्रेवरी¹³ के वर्ष 2021-23 की अवधि के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (नवंबर 2023) के दौरान यह पाया गया कि संबंधित ब्रेवर, निर्मित बीयर के 31,990 केसों को निर्माण की तिथि/माह (मार्च 2022 से नवंबर 2022) से एक वर्ष के भीतर प्रेषित करने में असफल रहा, जिससे वह बीयर मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो गई। अवधिपार बीयर पर देय आबकारी शुल्क का भुगतान ब्रेवर द्वारा नहीं किया गया और न ही विभाग द्वारा उस अवधिपार स्टॉक को नष्ट करने एवं संबंधित प्रावधानों के अनुसार आबकारी शुल्क की वसूली के लिए कोई कार्रवाई की गई।

इस प्रकार, अवधिपार बीयर स्टॉक पर आबकारी शुल्क का भुगतान न तो ब्रेवर द्वारा किया गया और न ही आबकारी विभाग द्वारा इसकी मांग की गई, परिणामस्वरूप ₹ 2.53 करोड़ की आबकारी शुल्क की वसूली नहीं हुई। इसके अलावा, विभाग द्वारा ऐसी बीयर को नष्ट करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण अवधिपार बीयर स्टॉक ब्रेवरी में अवरुद्ध रहा और ऐसी बीयर के उपयोग के कारण किसी भी प्रकार की अनहोनी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई एवं जुलाई 2024)। राज्य सरकार ने (जून 2024) जवाब दिया कि संबंधित इकाई वर्तमान में उत्पादन के लिए बंद है और वे अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नहीं कर रहे हैं। तथापि, बकाया राशि जमा कराने के लिए नोटिस जारी किया गया है (जून 2024) तथा शुल्क की वसूली/बीयर के निस्तारण से संबंधित कार्यवाही नोटिस के जवाब प्राप्त होने पर की जाएगी। राज्य सरकार ने आगे बताया (अगस्त 2024) कि संबंधित इकाई ने राजस्थान उच्च न्यायालय से वसूली पर स्थगन (जुलाई 2024) प्राप्त कर लिया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

5.9 अनुज्ञापत्र की शर्तों के उल्लंघन पर लगायी गयी शास्ति की अवसूली

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (अधिनियम) की धारा 34 (ग) एवं राजस्थान आबकारी नियम, 1956 (नियम) के नियम 76 (ग) के अनुसार, यदि कोई अनुज्ञाधारी या उसका सेवक

12 फरवरी 2021 में राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएसबीसीएल) द्वारा जारी।

13 जिला आबकारी अधिकारी बहरोड़ के अंतर्गत मैसर्स जीविया बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड, भिवाड़ी।

अनुज्ञापत्र की किसी शर्त का उल्लंघन करता है या अधिनियम अथवा इसके तहत जारी किसी अधिसूचना, आदेश या नियम का उल्लंघन करता है, तो अनुज्ञा प्रदान करने वाला प्राधिकारी उस अनुज्ञापत्र को निरस्त या निलंबित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 58 (ग) अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञापत्र की किसी भी शर्त के उल्लंघन में जानबूझकर किए गए कार्य या चूक के लिए शास्ति सहित प्रत्येक अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है और अधिनियम की धारा 70 आबकारी अधिकारियों को निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन अपराध का शमन करने के लिए अधिकृत करती है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 की राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति के क्रमशः पैरा संख्या 15 एवं 14 तथा मदिरा की दुकानों हेतु आवेदन के संबंध में जारी विस्तृत निर्देशों की शर्त संख्या 26 में अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक मूल्य पर मदिरा का विक्रय करने और निर्धारित समयसीमा के पश्चात दुकान खोलने पर अनुज्ञापत्र के निलंबन/निरस्तीकरण का प्रावधान किया गया है क्योंकि यह अधिनियम की धारा 58 (ग) प्रावधानानुसार अनुज्ञा की शर्त का उल्लंघन है।

छ: जिला आबकारी अधिकारियों¹⁴ के अधीन पंजीकृत व शमन किये गये प्रकरणों की लेखापरीक्षा (अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के मध्य) के दौरान पाया गया कि वर्ष 2017-23 के दौरान कुल 1,649 प्रकरण धारा 58 (ग) के अंतर्गत दर्ज किए गए। इनमें से 1,566 प्रकरणों में आबकारी आयुक्त या संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा शास्ति/शमनीय राशि आरोपित कर शमन किया गया। इन प्रकरणों में शमन आदेशानुसार, यदि शमनीय राशि 15 दिनों के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो धारा 34 (ग) एवं नियम 76 (ग) के तहत अनुज्ञापत्र निरस्त करने की कार्रवाई की जानी थी।

यह देखा गया कि इन 1,566 प्रकरणों में से केवल 1,339 प्रकरणों में ही शमनीय राशि जमा की गई, शेष 227 प्रकरणों में ₹ 74.73 लाख की राशि संबंधित अनुज्ञाधारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं कराई गई थी। संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों ने न तो बकाया राशि वसूल की और न ही शमन आदेशों में उल्लेखित शर्तों के अनुसार ऐसे अनुज्ञाधारियों के अनुज्ञापत्र निरस्त किए तथा अनुज्ञाधारियों को बिना शास्ति का भुगतान किए व्यवसाय जारी रखने की अनुमति दी। अधिकांश प्रकरण एमआरपी से अधिक दर पर मदिरा बेचने और निर्धारित समय के पश्चात् दुकान खोलने से संबंधित थे।

यद्यपि विभाग द्वारा दर्ज प्रकरणों की प्रविष्टि आईईएमएस के 'ऑनलाइन एफआईआर पंजीकरण मॉड्यूल' में की गई थी एवं एफआईआर इसी ऑनलाइन मॉड्यूल से मुद्रित की गई, लेकिन प्रकरणों के निपटान के संबंध में आगे की कार्यवाही को इस मॉड्यूल में अद्यतन नहीं किया गया, जिससे विभागीय अधिकारियों की प्रकरणों के निपटान एवं राशि ₹ 74.73 लाख की शास्ति की वसूली पर नियंत्रण में कमी इंगित होती है।

14 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, अलवर, बारां, सवाई माधोपुर, सीकर और श्रीगंगानगर।

प्रकरण विभाग और राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2024)। सरकार ने (अगस्त 2024) जवाब दिया कि ₹ 8.15 लाख की वसूली की जा चुकी है तथा शेष राशि की वसूली हेतु संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

5.10 वार्षिक अनुज्ञा शुल्क की वसूली का अभाव

राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2022-23 तथा मदिरा की रिटेल बिक्री हेतु कम्पोजिट दुकानों की अनुज्ञापत्रों की शर्तों के अनुसार, वर्ष 2022-23 के लिए अनुज्ञाधारी की वार्षिक गारंटी राशि के 5 प्रतिशत के बराबर वार्षिक अनुज्ञा शुल्क निर्धारित किया गया था। मदिरा दुकानों के अनुज्ञाधारियों को 14 मार्च 2022 तक दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक अनुज्ञा शुल्क की 50 प्रतिशत राशि जमा करानी थी अथवा यदि दुकान का आवंटन ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से किया गया हो, तो यह राशि नीलामी की शर्तों में निर्धारित तिथि तक जमा करनी थी। शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित वर्ष की द्वितीय एवं तृतीय तिमाही में समान किशतों में करना था। यदि अनुज्ञाधारी वार्षिक गारंटी राशि के आधार पर निर्धारित तिमाही गारंटी राशि पूर्ण कर लेता है, तो वह वार्षिक अनुज्ञा शुल्क की 50% राशि के समक्ष मदिरा का उठाव कर सकता था।

इसके अतिरिक्त, जनवरी 2023 में आबकारी आयुक्त द्वारा सभी जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि अनुज्ञाधारियों की तृतीय तिमाही तक की शेष वार्षिक अनुज्ञा शुल्क राशि नकद जमा करके या 15 फरवरी 2023 तक मदिरा का उठाव कर तक पूर्ण की जा सकती है।

छ: जिला आबकारी अधिकारियों¹⁵ के अधीन रिटेल अनुज्ञाधारियों से संबंधित वार्षिक अनुज्ञा शुल्क अभिलेखों की लेखापरीक्षा (अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के मध्य) के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2022-23 में 1,799 अनुज्ञाधारियों ने अपने निर्धारित वार्षिक अनुज्ञा शुल्क राशि ₹ 91.85 करोड़ के समक्ष ₹ 90.93 करोड़ वार्षिक अनुज्ञा शुल्क जमा कराया, जिसके कारण 51 अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध ₹ 0.92 करोड़ के वार्षिक अनुज्ञा शुल्क की कमी रही। इसके अलावा, जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा द्वितीय एवं तृतीय तिमाही की जमा वार्षिक अनुज्ञा शुल्क किशतों में से ₹ 14.86 करोड़ अनुज्ञाधारियों को मदिरा उठाव हेतु जारी किए, जबकि संबंधित अनुज्ञाधारियों द्वारा ₹ 14.08 करोड़ मूल्य की ही मदिरा का उठाव किया गया, जिससे 78 अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध ₹ 0.78 करोड़ के वार्षिक अनुज्ञा शुल्क की कमी रही। इस प्रकार कुल 129 अनुज्ञाधारियों के समक्ष ₹ 1.70 करोड़ वार्षिक अनुज्ञा शुल्क की कमी रही। इस कमी में से ₹ 0.19 करोड़ की वसूली या समायोजन अनुज्ञाधारियों की जमानत राशि से किया गया। तथापि, विभाग 106 अनुज्ञाधारियों से शेष ₹ 1.51 करोड़ की वसूली नहीं कर सका।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2024)। सरकार ने जवाब

15 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, अलवर, बारां, सवाई माधोपुर, सीकर और श्रीगंगानगर।

दिया (सितम्बर 2024) कि ₹ 0.14 करोड़ की वसूली की जा चुकी है एवं शेष राशि की वसूली हेतु संबंधित आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

5.11 मदिरा के वार्षिक गारंटी कोटा के कम उठाव पर आबकारी शुल्क एवं बेसिक लाइसेंस फीस की कम वसूली

राज्य आबकारी एवं मद्यसंयम नीति (नीति) वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के अनुसार देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों के अनुज्ञापत्र ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से दुकानवार न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारित करके अधिकतम मूल्य के अनुसार प्राप्त वार्षिक गारंटी राशि पर आवंटित किए गए थे। इन कम्पोजिट दुकानों के अनुज्ञाधारी, वार्षिक गारंटी राशि की राशि, आबकारी शुल्क एवं अतिरिक्त आबकारी शुल्क के रूप में भुगतान हेतु उत्तरदायी थी। इसके अलावा, नीति के विस्तृत निर्देशों और शर्तों¹⁶ में वर्ष 2021-22 के लिए मदिरा उठाव का अनुपात का प्रावधान किया गया है।

16 अनुज्ञाधारियों को देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की कुल वार्षिक गारंटी राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत राजस्थान निर्मित मदिरा की उठाई गई मात्रा से और शेष 50 प्रतिशत देशी मदिरा की उठाई गई मात्रा से पूर्ण करना था, जिसमें न्यूनतम 40 प्रतिशत 50/60 यूपी देशी मदिरा की उठाई गई मात्रा से तथा 60 प्रतिशत 40 यूपी देशी मदिरा से की गई मात्रा से पूरा करना था।

- यदि किसी माह विशेष में अनुज्ञाधारी द्वारा निर्धारित गारंटी अनुपात के अनुसार देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की उठाई गई मात्रा पूरी नहीं की जाती है, तो उसे संबंधित त्रैमासिक के अन्य महीनों में देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा का इस प्रकार उठाव सुनिश्चित करना था कि देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की कुल त्रैमासिक वार्षिक गारंटी राशि की 50 प्रतिशत गारंटी राजस्थान निर्मित मदिरा के आबकारी शुल्क से, 20 प्रतिशत गारंटी 50/60 यूपी देशी मदिरा से, तथा शेष 30 प्रतिशत गारंटी 5 यूपी से 40 यूपी तक की देशी मदिरा की मात्रा से पूरी की जानी थी।

- यदि निर्धारित अनुपात के अनुसार त्रैमासिक गारंटी राशि (त्रैमासिक एमआरपी के बराबर) के समक्ष मदिरा का कम उठाव किया है तो अनुज्ञाधारी को वांछित कोटा और वास्तविक उठाई गई मदिरा के आधार पर देय आबकारी शुल्क और बेसिक लाइसेंस फीस के अंतर की राशि नकद में जमा करनी थी।

- राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निर्मित मदिरा के उठाव में छूट दी गई थी, जिसके अंतर्गत अनुज्ञाधारियों के पास देशी मदिरा और राजस्थान निर्मित मदिरा की कुल वार्षिक गारंटी राशि के 50 प्रतिशत के स्थान पर न्यूनतम 35 प्रतिशत को राजस्थान निर्मित मदिरा की उठाई गई मात्रा से तथा शेष 15 प्रतिशत देशी मदिरा (दिनांक 09 सितंबर 2021 से प्रभावी) या आईएमएफएल (दिनांक 02 दिसंबर 2021 से प्रभावी) की उठाई गई मात्रा से पूरा करने का विकल्प था। इसके अलावा, पहली तिमाही में मदिरा के अतिरिक्त उठाव को दूसरी और तीसरी तिमाही की कमी के समक्ष समायोजित करने की अनुमति दी गई तथा पहली और दूसरी तिमाही की कमी को तीसरी तिमाही में उठाव करके पूरा करने की छूट भी प्रदान की गई। इसके अलावा, सरकार द्वारा (दिनांक 28 मार्च 2022) यह छूट भी प्रदान की गई कि पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही की कमी को मार्च 2022 तक मदिरा के उठाव द्वारा पूरा किया जा सकता था।

इसी प्रकार, नीति और शर्तों¹⁷ में वर्ष 2022-23 के लिए मदिरा उठाव के अनुपात का प्रावधान किया गया है।

छ: जिला आबकारी अधिकारियों¹⁸ के कार्यालयों के अभिलेखों, ईपीए रिपोर्ट, और आईईएमएस (राज्य आबकारी विभाग की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली) से डाउनलोड किए गए दुकानों के गारंटी डाटा एवं जिला आबकारी अधिकारियों से प्राप्त जानकारी सहित लेखापरीक्षा (अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के मध्य) के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2021-23 के दौरान 2,885 अनुज्ञाधारियों ने संबंधित तिमाहियों के लिए निर्धारित ₹ 2,772.85 करोड़ के कोटे के समक्ष ₹ 2,566.19 करोड़ की मदिरा का ही उठाव किया, जिसके परिणामस्वरूप 1,744 अनुज्ञाधारियों की वार्षिक गारंटी राशि में ₹ 206.66 करोड़ की कमी रही। इस कमी में से ₹ 43.29 करोड़ की राशि अनुज्ञाधारियों की जमानत राशि से वसूल या समायोजित की गई। तथापि, विभाग 1,138 अनुज्ञाधारियों से शेष ₹ 163.37 करोड़ की गारंटी राशि की वसूली नहीं कर सका, जैसा कि नीचे दी गई तालिका 5.2 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 5.2: वार्षिक गारंटी राशि की वसूली में कमी

वर्ष	कुल अनुज्ञाधारी	निर्धारित कोटा (₹ करोड़ में)	उठाई गई मदिरा (₹ करोड़ में)	कमी राशि (₹ करोड़ में)	दोषी अनुज्ञाधारियों की संख्या	वसूल/समायोजित राशि (₹ करोड़ में)	शेष दोषी अनुज्ञाधारी	शेष राशि (₹ करोड़ में)
2021-22	1,086 (चार ¹⁹ जिला आबकारी अधिकारियों के अन्तर्गत के अंतर्गत)	951.85	803.90	147.95	937	35.97	665	111.98

17 अनुज्ञाधारियों को कुल देशी मदिरा (राजस्थान निर्मित मदिरा सहित) की वार्षिक गारंटी राशि की न्यूनतम 30 प्रतिशत राशि की पूर्ति राजस्थान निर्मित मदिरा की उठाई गयी मात्रा से तथा शेष 70 प्रतिशत वार्षिक गारंटी राशि की न्यूनतम 40 प्रतिशत राशि की पूर्ति 50/60 यूपी देशी मदिरा की उठाई गयी मात्रा से सुनिश्चित करनी थी।

- यदि कोई अनुज्ञाधारी किसी माह विशेष में उपर्युक्त निर्धारित गारंटी अनुपात की पूर्ति करने में विफल रहता है तो उसे संबंधित तिमाही के अन्य महीनों में इस प्रकार मदिरा का उठाव सुनिश्चित करना था कि कुल त्रैमासिक देशी मदिरा की वार्षिक गारंटी राशि (राजस्थान निर्मित मदिरा सहित) का 30 प्रतिशत राजस्थान निर्मित मदिरा पर लगने वाले आबकारी शुल्क से तथा 28 प्रतिशत गारंटी 50/60 यूपी देशी मदिरा से पूरी की जा सके।
- यदि त्रैमासिक गारंटी राशि (त्रैमासिक एमआरपी के बराबर) के निर्धारित अनुपात के समक्ष मदिरा के उठाव के मामले में अनुज्ञाधारी को वांछित कोटा और वास्तविक उठाव के बीच के अंतर की आबकारी शुल्क एवं बेसिक लाइसेंस फीस नकद में जमा करानी थी।
- इसके अतिरिक्त, आबकारी आयुक्त (20 जुलाई 2022) द्वारा प्रथम त्रैमास की कमी को 30 जुलाई 2022 तक मदिरा उठाव कर पूरा करने की अनुमति दी गई थी। साथ ही, आबकारी आयुक्त (30 जनवरी 2023) द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तिमाही की कमी को 15 फरवरी 2023 तक मदिरा उठाव कर पूरा करने की छूट दी गई थी।

18 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, अलवर, बारां, सवाई माधोपुर, सीकर और श्रीगंगानगर।

19 जिला आबकारी अधिकारी बारां, सवाई माधोपुर, सीकर और श्रीगंगानगर।

वर्ष	कुल अनुज्ञाधारी	निर्धारित कोटा (₹ करोड़ में)	उठाई गई मदिरा (₹ करोड़ में)	कमी राशि (₹ करोड़ में)	दोषी अनुज्ञाधारियों की संख्या	वसूल/समायोजित राशि (₹ करोड़ में)	शेष दोषी अनुज्ञाधारी	शेष राशि (₹ करोड़ में)
2022-23	1,799 (छ: 20 जिला आबकारी अधिकारियों के अन्तर्गत के अंतर्गत)	1,821.00	1,762.29	58.71	807	7.32	473	51.39
कुल	2885	2772.85	2566.19	206.66	1744	43.29	1138	163.37

इसके अतिरिक्त, ₹ 206.66 करोड़ की वार्षिक गारंटी राशि की कमी में ₹ 32.47 करोड़ की राजस्थान निर्मित मदिरा, ₹ 14.06 करोड़ की 50/60 यूपी देशी मदिरा और ₹ 41.55 करोड़ की 40 यूपी देशी मदिरा की कमी सम्मिलित थी जिस पर 1,487 अनुज्ञाधारियों से ₹ 45.55 करोड़ की बेसिक लाइसेंस फीस देय थी। इस कमी में से ₹ 2.13 करोड़ वसूल या जमानत राशि से समायोजित किये गये। तथापि, विभाग 1,073 अनुज्ञाधारियों से ₹ 43.42 करोड़ की शेष बेसिक लाइसेंस फीस की राशि की वसूली नहीं कर सका, जैसा कि नीचे दी गई तालिका 5.3 में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 5.3: बेसिक लाइसेंस फीस की वसूली में कमी

वर्ष	गारंटी राशि में कमी(निर्धारित कोटा और मदिरा उठाव के बीच का अंतर) (₹ करोड़ में)					राजस्थान निर्मित मदिरा और देशी मदिरा पर देय कुल बेसिक लाइसेंस फीस राशि। (₹ करोड़ में)	दोषी अनुज्ञाधारियों की संख्या	वसूल/समायोजित राशि (₹ करोड़ में)	शेष दोषी अनुज्ञाधारी	शेष बेसिक लाइसेंस फीस की राशि (₹ करोड़ में)
	कुल कमी	आईएमएफएल	आरएमएल	50/60 यूपी देशी मदिरा	40 यूपी देशी मदिरा					
2021-22	147.95	83.76	23.03	9.61	31.55	34.16	862	1.59	676	32.57
2022-23	58.71	34.82	09.44	4.45	10.00	11.39	625	0.54	397	10.85
कुल	206.66	118.58	32.47	14.06	41.55	45.55	1487	2.13	1073	43.42

अतः नीति और लाइसेंस की शर्तों के प्रावधानों को लागू करने में जिला आबकारी अधिकारियों की कार्यवाही की कमी के कारण ₹ 206.79 करोड़ की आबकारी शुल्क एवं बेसिक लाइसेंस फीस की कम वसूली हुई।

प्रकरण विभाग एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2024)। सरकार ने जवाब दिया (सितंबर 2024) कि ₹ 163.37 करोड़ के समक्ष ₹ 3.72 करोड़ गारंटी राशि तथा ₹ 43.42 करोड़ के समक्ष ₹ 0.55 करोड़ बेसिक लाइसेंस फीस की वसूली की जा चुकी है। यह भी बताया गया कि शेष राशि की वसूली हेतु संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2025)।

20 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, बारां, सवाई माधोपुर, सीकर और श्रीगंगानगर।

भाग-ख
व्यय क्षेत्र

अध्याय-VI
सामान्य

अध्याय-VI: सामान्य

6.1 लेखापरीक्षित इकाइयों की रूपरेखा

राजस्थान सरकार के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत, 63 विभाग, 176 स्वायत्तशासी निकाय एवं 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जो कि अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं, जिनकी लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान, जयपुर द्वारा की जाती है। विभागों की सूची परिशिष्ट 6.1 में दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान किये गये व्ययों की तुलनात्मक स्थिति तालिका 6.1 में दी गई है।

तालिका 6.1 : सरकार द्वारा किये गए व्ययों की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)					
विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व व्यय					
सामान्य सेवाएँ	54,364	56,186	60,144	65,406	71,875
सामाजिक सेवाएँ	65,687	68,313	74,009	85,054	90,168
आर्थिक सेवाएँ	46,722	51,986	44,156	59,330	64,436
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	-*	-**	-***	-****	-*****
योग (अ)	1,66,773	1,76,485	1,78,309	2,09,790	2,26,479
पूँजीगत एवं अन्य व्यय					
पूँजीगत परिव्यय	19,638	14,718	15,271	24,152	19,798
संवितरित कर्ज एवं अग्रिम	1,113	2,255	491	621	175
लोक ऋण की अदायगी	16,915	18,616	17,539	17,586	20,819
आकस्मिकता निधि	-	-	-	500	-
लोक लेखा संवितरण	1,60,570	1,79,741	1,99,229	2,40,110	2,34,001
योग (ब)	1,98,236	2,15,330	2,32,530	2,82,969	2,74,793
कुल योग (अ+ब)	3,65,009	3,91,815	4,10,839	4,92,759	5,01,272

स्रोत : राज्य वित्त पर सम्बन्धित वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

* ₹ 9 लाख मात्र, ** ₹ 7 लाख मात्र, *** ₹ 7 लाख मात्र, **** ₹ 4 लाख मात्र, ***** ₹ 4 लाख मात्र

6.2 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) को लेखापरीक्षा का प्राधिकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13, 14, 15 एवं 17 के अंतर्गत प्राप्त है। विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिए सिद्धांत तथा कार्यपद्धति सीएजी द्वारा जारी किये गये लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम, 2020 तथा लेखापरीक्षण मानक, 2017 में निर्धारित किये गये हैं।

6.3 लेखापरीक्षा योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान, सीएजी के निर्देशों के अन्तर्गत, सरकारी विभागों/कार्यालयों/स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संस्थाओं की लेखापरीक्षा का संचालन करता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान, जयपुर के लेखापरीक्षा दलों द्वारा राज्य सरकार के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न विभागों, स्वायत्तशासी निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राज्य सरकार की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की चयनित इकाइयों की वित्तीय एवं अनुपालन लेखापरीक्षा संचालित की गई।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया, विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/स्वायत्तशासी निकायों एवं योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि के जोखिम प्रदर्शन के मूल्यांकन के साथ प्रारम्भ होती है। जोखिम का मूल्यांकन व्यय, गतिविधियों की गंभीरता/जटिलता, वित्तीय शक्तियों के सौंपने का स्तर तथा समग्र आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन एवं भागीदारों की चिन्ताओं पर आधारित होता है। इस अभ्यास में गत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी ध्यान में रखे जाते हैं।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरांत, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समावेश करते हुए, इकाई/विभागों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) प्राप्ति के एक माह के अन्दर उत्तर प्रेषित करने का निवेदन करते हुए नि.प्र. जारी किए जाते हैं। जब भी उत्तर प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटान कर लिया जाता है या अनुपालना के लिए अग्रेतर कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उजागर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों (पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों के अलावा) की 518 इकाइयों (24,144 में से) की लेखापरीक्षा के लिए 20,586 मानव दिवस (वित्तीय लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु) उपयोजित किए गए। लेखापरीक्षा आयोजना में उन इकाइयों/विभागों को आवृत्त किया गया जो कि जोखिम मूल्यांकन के अनुसार महत्वपूर्ण जोखिमों के प्रति सुरक्षित नहीं थी।

6.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर सरकार/विभागों का प्रत्युत्तर

6.4.1 प्रारूप अनुच्छेदों को संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को प्रत्युत्तर देने हेतु उनका ध्यान आकर्षित करने के लिये अग्रेषित किया जाता है। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे अनुच्छेदों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने की संभावना देखते हुए, जिन्हें राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यह वांछनीय होगा कि मामले पर उनकी टिप्पणी शामिल कर ली जाए। तदनुसार, इस प्रतिवेदन में प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेदों को प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को अग्रेषित किया गया। राज्य सरकार ने अध्याय VII में शामिल आठ अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों में से चार के प्रत्युत्तर प्रेषित नहीं किये। सम्बंधित विभागों के प्राप्त हो चुके प्रत्युत्तरों को प्रतिवेदन में यथोचित रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

6.4.2 परिशिष्ट 6 के साथ पठनीय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का नियम 327(1), विभिन्न लेखा अभिलेखों की प्रतिधारण अवधि का प्रावधान करता है, जो कि महालेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने के पश्चात एक से तीन वर्ष के मध्य है।

निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा टिप्पणियों की अनुपालना प्रस्तुत करने में विभागीय अधिकारियों की असमर्थता के परिणामस्वरूप निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुच्छेदों का निपटान नहीं हो सका। अगस्त 2024 को वर्ष 1998-99 से 2022-23 की अवधि के दौरान जारी 5,251 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 22,800 अनुच्छेद निपटान हेतु लम्बित थे। वर्षवार बकायों की संख्या तालिका 6.2 में दर्शायी गई है।

तालिका 6.2 : निपटान के लिए लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं अनुच्छेदों का विवरण

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनुच्छेदों की संख्या
2015-16 तक	3,147	9,407
2016-17	332	1,833
2017-18	250	1,521
2018-19	408	2,365
2019-20	556	3,699
2020-21	257	1,737
2021-22	144	1,234
2022-23 (मार्च 2023 तक जारी)	157	1,004
योग	5,251	22,800

राज्य सरकार द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों को बकाया अनुच्छेदों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना एक माह के अन्दर भेजने के अनुदेश जारी (मई 1997) किए थे। इन अनुदेशों की समय-समय पर पुनरावृत्ति की गई। मार्च 2002 में जारी किये गये अनुदेशों में, लेखापरीक्षा से संबंधित समस्त मामलों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में विभागीय समिति एवं नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया जाना परिकल्पित था।

निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए गए अनुच्छेदों पर प्रत्युत्तर के लम्बित रहने का अध्ययन करने के लिए दो¹ विभागों को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग (582 निरीक्षण प्रतिवेदन) एवं श्रम विभाग (64 निरीक्षण प्रतिवेदन) की विभिन्न इकाइयों के निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में ज्ञात हुआ कि 30 सितम्बर 2023 को 646 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 3,150² अनुच्छेद बकाया थे। अनियमितताओं का श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट 6.2 में दिया गया है। आगे, यह भी देखा गया कि प्रथम अनुपालना, जो कि निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के भीतर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, 604 निरीक्षण प्रतिवेदनों³ के सम्बन्ध में, 13 माह की औसत देरी के साथ (तीन दिवस से 123 माह तक) प्राप्त हुई।

1 दो विभाग: (1) महिला एवं बाल विकास विभाग (2) श्रम विभाग।

2 3,150 अनुच्छेद: 2,788 अनुच्छेद (महिला एवं बाल विकास विभाग) + 362 अनुच्छेद (श्रम विभाग)।

3 604 निरीक्षण प्रतिवेदन: प्रथम अनुपालना देरी से प्राप्त हुई – महिला एवं बाल विकास विभाग: 582 (03 दिवस से 123 माह) + श्रम विभाग: 22 (07 दिवस से 55 माह)।

सरकार को इन मामलों को देखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि (अ) समयानुसार निरीक्षण प्रतिवेदन/ अनुच्छेदों का जवाब भेजने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें (ब) समयबद्ध तरीके से हानि/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान की वसूली के लिए कार्रवाई करें और (स) लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर त्वरित व उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में सुधार करें।

6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निर्णय किया (दिसम्बर 1996) कि सभी अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं, पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ (एक्शन टेकन एक्सप्लेनेटरी नोट्स), प्रतिवेदन के विधानसभा में प्रस्तुत होने के तीन माह के अन्दर, लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा कर, जनलेखा समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार के व्यय क्षेत्र (पूर्ववर्ती सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2017, 2018, 2019, 2020 एवं 2021 को समाप्त वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जिनमें कुल 39 अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल थे, को राज्य विधानसभा के समक्ष 05 सितम्बर 2018 तथा 22 सितम्बर 2022 के मध्य प्रस्तुत किया गया। इनमें से छह अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ निर्धारित समय पर प्राप्त हो गईं एवं 33 अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ औसतन दो से तीन माह के विलम्ब से प्राप्त हुईं।

जनलेखा समिति द्वारा वर्ष 2016-17 से 2020-21 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 26 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की गई और 24 अनुच्छेदों पर इनकी सिफारिशों को मई 2025 तक 19 जनलेखा समिति प्रतिवेदनों (18 विभागों से संबंधित) में सम्मिलित किया गया।

6.6 प्रतिवेदन के इस भाग का आवृत क्षेत्र

पिछले कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने, निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से, चयनित विभागों में विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के क्रियान्वयन में एवं साथ ही आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता पर कई महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है, जिन्होंने कार्यक्रमों की सफलता एवं विभागों के कार्य को प्रभावित किया। इसी प्रकार, सरकारी विभागों/संगठनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान उजागर हुई कमियों को भी प्रतिवेदित किया गया था।

वर्तमान प्रतिवेदन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उन कमियों को इंगित करता है जिन्होंने राज्य सरकार की प्रभावशीलता को प्रभावित किया। अनुपालन लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष अध्याय VII में प्रतिवेदित किये गये हैं।

अध्याय-VII

व्यय क्षेत्र की अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय VII: व्यय क्षेत्र की अनुपालन लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्तशासी निकायों के लेन-देन की लेखापरीक्षा में संसाधनों के प्रबंधन में चूक तथा नियमितता, औचित्यता एवं मितव्ययता के मानकों के अनुपालन में विफलता के मामले उजागर हुए, जिनको अनुवर्ती अनुच्छेदों में प्रस्तुत किया गया है।

कार्मिक विभाग

7.1 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा फ्रिस्किंग सेवाओं के उपापन में अनियमितताएँ

सितंबर एवं अक्टूबर 2021 के बीच, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कृषि पर्यवेक्षक और पटवार परीक्षाओं के लिए फ्रिस्किंग सेवाओं के दो ठेके एक ही फर्म, इनोवेटिव्यू को दिए। लेखापरीक्षा में दोनों उपापन प्रक्रियाओं में अनेक अनियमितताएँ पाई गईं, जिनमें मिलीभगत से की गई बोली, अयोग्य पात्रता और प्रक्रियात्मक कमियां शामिल थीं। यह बोर्ड की उपापन प्रक्रियाओं में प्रणालीगत कमियों की ओर संकेत करता है।

राजस्थान सरकार ने राज्य में विभिन्न अधीनस्थ सेवाओं के लिए उम्मीदवारों की भर्ती हेतु वर्ष 2014 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड¹ (बोर्ड) की स्थापना की थी। बोर्ड परीक्षाओं का निष्पक्ष आयोजन करने और अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए उत्तरदायी है। परीक्षाओं के सुचारु आयोजन के लिए बोर्ड, महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे उम्मीदवारों की फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक उपस्थिति, पर्यवेक्षण, सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी को बाहरी एजेंसियों को निविदा प्रक्रिया के माध्यम से आउटसोर्स करता है, जो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन होती है।

जनवरी 2024 में लेखापरीक्षा की गई, जिसमें सितंबर से अक्टूबर 2021 के बीच एक निजी फर्म को आउटसोर्स की गई फ्रिस्किंग सेवाओं के दो प्रकरणों को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान कई अनियमितताएँ और कमियाँ पाई गईं, जिन्होंने उपापन प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया। बोर्ड निविदा मूल्यांकन के दौरान यथोचित सतर्कता बरतने में विफल रहा और निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की समुचित जांच करने में लापरवाही बरती गई।

निम्नलिखित दो भागों में इन मामलों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है

1 राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाएं चयन बोर्ड का नाम 12 जून 2018 से बदलकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कर दिया गया।

भाग अ: कनिष्ठ अभियंता (सिविल) और कृषि पर्यवेक्षक परीक्षाओं के लिए फ्रिस्किंग सेवाओं का उपापन-सितंबर 2021

बोर्ड ने कनिष्ठ अभियंता (सिविल) और कृषि पर्यवेक्षक पदों के लिए सीधी भर्ती परीक्षाएं क्रमशः 12 सितंबर 2021 और 18 सितंबर 2021 को आयोजित करने की योजना बनाई थी। इन परीक्षाओं के लिए, बोर्ड ने फ्रिस्किंग सेवाओं की लागत, ₹ 15 प्रति उम्मीदवार के हिसाब से गणना कर, ₹ 32 लाख अनुमानित की थी। वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु 25 अगस्त 2021 को राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो पहली परीक्षा से मात्र 17 दिन पूर्व था।

वित्तीय स्वीकृति लंबित होने के बावजूद, बोर्ड ने 27 अगस्त 2021 को फ्रिस्किंग सेवाओं के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 03 सितंबर 2021 तक तीन² निविदाएं प्राप्त हुईं। इनमें से एक निविदाकर्ता, एवीए सिस्टम्स, को तकनीकी मूल्यांकन (06 सितंबर 2021) के दौरान एनआईटी में निर्धारित पूर्व अनुभव की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया।

शेष दो फर्मों की वित्तीय निविदाएं खोली गईं, जिसमें इनोवेटिव्यू ने ₹ 39.90 प्रति उम्मीदवार की दर से सबसे कम बोली लगाई, जिसे बाद में नेगोशिएशन (08 सितंबर 2021) में घटाकर ₹ 35.99 प्रति उम्मीदवार कर दिया गया। राज्य सरकार ने, निर्धारित कनिष्ठ अभियंता (सिविल) परीक्षा (12 सितंबर 2021) से मात्र दो दिन पूर्व 10 सितंबर 2021 को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। हालाँकि, इनोवेटिव्यू ने बोर्ड को 12 सितंबर को आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए फ्रिस्किंग सेवाएं प्रदान करने में अपनी असमर्थता के बारे में सूचित (08 सितंबर 2021) कर दिया था।

फलस्वरूप, बोर्ड ने 12 सितंबर 2021 को कनिष्ठ अभियंता (सिविल) परीक्षा बिना किसी फ्रिस्किंग व्यवस्था के आयोजित की।

इसके बाद, बोर्ड ने कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए फ्रिस्किंग सेवाओं हेतु इनोवेटिव्यू को 13 सितंबर 2021 को कार्यादेश जारी किया, जो 18 सितंबर 2021 को आयोजित की जानी थी। यह सेवाएं 488 केंद्रों पर 1,67,502 उम्मीदवारों को कवर करने वाली थीं, जिसकी कुल लागत ₹ 60.28 लाख थी। केंद्रों से संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद फर्म को ₹ 58.21 लाख का भुगतान किया गया।

बोर्ड द्वारा संधारित संबंधित दस्तावेजों की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

(i) बोर्ड द्वारा जारी निविदा आमंत्रण सूचना में यह निर्धारित किया गया था कि पिछले पाँच वित्तीय वर्षों में से किसी भी तीन वर्षों में फर्मों का औसत वार्षिक टर्न-ओवर ₹ पाँच करोड़ होना चाहिए। यह शर्त कार्य की अनुमानित लागत ₹ 32 लाख की तुलना में अत्यधिक थी, जिससे टर्न-ओवर की न्यूनतम सीमा अनुमानित अनुबंध मूल्य का लगभग 15 गुना हो गई। इतना ऊँचा मानक अनुचित था और यह अत्यधिक प्रतिबंधात्मक शर्त थी जिसने प्रतिस्पर्धा को सीमित कर दिया था।

2 इनोवेटिव्यू, एवीए सिस्टम्स एवं रोमन नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड।

राज्य सरकार ने (नवंबर 2024) अवगत कराया कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 टर्न-ओवर की न्यूनतम सीमा के लिए कोई निश्चित मानक निर्धारित नहीं करता। हालांकि, सरकार ने इस मुद्दे को स्वीकार किया और सूचित किया कि सक्षम और प्रतिष्ठित फर्मों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, बाद की निविदाओं में टर्न-ओवर की शर्त को अनुमानित अनुबंध मूल्य के दो गुना या उससे भी कम कर दिया गया।

(ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 का नियम 80, सत्यनिष्ठा संहिता को परिभाषित करता है, जिसके अनुसार निविदाकर्ताओं को मिलीभगत, बोली में हेरफेर या किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने से प्रतिबंधित किया गया है, जो उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और अखंडता को प्रभावित कर सकती हैं।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि भाग लेने वाली दो फर्मों-इनोवेटिव्यू और एवीए सिस्टम्स आपस में एक दूसरे से संबंधित थी। श्री अंकित अग्रवाल, इनोवेटिव्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (तृतीय पक्षकार) के संस्थापक और निदेशक, ने प्रोपराइटर के रूप में इनोवेटिव्यू की ओर से निविदा प्रस्तुत की, जबकि श्री विशाल मित्तल, जो भी इनोवेटिव्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक थे, ने प्रोपराइटर के रूप में एवीए सिस्टम्स की ओर से निविदा प्रस्तुत की। निविदाकर्ताओं के बीच यह निकट संबंध प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया की प्रामाणिकता और निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न उठाता है, जो आरटीपीपी नियमों और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों का संभावित उल्लंघन है।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया कि इनोवेटिव्यू और रोमन नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (दोनों तकनीकी रूप से योग्य निविदाकर्ता) द्वारा निविदा और प्रक्रिया शुल्क के लिए प्रस्तुत किए गए डिमांड ड्राफ्ट एक ही बैंक शाखा से, एक ही दिनांक को जारी किए गए थे और उनके क्रमांक भी लगातार थे। यह अत्यंत असामान्य है कि प्रतिस्पर्धी फर्मों एक ही समय और स्थान से भुगतान साधन प्राप्त करें, और ड्राफ्ट के क्रमांक लगातार होना इस बात का संकेत देते हैं कि ये ड्राफ्ट संभवतः एक ही लेन-देन या समन्वित प्रयास के तहत प्राप्त किए गए थे।

ये लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस ओर संकेत करते हैं कि निविदा प्रक्रिया को मिलीभगत के माध्यम से प्रभावित करने का प्रयास किया गया।

राज्य सरकार ने नवंबर 2024 में अपने प्रत्युत्तर में बताया कि प्रत्येक निविदाकर्ता ने सत्यनिष्ठा संहिता के पालन की अनिवार्य घोषणा प्रस्तुत की थी। सरकार ने यह भी अवगत कराया कि देखी गई समानताएं संयोगवश हो सकती हैं, संभवतः इसलिए कि फर्मों एक ही क्षेत्र में स्थित थीं। आगे यह स्वीकार किया गया कि बोर्ड ने लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच नहीं की थी और यह पुष्टि की कि संबंधित निविदाकर्ताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

राज्य सरकार द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। वास्तव में, भाग लेने वाली फर्मों के पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली के पूरी तरह भिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं — इनोवेटिव्यू का कार्यालय कड़कड़डूमा, पूर्वी दिल्ली में है; एवीए सिस्टम्स का कार्यालय नरैना औद्योगिक क्षेत्र, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में है; जबकि रोमन नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, नेहरू प्लेस, दक्षिण दिल्ली से संचालित होती है।

एनआईटी में उल्लिखित न्यूनतम पात्रता मानदंड के अनुसार, भाग लेने वाली फर्मों को पिछले पाँच वर्षों में किसी एक परीक्षा शिफ्ट के दौरान हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर का उपयोग करते हुए कम से कम 10,000 उम्मीदवारों की फ्रिस्किंग का अनुभव होना आवश्यक था। हालांकि, चयनित फर्म (इनोवेटिव्यू) द्वारा प्रस्तुत निविदा दस्तावेजों की विस्तृत लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वह इस शर्त को पूरा नहीं करती थी। फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुभव का विवरण नीचे तालिका 7.1 में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 7.1: इनोवेटिव्यू द्वारा प्रस्तुत किए गए पिछले अनुभव का विवरण

क्र.सं.	फर्म का नाम	परीक्षा की तिथि	परीक्षा का नाम	फ्रिस्किंग किए गए उम्मीदवारों की संख्या	लेखापरीक्षा आक्षेप
1.	इनोवेटिव्यू	05.05 2019	राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित व्यावसायिक प्रवेश और पात्रता परीक्षा	लगभग 15 लाख	कार्यादेश परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की केवल फ्रिस्किंग के लिए जारी किया गया था। कार्यादेश में हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के माध्यम से फ्रिस्किंग का उल्लेख नहीं किया गया था।
2.	इनोवेटिव्यू	15.04.2017	हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित डेंटल सर्जन क्लास II परीक्षा	एक दिन एक पारी में	कार्यादेश में उम्मीदवारों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था।
3.	इनोवेटिव्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	16.08.2019 से 22.08.2019	हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एचएससी और अन्य संबद्ध सेवा परीक्षा	10,019 (सात दिन; पारियों की संख्या का उल्लेख नहीं था)	फर्म (इनोवेटिव्यू) ने एक अन्य फर्म (इनोवेटिव्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) का पिछला अनुभव प्रस्तुत किया, जिसे वास्तव में कार्यादेश जारी किया गया था।
4.	इनोवेटिव्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	03.10.2019 और 04.10.2019	कॉलेजों में विभिन्न पदों हेतु हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित	12,696 (दो दिन एक-एक पारी में)	फर्म (इनोवेटिव्यू) ने एक अन्य फर्म (इनोवेटिव्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) का पिछला अनुभव प्रस्तुत किया, जिसे वास्तव में कार्यादेश जारी किया गया था।
5.	इनोवेटिव्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	27.01.2020	विभिन्न पदों हेतु हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित	15,778 (एक दिन में दो पारी)	फर्म (इनोवेटिव्यू) ने एक अन्य फर्म (इनोवेटिव्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) का पिछला अनुभव प्रस्तुत किया, जिसे वास्तव में कार्यादेश जारी किया गया था।
6.	इनोवेटिव्यू	20.08.2021	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक पात्रता परीक्षा	एक दिन में दो पारी	कार्यादेश परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की केवल फ्रिस्किंग के लिए जारी किया गया था। कार्यादेश में हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के माध्यम से फ्रिस्किंग का उल्लेख नहीं किया गया था।

जैसा कि तालिका 7.1 से स्पष्ट है, उल्लिखित छह मामलों में से तीन मामलों (क्रमांक 1, 2 और 6) में कार्यादेशों में या तो फ्रिस्किंग किये गए उम्मीदवारों की संख्या का उल्लेख नहीं था या फिर हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के उपयोग की पुष्टि नहीं की गई थी। शेष तीन मामलों (क्रमांक 3, 4 और 5) में इनोवेटिव्यू ने जो पूर्व अनुभव प्रस्तुत किया, वह एक अलग कानूनी इकाई (इनोवेटिव्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) से संबंधित था। यह निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया में गंभीर चूक और पात्रता मानदंडों को लागू करने में बोर्ड की विफलता को दर्शाता है।

बोर्ड ने मई 2024 में स्वीकार किया कि समय की कमी के कारण वह इनोवेटिव्यू द्वारा प्रस्तुत पूर्व कार्यादेशों और अनुभव दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सका। इसके बाद, नवंबर 2024 में प्रस्तुत अपने प्रत्युत्तर में राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा को दस्तावेज उपलब्ध कराए, जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि बोर्ड ने 23 सितंबर 2024 को इनोवेटिव्यू से स्पष्टीकरण मांगा था। इसके उत्तर में इनोवेटिव्यू ने 15 नवंबर 2018 को किया गया एक गठबंधन करार प्रस्तुत किया, जो इनोवेटिव्यू (एक एकल स्वामित्व वाली इकाई) और इनोवेटिव्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच संपन्न हुआ था, जिसमें दोनों इकाइयों द्वारा परीक्षा सुरक्षा सेवाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों, अनुबंधों और निविदाओं में सहयोग करने की सहमति व्यक्त की गई थी।

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह गठबंधन करार कनिष्ठ अभियंता (सिविल) और कृषि पर्यवेक्षक पदों के लिए सीधी भर्ती परीक्षाओं हेतु निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन के समय बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं था।

इस प्रकार, यह बोर्ड के स्तर पर एक महत्वपूर्ण चूक थी, जिससे वह योग्यता दस्तावेजों की जांच और मूल्यांकन में आवश्यक सतर्कता बरतने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, इनोवेटिव्यू को इनोवेटिव्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कार्य अनुभव के आधार पर गलत तरीके से तकनीकी रूप से योग्य घोषित कर दिया गया।

जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विस्तार से बताया गया है, बोर्ड ने अनुबंध-पूर्व चरण में अत्यंत संकुचित समयसीमा अपनाई, जिसमें राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करना, निविदाएं आमंत्रित करना, निविदाओं का मूल्यांकन, मूल्य वार्ता और कार्यादेश जारी करना शामिल था। ये संकुचित समयसीमाएं न केवल असंगत थीं, बल्कि इनके गंभीर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़े। इन कार्यवाहियों ने पारदर्शिता को कमजोर किया, प्रतिस्पर्धा को सीमित किया और संपूर्ण उपापन प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया।

भाग ब: पटवार परीक्षा के लिए फ्रिस्किंग सेवाओं का उपापन-अक्टूबर 2021

बोर्ड ने पटवारी पद के लिए सीधी भर्ती परीक्षा 23 और 24 अक्टूबर 2021 को आयोजित करने का कार्यक्रम तय किया था। जबकि परीक्षा की अधिसूचना 17 जनवरी 2020 को जारी की गई थी, निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) 08 अक्टूबर 2021 को प्रकाशित की गई, जो कि अधिसूचना जारी किए जाने के 20 महीने बाद थी। उन्हीं तीनों फर्मों-इनोवेटिव्यू, एवीए सिस्टम्स और रोमन नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने निविदाएं प्रस्तुत कीं। तकनीकी मूल्यांकन के बाद, एवीए सिस्टम्स को आवश्यक पूर्व अनुभव की शर्तें पूरी न करने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया।

शेष दो फर्मों में से इनोवेटिव्यू ने ₹ 38 प्रति उम्मीदवार की दर से सबसे कम बोली लगाई, जिसे बाद में नेगोशिएशन के माध्यम से ₹ 35 प्रति उम्मीदवार पर तय किया गया। तदनुसार, इनोवेटिव्यू को 4,674 परीक्षा केंद्रों पर 15,63,000 उम्मीदवारों हेतु फ्रिस्किंग सेवाएं प्रदान किए जाने हेतु, 18 अक्टूबर 2021 को कार्यादेश जारी किया गया, जिसकी कुल अनुबंध राशि ₹ 5.47 करोड़ थी। केंद्रों से संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद फर्म को ₹ 5.40 करोड़ का भुगतान किया गया।

दस्तावेजों की जांच में निम्नलिखित कमियाँ उजागर हुईं:

(i) भाग लेने वाली फर्मों को निविदा प्रस्तुत करने के लिए केवल आठ दिन का समय दिया गया, जबकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 43 के अनुसार न्यूनतम 20 दिन का समय दिया जाना चाहिए था। राज्य सरकार ने अपने प्रत्युत्तर (नवंबर 2024) में अवगत कराया कि परीक्षा से पूर्व समय सीमित होने के कारण केवल आठ दिन का समय दिया गया।

हालांकि, यह प्रत्युत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि परीक्षा की अधिसूचना और एनआईटी के प्रकाशन के बीच 20 महीने का लंबा अंतराल था। यदि एनआईटी पहले जारी की जाती, तो बोर्ड के पास परीक्षा से संबंधित सभी सेवाओं के लिए प्रभावी योजना बनाने और पारदर्शी उपापन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय होता।

(ii) इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) एड्रेस एक विशिष्ट संख्या होती है जो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक उपकरण को दी जाती है, जिससे वे एक-दूसरे से संचार कर सकते हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इनोवेटिव्यू और एवीए सिस्टम्स ने एक ही आईपी एड्रेस (14.99.59.158) से निविदाएं प्रस्तुत की थी। नई दिल्ली में अलग-अलग पते पर पंजीकृत दो संस्थाओं द्वारा एक ही आईपी एड्रेस से निविदा प्रस्तुत करना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ये दोनों संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रही थीं, बल्कि संभवतः निविदा प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए समन्वित प्रयास कर रही थीं। साथ ही, जैसा कि भाग 'अ' के अनुच्छेद (ii) में उल्लेख किया गया है, इनोवेटिव्यू और एवीए सिस्टम्स आपस में संबंधित पक्ष हैं, जिससे मिलीभगत की संभावना और भी प्रबल होती है और निविदा प्रक्रिया की निष्पक्षता व अखंडता पर गंभीर प्रश्न उठते हैं। यह बोर्ड की एक बड़ी चूक को भी दर्शाता है, कि उसने दोनों संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत सिस्टम-जनित निविदा स्वीकृति दस्तावेजों में समान आईपी एड्रेस की पहचान नहीं की।

बोर्ड ने जून 2024 में अवगत कराया कि आईपी एड्रेस की जांच करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हालांकि, निविदा प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के महत्व को देखते हुए, बोर्ड को ऐसी जांच को अपनी जिम्मेदारी का आवश्यक हिस्सा मानना चाहिए था ताकि किसी भी संभावित हेरफेर को रोका जा सके।

तीनों भाग लेने वाली फर्मों द्वारा निविदा और प्रोसेसिंग शुल्क के लिए प्रस्तुत किए गए डिमांड ड्राफ्ट एक ही बैंक शाखा (एक्सिस बैंक, सेक्टर 44, नोएडा) से, एक ही दिनांक और समय पर जारी किए गए थे, जैसा कि ड्राफ्टों पर क्रमिक क्रमांकों से स्पष्ट होता है। यह मानते हुए कि ये

फर्म नई दिल्ली के पूरी तरह भिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं, जैसा कि भाग 'अ' के अनुच्छेद (ii) में विस्तार से बताया गया है, एक ही दिन और स्थान से क्रमिक क्रमांक वाले डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त करना निविदाकर्ताओं के बीच समन्वित प्रयास का संकेत देता है। यह निविदाकर्ताओं के बीच मिलीभगत की गंभीर आशंका को दर्शाता है और राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 80 के तहत उपापन प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन है।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ कि फ्रिस्किंग सेवाओं की उपापन प्रक्रियाओं में गंभीर चूकें हुईं, जिनमें अपर्याप्त योजना, प्रक्रियात्मक उल्लंघन और निविदाकर्ताओं की मिलीभगत के संकेत शामिल थे। बोर्ड ने प्रमुख सुरक्षा उपायों जैसे निविदाकर्ताओं की पात्रता की जांच, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना, और समन्वित प्रयास की पहचान करने को लागू नहीं किया, जिससे निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और अस्वडता प्रभावित हुई।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

7.2 नगर विकास न्यास, जैसलमेर द्वारा एक फर्म से ₹ 1.17 करोड़ के नगरीय निर्धारण की कम वसूली

नगर विकास न्यास (यूआईटी), जैसलमेर ने एक होटल के निर्माण के लिए 99 वर्ष की लीज पर नीलाम किए गए वाणिज्यिक भूखंड पर फर्म से नगरीय निर्धारण की राशि ₹ 1.17 करोड़ कम वसूल की। यूआईटी ने सभी वर्षों के लिए नगरीय निर्धारण की गणना 2.5 प्रतिशत की दर से की थी, जो यूआईटी द्वारा जारी की गई भूखंड की नीलामी की शर्त का उल्लंघन था क्योंकि इसमें प्रावधान था कि नगरीय निर्धारण (लीज राशि) पहले पांच वर्षों के लिए आरक्षित दर के 2.5 प्रतिशत की दर से और आगे पांच प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाना था।

राजस्थान विकास न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 7(1) और (3) के अनुसार, आवासीय, शैक्षणिक, सामाजिक और धर्मार्थ संस्थानों, चिकित्सा क्लिनिक और नर्सिंग होम, पर्यटक इकाई के लिए लीज पर दी गई भूमि के मामले में आरक्षित दर³ का 2.5 प्रतिशत एवं वाणिज्यिक और अन्य प्रयोजनों के लिए लीज पर दी गई भूमि के मामले में आरक्षित दर का पांच प्रतिशत की दर से नगरीय निर्धारण⁴ (लीज राशि) प्रभारित किया जाना था। भूखंडों पर पहले पांच वर्षों के लिए नगरीय निर्धारण का केवल आधा और उसके बाद पूर्ण नगरीय निर्धारण प्रभारित किया जाना था। नगरीय निर्धारण भूखंड का कब्जा सौंपे जाने की तिथि से प्रभारित किया जाना था।

3 आरक्षित दर का अर्थ है स्वीकृत आरक्षित दर या योजना का मूल्य जिस पर न्यास द्वारा भूमि का निष्पादन किया जाएगा।

4 नगरीय निर्धारण का अर्थ पट्टेदार या उप-पट्टेदार से लीज होल्ड अधिकार प्रदान करने के लिए वसूल किए जाने वाले वार्षिक शुल्क से है।

नगर विकास न्यास (यूआईटी), जैसलमेर के अभिलेखों की जनवरी 2023 में समीक्षा एवं मई 2024 में आगे की सूचना एकत्र करने के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि यूआईटी ने एक होटल कॉम्प्लेक्स योजना⁵ के तहत 15,425 वर्ग मीटर (व मी) का एक वाणिज्यिक भूखंड एक होटल के निर्माण के लिए एक फर्म (अमित मित्तल एंड पार्टी) को 99 वर्ष की लीज पर नीलाम (21 मार्च 2013) किया था और यूआईटी द्वारा जारी भूखंड की नीलामी की शर्त के अनुसार नगरीय निर्धारण (लीज राशि), पहले पांच वर्षों के लिए आरक्षित दर का 2.5 प्रतिशत की दर से और आगे 5 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाना था। यूआईटी द्वारा फर्म को भूखंड का कब्जा 09 मार्च 2015 को सौंपा गया था।

यूआईटी ने भूखंड के लिए नगरीय निर्धारण पहले दो वर्षों (09 मार्च 2015 से 08 मार्च 2017) के लिए आरक्षित दर ₹ 2,367 प्रति वर्ग मीटर के 2.5 प्रतिशत की दर से ₹ 9,12,774⁶ प्रति वर्ष से प्रभारित (दिसंबर 2016) किया।

राज्य सरकार ने शहरी नागरिकों की कठिनाइयों को दूर करने और उनकी समस्या के त्वरित समाधान के लिए "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021"⁷ की शुरुआत (02 अक्टूबर 2021) की। इसमें प्रावधान किया गया कि ऐसे मामले जिनमें पिछले वर्षों की लीज राशि बकाया है, उनमें बकाया लीज राशि का 40 प्रतिशत जमा करके और 10 वर्षों की लीज राशि अग्रिम रूप से जमा करके फ्री होल्ड लीज डीड प्रदान की जा सकती है। साथ ही, बकाया लीज राशि जमा कराने पर मई 2021 में जारी एक आदेश द्वारा ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गई थी और "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021" के दौरान भी इसकी अनुमति दी गई थी।

आगे, फर्म ने प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत भूखंड की फ्री होल्ड लीज डीड जारी करने के लिए आवेदन किया (27 मार्च 2024)। यूआईटी ने पिछले चार वर्षों (09 मार्च 2017 से 08 मार्च 2021) का बकाया नगरीय निर्धारण ₹ 14,60,440⁸ और अगले 10 वर्षों का अग्रिम नगरीय निर्धारण ₹ 91,27,740⁹ की गणना करते हुए ₹ 1,05,88,180 नगरीय निर्धारण वसूल कर भूखंड की फ्री होल्ड लीज डीड जारी (03 अप्रैल 2024) की। नगरीय निर्धारण की गणना आरक्षित दर ₹ 2,367 प्रति वर्गमीटर के 2.5 प्रतिशत की दर से और 09 मार्च 2017 से 08 मार्च 2021 की अवधि के लिए 60 प्रतिशत की छूट देने के बाद की गई थी।

5 होटल कॉम्प्लेक्स योजना को यूआईटी, जैसलमेर द्वारा स्वर्ण और पर्यटन नगरी जैसलमेर में जोधपुर रोड पर विकसित किया गया था। यह योजना जैसलमेर किले के बेहतर दृश्य और शहर के प्रमुख स्थान पर होटलों के निर्माण के लिए विकसित की गई थी।

6 $15,425$ वर्ग मीटर \times ₹ $2,367$ प्रति वर्ग मीटर \times 2.5% = ₹ $9,12,774$ ।

7 प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 की अवधि आगे 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई (सितंबर 2023)।

8 एक वर्ष का नगरीय निर्धारण = ₹ $9,12,774$, एक वर्ष का बकाया नगरीय निर्धारण = ₹ $9,12,774$ का 40 प्रतिशत = ₹ $3,65,110$ । इसलिए, चार वर्षों (अवधि 09.03.2017 से 08.03.2021 तक) का बकाया नगरीय निर्धारण = ₹ $3,65,110 \times 4$ = ₹ $14,60,440$ ।

9 एक वर्ष का नगरीय निर्धारण = ₹ $9,12,774$, 10 वर्षों का अग्रिम नगरीय निर्धारण (09.03.2021 से) = ₹ $9,12,774 \times 10$ = ₹ $91,27,740$ ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी वर्षों के लिए 2.5 प्रतिशत की दर से नगरीय निर्धारण प्रभारित करना यूआईटी द्वारा जारी भूखंड की नीलामी की शर्त का उल्लंघन था क्योंकि इसमें प्रावधान था कि नगरीय निर्धारण (लीज मनी) पहले पांच वर्षों के लिए आरक्षित दर के 2.5 प्रतिशत से और आगे 5 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाना था। इसलिए, नगरीय निर्धारण मार्च 2020 से पांच प्रतिशत की दर से वसूल किया जाना चाहिए था। चूंकि फर्म ने मार्च 2024 में फ्री होल्ड लीज डीड जारी करने के लिए आवेदन किया था, इसलिए बकाया नगरीय निर्धारण की गणना मार्च 2024 तक की जानी चाहिए थी। यद्यपि, यूआईटी, जैसलमेर ने 09.03.2021 से 08.03.2024 की अवधि के लिए नगरीय निर्धारण ₹ 21,90,660 की वसूली किए बिना भूखंड की फ्री होल्ड लीज डीड जारी कर दी। नगरीय निर्धारण की गणना नीचे तालिका 7.2 में दी गई है:

तालिका 7.2: नगरीय निर्धारण की गणना

(राशि ₹ में)

अवधि	वसूल किया जाने योग्य नगरीय निर्धारण			यूआईटी द्वारा वसूल किया गया नगरीय निर्धारण			नगरीय निर्धारण की कम वसूल की गई राशि (8=4-7)
	दर (%)	वार्षिक राशि	वसूल की जाने वाली वास्तविक राशि*	दर	वार्षिक राशि	वास्तविक राशि वसूल की गई*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=4-7)
09.03.2015 से 08.03.2016	2.5	9,12,774	9,12,774	2.5	9,12,774	9,12,774	0.00
09.03.2016 से 08.03.2017	2.5	9,12,774	9,12,774	2.5	9,12,774	9,12,774	0.00
09.03.2017 से 08.03.2018	2.5	9,12,774	3,65,110	2.5	9,12,774	3,65,110	0.00
09.03.2018 से 08.03.2019	2.5	9,12,774	3,65,110	2.5	9,12,774	3,65,110	0.00
09.03.2019 से 08.03.2020	2.5	9,12,774	3,65,110	2.5	9,12,774	3,65,110	0.00
09.03.2020 से 08.03.2021	5	18,25,549	7,30,220	2.5	9,12,774	3,65,110	3,65,110
09.03.2021 से 08.03.2022	5	18,25,549	7,30,220	-	-	0	7,30,220
09.03.2022 से 08.03.2023	5	18,25,549	7,30,220	-	-	0	7,30,220
09.03.2023 से 08.03.2024	5	18,25,549	7,30,220	-	-	0	7,30,220
10 साल के लिए अग्रिम	5	18,25,549	1,82,55,490	2.5	9,12,774	91,27,740	91,27,740
कुल			2,40,97,248			1,24,13,728	1,16,83,510

* प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के प्रावधानों के अनुसार 09.03.2017 से 08.03.2024 की अवधि के लिए 60 प्रतिशत की छूट की अनुमति देने के बाद नगरीय निर्धारण की वार्षिक राशि का 40 प्रतिशत।

इस प्रकार, यूआईटी ने वसूली योग्य राशि ₹ 2.41 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 1.24 करोड़ का नगरीय निर्धारण वसूल किया, जिसके परिणामस्वरूप फर्म से ₹ 1.17 करोड़ के नगरीय निर्धारण की कम वसूली हुई।

प्रकरण राज्य सरकार को उनकी टिप्पणी के लिए दिसंबर 2024 में जानकारी में लाया गया था; उनका प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

7.3 एकजीलरी नर्स एंड मिडवाइफ ट्रेनिंग सेंटर छात्रावास भवन, झालावाड़, राजस्थान के निर्माण में विलम्ब

विभाग द्वारा ठेका दिए जाने से पूर्व भूमि और अनुमोदित नक्शे समय पर उपलब्ध नहीं करवाए गए और संवेदक द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के बावजूद विभाग द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप अनुबंध को समाप्त करने या संवेदक के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। परिणामस्वरूप छह वर्ष व्यतीत हो जाने और ₹ 3.04 करोड़ व्यय होने के बाद भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के वर्ष 2018-19 के राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) के अंतर्गत झालावाड़ में एकजीलरी नर्स एंड मिडवाइफ ट्रेनिंग सेंटर (एएनएमटीसी) छात्रावास भवन के निर्माण के लिए ₹ 4.07 करोड़ की स्वीकृति (जून 2018) प्रदान की गई।

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (पीडब्ल्यूएफएंडएआर), भाग-I के नियम 298 में प्रावधान है कि योजना हेतु भूमि की उपलब्धता एक पूर्व आवश्यकता है। साथ ही, पीडब्ल्यूएफएंडएआर, भाग-II के परिशिष्ट XIII के अनुभाग-II में यह निर्धारित है कि अनुबंध के कार्यों के निष्पादन हेतु समय-सीमा में वृद्धि लिखित कारणों से ही दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, अनुबंध समझौते के वाक्यांश 27ए में यह प्रावधान था कि प्रभारी अभियंता कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और यदि कार्य में आनुपातिक प्रगति नहीं होती है, तो लिखित सूचना देकर फर्म से कार्य वापस ले लिया जाएगा (वाक्यांश 32) और कार्य पूर्ण करने के लिए किसी अन्य एजेंसी को लगाया जा सकता है। प्रगति में विलम्ब होने पर अनुबंध समझौते के वाक्यांश 2 के अनुसार क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाएगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान सरकार ने एएनएमटीसी छात्रावास भवन के निर्माण के लिए ₹ 4.07 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय (एएंडएफ) स्वीकृति जारी की (जून 2018)। यह कार्य न्यूनतम निविदाकर्ता को ₹ 3.49 करोड़ (अनुमानित लागत से 7 प्रतिशत अधिक) में प्रदान (दिसंबर 2018) किया गया तथा पूर्णता की तिथि 28 अगस्त 2019 निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त, विद्युत कार्य का ठेका ₹ 0.31 करोड़ की अनुमानित लागत पर प्रदान किया गया (नवंबर 2019) जिसकी पूर्णता की तिथि जुलाई 2020 निर्धारित की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि छात्रावास निर्माण के लिए भूमि का आवंटन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (जून 2018) जारी होने के सात माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद फरवरी 2019 में किया गया। यह लोक निर्माण वित्तीय और लेखा नियम, भाग-I के नियम 298 के विरुद्ध था जो यह प्रावधान करता है कि भूमि की उपलब्धता योजना के लिए एक पूर्व आवश्यकता है। तत्पश्चात्, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएण्डएचओ) ने तीन माह बाद अर्थात्

21 जून 2019 को नक्शों की स्वीकृति प्रदान की। अधिशाषी अभियंता, एमएण्डएच, कोटा ने दो बार अर्थात् 27 दिसंबर 2019 तक और 30 नवंबर 2020 तक बिना कोई कारण बताए समय-वृद्धि स्वीकृत की जो पीडब्ल्यूएफएंडएआर के विरुद्ध था। अधिशाषी अभियंता एमएण्डएच, कोटा ने कार्य की धीमी प्रगति के लिए संवेदक को कई नोटिस जारी (दिसंबर 2020, फरवरी 2021, अप्रैल 2021, जून 2021) किए। यह पाया गया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य निष्पादन के लिए (30 नवंबर 2020 के बाद) कोई और समय-वृद्धि स्वीकृत नहीं की गई, परन्तु संवेदक ने दिसंबर 2024 तक कार्य निष्पादित किया और वित्तीय प्रगति के अनुसार मई 2025 तक ₹ 2.20 करोड़¹⁰ (58 प्रतिशत कार्य) का भुगतान किया गया। विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए मासिक प्रगति प्रतिवेदन (अगस्त 2025) के अनुसार, एएनएमटीसी के निर्माण में पेंटिंग का कार्य चल रहा था और ₹ 3.04 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

अधिशाषी अभियंता, एमएण्डएच, कोटा ने कार्य की अत्यंत धीमी प्रगति के लिए संवेदक को कई नोटिस जारी किए और मुख्य/अधीक्षण अभियंता, एमएण्डएच, जयपुर से भी फर्म के विरुद्ध कार्रवाई करने का बार-बार अनुरोध (जून, जुलाई 2021 और जनवरी, मार्च 2022) किया। हालाँकि, अनुबंध समझौते के वाक्यांश 32 के अनुसार अनुबंध को समाप्त करने और कार्य पूर्ण करने के लिए किसी अन्य एजेंसी को नियुक्त करने हेतु कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई।

राज्य सरकार ने अवगत (दिसंबर 2023 और नवंबर 2024) कराया कि राजस्व प्राधिकरण द्वारा भूमि का आवंटन विलम्ब से किया गया था और इसमें मानचित्र की स्वीकृति हेतु पक्षकार (उपयोगकर्ता विभाग), वास्तुकार और संबंधित सीएमएण्डएचओ के साथ विस्तृत चर्चा और बैठकों का आयोजन शामिल है। यह भी सूचित किया गया कि संवेदक की ओर से हुए विलम्ब के कारण रनिंग बिल से ₹ 2.25 लाख की राशि की कटौती की गई है। विभाग ने आगे अवगत कराया कि फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है और प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित परिसमापन क्षतिपूर्ति (एलडी) की राशि संवेदक से वसूल की जाएगी।

लेखापरीक्षा का मत है कि विभाग की ओर से गंभीर लापरवाही हुई है। इस तथ्य के बावजूद कि विभाग को यह जानकारी थी कि संवेदक 30 नवंबर 2020 के बाद समय-वृद्धि के बिना कार्य कर रहा था, विभाग द्वारा अनुबंध को बढ़ाने या इसे समाप्त करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी। विभाग के अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि कार्य बहुत धीमी गति (संवेदक की ओर से चार वर्ष से अधिक) से किया जा रहा था तथा विभाग द्वारा संवेदक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। इस प्रकार, विभाग की ओर से निगरानी में कमी और कार्रवाई करने में निष्क्रियता के परिणामस्वरूप छह वर्ष व्यतीत हो जाने और ₹ 3.04 करोड़ व्यय होने के बावजूद काम अधूरा रह गया।

10 मई 2025 तक सिविल कार्यों पर ₹ 2.03 करोड़ + विद्युत कार्यों पर ₹ 0.17 करोड़ = ₹ 2.20 करोड़।

7.4 मानवशक्ति की भर्ती न होने तथा ₹ 21.87 करोड़ के उपकरणों की खरीद न होने के कारण, 12 डीईआईसी के निर्माण पर किया गया ₹ 8.35 करोड़ का व्यय 3 से 5 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी निष्फल रहा

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने वर्ष 2016-17 से 2017-18 के दौरान 12 जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों (डीईआईसी) के निर्माण पर ₹ 8.35 करोड़ व्यय किए। यद्यपि, ये केंद्र संचालन संबंधी तैयारियों में गंभीर कमियों, यथा कर्मचारियों की भर्ती न होने, के कारण जून 2025 तक अक्रियाशील रहे। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा ₹ 22.91 करोड़ की राशि स्वीकृत किये जाने के बावजूद, कोई आवश्यक नैदानिक या चिकित्सा उपकरण उपलब्ध नहीं करवाए गए तथा इसमें से ₹ 21.87 करोड़ अनुपयोजित रह गए। परिणामस्वरूप, बाल विकास संबंधी विकारों और विकलांगताओं की पूर्व पहचान करने और इलाज करने का मुख्य उद्देश्य अधूरा रह गया, जो योजना और कार्यान्वयन में गंभीर खामियों को दर्शाता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने फरवरी 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत बाल स्वास्थ्य जाँच एवं प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं के संचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए, जिनका उद्देश्य प्रत्येक जिला अस्पताल में एक जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (डीईआईसी) स्थापित करना था। डीईआईसी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों (जन्म से 18 वर्ष तक, विशेष रूप से 0-6 वर्ष) की पहचान करना जिनमें विकासात्मक विलंब, विकलांगता, जन्मजात विसंगतियाँ अथवा अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं या होने का खतरा है, और उनको समय पर तृतीयक स्तर के स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में रेफर और उनके साथ जुड़ने में सहायता करना था।

जून 2015 में, भारत सरकार ने प्रति केंद्र ₹ 0.75 करोड़ की अनुमानित लागत पर राजस्थान में 34 डीईआईसी के निर्माण की स्वीकृति दी थी। हालाँकि, नौ जिलों में भूमि की अनुपलब्धता के कारण मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), जयपुर ने 25 डीईआईसी के निर्माण की स्वीकृति दी (दिसंबर 2015)। इसके बाद नवंबर 2017 में, जोधपुर में एक डीईआईसी की स्वीकृति भी लगातार भूमि संबंधी समस्याओं के कारण वापस ले ली गई।

वर्ष 2016-17 और 2019-20 के बीच, 24 डीईआईसी का निर्माण कुल ₹ 16.55 करोड़ की लागत से किया गया। जून 2023 में, चार अतिरिक्त डीईआईसी, प्रत्येक ₹ 1.30 करोड़ की संशोधित लागत पर स्वीकृत किये गए। इनमें से एक ₹ 1.21 करोड़ की लागत पर पूर्ण हो गया (अक्टूबर 2024) और तीन केंद्र जुलाई 2025 तक निर्माणाधीन थे।


विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि इन 24 डीईआईसी में से, ₹ 8.35 करोड़ की लागत से निर्मित 12 डीईआईसी संचालन संबंधी तैयारियों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियों के कारण जून 2025 तक अक्रियाशील रहे।

i. मानवशक्ति की भारी कमी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फरवरी 2013 में एनआरएचएम के अंतर्गत बाल स्वास्थ्य जाँच और प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं के लिए जारी संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया था कि सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक डीईआईसी के पास 13 सदस्यीय¹¹ चिकित्सा दल होना चाहिए।

राज्य सरकार ने 2018-21 के दौरान, प्रति डीईआईसी केवल आठ पदों¹² की स्वीकृति के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किए, और वह भी मात्र 12 डीईआईसी के लिए। सभी 29 डीईआईसी (जिला अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध अस्पतालों में संचालित पाँच सहित) के प्रस्ताव 2021-22 से प्रस्तुत किए गए, और भारत सरकार ने उन्हें संबंधित वर्षों में अनुमोदित किया। हालाँकि, जनवरी 2025 तक, प्रति डीईआईसी शेष पाँच¹³ पदों की स्वीकृति के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। जून 2025 तक 24 डीईआईसी में नियुक्त मानवशक्ति का विवरण निम्नलिखित बार चार्ट-I में प्रस्तुत किया गया है और विस्तृत विवरण परिशिष्ट-7.1 में दिया गया है।

चार्ट-I: जून 2025 को 24 डीईआईसी में मानवशक्ति की उपलब्धता



- 11 बाल रोग विशेषज्ञ: 01, चिकित्सा अधिकारी: 01, दंत चिकित्सक: 01, फिजियोथेरेपिस्ट: 01, ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट: 01, साइकोलॉजिस्ट: 01, नेत्र रोग विशेषज्ञ: 01, प्रारंभिक हस्तक्षेपकर्ता सह विशेष शिक्षक सह सामाजिक कार्यकर्ता: 01, लैब तकनीशियन: 02, दंत तकनीशियन: 01, प्रबंधक: 01 और डाटा एंट्री ऑपरेटर: 01
- 12 बाल रोग विशेषज्ञ: 01, चिकित्सा अधिकारी: 01, प्रबंधक: 01, फिजियोथेरेपिस्ट: 01, ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट: 01, मनोवैज्ञानिक: 01, नेत्र रोग विशेषज्ञ: 01 और प्रारंभिक हस्तक्षेपकर्ता सह विशेष शिक्षक सह सामाजिक कार्यकर्ता: 01
- 13 दंत चिकित्सक: 01, लैब तकनीशियन: 02, दंत तकनीशियन: 01 और डाटा एंट्री ऑपरेटर: 01

आंकड़ों से प्रकट होता है कि जून 2025 तक किसी भी डीईआईसी में सभी आठ सदस्यों वाला चिकित्सा दल नहीं था, जबकि सभी 24 डीईआईसी वर्ष 2016-17 और 2019-20 के बीच पूर्ण हो गए थे। उल्लेखनीय है कि 24 में से 12¹⁴ डीईआईसी (50 प्रतिशत) में जून 2025 तक कोई कार्मिक नियुक्त नहीं था, जिससे वे पूरी तरह से अक्रियाशील रहे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 24 डीईआईसी में से किसी में भी बाल रोग विशेषज्ञ या नेत्र रोग विशेषज्ञ नहीं था, साथ ही 63 से 96 प्रतिशत डीईआईसी में शेष छह¹⁵ चिकित्सा पद रिक्त थे। परिणामस्वरूप, डीईआईसी व्यापक रूप से प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएँ प्रदान करने में काफी हद तक अक्रियाशील रहे।

अपने प्रत्युत्तर में, राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (जनवरी 2025) कि विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त कार्मिकों की अनुपलब्धता के कारण पद रिक्त रह गए। यह भी अवगत कराया कि भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में प्रगतिरत है।

ii. उपकरणों के उपापन में गंभीर त्रुटियाँ

मई 2014 में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने डीईआईसी की स्थापना हेतु संचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें अन्य प्रावधानों के साथ, इन केंद्रों में विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के निदान एवं उपचार के लिए आवश्यक नैदानिक और चिकित्सा उपकरणों, औजारों, उपभोग्य सामग्रियों, प्रयोगशाला उपकरणों की एक विस्तृत सूची¹⁶ सम्मिलित थी।

परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके), एनएचएम, जयपुर द्वारा जून 2024 में लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, भारत सरकार ने 29¹⁷ डीईआईसी के लिए चिकित्सा उपकरणों के उपापन हेतु 2013-14 और 2021-22 के मध्य ₹ 22.91 करोड़ स्वीकृत किए थे। इस राशि में से, राज्य सरकार ने ₹ 20.61 करोड़ स्वीकृत किए, जिसमें शामिल हैं:

-
- 14 बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, दौसा, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही और श्रीगंगानगर।
 - 15 रिक्त रहे पद: चिकित्सा अधिकारी: 96 प्रतिशत (24 में से केवल एक पदस्थ) और प्रबंधक: 63 प्रतिशत (24 में से केवल नौ पदस्थ)।
 - 16 ओटोएकॉस्टिक एमिशन (ओएई) स्क्रीनर, ऑडियोमीटर, इन्फैंटोमीटर, बाल चिकित्सा स्टेथोस्कोप, स्फिंग्मोमैनोमीटर, स्टेडियोमीटर, ऑप्थाल्मोस्कोप, श्रवण और दृष्टि क्षति उपकरण, फिजियोथेरेपी/ओक्यूपेशनल थेरेपी के लिए उपकरण, सभी अटैचमेंट्स के साथ डेंटल चेयर, वाल माउंटेड डेंटल एक्स-रे, चिकित्सा उपकरण (वयस्क वजन मशीन और डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर) आदि।
 - 17 इसमें जिला अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध अस्पतालों से संचालित पांच डीईआईसी शामिल हैं।

- राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (आरएमएससीएल)¹⁸ के माध्यम से उपकरणों¹⁹ के उपापन के लिए ₹ 18.36 करोड़ (जुलाई 2018 और जुलाई 2022 के मध्य स्वीकृत), और
- जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता वाली जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से उपापन के लिए ₹ 2.25 करोड़ (जुलाई 2017 और मार्च 2020 के मध्य स्वीकृत)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि ₹ 18.36 करोड़ में से, आरएमएससीएल ने ₹ 0.83 करोड़ की कुल लागत से 29 ओटोएकॉस्टिक एमिशन (ओईई) एनालाइज़र स्वरीदे (अक्टूबर 2024)। मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर द्वारा आरएमएससीएल के प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशक को मई, जून एवं अक्टूबर 2023 में तथा पुनः जनवरी 2024 में कई स्मरण पत्र भेजे जाने के बावजूद, चिकित्सा उपकरणों की स्वरीद न होने के कारणों के सम्बन्ध में कोई उत्तर या स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से आवंटित ₹ 2.25 करोड़ में से मात्र ₹ 0.21 करोड़²⁰ ही 2018-20 के दौरान व्यय किए गए, और वह भी सात डीईआईसी के लिए गैर-प्रमुख मदों जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस सिस्टम और अन्य उपकरणों पर किए गए। कोई भी प्रमुख नैदानिक या चिकित्सा उपकरण नहीं स्वरीदे गए। जुलाई 2025 तक, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कुल ₹ 22.91 करोड़ में से शेष ₹ 21.87 करोड़ (₹ 22.91 करोड़ - ₹ 0.83 करोड़ - ₹ 0.21 करोड़) से कोई चिकित्सा उपकरण नहीं स्वरीदा गया था।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि में से अप्रयुक्त ₹ 2.30 करोड़ (₹ 22.91 करोड़ - ₹ 20.61 करोड़) में से, ₹ 1.95 करोड़ 2018-19 से मिशन निदेशक, एनएचएम,

18 यह राज्य का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो राज्य के समस्त सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के लिए दवाओं, शल्य चिकित्सा वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों की स्वरीद के लिए जिम्मेदार है।

19 उपकरणों की स्वरीद के लिए ₹ 18.36 करोड़: ₹ 1.45 करोड़ (जुलाई 2018: ओटोएकॉस्टिक एमिशन (ओईई) उपकरण, इंपीडेंस ऑडियोमीटर, पीडियाट्रिक ऑरोस्कोप (ओटोस्कोप), स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट किट, स्ट्रीक रेटिनोस्कोप, ली ग्रेंटिंग पैडल, वाइनलैंड एडेप्टिव बिहेवियर स्केल्स, बेयलर-III स्क्रीनिंग टेस्ट कंप्लीट किट जिसमें शामिल हैं: मैनुअल, रिटम बुक, पिक्चर बुक, रिकॉर्ड फॉर्म 25 पैक, डिस्लेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट 4-6 साल (डीईएसटी) और डिस्लेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट जूनियर (6-11 साल)), ₹ 1.25 करोड़ (दिसंबर 2020: स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट किट, स्ट्रीक रेटिनोस्कोप, ली ग्रेंटिंग पैडल, वाइनलैंड एडेप्टिव बिहेवियर स्केल्स, बेयलर-III स्क्रीनिंग टेस्ट कंप्लीट किट जिसमें शामिल हैं: मैनुअल, रिटम बुक, पिक्चर बुक, रिकॉर्ड फॉर्म 25 पैक, डिस्लेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट 4-6 साल (डीईएसटी) और डिस्लेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट जूनियर (6-11 साल) ₹ 15.66 करोड़ (जुलाई 2022: फिजियोथेरेपी/ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए उपकरण, दृष्टि, श्रवण और भाषण के लिए डायग्नोस्टिक उपकरण/टूल्स (ओईई स्क्रीनर), बौद्धिक, भावनात्मक और व्यवहारिक मूल्यांकन, दंत चिकित्सा उपकरण और चिकित्सा उपकरण (वयस्क वजन मशीन और डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर) और फर्नीचर आदि।

20 भीलवाड़ा: ₹ 2.51 लाख; चित्तौड़गढ़: ₹ 4.40 लाख; जालौर: ₹ 1.99 लाख; जोधपुर: ₹ 2.87 लाख; पाली: ₹ 1.93 लाख, सवाई माधोपुर: ₹ 2.23 लाख और सिरोही: ₹ 5.44 लाख।

जयपुर के पास पड़े रहे, जबकि शेष ₹ 0.35 करोड़ की वस्तुस्थिति परियोजना निदेशक, आरबीएसके के पास उपलब्ध नहीं थी।

प्रत्युत्तर में, राज्य सरकार ने जनवरी 2025 में अवगत कराया कि 29 डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर (स्ट्रिप-आधारित) और 58 वयस्क वजन स्केल के लिए खरीद आदेश दिए जा रहे थे, और शेष उपकरणों की उपापन प्रक्रिया चल रही है।

स्पष्टतः, 2016 और 2020 के बीच स्थापित 24 डीईआईसी में से किसी को भी, स्थापना के पांच साल से अधिक समय के बाद भी, किसी भी नैदानिक या चिकित्सा उपकरण से सुसज्जित नहीं किया गया था।

परिणामस्वरूप, 12 डीईआईसी अक्रियाशील रहे और 12 डीईआईसी आंशिक रूप से क्रियाशील रहे, जिससे उनकी स्थापना का मूल उद्देश्य ही विफल हो गया। इस प्रकार, ₹ 8.35 करोड़ का निवेश निष्फल व्यय में परिणित हुआ, जो चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नियोजन, समन्वय और क्रियान्वयन में प्रणालीगत कमियों को दर्शाता है।

राज्य सरकार को इन केन्द्रों को संचालित करने और सार्वजनिक संसाधनों की और बर्बादी को रोकने के लिए तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत है।

उच्च शिक्षा विभाग

7.5 फर्म को अनुचित लाभ

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा अक्टूबर 2021 में विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली के रखरखाव के लिए एक फर्म को ठेका दिया गया जो प्रमुख वित्तीय एवं तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती थी। यह फर्म अनुबंध के दायित्वों को निभाने में विफल रही, 25 में से केवल 6 मॉड्यूल ही क्रियाशील थे, और प्रशिक्षित कर्मचारियों के लगातार अभाव के कारण 43 महीनों बाद भी प्रणाली का समुचित उपयोग नहीं हो पाया। इन कमियों के बावजूद, विश्वविद्यालय ने फर्म को ₹ 18.44 करोड़ का भुगतान किया। भुगतान की वसूली और पुनः निविदा आमंत्रण के लिए निगरानी समिति की सिफारिशों की अनदेखी की गई, जो अनुबंध प्रबंधन में गंभीर चूक को दर्शाता है।

विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली (यूएमएस) एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह छात्र अभिलेखों, पाठ्यक्रम समय-सारणी, संकाय विवरण, वित्तीय लेन-देन और विश्वविद्यालय के अन्य आवश्यक कार्यों के प्रबंधन में सहायता करता है। प्रणाली को लागू करने के बाद इसके प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रखरखाव आवश्यक होता है।

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (विश्वविद्यालय) में वर्ष 2016 से 2021 तक यूएमएस का विकास, कार्यान्वयन और रखरखाव आईटीआई लिमिटेड²¹, नई दिल्ली द्वारा किया गया था। इस प्रणाली के रखरखाव सहायता अनुबंध की तीन और वर्षों (2021-2024) के लिए वृद्धि हेतु विश्वविद्यालय ने 04 अगस्त 2021 को ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रण सूचना जारी की। कार्य की अनुमानित लागत ₹16 करोड़ थी। निविदा बंद होने की अंतिम तिथि 23 अगस्त 2021 तक तीन फर्मों²² ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इन निविदाओं का मूल्यांकन गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) विधि²³ के अनुसार किया जाना था।

विश्वविद्यालय द्वारा संधारित संबंधित दस्तावेजों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित विसंगतियाँ उजागर हुईं:

(i) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) नियम, 2013 के नियम 59 (5) के अनुसार, यदि कोई निविदा, निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) की सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो उसे प्रत्युत्तरदायी माना जाना चाहिए, और ऐसे मामूली या महत्वहीन विचलन, त्रुटियाँ या चूकें जो निविदा की मूल भावना को प्रभावित नहीं करते, उन्हें नज़रअंदाज़ किया जाना चाहिए।

25 अगस्त 2021 को निविदा मूल्यांकन के दौरान, विश्वविद्यालय की निविदा मूल्यांकन समिति ने ट्रांज़िट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत निविदा को अपेक्षाकृत मामूली कारणों से अस्वीकार कर दिया। समिति ने यह तर्क दिया कि फर्म द्वारा प्रस्तुत बयाना राशि जमा रसीद, डीलिरिस्टिंग/ब्लैकलिस्टिंग से संबंधित शपथ-पत्र और प्रतिनिधि को फर्म की ओर से हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करने वाला प्राधिकार पत्र जैसे दस्तावेज ऑनलाइन प्रारूप में प्रस्तुत किए गए थे, जबकि नियमों के अनुसार इन्हें भौतिक प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना था।

उसी दिन, समिति ने शेष दो फर्मों— आईटीआई लिमिटेड और एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड की तकनीकी निविदाएं खोलीं। आईटीआई लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत निविदा को ब्लैकलिस्टिंग से संबंधित शपथ पत्र में एक मामूली त्रुटि के कारण गैर-प्रत्युत्तरदायी घोषित कर दिया गया, जिसमें त्रुटि से पता नई दिल्ली के स्थान पर जयपुर, राजस्थान लिखा गया था। विश्वविद्यालय का यह निर्णय अनुचित प्रतीत होता है, क्योंकि आईटीआई लिमिटेड पूर्ववर्ती पाँच वर्षों (2016-2021) से विश्वविद्यालय की मौजूदा यूएमएस के रखरखाव का कार्य कर रही थी।

ट्रांज़िट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और आईटीआई लिमिटेड की निविदाओं को अस्वीकार करना अनुचित था और आरटीपीपी नियमों के नियम 59 (5) का उल्लंघन था, जो ऐसी मामूली

21 दूरसंचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम।

22 ट्रांज़िट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात; आईटीआई लिमिटेड, नई दिल्ली; और एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड, नोएडा।

23 क्यूसीबीएस एक विधि है जिसका उपयोग निविदा मूल्यांकन में किया जाता है, विशेष रूप से सलाहकारों की नियुक्ति या सेवाओं की प्राप्ति के लिए, जिसमें तकनीकी और वित्तीय घटकों दोनों को पूर्वनिर्धारित महत्व दिया जाता है।

त्रुटियों को स्वीकार करने की अनुमति देता है जो निविदा की वैधता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करती।

(ii) निविदा मूल्यांकन के लिए निर्धारित गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) विधि ने इस मामले में प्रभावी रूप से अपनी प्रासंगिकता खो दी, क्योंकि अन्य निविदाकर्ताओं को अनपेक्षित रूप से अयोग्य घोषित किए जाने के कारण प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों की तकनीकी दक्षता और मूल्य की उपयुक्तता का मूल्यांकन और तुलना करने का कोई अवसर नहीं बचा। परिणामस्वरूप, एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड एकमात्र शेष निविदाकर्ता के रूप में सामने आया।

विश्वविद्यालय, 02 सितंबर 2021 को आयोजित एक तकनीकी प्रस्तुति के आधार पर एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड का चयन करने की और अग्रसर हुआ। इसके अगले दिन, 03 सितंबर 2021 को वित्तीय निविदा खोली गई, जिसमें प्रति छात्र प्रति परीक्षा ₹ 250 की दर उद्धृत की गई थी। बाद में, 20 सितंबर 2021 को यह दर घटाकर ₹ 240 प्रति छात्र प्रति परीक्षा कर दी गई। इसके पश्चात, विश्वविद्यालय ने 06 अक्टूबर 2021 को एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ अंतिम दर ₹ 240 प्रति छात्र प्रति परीक्षा पर तीन वर्ष की अवधि, 13 अक्टूबर 2021 से 12 अक्टूबर 2024 तक के लिए एक अनुबंध किया।

(iii) वित्तीय टर्नओवर और तकनीकी क्षमता से संबंधित न्यूनतम पूर्व-योग्यता (पीक्यू) या पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने के बावजूद एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड को योग्य घोषित किया गया, इन विवरणों को नीचे तालिका 7.3 में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 7.3: एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा पूर्व-योग्यता मानदंडों की पूर्ति में कमी

पूर्व-योग्यता मानदंड	निविदा आमंत्रण सूचना में विशिष्टियाँ	लेखापरीक्षा टिप्पणी
वित्तीय: आईटी/आईटीईएस क्षेत्र से टर्नओवर	प्रकाशित लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति विवरण के अनुसार, निविदाकर्ता का आईटी/आईटीईएस क्षेत्र से पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक का औसत वार्षिक टर्नओवर कम से कम ₹ 25 करोड़ होना चाहिए।	लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड का टर्नओवर वर्ष 2018-19 में केवल ₹ 21.48 करोड़ और वर्ष 2019-20 में ₹ 22.41 करोड़ था। वर्ष 2020-21 का वित्तीय विवरण जो लेखापरीक्षित नहीं था, में ₹ 69.08 करोड़ का टर्नओवर दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त, वित्तीय विवरणों में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि औसत वार्षिक टर्नओवर विशेष रूप से आईटी/आईटीईएस क्षेत्र से प्राप्त हुआ था या फर्म की समग्र व्यावसायिक गतिविधियों से, क्योंकि निविदा दस्तावेजों में इस जानकारी का समर्थन करने के लिए कोई अनुसूचियाँ शामिल नहीं थीं।
तकनीकी क्षमता	निविदाकर्ता को पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसी भारतीय केंद्रीय/राज्य सरकार विश्वविद्यालय के लिए सॉफ्टवेयर परिनियोजन, अनुकूलन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव एवं	एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड ने अपनी तकनीकी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए 11 विश्वविद्यालयों (परिशिष्ट 7.2) द्वारा जारी किए गए कार्यादेश प्रस्तुत

पूर्व-योग्यता मानदंड	निविदा आमंत्रण सूचना में विशिष्टियाँ	लेखापरीक्षा टिप्पणी
	<p>समर्थन से संबंधित कम से कम निम्नलिखित संख्या में समान परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करना चाहिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. दो परियोजनाएँ, प्रत्येक ₹ 10 करोड़ से कम नहीं; या 2. तीन परियोजनाएँ, प्रत्येक ₹ 5 करोड़ से कम नहीं; या 3. चार परियोजनाएँ, प्रत्येक ₹ 4 करोड़ से कम नहीं। 	<p>किए। हालांकि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ये सभी कार्यादेश मूल रूप से आईटीआई लिमिटेड को जारी किए गए थे और बाद में कार्य निष्पादन के लिए एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड को उपानुबंध पर दिए गए थे। यह दर्शाता है कि एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा उद्धृत किसी भी मामले में वह प्राथमिक प्रदायक नहीं था।</p>

विश्वविद्यालय ने जुलाई 2024 में अवगत कराया कि टर्नओवर प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में प्रदान किए गए थे और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित थे, जो उनके अनुसार निविदा की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। इसके अतिरिक्त, निविदा मूल्यांकन समिति ने एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत कार्यादेशों को तकनीकी क्षमता के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया।

विश्वविद्यालय का प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उपरोक्त तालिका 7.3 में दर्शाए अनुसार एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड का वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के लिए लेखापरीक्षित टर्नओवर ₹ 25 करोड़ से कम था, और फर्म ने वर्ष 2020-21 के लिए जो वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया वह लेखापरीक्षित नहीं था, जो निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) में उल्लिखित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं था, जैसाकि उपरोक्त तालिका 7.3 में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, समिति द्वारा किसी अन्य फर्म आईटीआई लिमिटेड को जारी किए गए कार्यादेशों को एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड के वैध अनुभव के रूप में स्वीकार करना भी अनुचित था। परिणामस्वरूप, चयन प्रक्रिया में आवश्यक निष्पक्षता और पारदर्शिता का अभाव रहा।

(iv) निविदा की शर्तों के अनुसार, चयनित फर्म को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद अनुमानित परियोजना लागत (₹ 16 करोड़) का 2.5 प्रतिशत (₹ 0.40 करोड़) की निष्पादन प्रत्याभूति जमा कराना आवश्यक था। हालांकि, चयनित फर्म ने प्रारंभ में 12 नवंबर 2021 को केवल ₹ 0.10 करोड़ की राशि बैंक गारंटी के रूप में जमा की। शेष ₹ 0.30 करोड़ की राशि काफी विलंब के बाद, लगभग 26 महीने बाद, 23 जनवरी 2024 को जमा की गई।

अपने प्रत्युत्तर (जुलाई 2024) में विश्वविद्यालय ने दावा किया कि चूंकि अनुबंध तीन वर्षों की अवधि के लिए था, इसलिए पहले वर्ष के संचालन के लिए ₹ 0.10 करोड़ की निष्पादन प्रत्याभूति ली गई थी। हालांकि, यह स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निविदा की शर्तों में स्पष्ट रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर करते ही निष्पादन प्रत्याभूति जमा कराने की आवश्यकता थी। यह निविदा शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन था और फर्म को अनुचित लाभ प्रदान करने के समान था।

(v) विश्वविद्यालय की निगरानी समिति ने 03 जुलाई 2023 को आयोजित अपनी बैठक में अनुबंध के तहत एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड के प्रदर्शन पर असंतोष प्रकट किया। समिति ने निम्नलिखित मुख्य टिप्पणियाँ कीं:

- अनुबंधित 25 सेवाओं/मॉड्यूल में से 18 (72 प्रतिशत) सेवाएं फर्म द्वारा प्रदान नहीं की जा रही थीं।
- विभिन्न विभागों के प्रशासनिक प्रमुखों द्वारा की गई भौतिक जांच में यह पाया गया कि अनुबंध में निर्धारित 17 कर्मचारियों के स्थान पर केवल नौ कर्मचारी (53 प्रतिशत) ही नियुक्त किए गए थे।
- जुलाई 2022 से, एमबीएम विश्वविद्यालय²⁴ ने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से अलग होने के बाद यूएमएस के माध्यम से अपनी ऑनलाइन गतिविधियों का स्वतंत्र रूप से संचालन शुरू कर दिया। चूंकि एमबीएम विश्वविद्यालय का कुल कार्यभार में लगभग 33 प्रतिशत हिस्सा था, इसलिए जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के लिए अनुबंध के तहत कार्य की मात्रा अनुपातिक रूप से घट गई। अतः मूल अनुबंध शर्तों के अनुसार पूर्ण भुगतान जारी रखना उचित नहीं माना गया।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, समिति ने निम्नलिखित कार्रवाई की सिफारिश की:

- सेवा में कमियों को ध्यान में रखते हुए, अब तक फर्म को किए गए भुगतान का कम से कम 50 प्रतिशत राशि वसूल कर विश्वविद्यालय के बैंक खाते में जमा की जानी चाहिए।
- एमबीएम विश्वविद्यालय के अलग होने के बाद कार्य के घटे क्षेत्र को देखते हुए, फर्म को केवल तभी कार्य जारी रखने की अनुमति दी जाए जब वह शेष सेवाओं को मूल दरों के 40 प्रतिशत पर निष्पादित करने के लिए सहमत हो।
- विश्वविद्यालय को नए संस्थागत ढांचे के मद्देनजर कार्य के दायरे का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्भाषित करना चाहिए तथा यूएमएस की जिम्मेदारियों को सौंपने के लिए नई निविदाएं आमंत्रित करनी चाहिए।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन सिफारिशों में से किसी पर भी कार्यवाही नहीं की गई। इसके बजाय, विश्वविद्यालय ने फर्म के अनुबंध को मूल नियम एवं शर्तों पर जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया। जनवरी 2025 तक फर्म को कुल ₹ 18.44 करोड़ का भुगतान किया गया।

जुलाई 2024 में विश्वविद्यालय ने दावा किया कि फर्म द्वारा कमियों को दूर कर दिया गया है, जिससे समय-समय पर किए गए भुगतानों को जारी रखना उचित ठहराया गया। हालांकि, विश्वविद्यालय का यह दावा तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं था। विश्वविद्यालय की जनवरी 2025 में स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनुसार, विकसित किए गए 25 यूएमएस मॉड्यूल में से केवल छह ही क्रियाशील थे, नौ आंशिक रूप से उपयोग में थे और 10 मॉड्यूल अप्रयुक्त रहे (*परिशिष्ट 7.3*)।

24 एमबीएम अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जो पहले जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित हो रहा था, को राजस्थान सरकार द्वारा सितंबर 2021 में अलग कर एक स्वतंत्र राज्य विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया।

मई 2025 में विश्वविद्यालय ने आगे अवगत कराया कि माँड्यूल्स का यथासंभव उपयोग करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के कारण कुछ माँड्यूल्स अप्रयुक्त रह गए।

हालांकि, 06 अक्टूबर 2021 को हस्ताक्षरित अनुबंध के अनुसार, एक्सपेडियन ई सॉल्यूशंस लिमिटेड की जिम्मेदारी थी कि वह विभिन्न उपयोगकर्ता क्षेत्रों में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करे, साथ ही सभी आधिकारिक उपयोगकर्ताओं के लिए ऑन-डिमांड प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराए। अनुबंध की शुरुआत से 43 महीने (अक्टूबर 2021 से मई 2025) व्यतीत हो जाने के बावजूद विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी बनी रहना चिंता का विषय है।

इस प्रकार, विश्वविद्यालय ने उस फर्म को अनुबंध प्रदान किया जो एनआईटी के पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा नहीं करती थी। इसके अलावा, निगरानी समिति द्वारा भुगतान की वसूली और कार्य के दायरे को पुनर्भाषित करने की स्पष्ट सिफारिशों के बावजूद, विश्वविद्यालय ने अनुबंध को बढ़ाने से पहले न तो कोई सुधारात्मक कार्रवाई की और न ही प्रदर्शन का पुनर्मूल्यांकन किया, और अनुबंध की पूर्ण राशि अर्थात् ₹ 18.44 करोड़ का भुगतान कर दिया।

यह मामला जून 2024 में राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था, जिसका उत्तर मई 2025 तक प्रतीक्षित था।

7.6 ₹ 1.85 करोड़ का निष्क्रिय निवेश

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (जेएनवीयू), जोधपुर में सेन्टर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्माल बिज़नेस मैनेजमेंट हेतु निर्मित भवन ₹ 1.85 करोड़ के व्यय और छह वर्षों की देरी के उपरांत भी क्रियाशील नहीं हुआ। यह भवन अब भी आवश्यक सुविधाओं जैसे फर्नीचर, पुस्तकालय, कंप्यूटर तथा जल और विद्युत जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है।

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (भाग-1) के नियम 298 के अनुसार, किसी कार्य की योजना और डिज़ाइन तैयार करने के लिए भूमि की उपलब्धता एक पूर्व-आवश्यकता है, और इसलिए सरकार का कोई भी विभाग तब तक योजना प्रारंभ नहीं कर सकता जब तक कि वह स्थल भौतिक रूप से उसके कब्जे में न हो।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (विश्वविद्यालय) के परिसर में ₹ 3.15 करोड़²⁵ की अनुमानित लागत पर एक सेन्टर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्माल बिज़नेस मैनेजमेंट (सीईएसबीएम) की स्थापना हेतु स्वीकृति (18 जनवरी 2017) प्रदान की। इसमें से, ₹ 1.50 करोड़ भारत सरकार द्वारा प्रदान किया

25 आधारभूत संरचना: ₹ 1.86 करोड़; फर्नीचर, साज-सज्जा और उपकरण: ₹ 0.85 करोड़; पुस्तकालय: ₹ 0.17 करोड़; कंप्यूटर: ₹ 0.07 करोड़; और विविध: ₹ 0.20 करोड़।

जाना था, जबकि शेष ₹ 1.65 करोड़ विश्वविद्यालय द्वारा परियोजना खाते में योगदान किया जाना था।

मार्च 2018 में विश्वविद्यालय के भवन निर्माण प्रकोष्ठ ने ₹ 1.74 करोड़ की अनुमानित लागत पर सीईएसबीएम भवन के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं। यह ठेका 28 मई 2018 को ₹ 1.67 करोड़ में दिया गया, जिसकी निर्धारित पूर्णता अवधि 12 महीने थी, जो 27 मई 2019 को समाप्त होनी थी। हालांकि, लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह पाया गया कि स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ठेका दिया गया था। संवेदक को स्थल 26 फरवरी 2019 को सौंपा गया, जो निर्धारित पूर्णता तिथि से मात्र तीन महीने पहले था। परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय को निर्माण की समय-सीमा पुनः निर्धारित करनी पड़ी, जिसमें नई कार्यारम्भ और पूर्णता तिथियां क्रमशः 02 मार्च 2019 और 01 मार्च 2020 तय की गईं।

समय-वृद्धि के बावजूद, निर्माण कार्य ₹ 1.85 करोड़ की लागत पर 30 अगस्त 2020 को पूर्ण हुआ, जो मूल समय-सीमा से 15 महीने और संशोधित समय-सीमा से छह महीने की देरी को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि यद्यपि विश्वविद्यालय को परियोजना में ₹ 1.65 करोड़ का योगदान करना था, उसने मार्च 2017 में केवल ₹ 1.50 करोड़ का योगदान किया। इसमें से ₹ 1.25 करोड़, विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन देनदारियों को पूरा करने के लिए जून 2017 में विपथन कर दिए गए। परिणामस्वरूप, प्रमुख आधारभूत संरचना सुविधाएं यथा फर्नीचर, साज-सज्जा, पुस्तकालय संसाधन, कंप्यूटर और उपकरण क्रय नहीं की जा सकीं, जिससे भवन अगस्त 2020 में पूर्ण होने के बावजूद अप्रयुक्त रहा। विश्वविद्यालय ने जुलाई 2020 से नवंबर 2023 के बीच किश्तों में ₹ 1.30 करोड़ जमा किए, जिसमें से ₹ 0.96 करोड़ सितंबर 2022 में पुनः विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन विभाग के 'उपयोग' हेतु विपथन कर दिए गए।

विश्वविद्यालय ने जुलाई 2024 में अवगत कराया कि विपथन की गई राशि को परियोजना खाते में जमा कर दिया जाएगा और लंबित सुविधाओं के उपापन के बाद भवन को क्रियाशील बनाया जाएगा। हालांकि, मई 2025 तक सीईएसबीएम भवन ₹ 1.85 करोड़ के व्यय और मई 2019 की मूल निर्धारित पूर्णता तिथि से छह वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी भी क्रियाशील नहीं हो पाया है।

भवन में अब भी आवश्यक सुविधाएं जैसे फर्नीचर, पुस्तकालय, कंप्यूटर, जल और विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं हैं, जिससे यह अपने निर्धारित उद्देश्य के लिए अनुपयोगी बना हुआ है।

यह प्रकरण जून 2024 में राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था; मई 2025 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

स्वायत्त शासन विभाग

7.7 जेसीटीएसएल की अपारदर्शी एवं अनियमित कार्यप्रणाली के कारण अनुबंध का निरस्तीकरण

जेसीटीएसएल की अपारदर्शी एवं अनियमित कार्यप्रणाली के कारण एक प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ता से ई-बसों के उपापन के अनुबंध के निरस्तीकरण के परिणामस्वरूप भारत सरकार की निधियों का उपयोग नहीं हुआ तथा जयपुर शहर के आमजन को पर्यावरण अनुकूल बसों की सुविधा से वंचित रहना पड़ा।

भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने अप्रैल 2019 में तीन वर्ष की अवधि हेतु “फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एवं) इलेक्ट्रिक व्हीकलस इन इंडिया (फेम इंडिया स्कीम)” के द्वितीय चरण का शुभारम्भ किया। इस योजना के अंतर्गत राज्य/शहरी परिवहन उपक्रमों से ई-बसों के परिचालन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए गए (जून 2019)।

इसकी प्रतिक्रिया में, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) ने जयपुर शहर के लिए 300 ई-बसों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जून 2019)। भारत सरकार ने जयपुर शहर हेतु 100 ई-बसों के परिचालन की स्वीकृति प्रदान की (अगस्त 2019)। मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रचालक (निजी रियायतग्राही) का चयन खुली प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से किया जाना था। जेसीटीएसएल द्वारा स्वीकृति आदेश जारी होने की तिथि से तीन माह के अंदर उपापन प्रक्रिया पूर्ण तथा आपूर्ति आदेश जारी किया जाना था तथा आपूर्ति आदेश जारी होने की तिथि के 12 माह के अंदर सभी बसों का संचालन शुरू किया जाना था।

जेसीटीएसएल ने जयपुर शहर हेतु 100 पूर्ण वातानुकूलित निर्मित शुद्ध इलेक्ट्रिक मिडी बसों की आपूर्ति सह-संचालन तथा रखरखाव के लिए निविदा आमंत्रण सूचना जारी (अक्टूबर 2019) की। बसों का संचालन चार डिपो से निर्धारित मार्गों पर किया जाना था। प्रचालक को प्रति बस प्रतिदिन 160 किलोमीटर का न्यूनतम परिचालन सुनिश्चित किया गया था। इसकी प्रतिक्रिया में, दो फर्मों²⁶ मैसर्स ईवी ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड ने अपनी निविदाएं प्रस्तुत कीं तथा दोनों फर्म तकनीकी रूप से योग्य थीं। तथापि, निविदाएं नवंबर 2019 में यह कारण बताते हुए रद्द कर दी गईं कि न्यूनतम निविदाकर्ता द्वारा दी गई दर उत्तर प्रदेश एवं गुजरात जैसे अन्य राज्यों में भुगतान की गई दरों से अधिक थी।

इसके पश्चात्, जेसीटीएसएल ने नवंबर 2019 में नई निविदा आमंत्रण सूचना जारी की, जिसमें प्रति बस प्रतिदिन न्यूनतम सुनिश्चित परिचालन दूरी 160 किलोमीटर से बढ़ाकर 200

26 मैसर्स ईवी ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रति बस ₹ 85.95 प्रति किलोमीटर (जीएसटी के अलावा) की दर प्रस्तुत की गई और मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड ने प्रति बस ₹ 89.10 प्रति किलोमीटर (जीएसटी के अलावा) की दर प्रस्तुत की गई।

किलोमीटर' कर दी गई तथा डिपो की संख्या चार से घटाकर तीन कर दी गई। तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर, मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड को ₹ 66.50 प्रति किलोमीटर प्रति बस की न्यूनतम बोली पर चयनित किया गया तथा जेसीटीएसएल ने मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड को दिनांक 13.12.2019 को स्वीकृति-पत्र जारी किया।

स्वीकृति-पत्र जारी होने की तिथि (दिसम्बर 2019) से 30 दिनों के भीतर मैसर्स टाटा मोटर्स के साथ अनुबंध निष्पादित किया जाना था, किन्तु यह दिनांक 25.06.2020 को निष्पादित किया गया।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) के अनुसार, प्रचालक स्वीकृति-पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर ई-बस का प्रोटोटाइप जेसीटीएसएल को अनुमोदन हेतु आपूर्ति करेगा। 13 मार्च 2020 तक की समय-सीमा के विरुद्ध, मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड ने ई-बस का प्रोटोटाइप सितंबर 2020 में आपूर्ति किया। जेसीटीएसएल की एक संयुक्त समिति द्वारा प्रोटोटाइप का निरीक्षण किया गया जिसने अक्टूबर 2020 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। फर्म को जनवरी 2021 में ₹ 9.00 करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम भुगतान किया गया था। यह भुगतान भारत सरकार से मांग प्रोत्साहन की प्राप्त पहली किस्त ₹ 9.00 करोड़²⁷ से किया गया था।

दस्तावेजों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि:

- जेसीटीएसएल ने प्रोटोटाइप का मूल्यांकन नई निविदा आमंत्रण सूचना (नवंबर 2019) में निर्दिष्ट तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार नहीं किया तथा सितंबर 2020 में प्रोटोटाइप प्राप्त होने के पश्चात्, उसमें कमियाँ बताते हुए ऐसे संशोधन सुझाए (अक्टूबर 2020) जो निविदा आमंत्रण सूचना में निहित नहीं थे। इनमें पिछले दरवाजे की गलत स्थिति, आगे के दरवाजे/निकास दरवाजे की कम ऊंचाई, पृथक ड्राइवर केबिन नहीं होना, परिचालक के लिए सीट नहीं होना, दिव्यांगों/वरिष्ठ नागरिकों के लिए हाइड्रोलिक रैंप का प्रावधान नहीं होना, बस में लगे अग्निशमन उपकरणों का आकर छोटा होना शामिल थे।

यह देखा गया कि मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड ने जेसीटीएसएल के कुछ सुझावों को स्वीकार कर लिया (नवंबर 2020) और तदनुसार बस को संशोधित करने के लिए सहमत हो गया। हालाँकि, विवाद का मुख्य मुद्दा बस के पिछले दरवाजे की स्थिति थी। जेसीटीएसएल चाहता था कि यह बस के बीच में होने के बजाय पिछले पहियों के पीछे हो। मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड ने तर्क दिया कि ई-बस का प्रोटोटाइप निविदा आमंत्रण सूचना में अधिसूचित विशिष्टताओं के अनुसार बनाया गया था। इसके अलावा, फर्म को निविदा आमंत्रण सूचना में निर्धारित विशिष्टताओं के अनुसार प्रोटोटाइप प्रस्तुत करना आवश्यक था और निरीक्षण

27 रुचि की अभिव्यक्ति के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जेसीटीएसएल को मांग-प्रोत्साहन का 20 प्रतिशत आपूर्ति आदेश जारी होने और जेसीटीएसएल द्वारा मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद जारी किया जाएगा। कुल प्रोत्साहन राशि ₹ 45 करोड़ थी।

समिति द्वारा इन विशिष्टताओं के अनुसार निरीक्षण किया जाना था। अनुबंध जारी किए जाने के बाद जेसीटीएसएल द्वारा विशिष्टताएं बदलना अनियमित था।

- इसी बीच, जेसीटीएसएल ने स्पष्टीकरण के लिए मामला केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी) को भेजा (अगस्त 2021) जो कि जेसीटीएसएल द्वारा प्रस्तावित बदलाव से सहमत नहीं हुआ (सितंबर 2021)। इस रिपोर्ट के आधार पर, जेसीटीएसएल निरीक्षण समिति ने 17 महीने²⁸ की देरी के बाद मार्च 2022 में प्रोटोटाइप अनुमोदित किया। फर्म को प्रोटोटाइप अनुमोदन की सूचना देने के बजाय प्रबंध निदेशक, जेसीटीएसएल ने मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध की नए सिरे से जांच करने और अनुबंध में उन सभी प्रावधानों को इंगित करने के लिए लिखित निर्देश जारी किए (अप्रैल 2022) जो कि जेसीटीएसएल के हित के विरुद्ध हैं। जेसीटीएसएल के मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा अनुबंध में सात मुद्दों को इंगित करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत (अप्रैल 2022) की गई जिन पर मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ फिर से वार्ता की गई (मई 2022)। मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड की चार मुद्दों पर पूर्णतः या सशर्त सहमति²⁹ (जून/जुलाई 2022) थी और शेष मुद्दों³⁰, जहां संशोधन के लिए लागत में बदलाव की आवश्यकता थी अथवा अनुबंध के इस चरण में संभव नहीं थे, पर असहमति थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि जेसीटीएसएल द्वारा उठाए गए मुद्दे अनुचित थे और यह अनुबंध के दायित्वों का सम्मान करने में इसकी विफलता को दर्शाता है क्योंकि ये मुद्दे मूल अनुबंध के उल्लंघन में थे।
- जेसीटीएसएल और फर्म के बीच मूल अनुबंध में संशोधन के लिए कई दौर की चर्चाओं और बैठकों के बाद, आखिरकार, दिसंबर 2022 में जेसीटीएसएल ने मार्गदर्शन के लिए राजस्थान सरकार को एक नोट भेजा, जिसमें कहा गया था कि मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड ने बस संरचना (पिछले दरवाजे की स्थिति) में परिवर्तन करने से इनकार कर दिया था और फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रोटोटाइप का निरीक्षण तीसरे पक्ष (सीआईआरटी) द्वारा किया गया था, लेकिन इस तथ्य को छोड़ दिया गया कि सीआईआरटी ने प्रोटोटाइप को मंजूरी दे दी थी। दिसंबर 2022 से जून 2023 तक, जेसीटीएसएल और राजस्थान सरकार पत्राचार में लगे रहे, लेकिन ई-बसों की स्वरीद पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

28 सत्रह महीने: 13.10.2020 (निरीक्षण की दिनांक) से 16.03.2022 (निरीक्षण समिति द्वारा प्रोटोटाइप का अनुमोदन) तक।

29 मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड को भुगतान के लिए समय सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर दो महीने करने, बिजली शुल्क में बदलाव को छमाही से बढ़ाकर वार्षिक करने, फर्म द्वारा बिल जमा करने की समय सीमा को 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन करने, ई-बसों की आपूर्ति के लिए समय सीमा का पालन करने। मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड ने पुनर्वार्ता बैठक की तारीख से 60 दिनों के भीतर जेसीटीएसएल द्वारा बस के प्रोटोटाइप के अनुमोदन की शर्त पर सहमति व्यक्त की।

30 प्रति बस प्रति किमी लागत से डेड माइलेज को बाहर करने के लिए अनुबंध में संशोधन करना और डेड माइलेज को फर्म द्वारा वहन करने की मांग, अनुबंध में निर्दिष्ट तीन डिपो में से एक का स्थान बदलने। तीन में से दो डिपो के बिजली कनेक्शन की लागत मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा वहन की जाए। फर्म इन मुद्दों पर असहमत थी।

➤ चूंकि जेसीटीएसएल ने चार वर्ष बीतने के बाद तक फेम-II योजना के तहत स्वीकृत 100 ई-बसों के उपापन में कोई प्रगति नहीं की थी, इसलिए भारत सरकार ने जून 2023 में योजना को रद्द कर दिया। इसके अलावा, भारत सरकार ने जेसीटीएसएल को भारत सरकार द्वारा भुगतान किए गए ₹ 9.00 करोड़ ब्याज सहित लौटने के निर्देश दिए और भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार ई-बसों की खरीद नहीं करने के कारणों को प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। इसके बाद, अगस्त 2023 में, राजस्थान सरकार ने मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ इस सार्वजनिक-निजी भागीदारी अनुबंध को रद्द कर दिया।

इस प्रकार, जेसीटीएसएल की अपारदर्शी एवं अनियमित कार्यप्रणाली के कारण अनुबंध रद्द हुआ।

प्रत्युत्तर में प्रबंध निदेशक, जेसीटीएसएल ने उल्लेख किया (जुलाई 2024) कि जेसीटीएसएल ने मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड को 'अनुबंध के प्रावधान के अनुसार' दरवाजे की स्थिति को पिछले पहियों के पीछे बदलाव के संबंध में लिखा था, लेकिन मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह भी अवगत कराया कि मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड से ₹ 9 करोड़ की अग्रिम राशि बिना ब्याज के वसूल कर ली गई है तथा भारत सरकार को वापस (नवम्बर 2024) कर दी गई है। प्रत्युत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि फर्म ने निविदा आमंत्रण सूचना में निर्धारित विशिष्टताओं के अनुसार प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया था और दरवाजे की स्थिति बदलने के जेसीटीएसएल के प्रस्ताव को भी सीआईआरटी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

इस प्रकार, भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने के बावजूद भी, अनियमितता, पारदर्शी प्रक्रिया के अभाव और असंगत अनुबंध शर्तों की प्रविष्टि के कारण जेसीटीएसएल फेम-II योजना के तहत ई-बसों की उपापन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में असमर्थ रहा, जो अंततः प्रयोजित अवसर चूक जाने में परिणित हुआ।

यह मामला राज्य सरकार को दिसंबर 2024 में प्रेषित किया गया था, उनका प्रत्युत्तर अगस्त 2025 तक प्रतिक्षित रहा।

सैनिक कल्याण विभाग

7.8 अपर्याप्त नियोजन के परिणामस्वरूप वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केंद्र, जोधपुर का उपयोग न होना

व्यवहार्यता अध्ययन के अभाव के कारण ₹ 5.51 करोड़ की लागत से निर्मित वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केंद्र, जोधपुर पांच वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अप्रयुक्त रहा।

सैनिक कल्याण विभाग (एसकेवी), राजस्थान सरकार द्वारा युद्ध वीरांगनाओं को पुनर्वास सुविधाएं तथा उनको तकनीकी कौशल सुधार प्रशिक्षण प्रदान करने एवं आश्रित बच्चों को शैक्षणिक शिक्षा

उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चार³¹ वीरांगना छात्रावास एवं पुनर्वास केंद्र (वीएचआरसी)³² स्थापित किए गए। लेखापरीक्षा में जोधपुर स्थित वीएचआरसी और आवासीय फ्लैटों³³ का उपयोग न होना पाया गया, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा की अनुपालना में, राजस्थान सरकार ने जोधपुर में वीएचआरसी के निर्माण हेतु ₹ 6.45 करोड़ का प्रावधान किया। इस प्रावधान के विरुद्ध, राजस्थान सरकार ने कार्य पर व्यय हेतु ₹ 1.50 करोड़ की स्वीकृति जारी की (जून 2012)। इसके बाद, मई 2013 में ₹ 4.95 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति जारी की गई। कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा निष्पादित किया जाना था।

निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2022 और अगस्त 2024) में पाया कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (जेडएसकेए), जोधपुर ने निदेशक, कल्याण विभाग के निर्देशों पर, वीएचआरसी के निर्माण हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए), तत्कालीन नगर सुधार न्यास, जोधपुर को भूमि आवंटन हेतु एक प्रस्ताव भेजा (फरवरी 2006) था। पाँच वर्षों के बाद, जेडीए, जोधपुर ने इस उद्देश्य के लिए 2,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित (अप्रैल 2011) की।

आवासीय फ्लैटों की दूसरी मंजिल के निर्माण के दौरान वायु सेना स्टेशन, जोधपुर द्वारा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जोधपुर को रक्षा मंत्रालय (एमओडी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए निर्देश देते हुए कार्य रूकवा दिया गया था (दिसंबर 2013) क्योंकि यह स्थान वायु सेना स्टेशन के निकट था। इसके बाद, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जोधपुर ने एनओसी के लिए आवेदन किया (अक्टूबर 2014) और तत्पश्चात रक्षा मंत्रालय ने भवन निर्माण के लिए एनओसी जारी कर दिया (मार्च 2015)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ना तो सैनिक कल्याण विभाग और ना ही पीडब्ल्यूडी को एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में पता था और नोटिस मिलने के बाद ही एनओसी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। एनओसी प्राप्त होने के बावजूद, पानी की पाइपलाइन कनेक्शन और फर्नीचर से संबंधित कार्य में विलम्ब होने के कारण कार्य चार साल बाद मार्च 2019 में पूर्ण हुआ। निर्माण कार्य पर ₹ 5.51 करोड़ का व्यय हुआ। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जोधपुर ने कुछ कमियों³⁴ के कारण पीडब्ल्यूडी से भवन का अधिग्रहण नहीं किया था, परन्तु जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), जोधपुर के मौखिक निर्देश के परिणामस्वरूप जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जोधपुर ने सितंबर 2019 में भवनों का अधिग्रहण कर लिया।

31 चार वीएचआरसी सितंबर 2005 से सितंबर 2019 के दौरान स्थापित किए गए: (i) जयपुर – 17 सितंबर 2005; (ii) झुंझुनू – 16 सितंबर 2010; (iii) सीकर – प्रथम चरण: 21 अक्टूबर 2011 एवं द्वितीय चरण: 28 अक्टूबर 2016 तथा (iv) जोधपुर – 07 सितंबर 2019।

32 वीरांगना छात्रावास और आवासीय फ्लैट वीएचआरसी के घटक हैं।

33 छात्रावास उन वीरांगनाओं के बच्चों के लिए हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, जबकि आवासीय फ्लैट उन वीरांगनाओं के लिए हैं जो अकेली रहती हैं या अपने बच्चों के साथ रहती हैं।

34 बारिश के पानी की निकासी के लिए पाइप, सिडकियों के हैंडल टूटे हुए होना, बाथरूम में लाइट न लगना, प्लास्टर टूटना, दीवारों में दरारें, शौचालयों में ट्यूब लाइट/बल्ब/एगजास्ट पंखा नहीं लगे होना, सिडकियों व कमरों पर पेलमेट न लगना आदि।

यह भी पाया गया कि छात्रावास और पुनर्वास केंद्र दूरस्थ और एकांत स्थान पर स्थित हैं, जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से क्रमशः 12 और 15 किलोमीटर दूरी पर तथा मुख्य सड़क से छात्रावास और पुनर्वास केंद्र तक 1.5 किलोमीटर के लिए कोई सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है।

सुविधाओं का उपयोग करने की दृष्टि से समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों के साथ-साथ संभावित लाभार्थियों को व्यक्तिगत पत्र लिखे जाने थे। साथ ही सैनिक रैलियों, पर्चों और समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी प्रसारित की जानी थी। सैनिक कल्याण विभाग ने जनवरी, मार्च और जून 2020 में समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों को प्रचारित करने एवं इच्छित लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए लिखा। हालाँकि, किसी भी पात्र वीरांगना अथवा शहीदों के आश्रितों या भूतपूर्व सैनिकों ने फ्लैट अथवा छात्रावास सुविधाओं के लिए आवेदन करने में रुचि नहीं दिखाई। जोधपुर में वीएचआरसी की वास्तविक आवश्यकता का आंकलन करने के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन किए बिना ही वीएचआरसी का निर्माण कार्य किया गया। इसके अलावा, छात्रावास के निर्माण-स्थल के संबंध में किसी भी व्यवहार्यता अध्ययन के समर्थन में कोई अभिलेख नहीं पाया गया। परिणामस्वरूप, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जोधपुर ने निर्मित भवन के वैकल्पिक उपयोग की संभावनाओं का पता लगाने हेतु सैनिक कल्याण विभाग को सिफारिश की (दिसंबर 2021) तथा मौजूदा बुनियादी ढांचे को समाज कल्याण विभाग जैसे किसी सरकारी विभाग को सौंपने अथवा भूतपूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं एवं उनके आश्रितों को कौशल विकास और शैक्षणिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव (दिसंबर 2021 और दिसंबर 2022) भेजा। यह दर्शाता है कि निर्मित संपत्ति के वैकल्पिक उपयोग के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं थी।

लेखापरीक्षा द्वारा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के साथ किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन (अप्रैल 2023) से प्रकट हुआ कि भवन के हस्तांतरण के बाद से छात्रावास और पुनर्वास केंद्र अप्रयुक्त पड़ा हुआ था और विद्युत कनेक्शन अस्थायी रूप से काट दिया गया था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:



पुनर्वास केंद्र, जोधपुर में अप्रयुक्त भवन और सुविधाओं को दर्शाती तस्वीरें

राज्य सरकार ने अवगत कराया (जनवरी 2025) कि भूमि आवंटन के लिए सैनिक कल्याण विभाग से कोई सहमति प्राप्त नहीं की थी। पर्याप्त प्रचार और प्रयासों के बावजूद, क्षेत्र की विशिष्ट सामाजिक पृष्ठभूमि और रीति-रिवाजों के कारण कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। आगे अवगत कराया गया कि अप्रयुक्त भवनों के वैकल्पिक उपयोग का प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर

विचाराधीन है और पुनर्वास केंद्र की मरम्मत कार्य के लिए ₹ 0.59 करोड़ स्वीकृत किए जा चुके हैं।

विभाग के प्रत्युत्तर से यह स्पष्ट होता है कि छात्रावास और पुनर्वास केंद्र के निर्माण-स्थल का निर्धारण करने में सैनिक कल्याण विभाग और स्थानीय प्रशासन के मध्य कोई समन्वय नहीं था। इसके अतिरिक्त, संबंधित अधिकारियों द्वारा एकांत स्थान पर भूमि का आवंटन युद्ध-वीरांगनाओं के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है। यह भी स्पष्ट होता है कि प्राथमिक उद्देश्य की पूर्ति न होने के साथ ही दीर्घ अवधि तक उपयोग न होने के कारण अप्रयुक्त भवनों की मरम्मत पर ₹ 0.59 करोड़ का परिहार्य भार उत्पन्न हुआ। अप्रयुक्त भवन के वैकल्पिक उपयोग के प्रस्ताव के संबंध में यह पाया गया कि प्रस्ताव दिसंबर 2022 में राज्य सरकार को भेजा गया था, परन्तु दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया।

कोई व्यवहार्यता अध्ययन न किए जाने और वांछित उद्देश्य के अनुरूप निर्माण-स्थल का चयन नहीं होने के परिणामस्वरूप, निर्माण होने के पाँच वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी वीएचआरसी जोधपुर अप्रयुक्त रहा। इसके अलावा, दो वर्ष पूर्व प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बावजूद, सरकार ने संपत्ति का कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं किया।

जयपुर,
20 जनवरी 2026


(सतीश कुमार गर्ग)
प्रधान महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-1), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली,
27 जनवरी 2026


(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.7.2)

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई कमियों का संक्षिप्त सारांश

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा आयाम	करदाताओं की संख्या	प्रकरण जहाँ उत्तर प्राप्त हुए		अपील, एनसीएलटी, उच्च न्यायालय आदि में विचाराधीन या लंबित प्रकरण		विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया						अनुपालन विचलन							
						डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ		आक्षेप से पहले की गई कार्रवाई		अन्य मान्य स्पष्टीकरण		एससीएन जारी किया गया /मांग कायम की गई/वसूली' की गई		एसएमटी-10/नोटिस/डीआरसी-01ए जारी किया गया		लेखापरीक्षा को विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है (खंडन)		योग	
						संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के बीच आईटीसी का मिसमैच (डी1)	58	93	738.69	13	138.12	8	63.46	12	87.17	27	176.37	31	241.41	-	-	2	32.16	33	273.57
आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना प्राप्त आईटीसी (डी2)	30	75	290.15	9	56.03	0	0	5	26.08	55	192.18	06	15.86	-	-	-	-	06	15.86
सीमा अवधि के बाद दाखिल किये गये जीएसटीआर- 3बी में प्राप्त आईटीसी (डी3)	45	57	99.28	10	21.88	0	0	3	2.96	16	23.50	24	48.82	1	0.16	3	1.96	28	50.94
आईएसडी क्रेडिट का गलत उपयोग (डी4)	15	23	7.53	4	1.55	0	0	0	0	10	3.48	8	1.39	-	-	1	1.11	9	2.50
आरसीएम के तहत प्राप्त आईटीसी बनाम जीएसटीआर-3बी/जीएसटीआर-9 में कर का भुगतान (डी5)	35	56	72.02	10	8.31	19	12.52	5	16.51	14	17.18	08	17.50	-	-	-	-	08	17.50
वार्षिक विवरणी और लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आईटीसी का मिसमैच (डी6)	14	23	484.02	1	1.69	3	28.22	1	1.71	9	38.60	7	411.54	2	2.26	-	-	09	413.80
वित्तीय विवरणों में व्यय के साथ वार्षिक विवरणी में प्राप्त आईटीसी के बीच मिलान (डी7)	15	23	647.48	0	0	8	47.47	1	7.12	5	26.50	8	563.83	-	-	1	2.56	9	566.39
अस्थिर देनदारियां (डी8)	64	112	824.65	19	209.41	7	44.82	6	5.12	60	464.28	18	86.21	2	14.81	-	-	20	101.02

1 ₹ 1245.26 करोड़ के 78 प्रकरणों में एससीएन जारी किया गया, ₹334.40 करोड़ के 140 प्रकरणों में मांग कायम की गई और 18 प्रकरणों में ₹1.58 करोड़ की वसूली की गई।

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा)

लेखापरीक्षा आयाम	करदाताओं की संख्या	प्रकरण जहाँ उत्तर प्राप्त हुए				अपील, एनसीएलटी, उच्च न्यायालय आदि में विचाराधीन या लंबित प्रकरण						विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया						अनुपालन विचलन					
		डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ		आक्षेप से पहले की गई कार्रवाई		अन्य मान्य स्पष्टीकरण		एससीएन जारी किया गया /मांग कायम की गई/वसूली की गई		एसएमटी-10/नोटिस/डीआरसी-01ए जारी किया गया		लेखापरीक्षा को विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है (खंडन)		योग									
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
ई-वे बिल की तुलना में कर योग्य मूल्य में कमी (डी9)	44	103	1,569.71	5	64.41	3	25.98	1	28.18	62	879.87	8	83.60	24	487.67	-	-	32	571.27				
लेखा पुस्तकों और विवरणियों के बीच कर भुगतान में मिसमैच (डी10)	15	19	36.17	3	7.73	0	0	5	4.84	7	16.46	2	3.90	1	1.44	1	1.80	4	7.14				
टीडीएस/ टीसीएस घोषणा के माध्यम से पहचाने गए कर योग्य मूल्य में कमी (डी11)	24	40	495.98	1	248.84	0	0	1	57.03	25	86.81	8	89.46	3	7.77	2	6.07	13	103.30				
जीएसटीआर 9सी की तालिका 5 में घोषित बिल रहित राजस्व में मिसमैच के माध्यम से पहचाने गए कर योग्य मूल्य की कमी (डी12)	14	18	210.76	2	15.49	3	66.56	0	0	10	106.80	1	7.41	2	14.50	-	-	03	21.91				
जीएसटीआर-9सी की तालिका 7 जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में मिसमैच (डी13)	15	26	- ²	1	0	1	-	0	0	22	-	-	-	2	-	-	-	02	-				
कम्पोजिशन करदाता द्वारा भी ई-कॉमर्स सुविधा का उपभोग करना (डी14)	9	9	-	0	0	0	0	0	0	7	-	2	-	-	-	-	-	02	-				
जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं की गई लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है (डी15)	45	67	-	22	-	0	0	6	-	3	-	34	-	02	-	-	-	36	-				
ब्याज का कम भुगतान (डी16)	68	182	32.48	26	6.27	0	0	67	13.26	17	2.50	71	10.31	01	0.14	-	-	72	10.45				
योग	510	926	5,508.92	126	779.73	52	289.03	113	249.98	349	2,034.53	236	1581.24	40	528.75	10	45.66	286	2,155.65				

2 26 प्रकरणों में जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी में कुल मिलान नहीं हुआ कर योग्य टर्नओवर ₹ 7,567.87 करोड़ है, जिसमें से एक प्रकरण में डेटा प्रविष्टि त्रुटि का टर्नओवर ₹ 2166.46 करोड़ है, ₹ 3709.74 करोड़ के मिसमैच टर्नओवर वाले 22 प्रकरणों में, विभाग द्वारा मान्य स्पष्टीकरण प्रदान किए गए और ₹ 1191.36 करोड़ के मिसमैच टर्नओवर वाले दो प्रकरणों में एसएमटी-10 जारी किया गया है और ₹ 500.31 करोड़ के मिसमैच टर्नओवर से संबंधित शेष एक मामला उच्च न्यायालय में स्थगन के अधीन है।

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.8.1)

अभिलेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्राधिकार वृत्त	नमूना करदाताओं की संख्या	प्रस्तुत नहीं किया जाना	
			करदाताओं की संख्या	आईटीसी/कर देयता में मिसमैच
1	वृत्त-आई, जयपुर-तृतीय	15	15	24.55
2	वृत्त-एच, जयपुर-द्वितीय	2	2	5.73
3	वृत्त-एच, जयपुर-तृतीय	1	1	10.09
4	वृत्त-एच, जयपुर-चतुर्थ	1	1	0.03
5	वृत्त-जे, जयपुर-प्रथम	2	2	1.49
6	वृत्त-जे, जयपुर-द्वितीय	1	1	119.97
7	वृत्त-जे, जयपुर-तृतीय	1	1	0.20
8	वृत्त- शाहजहांपुर	2	2	10.98
9	वृत्त-ए, भीलवाड़ा	1	1	0.06
10	वृत्त-डी, जयपुर-द्वितीय	3	3	4.26
11	वृत्त-बी, अलवर	1	1	0.59
12	वृत्त-सी, अलवर	1	1	10.26
13	वृत्त-बी, अजमेर	1	1	0.94
14	वृत्त-ए, अजमेर	1	1	0.52
15	वृत्त-टोंक, जयपुर-द्वितीय	1	1	1.66
16	वृत्त-डी, जोधपुर-द्वितीय	2	2	4.98
17	वृत्त-मेड़ता सिटी	2	2	0.05
18	वृत्त-बी, भीलवाड़ा	2	2	4.35
19	वृत्त-बारां	2	2	0.87
20	वृत्त-डी, कोटा	1	1	0.98
21	वृत्त-ई, कोटा	1	1	13.46
22	वृत्त-आई, जयपुर-प्रथम	5	5	23.33
23	वृत्त-सी, जयपुर-प्रथम	3	3	15.29
24	वृत्त-सी, जयपुर-तृतीय	3	3	16.19
25	वृत्त-डी, जयपुर-प्रथम	1	1	0.14
26	वृत्त-एच, जयपुर-प्रथम	2	2	1.68
27	वृत्त-ए, बांसवाड़ा	1	1	2.73
28	वृत्त-ए, बाड़मेर	1	1	1.14

क्र.सं.	क्षेत्राधिकार वृत्त	नमूना	प्रस्तुत नहीं किया जाना	
		करदाताओं की संख्या	करदाताओं की संख्या	आईटीसी/कर देयता में मिसमैच
29	वृत्त-ए, जयपुर-द्वितीय	1	1	0.04
30	वृत्त-ए, जयपुर-चतुर्थ	5	5	154.73
31	वृत्त-ए, श्रीगंगानगर	1	1	12.78
32	वृत्त-ए, उदयपुर	1	1	0.28
33	वृत्त-बूंदी	2	2	3.19
34	वृत्त-बी, बाड़मेर, जोधपुर-द्वितीय	1	1	1.61
35	वृत्त-बी, भरतपुर	1	1	0.62
36	वृत्त-बी, जोधपुर-द्वितीय	1	1	0.39
37	वृत्त-बी, कोटा	3	3	3.75
38	वृत्त-सी, हनुमानगढ़	1	1	0.06
39	वृत्त-सी, जयपुर-द्वितीय	1	1	11.97
40	वृत्त-चुरू	1	1	0.00
41	वृत्त-डी, उदयपुर	3	3	0.21
42	वृत्त-ई, जयपुर-द्वितीय	1	1	0.30
43	वृत्त-ई, जोधपुर-द्वितीय	1	1	0.01
44	वृत्त-ई, उदयपुर	2	2	4.11
45	वृत्त-एफ, जयपुर-द्वितीय	3	3	3.92
46	वृत्त-जी, जयपुर-तृतीय	1	1	0.05
47	वृत्त-करौली	1	1	0.61
48	वृत्त-एन, जयपुर-तृतीय	1	1	0.72
49	वृत्त-नीम का थाना	1	1	0.09
50	वृत्त-प्रतापगढ़	1	1	0.00
51	वृत्त-सिरोही	2	1	0.19
योग		96	95	476.15

परिशिष्ट 2.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.4.4)

ई-वे बिल प्रणाली में शामिल प्रपत्रों की सूची

क्र. सं.	प्रपत्र सं.	विवरण	मूलकर्ता	अनुकरणकर्ता	प्राप्तकर्ता	उद्देश्य
1	जीएसटी एमओवी-01	वाहन को रोकने के दौरान माल तथा वाहन के मालिक/चालक/ व्यक्ति का बयान	वाहन का प्रभारी व्यक्ति	उचित अधिकारी	उचित अधिकारी	निरीक्षण को अभिलेखबद्ध करना
2	जीएसटी एमओवी-02	परिवहन, माल तथा दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन/निरीक्षण के लिए आदेश	उचित अधिकारी	सभी हितधारक	परिवहनकर्ता	करदेयता का सत्यापन
3	जीएसटी एमओवी-03	निरीक्षण का समय तीन कार्य दिवसों से अधिक बढ़ाने के लिए आदेश।	संयुक्त/ अतिरिक्त आयुक्त	उचित अधिकारी	उचित अधिकारी	माल का निरीक्षण
4	जीएसटी एमओवी-04	भौतिक सत्यापन रिपोर्ट	उचित अधिकारी	परिवहनकर्ता	परिवहनकर्ता	निरीक्षण को अभिलेखबद्ध करना
5	जीएसटी एमओवी-05	माल एवं वाहन को छोड़ने का आदेश	उचित अधिकारी	परिवहनकर्ता	परिवहनकर्ता	
6	जीएसटी एमओवी-06	दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने या दोषपूर्ण दस्तावेजों आदि के लिए माल को रोकने का आदेश	उचित अधिकारी	परिवहनकर्ता	परिवहनकर्ता	अभिलेखों के सत्यापन के लिए
7	जीएसटी एमओवी-07	माल के निरीक्षण के परिणाम पर कारण बताओ नोटिस	उचित अधिकारी	परिवहनकर्ता	परिवहनकर्ता	देय कर का संग्रह
8	जीएसटी एमओवी-08	माल एवं परिवहन की अनंतिम (प्रोविजनल) रिहाई के लिए बॉण्ड	करदाता	उचित अधिकारी	उचित अधिकारी	देय कर के लिए क्षतिपूर्ति
9	जीएसटी एमओवी-09	कर तथा शास्ति की मांग का आदेश (रोके गये माल/वाहन)	उचित अधिकारी	परिवहनकर्ता	परिवहनकर्ता	कर तथा शास्ति के भुगतान के लिए
10	जीएसटी एमओवी-10	माल या वाहन की जब्ती और जुर्माना लगाने के लिए नोटिस	उचित अधिकारी	परिवहनकर्ता	परिवहनकर्ता	मालिक/ परिवहनकर्ता को सूचना
11	जीएसटी एमओवी-11	माल एवं वाहन की जब्ती का आदेश - कर, जुर्माना तथा शास्ति की मांग	उचित अधिकारी	परिवहनकर्ता	परिवहनकर्ता	मालिक/ परिवहनकर्ता को सूचना

परिशिष्ट 2.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.4.5.4)

चिन्हित प्रमुख समस्या क्षेत्र/जोखिम आयाम

क्रमांक	प्रमुख समस्या क्षेत्र
1	कंपोजीशन करदाता द्वारा अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए ई-वे बिल जनरेट करना।
2	कंपोजीशन करदाता द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक की जावक आपूर्ति के लिए ई-वे बिल जनरेट करना।
3	किसी भी वर्ष में केवल जावक आपूर्ति वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिल जनरेट करना।
4	किसी भी वर्ष में आवक आपूर्ति (ई-वे बिल समर्थित) की तुलना में असमानुपाती जावक आपूर्ति करने वाले करदाता।
5	ड्रूप्लिकेट चालान का उपयोग करके ई-वे बिल जनरेट करने वाले करदाता।
6	शून्य रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिल जनरेट करना।
7	रिटर्न डिफाल्टरों (रिटर्न दाखिल न करने वाले) द्वारा ई-वे बिल जनरेट करना।
8	निरस्तीकरण की प्रभावी तिथि के बाद ई-वे बिल जनरेट करने वाले करदाता।
9	ऐसे करदाता जिन्होंने ई-वे बिल जनरेट किए और जिनका पंजीकरण बाद में निरस्त कर दिया गया।
10	ऐसे करदाता जिन्होंने ई-वे बिल जनरेट किए तथा बाद में उन्हें निरस्त कर दिया गया।
11	ऐसे करदाता जिन्होंने ई-वे बिल जनरेट किए तथा बाद में प्राप्तकर्ताओं द्वारा अस्वीकार कर दिए गए।
12	किसी भी वर्ष में जावक पक्ष की तुलना में आवक पक्ष पर ई-वे बिलों द्वारा समर्थित असमानुपातिक आपूर्ति करने वाले करदाता।
13	करदाताओं द्वारा ई-वे बिलों का विस्तार करना।
14	जोखिम भरे वाहनों, जैसे दोपहिया वाहनों का उपयोग करके ई-वे बिल जनरेट करना।
15	चोरी के वाहनों का उपयोग करके ई-वे बिल जनरेट करना।
16	पंजीकरण के पहले 6 महीनों में उच्च मूल्य के ई-वे बिल जनरेट करना।
17	अमान्य पिन कोड का उपयोग करके ई-वे बिल जनरेट करना।
18	निलंबित, स्क्रेप किए गए, सरेंडर किए गए तथा निरस्त किए गए वाहनों का उपयोग करके ई-वे बिल जनरेट करना।
19	एमसीए की डिफाल्टर सूची धारकों द्वारा ई-वे बिल जनरेट करना।
20	आयकर डिफाल्टरों द्वारा ई-वे बिल जनरेट करना।
21	डीजीएआरएम/अन्य एजेंसियों द्वारा चिन्हित करदाताओं द्वारा ई-वे बिल जनरेट करना।
22	डीजीएफटी द्वारा ब्लैकलिस्ट किए गए निर्यातकों द्वारा ई-वे बिल जनरेट करना।

परिशिष्ट 2.5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.4.12.12)

एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) तथा केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) पर प्रभाव

क्रम सं.	अनुच्छेद संख्या	प्रकरण	शामिल सीजीएसटी राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत सीजीएसटी राशि	सीजीएसटी राशि वसूली गई	शामिल आईजीएसटी राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत आईजीएसटी राशि	आईजीएसटी राशि वसूली गई
1	2.4.12.3	8	24.24			3.45		
योग		8	24.24			3.45		

परिशिष्ट 6.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 6.1)

विभागों की सूची

क्र.सं.	विभाग का नाम	क्र.सं.	विभाग का नाम	क्र.सं.	विभाग का नाम
1	कृषि	22	भू-जल	43	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
2	कृषि विपणन	23	उच्च शिक्षा	44	राजस्व आसूचना
3	पशुपालन	24	गृह विभाग गृह रक्षा सहित	45	सैनिक कल्याण
4	पुरातत्व एवं संग्रहालय	25	उद्यान	46	संस्कृत शिक्षा
5	कला एवं संस्कृति	26	सूचना एवं जनसम्पर्क सूचना आयोग सहित	47	माध्यमिक शिक्षा
6	आयुर्वेद	27	निरीक्षण	48	बंदोबस्त
7	भाषा एवं पुस्तकालय	28	सिंचाई (इंदिरा गाँधी नहर परियोजना)	49	राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि
8	कलेक्टर (विविध)	29	जेल	50	कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता
9	सिंचित क्षेत्र विकास	30	श्रम	51	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
10	सहकारिता	31	भू-राजस्व	52	पंजीयन एवं मुद्रांक
11	देवस्थान	32	विधि एवं विधिक कार्य	53	राज्य आबकारी
12	आपदा प्रबंधन सहायता व नागरिक सुरक्षा	33	स्थानीय कोष लेखापरीक्षा	54	आर्थिक एवं सांख्यिकी
13	निर्वाचन	34	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	55	तकनीकी शिक्षा
14	प्राथमिक शिक्षा	35	चिकित्सा शिक्षा	56	पर्यटन
15	कर्मचारी राज्य बीमा	36	अल्पसंख्यक मामलात	57	कोष एवं लेखा
16	मूल्यांकन	37	पटवार प्रशिक्षण केंद्र	58	जनजातीय क्षेत्रीय विकास
17	वित्त	38	पेंशन (बैंक)	59	वैट/जीएसटी
18	मत्स्य	39	कार्मिक	60	जल संसाधन विभाग
19	स्वाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	40	मुद्रण एवं स्टेशनरी	61	मार्गोपाय
20	सामान्य प्रशासन विधानसभा सचिवालय, राज्यपाल सहित	41	राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान	62	महिला एवं बाल विकास
21	गोपालन	42	राजस्थान लोक सेवा आयोग	63	युवा मामले एवं खेल

परिशिष्ट 6.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 6.4)

निरीक्षण प्रतिवेदनों में आक्षेपित अनियमितताओं का श्रेणी-वार विवरण

क्र.सं.	अनियमितताओं की श्रेणी	महिला एवं बाल विकास विभाग		श्रम विभाग	
		अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	कपट/दुर्विनियोजन/गबन/हानियां/भंडार एवं नकद की चोरी	32	4.21	04	0.63
2	लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई वसूलियां	278	83.87	67	245.87
3	संविदात्मक बाध्यताओं का उल्लंघन एवं संवेदकों को अनुचित सहायता	58	13.17	04	0.11
4	परिहार्य/अधिक व्यय	99	36.34	07	279.98
5	निरर्थक/निष्फल व्यय	160	299.43	06	44.31
6	विनियामक प्रकरण	804	532.97	91	645.43
7	निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय संस्थापना/निधियों का अवरोधन/निधियों का विपथन	172	340.39	60	883.76
8	उपकरणों की संस्थापना में विलम्ब/निष्क्रिय रहना	52	73.26	0	0
9	उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होना	448	274.90	68	26.49
10	विविध	685	355.32	55	1456.74
कुल		2788	2013.86	362	3583.32

परिशिष्ट 7.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.4)

जून 2025 की स्थिति के अनुसार 24 डीईआईसी में पदस्थापित मानवशक्ति की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	डीईआईसी का नाम	भवन निर्माण (माह/वर्ष)	वर्ष जिसमें भारत सरकार द्वारा पीआईपी, एनएचएम में मानव संसाधन स्वीकृत किया गया	बाल रोग विशेषज्ञ	चिकित्सा अधिकारी	प्रबंधक	फ़िज़ियोथेरेपिस्ट	ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट	मनोवैज्ञानिक	नेत्र रोग विशेषज्ञ	प्रारंभिक सह सामाजिक कार्यकर्ता	हस्तक्षेपकर्ता सह विशेष शिक्षक सह
1.	भरतपुर	09/2016	2015-16	00	00	00	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित	00	पदस्थापित	
2.	भीलवाड़ा	12/2016	2015-16	00	00	00	00	00	00	00	00	00
3.	बीकानेर	10/2016	2015-16	00	00	पदस्थापित	00	पदस्थापित	पदस्थापित	00	पदस्थापित	
4.	चित्तौड़गढ़	11/2016	2015-16	00	00	पदस्थापित	00	पदस्थापित	00	00	पदस्थापित	
5.	चुरू	03/2020	2015-16	00	00	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित	00	00	पदस्थापित	
6.	जालौर	09/2017	2015-16	00	00	00	00	00	00	00	00	00
7.	उदयपुर	07/2016	2015-16	00	00	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित	00	00	00
8.	बांसवाड़ा	02/2017	2021-22	00	00	00	00	00	00	00	00	00
9.	बारां	10/2016	2021-22	00	पदस्थापित	00	00	00	00	00	00	00
10.	बूंदी	03/2017	2021-22	00	00	00	पदस्थापित	00	00	00	00	00
11.	दौसा	01/2017	2021-22	00	00	00	00	00	00	00	00	00
12.	डूंगरपुर	03/2017	2021-22	00	00	00	00	00	00	00	00	00
13.	हनुमानगढ़	08/2016	2021-22	00	00	पदस्थापित	00	00	00	00	00	00

क्र. सं.	डीईआईसी का नाम	भवन निर्माण (माह/वर्ष)	वर्ष जिसमें भारत सरकार द्वारा पीआईपी, एनएचएम में मानव संसाधन स्वीकृत किया गया	बाल रोग विशेषज्ञ	चिकित्सा अधिकारी	प्रबंधक	फ़िज़ियोथेरेपिस्ट	ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट	मनोवैज्ञानिक	नेत्र रोग विशेषज्ञ	प्रारंभिक सह विशेष सामाजिक कार्यकर्ता सह शिक्षक सह कार्यकर्ता
14.	जैसलमेर	12/2017	2021-22	00	00	00	00	00	00	00	00
15.	झालावाड़	06/2017	2021-22	00	00	00	00	00	00	00	00
16.	झुंझुनूं	11/2016	2021-22	00	00	पदस्थापित	00	00	00	00	पदस्थापित
17.	करौली	11/2016	2021-22	00	00	पदस्थापित	00	00	00	00	00
18.	नागौर	12/2017	2021-22	00	00	पदस्थापित	00	00	00	00	00
19.	पाली	03/2017	2021-22	00	00	पदस्थापित	00	00	00	00	00
20.	प्रतापगढ़	10/2016	2021-22	00	00	00	00	00	00	00	00
21.	राजसमंद	12/2016	2021-22	00	00	00	00	00	00	00	00
22.	सवाई माधोपुर	10/2016	2021-22	00	00	00	00	00	00	00	00
23.	सिरोही	07/2016	2021-22	00	00	00	00	00	00	00	00
24.	श्रीगंगानगर	04/2017	2021-22	00	00	00	00	00	00	00	00
कुल		2016-17 : 18 डीईआईसी 2017-18 : 05 डीईआईसी 2019-20 : 01 डीईआईसी	2015-16 : 07 डीईआईसी 2021-22 : 17 डीईआईसी	सभी 24 डीईआईसी में उपलब्ध नहीं	23 डीईआईसी में उपलब्ध नहीं	15 डीईआईसी में उपलब्ध नहीं	20 डीईआईसी में उपलब्ध नहीं	19 डीईआईसी में उपलब्ध नहीं	21 डीईआईसी में उपलब्ध नहीं	सभी 24 डीईआईसी में उपलब्ध नहीं	19 डीईआईसी में उपलब्ध नहीं

स्रोत: मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी

परिशिष्ट 7.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.5)

ग्यारह विश्वविद्यालयों की सूची जिनके प्रोजेक्ट प्रारंभ में आईटीआई लिमिटेड को सौंपे गए थे लेकिन एक्सपेडियन ई सॉल्यूशन्स लिमिटेड द्वारा निष्पादित किए गए

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम
1.	चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद (हरियाणा)
2.	गौहाटी विश्वविद्यालय, गोपीनाथ बारदोलोई नगर, गुवाहाटी
3.	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
4.	राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर
5.	राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर
6.	स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
7.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला
8.	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
9.	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
10.	डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (एमपी)
11.	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर

परिशिष्ट 7.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.5)

जनवरी 2025 तक यूएमएस के अंतर्गत 25 मॉड्यूल की कार्यात्मक स्थिति

क्र. सं.	मॉड्यूल का नाम	कार्यात्मक स्थिति
1	प्री-एडमिशन	उपयोग किया जा रहा है
2	प्रवेश एवं अकादमियां	उपयोग किया जा रहा है
3	छात्र शुल्क प्रबंधन	उपयोग किया जा रहा है
4	पूर्व छात्र प्रबंधन	उपयोग किया जा रहा है
5	परीक्षा एवं परिणाम (प्री)	उपयोग किया जा रहा है
6	परीक्षा एवं परिणाम (पोस्ट)	उपयोग किया जा रहा है
7	छात्रों हेतु स्व-सेवा पोर्टल	आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा है
8	छात्र/कर्मचारी उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली	आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा है
9	वित्तीय लेखांकन एवं सरकारी कोषागार प्रणाली	आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा है
10	कर्मचारी स्थापना प्रबंधन	आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा है
11	कर्मचारियों हेतु स्व-सेवा पोर्टल	आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा है
12	पेंशन प्रबंधन	आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा है
13	ईपीएफ एवं ऋण आवेदन ऑनलाइन सेवा	आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा है
14	महाविद्यालय संबद्धता प्रबंधन	आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा है
15	अतिथि गृह प्रबंधन	आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा है
16	छात्रावास प्रबंधन	उपयोग नहीं किया जा रहा है
17	स्थानन प्रबंधन	उपयोग नहीं किया जा रहा है
18	बजट प्रबंधन	उपयोग नहीं किया जा रहा है
19	भर्ती प्रबंधन	उपयोग नहीं किया जा रहा है
20	अवकाश प्रबंधन	उपयोग नहीं किया जा रहा है
21	भंडार एवं क्रय	उपयोग नहीं किया जा रहा है
22	आरटीआई प्रकोष्ठ प्रबंधन	उपयोग नहीं किया जा रहा है
23	अनुसंधान एवं परियोजनाएँ (विकास अनुभाग)	उपयोग नहीं किया जा रहा है
24	अनुसंधान प्रबंधन (अनुसंधान प्रकोष्ठ)	उपयोग नहीं किया जा रहा है
25	छात्र पहचान पत्र	उपयोग नहीं किया जा रहा है

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ag1/rajasthan/hi>

